चिन्तन

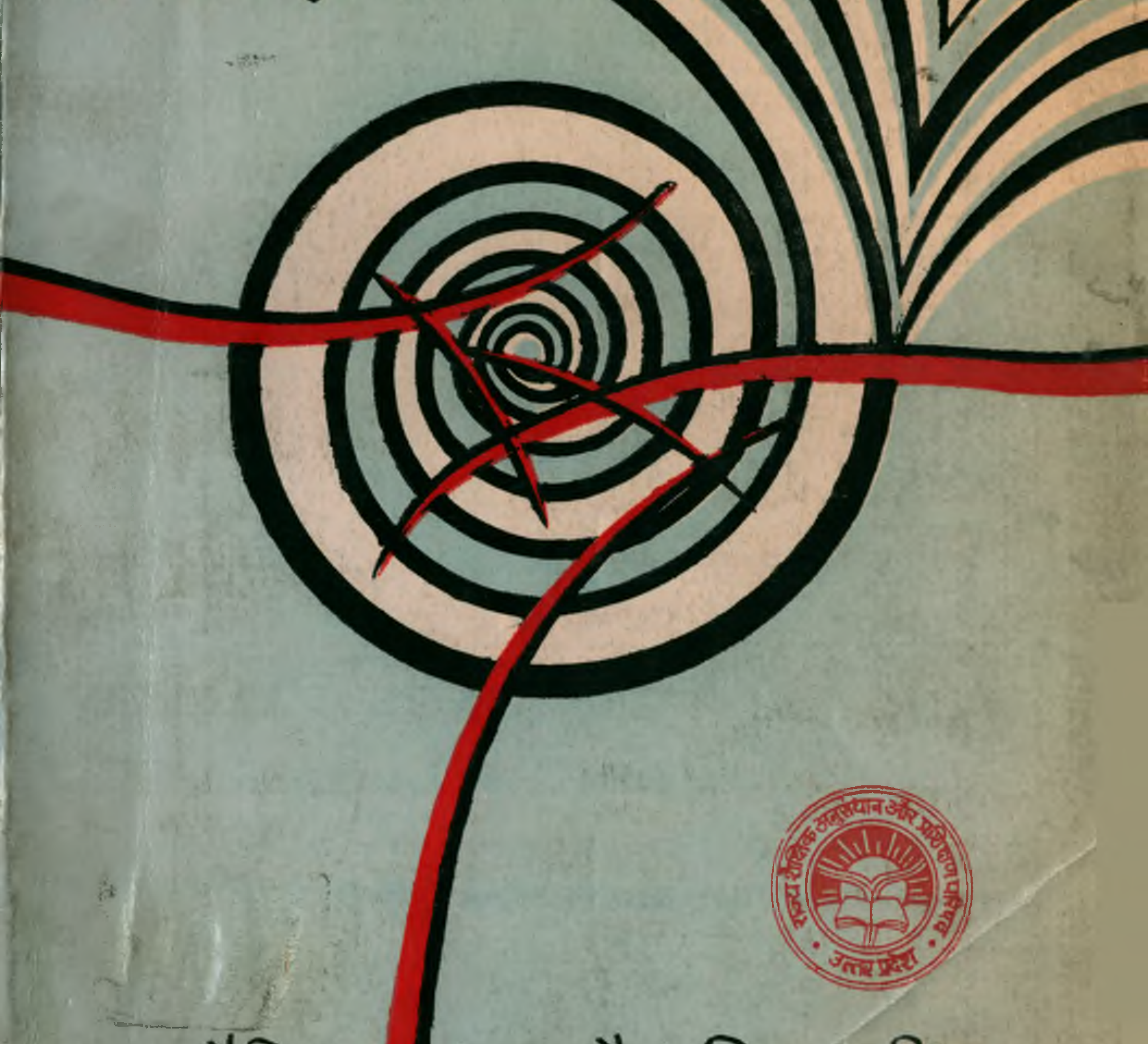

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश

।काशन न न शिन्शन्न संख्या—34

चिन्तन

(शैक्षिक शोध–संकलन)

चतुर्थ पुष्प

NIEPA DC
D07710

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश
1993

चतुथ प्रस्तुात
1993

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद,
उत्तर प्रदेश

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7710
Date 01-07-93

प्रकाशक :
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद,
उत्तर प्रदेश

प्रेरणा और मार्ग-दर्शन :

श्री हर प्रसाद पाण्डेय
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद,
उत्तर प्रदेश

समीक्षा और परामर्श :

श्री राजपति तिवारी निदेशक-विज्ञान और गणित विभाग	अध्यक्ष
श्री श्याम नारायण राय निदेशक-मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग	सदस्य
श्री गौरी शंकर मिश्र प्राचार्य-प्रारम्भिक शिक्षा बिभाग	सदस्य

सम्पादन :

श्री श्याम नारायण राय प्राचार्य-मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग	सदस्य सचिव

पुरोवाक्

राष्ट्रीय अभिलाषाओं और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप देश के भावी कर्णधारों का निर्माण करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की ही हैं। अबाध गति से प्रगति की ओर अग्रसर सम्पूर्ण जगत मानव की नित्य नूतन उपलब्धियाँ, आशातीत विस्तारपरक बहुक्षेत्रीय ज्ञान, निरन्तर विकासशील राष्ट्र के सम्मुख आसन्न विभिन्न चुनौतियाँ आदि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर अभिनव आयामों का सृजन करती जा रही हैं। फलतः शिक्षा के विविध स्तरों पर अनुभवगम्य समस्याओं, व्यवधानों और दुरूहताओं के शुद्ध स्वरूप का परिज्ञान करके समीचीन और प्रभावी कार्यपरक चरण का अनुगमन; साथ ही सर्वेक्षण, अनुसन्धान और परीक्षणों से पुष्ट नियोजित कार्यविधि को अपनाना नितान्त अपरिहार्य हो गया है। प्रसन्नता की बात है कि राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ विभिन्न विभाग इस दिशा में सक्रिय हैं।

पाठ्यक्रम, पाठ्य-विषय, विकास, शिक्षक-प्रशिक्षण, कक्षा-शिक्षण, निरीक्षण और पर्यवेक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन आदि पक्षों से सम्बन्धित समस्यात्मक स्थलों की पहचान हेतु अपेक्षित वैज्ञानिक अध्ययनों और अनुसन्धानों का शिक्षा के स्तरोन्नयन के क्षेत्र में अपना ही महत्त्व है। परिषदीय विभागों द्वारा शिक्षा से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रकरणों पर वर्ष 1991-92 में किये गये शोधकार्यों के उपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत चतुर्थ पुष्प की प्रस्तुति है।

इस पुष्प के प्रकाशनार्थ शोधों पर आधारित सामग्री के परिमार्जन में विभागाध्यक्षों और शोधकर्त्ताओं द्वारा किए गए श्रम के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आशा है कि "चिन्तन" का यह चतुर्थ पुष्प अध्यापकों, अभिभावकों, शैक्षिक आयोजकों और शिक्षा में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं को पसन्द आएगा।

इस सम्बन्ध में शिक्षाविदों और चिन्तकों के सुझावों का सदैव स्वागत है।

लखनऊ
दिनांक : 29-1-93

(हरि प्रसाद पाण्डेय)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय / प्रकरण	पृष्ठ संख्या
1	दूरस्थानी और स्थानीय प्राइमरी शिक्षकों का बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव	1—13
2	माता पिता / अभिभावकों के अनुसार वर्तमान समय में प्राइमरी विद्यालयों की परिस्थिति का अध्ययन	14—25
3	प्राइमरी विद्यालयों में अलाभग्रस्त बच्चों की समस्याओं का अध्ययन	26—35
4	शिक्षकों के अनुसार प्राइमरी विद्यालयों के सुचारु रूप से कार्य करने में शिक्षा विभाग के शिक्षकों का योगदान	36—45
5	प्राइमरी विद्यालयों में विशेष रूप से कक्षा पाँच में पढ़ने वाले बच्चों की रुचियों का अध्ययन	46—54
6	विद्यालयों की बेसिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति अन्य जाति के शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार का अध्ययन	55—64
7	अहिन्दी भाषी प्रान्तों में द्वितीय भाषा के रूप में निर्धारित हिन्दी पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दावली का अध्ययन	65—77
8	प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों में सुलेख के प्रति बढ़ती उदासीनता के कारणों का अध्ययन तथा उसके निवारण हेतु सुझाव	78—87
9	छात्रों की हिन्दी सम्बन्धी सामान्य भूलों का अध्ययन—माध्यमिक स्तर	88—102
10	प्रारम्भिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) के छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा का अध्ययन	103—112
11	प्राथमिक छात्रों के अधिगम पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन	113—122

12—हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं में विराम-चिह्नों के प्रयोग में की जाने वाली त्रुटियों का अध्ययन 123—131

13—पूर्व माध्यमिक स्तर के छात्रों की वाचन अभिरुचि का अध्ययन 132—141

14—राज्य के विभिन्न स्तर के शिक्षक-संघों की शैक्षिक उन्नयन में भूमिका 142—144

15—माध्यमिक विद्यालयों के वीक्षण कार्यक्रमों की प्रभावात्मकता का अध्ययन 145—150

16—माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत प्रशासन योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और उनके प्रभाव का अध्ययन 151—161

17—माध्यमिक स्तर पर पैनल-निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता एवम् प्रयुक्त प्रपत्रों का मूल्यांकन तथा निरीक्षण 162—172

18—विद्यालय पलायनकारी छात्रों का अध्ययन 173—187

19—माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों के वर्तमान अधिकार एवं कर्त्तव्य तथा उन्हें प्रभावशाली बनाने के सुझाव 188—211

20—माध्यमिक शिक्षा में जन सहयोग की स्थिति एवं सम्भावनाएँ—एक अध्ययन 212—230

21—हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सामग्री एवं विज्ञान शुल्क में सह-सम्बन्ध का अध्ययन 231—243

22—आदिवासी छात्रों में अध्ययनरत आदिवासी छात्रों तथा सामान्य छात्रों की विज्ञान एवं गणित विषयों में उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन 244—260

23—शैक्षिक दूरदर्शन के विज्ञान विषयों के कार्यक्रमों की विषयवस्तु का प्रस्तुति की दृष्टि से मूल्यांकन 261—268

24—माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टर परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित के प्रश्न-पत्रों, इंजीनियरिंग कालेज की प्रवेश परीक्षा हेतु इन विषयों के प्रश्न-पत्रों से कठिनाई स्तर (difficult value) की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन 269—275

25—चयनित मण्डल में जूनियर हाईस्कूलों में विद्यमान शिक्षण-सुविधाओं तथा वहाँ पर कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अध्ययन 276—288

26—A study of the achievement of English of studentso f class seventh studying in J. H. S., H. S. and Intermediate colleges in rural areas. 289—295

27—'A study of Diploma participants' spoken English with reference to their use of accent at the entry and terminal points of the training programme. 296—304

1

दूरस्थानी और स्थानीय प्राइमरी शिक्षकों का बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

1—प्रस्तावना—

प्राथमिक शिक्षा बच्चो की आगामी विभिन्न स्तरों की शिक्षा का आधार होती है। अच्छी और सुदृढ़ नींव भावी शिक्षा को भी मजबूती प्रदान करती है। इस स्तर पर बने सम्प्रत्यय अधिक चिरस्थायी और प्रभावी होते हैं। सामान्यतया इसके अन्तर्गत 6-11 वय वर्ष के बच्चे आते हैं।

इस स्तर के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सजाने सँवारने का दायित्व प्राथमिक शिक्षकों का है। निश्चय ही इनका कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनके कन्धों पर बच्चों को माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा के लिये तैयार करने का दायित्व होता है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक पिरामिड के मजबूत बुनियाद की अपेक्षा की गई है, शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को मजबूती प्रदान करने का दायित्व इन्हें ही निभाना है। अत: विशेष रूप से एक प्राथमिक शिक्षक को पूरी तरह समर्पित शिक्षक होना चाहिये जो शिशुओं और बच्चों को एक सार्थक सम्पूर्ण स्वरूप प्रदान करने में सक्षम हो। वर्तमान के बदलते हुए परिवेश में अब शिक्षकों को अपनी भूमिका में भी कुछ परिवर्तन लाकर एक उत्प्रेरक की भूमिका अपनाकर बच्चों को उनके अनुरूप शिक्षा में प्रवृत्त करने तथा अग्रसर करने का दायित्व सम्हालना है। उन्हें अब बच्चों को मात्र रटाने की बजाय उनमें दक्षता विकसित करने पर ध्यान देना होगा। अब उन्हें बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक तीनों ही पक्षों के विकास पर ध्यान देना होगा।

बाल विकास और बच्चों की समुचित शिक्षा का दायित्व निर्वहन करने वाले प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षित व स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अपेक्षित है। उन्हें अपनी पारिवारिक-आर्थिक समस्याओं का निर्वाह करते हुए उनसे ऊपर उठकर तन-मन से बच्चों को उद्देश्यपूर्ण शिक्षा देना अभीष्ट है। विद्यालय में जहाँ उन्हें बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है वहीं प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को भी संतुष्ट करना होता है। प्राइमरी शिक्षक को एक जनपद विशेष के सभी प्राइमरी विद्यालयों में नियुक्त/स्थानान्तरित किया जा सकता है। सभी अध्यापकों को उनके घर के समीप के विद्यालय में पढ़ाने को मिले यह आवश्यक नहीं है अत: जो घर से दूर अध्यापन कार्य हेतु जाते हैं अथवा वहीं किराये के कमरों में रहते हैं इसके विपरीत कुछ स्थानीय शिक्षक अपने घर के समीपी प्राइमरी विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं। अध्यापन कार्य में समर्पित और दायित्वबोध की भावना से जुटने के लिये अपनी वर्तमान पोस्टिंग के विद्यालय से उनका संतुष्ट रहना अपेक्षित है।

प्राय: यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पदस्थित दूर हो जाने के कारण उनका स्वयं का जीवन प्रभावित होता है और उसका प्रभाव उनके अध्यापन पर पड़ना स्वाभाविक होता है। अत: दूरस्थानी और स्थानीय शिक्षकों के अध्यापन का बच्चों पर प्रभाव देखने विषयक प्रस्तुत शोध अध्ययन का कार्य सम्बन्धित तथ्यों के उद्‌घाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यद्यपि इस क्षेत्र में शोध और अध्ययन कम हुए हैं तथा अभी इसकी बहुत आवश्यकता है फिर भी एस० सी० ई० आर० टी०, राजस्थान की ओर से इस दशा में एक महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ है, जो आगे प्रस्तुत है।

2—सम्बन्धित शोध अध्ययन—

बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति पर स्थानीय/दूरस्थानी शिक्षकों के प्रभाव को ज्ञात करने से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अध्ययन एस० आई० ई० आर० टी० राजस्थान की ओर से 1982 में किया गया (Education Survey Vol IV by Buch) उक्त अध्ययन का शीर्षक (Effect of the Stay of Teachers on the enrolment and Retention of Boys and Girls in Primary School) था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों के मुख्यालय पर ठहरने का विद्यालय में बच्चों के नामांकन और ठहरकर अध्ययन करने (Enrolment & Retention) के बीच प्रभाव और सम्बन्ध का पता लगाना था। इसके साथ ही मुख्यालय पर ठहरने वाले शिक्षकों और बाहर से आकर पढ़ाने वाले शिक्षकों के विद्यालय में बच्चों के नामांकन और ठहराव (retention) पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन कर तथ्यों का पता लगाना भी इस अध्ययन का उद्देश्य था। इसमें एक पंचायत समिति के 10 ऐसे विद्यालयों को लिया गया जिसमें अध्यापक मुख्यालय पर ठहरते थे तथा 10 ऐसे विद्यालयों को लिया गया जहाँ अध्यापक नहीं ठहरते थे। इस प्रकार इस अध्ययन में कुल 20 विद्यालय, 48 अध्यापक, 19 सरपंच और 25 सुपरवाइजर्स जिसमें शिक्षाधिकारी तथा अपर जिला शिक्षाधिकारी भी सम्मिलित थे, सहभागी रहे। इस अध्ययन की विधि सर्वेक्षण विधि थी।

इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया कि जिन विद्यालयों के अध्यापक मुख्यालय पर ही ठहरते थे, उनमें विद्यार्थियों में नियमित उपस्थिति और विद्यालय में उनका ठहराव उनकी तुलना में काफी अच्छा था जहाँ अध्यापक मुख्यालय पर नहीं ठहरते थे। इसमें यह भी पाया गया कि शिक्षक का मुख्यालय पर ठहराव तभी लाभदायक सिद्ध हुआ जब वे लगातार बच्चों के अभिभावकों के सम्पर्क में रहते थे और उनके प्रति अच्छा व्यवहार करते थे। विद्यालय की ओर से बच्चे को मुफ्त दी जाने वाली पुस्तकों, यूनिफार्म और खाने की चीजों के साथ ही खेलने की सुविधाएँ भी उनके विद्यालय में ठहराव में योगदान देती थी। इसमें यह भी निष्कर्ष पाया गया कि ग्राम पंचायत उन्हीं अध्यापकों को नियुक्त करना अच्छा समझती है जो निरन्तर उनके भी सम्पर्क में रहे तथा विनम्रता का व्यवहार करे। इस अध्ययन में एक तथ्य यह भी उजागर हुआ कि शिक्षकों के लिये अच्छे मकान तथा उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा की सुविधा न होने के कारण ही बहुत से अध्यापक अपने मुख्यालयों पर नहीं ठहरते।

3—उद्देश्य—

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य प्राइमरी विद्यालय के बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति पर स्थानीय और दूरस्थानी शिक्षकों के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

4 —अध्ययन विधि और उपकरण –

प्रस्तुत अध्ययन की विधि, सर्वेक्षण विधि है। इसमें सर्वप्रथम स्थानीय और दूरस्थानीय शिक्षकों का पता लगाकर उनके बारे में सामान्य सूचनाओं के साथ-साथ विशिष्ट सूचनाएँ जैसे घर की स्थिति, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये एक प्रपत्र विकसित किया गया जिसे विद्यालय पत्री कहा गया तथा उन्हें स्थानीय और दूरस्थानी दोनों ही प्रकार के शिक्षकों से भराया गया। पुनः इन्हीं शिक्षकों द्वारा पढ़ाये गये प्राइमरी कक्षा के बच्चों के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक प्राप्त कर उनकी आपस में तुलना की गयी तथा यह देखा गया कि क्या स्थानीय शिक्षकों द्वारा पढ़ाये गये बच्चे दूरस्थानी शिक्षकों द्वारा पढ़ाये बच्चों की तुलना में अधिक अंक पाते हैं ? इस अध्ययन में स्थानीय शिक्षक उन्हें माना गया जो विद्यालय से 5 किमी० के दायरे में रहते हैं और दूरस्थानी शिक्षक उन्हें, जो (5) से (10) किलोमीटर तक पैदल चलकर आते हैं।

उपकरण (एक प्रश्नावली)

अध्यापकों को दी गयी प्रश्नावली में कुल 58 प्रश्न रहे जिसमें 1 से 8 तक के प्रश्नों में सामान्य जानकारी के साथ-साथ उनकी शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण वैवाहिक स्थिति, मासिक आय और स्थानीय तथा दूरस्थानी होने विषयक सूचनाऐं प्राप्त की गयीं। प्रश्न सं० (9) से (16) तक घर की स्थिति (दूरी) बिजली, पानी की स्थिति, परिवार के सदस्य, बच्चे और उनकी शिक्षा के बारे में हैं। प्रश्न सं० 17 से लेकर 35 तक विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं तथा विद्यालयीय समायोजन विषयक हैं। प्रश्न सं० 36 से 40 तक शारीरिक स्वास्थ्य विषयक हैं। प्रश्न सं० 41 से लेकर 58 तक के प्रश्नों को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा गया है।

5—प्रतिदर्श : मण्डल, नगर, संख्या—

प्रस्तुत अध्ययन के लिये मेरठ मण्डल और नैनीताल मण्डल के कुल 15 प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया। स्थानीय शिक्षकों का बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव देखने हेतु मेरठ शहर के (6) बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के (25) शिक्षक/शिक्षिकाओं से प्रपत्र भराए गये तथा उनके द्वारा पढ़ाये गये कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के 25 छात्र-छात्राओं की शैक्षिक निष्पत्ति (प्राप्तांक) प्राप्त की गयी। स्थानीय शिक्षकों से सम्बन्धित विद्यालयों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1—प्राइमरी कन्या पाठशाला, बेगमबाग मेरठ।

2—प्राइमरी पाठशाला, वैश्य अनाथालय, शिवाजी रोड, मेरठ।

3—बेसिक प्राइमरी पाठशाला, नम्बर-2 बेगमबाग, मेरठ।

4—प्राइमरी पाठशाला, स्वामी विवेकानन्द, शिशु बिहार, पटेलनगर मेरठ।

5—प्राइमरी पाठशाला, पुलिस लाइन्स, मेरठ।

6—प्राइमरी कन्या पाठशाला, शर्मानगर, पुलिस लाइन्स, मेरठ।

दूरस्थानी शिक्षक जो 5 से लेकर 10 किमी० तक पैदल चलकर विद्यालय आते हैं के लिये प्रतिदर्श का

चयन मेरठ और नैनीताल मण्डल के 6 जिलों के कुल 9 विद्यालयों से किया गया है। इसके लिये भी इन (9) स्कूलों के कुल (25) शिक्षकों (दूरस्थानी) से प्रपत्र भरवाकर सूचनाएँ प्राप्त की गई तथा उन्हीं के द्वारा पढ़ाए गये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के (25) छात्र-छात्राओं की शैक्षिक निष्पत्ति प्राप्त की गयी। दूरस्थानी शिक्षकों से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र के जिन प्राइमरी पाठशालाओं को लिया गया है, उनके नाम निम्नलिखित है :—

1—प्राइमरी पाठशाला, ग्राम-सतवाई, मेरठ।

2—प्राइमरी पाठशाला, ग्राम अरनावली, मेरठ।

3—जूनियर बेसिक विद्यालय, इन्डेरा सहारनपुर।

4—प्राथमिक विद्यालय, घूटमलपुर, सहारनपुर।

5—जूनियर बेसिक विद्यालय इन्डेरा-2 नारसर, हरिद्वार।

6—प्राथमिक विद्यालय तेजलहेडा-2, पूरकाजी, मुजफ्फरपुर।

7—प्राथमिक विद्यालय, उम्याड़ी, कफड़ा, अल्मोड़ा।

8—प्राथमिक विद्यालय, गैरखेत, भीमताल, नैनीताल।

9—प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर, काशीपुर, नैनीताल।

इन्हीं (25) छात्र-छात्राओं के मेरठ के रोहता, सरधना और नैनीताल के धनोरी, पीपलसाना, गैरखेत, नौगाँव, सिल्मोड़िया आदि प्राथमिक विद्यालयों की छात्र-छात्राओं के प्राप्तांक भी लिये गये।

निर्देशानुसार उक्त प्रतिदर्श चयन और तथ्य संग्रह का कार्य मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र, नैनीताल के स्तर से वहाँ के सहायक मनोवैज्ञानिक श्री सुशील कुमार यादव द्वारा सम्पन्न करके मनोविज्ञानशाला प्रेषित किया गया। शाला में प्राप्त तथ्यों को आँकड़ाबद्ध किया गया। स्थानीय तथा दुरस्थानी शिक्षकों के आँकड़ों का परस्पर तुलना करने हेतु उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। इन दोनों ही प्रकार के शिक्षकों द्वारा पढ़ाये गये बच्चों के प्राप्त प्राप्तांकों का विषयवार प्रतिशत ज्ञात किया गया तथा परस्पर तुलना की गयी। एक बात का उल्लेख करना यहाँ पर अपरिहार्य प्रतीत होता है कि शिक्षकों की तुलना में उनके द्वारा अध्यापन का प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु छात्र-छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति बहुत कम संख्या में रखी गयी (लगभग प्रति अध्यापक एक छात्र) जो अध्ययन की दृष्टि से बहुत उपयोगी संख्या नहीं माना जा सकता। फिर भी, निश्चित समय के भीतर अध्ययन पूरा करने की दृष्टि से इसी आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

6—सांख्यिकीय विश्लेषण—

(क) **स्थानीय शिक्षकों की स्थिति** – विद्यालय पत्री से प्राप्त स्थानीय प्राथमिक शिक्षकों का विवरण शीर्षकवार निम्नवत् है—

1—सामान्य सूचनाएँ—

इसके अन्तर्गत 25 शिक्षक शिक्षिकाओं के शैक्षिक स्तर, प्रशिक्षण, उनकी वैवाहिक स्थिति और मासिक

आय सम्बन्धी सूचनाएँ ज्ञात की गयीं। स्थानीय प्राथमिक शिक्षकों में दो महिला शिक्षिकाएँ जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त हैं। हाई स्कूल उत्तीर्ण 8 शिक्षकों में 5 पुरुष और 3 महिलाएँ हैं। इण्टर उत्तीर्ण 6 में तीन पुरुष और तीन महिला शिक्षक हैं। बी० ए० उत्तीर्ण 4 शिक्षकों में 2 महिला और 2 पुरुष हैं। एम० ए० उत्तीर्ण 5 शिक्षकों में तीन महिलाएँ तथा 2 पुरुष हैं।

प्रशिक्षण की दृष्टि से 14 एच० टी० सी० में 9 महिलाएँ तथा 5 पुरुष, 10 बी० टी० सी० में 4 महिलाएँ तथा 6 पुरुष रहे। बी० एड० की हुई एक मात्र महिला शिक्षक है।

जिन स्थानीय शिक्षकों को अध्ययन के अन्तर्गत रखा गया उनमें 25/25 विवाहित थे जिनमें 12 पुरुष तथा 12 महिला हैं। एक महिला शिक्षक अविवाहित थी। इस प्रकार अध्ययन में लिये गये कुल 25 में से 13 महिला शिक्षक तथा 12 पुरुष शिक्षक रहे। आय का स्रोत 25 में से 23 का केवल वेतन ही है। केवल तीन शिक्षकों को खेती से कुछ गल्ला आ जाता है।

2—घर की स्थिति—

स्थानीय शिक्षकों में 17/25 ऐसे थे जिनके घर की दूरी 5 किमी० के भीतर थी। 8 अध्यापकों को इससे अधिक दूरी भी तय करनी पड़ती थी किन्तु शहर में स्थानीय रूप से रहने के कारण सम्भवतः उन्हें स्थानीय माना गया। 21/25 के घर का वातावरण संतोषजनक बताया गया किन्तु 4/25 में शोरगुल और देहाती वातावरण के कारण इसे असंतोषप्रद बताया। बिजली की सुविधा 100% अध्यापकों को उपलब्ध रही। पानी की सुविधा भी सभी को है किन्तु नल की सुविधा कम शिक्षकों को है। अधिकांश को हैण्डपम्प का पानी प्रयोग करना पड़ता है।

परिवार में सदस्यों की दृष्टि से देखा जाये तो शिक्षकों के यहाँ (5) या इससे कम सदस्य हैं। (11) शिक्षकों के यहाँ सदस्यों की संख्या (5) से अधिक है। (22) शिक्षक, शिक्षिकाओं के बच्चे उनके साथ रहते हैं। दो शिक्षिकाओं को संतान नहीं हैं। एक शिक्षिका अविवाहित है। (13) शिक्षक, शिक्षिकायें अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाते हैं। कुछ के बच्चे बड़े हैं और ऊँची कक्षाओं में स्वतः पढ़ते हैं। दो शिक्षकों ने समय की कमी तथा पढ़ाने में असमर्थता के कारण बच्चे के लिए ट्यूटर रखे हैं।

3—विद्यालय सम्बन्धी सूचनाएँ—

सभी स्थानीय शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ाते हैं। साक्षात्कार में सभी ने विद्यालय समय से आने की बात कही है। सबका यह मानना है कि यदि देर से आयेंगे तो इसका बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यापन अनुभव की दृष्टि से जिन अध्यापकों को लिया गया उनमें (14) से लेकर (20) वर्ष तक अध्यापन अनुभव वाले 4 शिक्षक, शिक्षिकायें की, (21 से 30 वर्ष) अनुभव के (17) शिक्षक, शिक्षिकायें हैं और (31 से 40) वर्ष शिक्षण अनुभव वाले भी (4) अध्यापक हैं। लगभग सभी शिक्षक बच्चों को लगभग सभी विषय—हिन्दी, गणित,

विज्ञान, सामाजिक विषय और हस्तकला आदि पढ़ाते हैं। कक्षा 1 को (3), कक्षा 2 को (01), कक्षा 3 को (5), कक्षा 4 को (4) और कक्षा 5 को (3) शिक्षक पढ़ाते हैं। (9) शिक्षक ऐसे हैं जो मिश्रित कक्षायें पढ़ाते हैं। कक्षा में बच्चों की संख्या कम से कम (09 और अधिकतम (55) बताई गई। सभी शिक्षकों ने बताया कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। विद्यालय आने के साधनों में पैदल (9) सायकिल से (10) तथा रिक्शा और अन्य वाहनों से विद्यालय आते हैं। कुल तीन वेतनमान के शिक्षक इसके अन्तर्गत लिये गये हैं। वेतनमान 1100, 1800, 1210 से 2010 तथा 2010/- से ऊपर (17) टीचर अपने वेतन से सन्तुष्ट रहे जबकि (8) वरिष्ठ अध्यापक जो कुल रु० 2300/- से 2700/- के बीच प्रतिमास पाते थे, अपने वेतन से सन्तुष्ट नहीं रहे।

4—शारीरिक स्वास्थ्य—

22/25 स्थानीय शिक्षकों ने अपना शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बताया। दो का स्वास्थ्य साधारण रहा तथा एक ने हृदय रोग से पीड़ित होने की बात बताई। इस प्रकार कुल (3)/25 शिक्षक-शिक्षिकाएँ हृदय रोग, गठिया, रक्तचाप आदि बीमारियों का होना स्वीकार किये। उपचार के लिए इनमें से दो ने एलोपैथी विधि अपनाया तथा एक ने आयुर्वेदिक विधि से उपचार में आस्था व्यक्त की।

5—मानसिक स्वास्थ्य—

विद्यालय से घर लौटने पर (10) शिक्षकों ने थकान होने की बात स्वीकार की। शेष (15) ने बताया कि उन्हें घर पहुँचने पर कोई थकान नहीं होती। किसी ने भी मानसिक रूप से पीड़ित होने की बात स्वीकार नहीं की।

क्या कक्षा में केवल तेज बच्चों को ही पढ़ाना अच्छा लगता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सभी ने "नहीं" कहा है। किन्तु सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे कमजोर बच्चों को पढ़ाने में विशेष ध्यान देते हैं। वे कमजोर बच्चों के प्रति अच्छा, सरल, मधुर और प्यारपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा उन्हें समझाते हैं। विद्यालय में होने वाले पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में (19) ने वार्षिकोत्सव तथा खेलकूद की बात बताई। (24) ने खेलकूद तथा अन्य और (14) ने नाटक, वाद-विवाद, बालसभा आदि की बात बताई। एक विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि उनके यहाँ कोई पाठ्येत्तर क्रियाकलापों का आयोजन नहीं होता। पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में (2) ने सक्रिय सहयोग करना स्वीकार किया। (4) ने बताया कि सक्रिय सहयोग नहीं करते। सभी शिक्षकों ने बताया कि कक्षा में उनके जाने पर सभी बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों को दण्ड देने के प्रश्न पर (11) अध्यापक, अध्यापिकाओं ने बताया कि वे बच्चों को खड़ा कर देते हैं या दौड़ा देते हैं। (14) ने बताया कि ने प्यार से समझाते हैं बाद में समय देकर पढ़ाना, अभिभावकों से सम्पर्क करने का कार्य उन बच्चों के पक्ष में करते हैं। वे सभी बच्चों को गृह-कार्य देते हैं तथा उन्हें जाँचते भी हैं।

मनोरंजन के साधन के प्रश्न पर (8) ने घरेलू कार्य, (14) ने अखबार पढ़ना, टी० वी० देखना, बच्चों को पढ़ाना, शतरंज और ताश खेलना आदि कार्य, (01) भजन गाना, (01) ने गो सेवा तथा (01) ने खेती के कार्य का जिक्र किया।

इन अध्यापकों में (5) स्वयं प्रधानाचार्य हैं। शेष सभी प्रधानाचार्य के व्यवहार से सन्तुष्ट थे। सभी स्थानीय प्राइमरी शिक्षकों के सम्बन्ध में प्रधानाचार्यों के रिमार्क धनात्मक ही हैं। जैसे—समय से आना, अनुशासनप्रिय, कार्य व्यवहार अच्छा, पढ़ाने में कुशल सहयोगी प्रवृत्ति आदि।

(ख) दूरस्थानी प्राइमरी शिक्षकों की स्थिति—

दूरस्थानी प्राइमरी शिक्षकों में हाई स्कूल उत्तीर्ण (11) पुरुष-7, महिला-4, (इण्टर 8) 4 पुरुष, 4 महिला, (बी० ए० उत्तीर्ण 4) 3 पुरुष, 1 महिला और एम० ए० उत्तीर्ण (2) पुरुष अध्यापक मात्र रहे।

प्रशिक्षण की दृष्टि से बी० टी० सी० 16 (8 पुरुष, 8 महिला), एच० टी० सी० 3 सभी पुरुष, (बी० एड०) (एक पुरुष, आई० टी० आई० सिलाई) (एक महिला), पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (01) पुरुष और अप्रशिक्षित 3 (सभी पुरुष)। कुल 25 में 16 पुरुष और 9 महिला अध्यापक लिए गए हैं। वैवाहिक स्थिति की दृष्टि से 8 महिला और 14 पुरुष विवाहित थे। एक महिला और दो पुरुष अविवाहित थे। मासिक आय की दृष्टि से (3) शिक्षक 1125-प्र० मा० मू० बे० के०, (13) 1210-2010 वेतनमान के और (09) 2010/- से ऊपर प्रतिमाह के ग्रेड के रहे। तीन अध्यापकों को खेती से कुछ आय हो जाती थी। शेष 22 को कोई अन्य स्रोत नहीं थे।

2—घर की स्थिति—

विद्यालय से घर की दूरी में 0-4 कि० मी० तक के (9) अध्यापक थे। 5-9 कि० मी० के (7) अध्यापक थे। (10 से 14) कि० मी० के (7) अध्यापक थे, 25 से 29 कि० मी० की दूरी के एक अध्यापक थे। एक अध्यापक ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी दूरी अस्सी कि० मी० वर्शाई है। (22) अध्यापकों ने बताया कि उनके घर का वातावरण सन्तोषजनक हैं। तीन के घर का वातावरण सन्तोषजनक नहीं रहा। (24) अध्यापकों के यहाँ नल के पानी और बिजली की सुविधा थी। केवल एक अध्यापक के यहाँ सुविधा नहीं थी।

परिवार के सदस्यों की संख्या की दृष्टि से (13) अध्यापक ऐसे थे जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या (5) से अधिक रही। (12) अध्यापकों के यहाँ परिवार के सदस्यों की संख्या (5) या (5) से कम थी। सभी शिक्षकों के बच्चे उनके साथ रहते हैं। (08) शिक्षक अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाते है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर किसी ने नहीं रखा है।

3—विद्यालय सम्बन्धी सूचना—

(23) अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्कूलों के हैं। एक सहायता प्राप्त स्कूल के हैं तथा एक अध्यापक प्राइवेट स्कूल के हैं। सभी अध्यापकों ने कहा हैं कि वे समय से स्कूल आते है। अध्यापन अनुभव की दृष्टि से (09) वर्ष के कम अनुभव रखने वाले (7) शिक्षक (10-19) वर्ष अनुभव के भी (7) शिक्षक 20 से 29 वर्ष के अनुभव वाले 8 शिक्षक, 30 से 39 वर्ष के अनुभव वाले दो तथा 40 से 49 वर्ष अनुभव वाले एक शिक्षक रहे। सभी शिक्षक लगभग सभी विषय (हिन्दी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय) पढ़ाते हैं। कक्षा के अनुसार कक्षा एक से कक्षा पाँच तक शिक्षण कार्य करते हैं।

अध्यापकों की कक्षाओं में बच्चों की संख्या कम से कम (9) और अधिक से अधिक (68) हैं। सभी (25)

शिक्षकों ने कहा है कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है । विद्यालय जाने के साधनों में पैदल (11) शिक्षक जाते हैं । बस से (7), मोपेड से एक तथा सायकिल से (6) शिक्षक जाते हैं । शिक्षकों के आयवर्ग के अनुसार एक शिक्षक रु० 850/- प्रतिमाह वेतन पाते हैं । रु० 1100-1710 में कुल (8) शिक्षक हैं तथा रु० 1250-2010 में (16) शिक्षक आते हैं । अपने वेतन से सन्तुष्ट होने वाले शिक्षकों की संख्या (16) है । (9) शिक्षक ऐसे हैं जो अपने वेतन से सन्तुष्ट नहीं हैं ।

4—शारीरिक स्वास्थ्य—

20-25 अध्यापकों ने कहा है कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है । 5/25 ने शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होने की बात स्वीकार की है । एक व्यक्ति ने अपने को मधुमेह और रक्त चाप से पीड़ित बताया । बीमार अध्यापकों ने अंग्रेजी दवा और आयुर्वेदिक पद्धति का अनुसरण करना बताया ।

5—मानसिक स्वास्थ्य—

दूरस्थानी शिक्षकों में 2 ने कहा है कि उन्हें विद्यालय से घर लौटने पर कोई थकान नहीं होती किन्तु 23 शिक्षकों ने कहा है कि घर आने पर उन्हें थकान की अनुभूति होती है । किसी भी अध्यापक ने अपने को मानसिक रूप से पीड़ित नहीं बताया है । 23/25 अध्यापकों ने कहा है कि उन्हें बच्चों को बार-बार समझाने पर भी न समझने पर क्रोध नहीं आता है । वे बच्चों को प्यार से समझाते हैं । केवल 02/25 अध्यापकों ने क्रोध आने की बात स्वीकार की हैं । सभी 25 शिक्षकों ने कहा हैं कि वे तेज और कमजोर सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाना पसन्द करते हैं । 22/25 ने कहा कि वे कमजोर बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं । 2/25 ने कहा कि वे कोई विशेष ध्यान नहीं देते । एक अध्यापक ने कहा है कि वे कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं । कमजोर बच्चों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार स्नेहपूर्ण, मधुरता, सद्व्यवहारपूर्ण, नम्रता, प्रेम, दयापूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्ण रहता है । 13 शिक्षकों ने बताया कि उनके विद्यालय में पाठ्येतर क्रियाकलाप तथा वार्षिकोत्सव होता है । 19 ने खेलकूद और एक ने अन्य कार्यक्रमों के होने की बात स्वीकार की और सभी ने कहा कि वे उसमें सक्रिय रूप से सहभाग करते हैं । 23 अध्यापकों ने बताया कि उनके कक्षा में प्रवेश करने पर बच्चे प्रसन्न होते हैं । दो ने कहा कि उनके कक्षा में जाने पर बच्चे सहम जाते हैं । किसी भी अध्यापक ने कक्षा में पहुँचने पर बच्चों के भयभीत होने की बात स्वीकार नहीं की ।

कमजोर बच्चों को समझाने पर बात समझ में न आने पर शिक्षक उन्हें अलग से समय देकर कई बार समझाते हैं, कक्षा में खड़ा कर देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं । कुछ अध्यापक बच्चों को उपहास करने व उन्हें शर्मिन्दा करने का उपाय करते हैं । कुछ ने कहा है कि वे ऐसे बच्चों के लिए अधिक परिश्रम करते हैं और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं । सभी अध्यापकों ने (25) कहा है कि वे बच्चों को गृह-कार्य देते हैं तथा उन्हें जाँचने में भी रुचि लेते हैं ।

अपना मनोरंजन किस प्रकार करते हैं के उत्तर में दूरस्थानी शिक्षकों ने कहा है कि टी० वी० देखना, गृह-वाटिका का कार्य, घर का कार्य, पत्र-पत्रिकायें पढ़ना, समाचार-पत्र पढ़ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, घूमना, रेडियो सुनना आदि उनके मनोरंजन के साधन हैं ।

23/25 अध्यापकों ने कहा है कि वे अपने प्रधानाध्यापक के व्यवहार से सन्तुष्ट हैं । शेष दो व्यक्ति स्वर

ही प्रधानाध्यापक हैं। अध्यापकों के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापकों के रिमार्क केवल धनात्मक ही मिले। अध्यापकों को परिश्रमी, कार्यकुशल, लगनशील और कुशल बताया गया। सभी अध्यापकों के कार्यों को अच्छा, सन्तोषप्रद, उत्तम कार्य, रुचि पूर्वक कार्य, सन्तोषप्रद कार्य आदि संज्ञाओं से अभिहित किया गया।

दो अध्यापकों ने इस बात को स्वीकार किया कि दूरी के कारण उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है और इससे उनका पठन-पाठन प्रभावित है। उन्होंने घर के पास ही रखने की इच्छा व्यक्त की है।

स्थानीय तथा दूरस्थानी अध्यापकों की तुलनात्मक स्थिति

1—शैक्षिक स्थिति—

शैक्षिक स्तर	स्थानीय शिक्षक		दूरस्थानी शिक्षक	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1. जू॰ हा॰ स्कूल	2	--	—	—
2. हा॰ स्कूल	3	5	4	7
3. इण्टर	3	3	4	4
4. बी॰ ए॰	2	2	1	3
5. एम॰ ए॰	3	2	—	2
योग :	13	12	09	16

2—प्रशिक्षण की स्थिति—

प्रशिक्षण	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1. एच॰ टी॰ सी॰	9	5	—	3
2. बी॰ टी॰ सी॰	4	6	8	8
3. बी॰ एड॰	—	1	—	1
4. अ ई॰ टी॰ आई॰	—	--	1	—
5. पुनर्बोधात्मक	—	—	—	1
6. अप्रशिक्षित	—	—	—	—
योग :	13	12	9	16

घर की स्थिति

17 स्थानीय अध्यापकों का विद्यालय से दूरी 5 किलोमीटर से कम है। 8 अध्यापक 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के हैं। दूरस्थानी शिक्षकों में 9 अध्यापक ऐसे हैं जिनका घर विद्यालय से 0 से 4 किलोमीटर के भीतर हैं तथा (15) 5 से लेकर 29 किलोमीटर दूरी के हैं। एक अध्यापक ने अपना घर 80 किमी० दूर बताया है।

घर के वातावरण के संदर्भ में स्थानीय अध्यापकों में (21) ने अपने घर के वातावरण को संतोषजनक तथा (4) ने वातावरण को असंतोषजनक बताया हैं। दूरस्थानी शिक्षकों में 22 ने घर के वातावरण को संतोषजनक तथा (3) ने वातावरण को असंतोषजनक बताया है। स्थानीय तथा दूरस्थानी दोनों ही प्रकार के शिक्षकों ने घर पर बिजली, पानी होना स्वीकार किया है। नल के पानी की सुविधा न होने पर हैण्ड पम्प का जल उपलब्ध बताया है। केवल एक दूरस्थानी अध्यापक ने बताया है कि उनके यहाँ यह सुविधा नहीं हैं।

स्थानीय अध्यापकों में परिवार के सदस्यों की संख्या की दृष्टि से 5 सदस्यों से कम वाले 14 व्यक्ति तथा अधिक वाले 11 व्यक्ति हैं जबकि दूरस्थानी में क्रमश: 12 और 13 व्यक्ति हैं। स्थानीय शिक्षकों के 22 परिवारों में बच्चे साथ रहते हैं, दो के बच्चे हैं ही नहीं एक अविवाहित है जबकि दूरस्थानी सभी ने कहा कि उनके बच्चे साथ रहते हैं। स्थानीय में 13 अपने बच्चों को स्वयं पढ़ा पाते हैं जबकि दूरस्थानी में केवल 8 अध्यापक ही अपने बच्चों को स्वयं पढ़ा पाते हैं। स्थानीय अध्यापकों में दो ने अपने बच्चों के लिये ट्यूटर भी रखा है किन्तु दूरस्थानी अध्यापकों में किसी ने भी ट्यूटर नहीं रखा है।

3—विद्यालय की स्थिति—

अध्यापन अनुभव की दृष्टि से स्थानीय शिक्षकों में 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का अनुभव रखने वाले अध्यापक हैं। जबकि दूरस्थानी शिक्षकों में 9 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक अनुभव रखने वाले अध्यापक हैं। स्थानीय शिक्षकों के विद्यालय सरकारी (बेसिक शिक्षा परिषदीय) रहे जबकि दूरस्थानी में 23 सरकारी एक सहायता प्राप्त तथा एक प्राइवेट विद्यालय रहे। सभी अध्यापकों ने अपने समय से विद्यालय जाने की बात स्वीकार की। स्थानीय तथा दूरस्थानी सभी अध्यापकों को दो से अधिक विषय पढ़ाने पड़ते हैं। बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त है कि अधिकांश अध्यापकों को लगभग सभी विश्य पढ़ाने पड़ते हैं। कक्षा में बच्चों की संख्या की दृष्टि से स्थानीय अध्यापकों को कम से कम 9 बच्चों से लेकर अधिकांशत: 30 बच्चों तक को पढ़ाना है। केवल एक कक्षा में 55 बच्चे बताए गये। दूरस्थानी शिक्षकों में भी उन्हें 9 से लेकर 68 तक बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। सभी अध्यापकों ने कहा है कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। स्थानीय शिक्षकों में 9 पैदल 10 सायकिल से तथा 6 व्यक्ति अन्य वाहनों से विद्यालय पहुँचते हैं। दूरस्थानी शिक्षकों में 11 पैदल 7 बस से एक मोपेड से तथा 6 लोग सायकिल से विद्यालय

जाते हैं।

स्थानीय शिक्षकों में 17 ने अपने वेतन से संतुष्टि जतायी हैं जबकि 8 शिक्षकों ने, जिनका वेतन 2300 से से 2700 प्रति माह के भीतर है, ने अपने वेतन के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। दूरस्थानी शिक्षकों में 16 सन्तुष्ट नहीं हैं।

4—शारीरिक स्वास्थ्य—

स्थानीय शिक्षकों में 22/25 ने अपने को पूरी तरह स्वस्थ बताया। दो ने साधारण शिकायतें बतायीं। एक अध्यापिका से अपने को हृदय रोग से पीड़ित बताया। दूरस्थायी ने 20/25 ने अपने को पूरी तरह स्वस्थ बताया। एक ने अस्वस्थ बताया जिनमें मधुमेह और रक्त चाप की बीमारी का उल्लेख किया। इस प्रकार 4 के बारे में निश्चित नहीं हो सका। दोनों ही प्रकार के शिक्षकों ने अँग्रेजी दवा तथा आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग बताया है।

5—मानसिक स्वास्थ्य—

स्थानीय शिक्षकों तथा दूरस्थानी शिक्षकों दोनों ने ही 100% कहा है कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। स्थानीय और दूरस्थानी शिक्षकों में थकान की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

थकान की स्थिति

	स्थानीय शिक्षक		दूरस्थानी शिक्षक	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
थकान	10	15	25	2

इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो स्थानीय और दूरस्थानी शिक्षकों पर उनकी स्थिति के प्रभाव को स्पष्ट करता है।

सभी अध्यापकों ने कहा है कि उन्हें सभी बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। दोनों ही प्रकार के शिक्षकों ने कहा है कि उनके कक्षा में प्रवेश करने पर बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। केवल दूरस्थानी में दो शिक्षकों ने कहा कि बच्चे कुछ सहम जाते हैं। बच्चों के प्रति व्यवहार भी स्थानीय और दूरस्थानी शिक्षकों का एक-सा है जैसे अच्छा, सरल मधुर, सद्व्यवहार, नम्रता, प्रेम, दयापूर्वक, क्रोध, सहानुभूति आदि। पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भी दोनों ही प्रकार के शिक्षक भाग लेते हैं।

कमजोर बच्चों के प्रति व्यवहार में स्थानीय और दूरस्थानी होने का जो प्रभाव पड़ता है उसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है :—

कमजोर बच्चों के प्रति व्यवहार

स्थानीय	दूरस्थानी
बच्चों को प्यार से समझाना, अभिभावक से मिलना, बाद में समय देकर पढ़ाना (14 अध्यापक)	बार-बार समझाना, अलग से समय देना, प्रोत्साहित करना, अधिक परिश्रम करके उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाना ।
कक्षा में खड़ा कर देना, दौड़ा देना, आदि (11 अध्यापक)	उपहास करना, शर्मिन्दा करना, कक्षा में खड़ा कर देना आदि ।

बच्चों को गृहकार्य देने की बात दोनों ही प्रकार के शिक्षकों ने स्वीकार की है तथा सभी गृहकार्य की जाँच करते हैं। मनोरंजन के साधन भी इन शिक्षकों के एक जैसे पाये गये । दोनों ही प्रकार के अध्यापकों को उनके प्राधानाध्यापकों ने धनात्मक रिमार्क ही लिखे हैं अत: इस बिन्दु पर कोई अन्तर नहीं स्थापित किया जा सकता ॥ सभी अध्यापक, प्रधानाध्यापक के व्यवहार से अपनी संतुष्ठि भी प्रदर्शित की है। विद्यालयी खेलकूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रिया-कलाओं में लगभग सभी ने सहभागिता करने की बात की है ।

दूरस्थानी अध्यापकों में एकाध ने इस आशय की टिप्पणी अवश्य लिखी है कि दूरी के कारण उनकी व्यवस्था में बाधा पड़ती है ।

स्थानीय एवं दूरस्थानी शिक्षकों द्वारा पढ़ाये गये बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की तुलना :—

विषय	स्थानीय शिक्षकों के पढ़ाये गये बच्चों का %	दूरस्थानी शिक्षकों के पढ़ाये गये बच्चों का प्रतिशत
1—हिन्दी	80%	71%
2—गणित	86·9%	77%
3—सामाजिक विषय	61·5%	47%
4—हस्त शिल्प मिट्टी का काम	80%	74·51%
5—कला	80·8%	77%
6—विज्ञान	84·9%	72%

7 कताई-बुनाई	77%	—
8—नैतिकशिक्षा	81·6%	—
9—सिलाई	80%	—
10—व्यायाम	39·5%	—

उपर्युक्त तुलनात्मक विवरण देखने से स्पष्ट है कि स्थानीय शिक्षकों के पढ़ाये बच्चों के प्राप्तांक अधिक हैं और दूरस्थानी शिक्षकों के पढ़ाए बच्चों के विषयगत प्राप्तांक कम हैं।

7—निष्कर्ष एवं सुझाव—

स्थानीय और दूरस्थानी शिक्षकों के अध्ययन और विवेचन से यह निष्कर्ष उभरा कि स्थानीय की तुलना में दूरस्थानी शिक्षक अपने छात्रों की कम देख-रेख (पढ़ाई आदि) कर पाते हैं। दूरस्थानी शिक्षकों की व्यवस्था स्थानीय की तुलना में थोड़ी-सी प्रभावित होती है जैसे विद्यालय-दूरी के कारण (शायद) दूरस्थानी शिक्षक विद्यालय से लौटकर अधिक थकान का अनुभव करते हैं। उनका थकान का प्रतिशत अधिक है।

किन्तु उपर्युक्त को छोड़कर अन्य सभी बातों में शिक्षकों की स्थिति काफी समान है। उन्होंने दूरस्थानी होने के कारण अपना शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, विद्यालयी समायोजन आदि कहीं भी कुप्रभावित होता नहीं प्रदर्शित किया है। (केवल एक अध्यापक ने दूरी से प्रभावित बताया है) अतः प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर स्थानीय और दूरस्थानी होने के कारण शिक्षकों की स्थिति में कोई स्पष्ट परिवर्तन अथवा प्रभाव का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

चूंकि इन दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के अध्यापन का बच्चों पर प्रभाव देखने के लिये इनसे सम्बन्धित बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति भी प्राप्त की गयी तथा तुलना की गयी। निष्पत्तियों का प्रतिशत देखने से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय शिक्षकों के पढ़ाये बच्चों ने दूरस्थानी शिक्षकों के पढ़ाये बच्चों से अधिक अंक प्राप्त किये। किन्तु यह अन्तर शिक्षकों के स्थानीय या दूरस्थानी होने के कारण ही हैं और अन्य कारकों से प्रभावित नहीं है के लिए अधिक बड़े प्रतिदर्श पर सघन शोध अध्ययन की अपेक्षा है।

2

माता-पिता/अभिभावकों के अनुसार वर्तमान समय में प्राइमरी विद्यालयों की परिस्थिति का अध्ययन

1—प्रस्तावना—

शिक्षा को निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक पुनर्निर्माण का सर्वाधिक प्रभावपूर्ण साधन माना गया है। लोकतंत्रात्मक सामाजिक व्यवस्था में देश के लिए उपयोगी, कार्यकुशल तथा प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा अहम् और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषियों ने देश तथा समाज की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप छात्रों की जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने की परम्परा स्थापित की थी। मध्यकालीन राजनीतिक घटनाओं तथा परिवर्तनों का शिक्षा-व्यवस्था पर प्रभाव अवश्य पड़ा किन्तु भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद शिक्षा के उद्देश्यों में आमूल परिवर्तन हो गया। भारतीय समाज के हितों की उपेक्षा करते हुये अंग्रेजों द्वारा केवल औपनिवेशिक शासन के हितों का पोषण करने वाली शिक्षानीति अपनाई गई। छन-छन कर मिलने वाली शिक्षा की नीति के फलस्वरूप सर्व-साधारण को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा से वंचित कर दिया गया और इन सुविधाओं का उपभोग करने के अवसर चुने हुये वर्गों तक ही सीमित होकर रह गये।

भारत के कुछ जागरूक मनीषियों एवं जन प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश शासनकाल में ही शिक्षा व्यव्वस्था में सुधार लाने हेतु प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे। सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में अधिक तत्परता से कार्य आरम्भ हुआ। देश में लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था की सफलता की सुनिश्चित करने के लक्ष्य से भारतीय संविधान की धारा 45 में चौदह वर्ष की उम्र तक के बालक-बालिकाओं के लिए व्यापक सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इस धारा के अन्तर्गत 1954 में एक शिक्षा विधेयक सर्वसम्मति से पास किया गया जिसमें 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यापक योजना निर्मित करके प्रत्येक राज्य को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित की गई। इसकी सहज लक्ष्य पूर्ति के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजना की अवधि में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के प्रयास किए। सभी राज्य सरकारों ने इन योजनाओं का योजनाबद्ध क्रियान्वयन भी किया किन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों से वे लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति करने में सफल नहीं हो सके।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण-साक्षरता के लिए पूरे मनोयोग से कार्य तो अवश्य किया किन्तु अन्य राज्यों की ही भाँति उसके भी, वाँछित सफलता प्राप्त करने के मार्ग में कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ अवरोधक रूप में आड़े आ गईं। किन्तु अब शासन और शिक्षा-विदों ने एक जुट होकर इन बाधाओं पर विजय पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया है और वे इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील भी हैं

इस प्रसंग में प्रश्न यह उठता है कि इतने लम्बे समय में हमारे राज्य ने अवरोधों के मध्य जिस स्तर तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयीय परिस्थितियों में प्रगति करके सफलता प्राप्त की है उसके प्रति आज के माता-पिता/अभिभावक का क्या दृष्टिकोण है ? क्या वे शिक्षा-विदों एवं सरकार की वर्तमान व्यवस्था व पद्धति से सन्तुष्ट हैं ? इन प्रश्नों से सम्बद्ध स्थितियों के मूल्यांकनार्थ एवं विवेचन के लिए वर्तमान अध्ययन लिया गया।

2—सम्बन्धित शोध अध्ययन—

प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षक, छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन, विधि, बौद्धिक स्तर, मानसिक रूप से अविकसित बालक, पिछड़े बालक, मेधावी बालक आदि विषयों पर व्यक्तिगत पी० एच० डी० उपाधि तथा एम० एड० में लघु शोध प्रबन्ध हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों से छात्र/छात्राओं ने शोध एवं अध्ययन तो बहुत किये हैं किन्तु वर्तमान विषय पर आज तक कोई शोध या अध्ययन नहीं किया गया। आन्ध्रप्रदेश में सन् 1982 में शिक्षा मन्त्रालय के अनुदान पर) श्री ईश्वर प्रसाद और श्री आर० शर्मा ने Wastage stagnation and Primary in equality of opportunity in Rural primary Education" पर कार्य किया। इस अध्ययन का उद्देश्य विद्यालयीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों जैसे—विद्यालय जाने वाली जनसंख्या, बच्चे के घर से स्कूल की दूरी, समाज के कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं का पंजीयन आदि पर मिलने वाली शैक्षिक सुविधाओं का मूल्यांकन है।

(2) हाई-स्कूल में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं जैसे भवन, साज-सज्जा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, सफाई और उद्दीपकों का मूल्यांकन है।

यह अध्ययन विद्यालय में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों से सम्बन्धित था जबकि वर्तमान अध्ययन उपलब्ध सुविधाओं के प्रति माता-पिता/अभिभावक के दृष्टिकोण का अध्ययन है। अतः वर्तमान अध्ययन कथित अध्ययन का विस्तृत और सारगर्भित अध्ययन हैं।

वर्तमान में विषय की गूढ़ता और महत्व को दृष्टिगत करते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए नगर और ग्रामीण अंचलों की स्थिति के विवेचन एवं मूल्यांकन हेतु मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग (मनोविज्ञान शाला) उ० प्र०, इलाहाबाद को इस विषय पर कार्य करने का दायित्व सौंपा।

3—उद्देश्य—

इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य वर्तमान में विद्यालयों की परिस्थितियों जैसे भवन, बैठने की व्यवस्था, अध्यापन स्तर आदि के सम्बन्ध में माता-पिता/अभिभावक के दृष्टिकोण का आंकलन करना है।

4—अध्ययन विधि—

सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा खोले गये प्राइमरी विद्यालयों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त कर नगर और ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षणोपरान्त प्रतिनिधित्व विद्यालय के रूप में एक-एक नगर और ग्राम के प्राइमरी विद्यालय को अध्ययन हेतु चयनित किया गया। चयनित विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं (कक्षा 1 सें 5 तक) में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता/अभिभावक से बच्चों के माध्यम से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उनकी सुविधानुसार उनसे सामान्य रूप से बातचीत करके सह-सम्बन्ध स्थापित किया गया ताकि उनके परिवेशीय कारकों का उपयुक्त और सही ज्ञान प्राप्त हो सके। वार्तालाप के दौरान उन्हें प्रश्नावली के विभिन्न पहलुओं से भी भली प्रकार अवगत करा दिया गया ताकि वे प्रश्नों के उत्तर सोच-समझ कर सही ढंग से दे सकें। व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों से प्रश्नावली देकर भरवाई गई/पूंछ कर भरी गई।

5—उपकरण—

विस्तृत जानकारी हेतु एक प्रश्नावली "अभिभावक पत्री" के रूप में निर्मित की गई। इस पत्री में कुल 38 प्रश्न रखे गये। प्रथम चार प्रश्न व्यक्तिगत सामान्य परिचय के और शेष 34 प्रश्न विद्यालय में प्राप्त सुख-सुविधा से सम्बन्धित रखे गये। इन प्रश्नों का प्रारूप इस प्रकार रखा गया ताकि अभिभावक के विद्यालय सम्बन्धी दृष्टिकोण का ज्ञान स्पष्टत: उभर कर सामने आ जाये।

6—प्रतिदर्श—

इस अध्ययन के लिए प्रतिदर्श रूप में मुरादाबाद और बरेली मंडल के एक-एक ऐसे ग्रामीण और नगरीय प्राइमरी विद्यालय को चुना गया जो विभिन्न वर्गों के बच्चों का प्रतितिधित्व करते हैं। प्रत्येक मण्डल से 25, 25 कुल 50 माता-पिता/अभिभावक से सम्पर्क स्थापित कर उनके, प्रश्नावली के माध्यम से, आँकड़े एकत्र किये गये। मंडलवार प्रतिदर्श विवरण तालिका एक से स्पष्ट है।

तालिका—एक
मंडलवार प्रतिदर्श—विवरण

क्र० सं०	मंडल विद्यालय नाम	प्राथमिक विद्यालय किला-रामपुर शहरी जनसंख्या				प्राथमिक विद्यालय घनेली पूर्वी-मिलक रामपुर ग्रामीण जनसंख्या					
		सवर्ण	पिछड़ी जाति	अनु-सूचित जाति	अल्प-संख्यक	सवर्ण	पिछड़ी जाति	अनु-सूचित जाति	अल्प-संख्यक	योग	अन्य
1.	मुरादाबाद	7	4	1	शून्य	4	9	शून्य	शून्य	25	
		बेसिक प्राइमरी पाठशाला कोतवाली—बरेली				बेसिक प्रा० पाठशाला करगेना (प्रथम) बरेली					
2.	बरेली	3	3	2	4	2	5	4	2	25	
योग :		10	07	03	04	06	14	04	02	50	

मंडल मुरादाबाद से एक नगरीय प्राथमिक विद्यालय किला, रामपुर लिया गया जिसमें सात अभिभावक सवर्ण जाति, चार पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के थे। अल्पसंख्या के किसी भी अभिभावक का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका।

ग्रामीण क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय घनेली पूर्वी मिलक रामपुर में 4 सवर्ण, 9 पिछड़ी जाति के अभिभावकों का ही प्रतिनिधित्व सम्भव हो सका। इस प्रकार 12 शहरी और 13 ग्रामीण कुल 25 अभिभावकों को इस मण्डल से लिया गया।

बरेली मंडल में शहरी क्षेत्र का बेसिक प्राइमरी पाठशाला, कोतवाली, बरेली को प्रतिदर्श के रूप में लिया जिसमें 3 सवर्ण, 3 पिछड़ी, 2 अनुसूचित जाति और 4 अल्पसंख्यक अभिभावक सम्मिलित हुए।

इस मंडल के ग्रामीण अंचल के बेसिक प्राइमरी पाठशाला, करगैना (प्रथम) के बच्चों के अभिभावकों को आदर्शात्मक प्रतिदर्श के रूप में लिया गया जिसमें सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व (क्रमशः 2, 5, 4, 2) है। इस प्रकार बरेली मंडल में भी 12 शहरी और 13 ग्रामीण कुल 25 अभिभावक सम्मिलित किये गये।

अध्ययन हेतु कुल 50 का प्रतिदर्श लिया गया। इसमें 40 हिन्दू परिवार तथा दस मुस्लिम परिवार हैं।

7—सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या—

(1) **परिवारों का व्यवसाय एवं आय अनुसार विवरण**—समग्र रूप से प्रतिदर्श के परिवारों को व्यवसाय के अनुसार 7 वर्गों—कृषि, व्यापार, दुकान, नौकरी, मजदूरी, चिकित्सा एवं अध्यापन में विभाजित किया गया। मुख्यतः 38% अभिभावक नौकरी से ही सम्बद्ध पाये गये। शेष अन्य कार्यों से सम्बद्ध हैं जिनका स्पष्टीकरण तालिका संख्या 2 से हो रहा है। आय का विस्तार रु० 150 से लेकर रु० 4000 तक पाया गया। आय को 400 के (क्लास इन्टरवल) अन्तराल में विभाजित करके 10 खण्डों में रखा गया। प्रत्येक खण्ड में आने वाली संख्या को उसके सम्मुख लिखकर प्रतिशत भी निकाला गया। इस प्रकार सबसे अधिक प्रतिशत अभिभावक क्रमशः 28 और 20 की 1201 से 1600 तथा 1601 से 2000, 401 से 800 की आय समूह में पाये गये। प्रत्येक आय समूह का विवरण तालिका संख्या 3 से स्पष्ट है—

तालिका—2
व्यवसाय अनुसार वर्गीकरण

क्र० सं०	अभिभावक व्यवसाय	संख्या	%
1	कृषि	06	12%
2	व्यापार	08	16%
3	दुकान	06	12%

4	नौकरी	19	38%
5	मजदूरी	08	16%
6	चिकित्सक	01	2%
7	अध्यापन	02	4%
योग :		50	

तालिका—3

आय –अनुसार विवरण

वर्ग अन्तराल (Class Intervel)	एन	प्रतिशत
3601—4000	01	2 प्रतिशत
3201—3600	00	00 ,,
2801—3200	02	4 ,,
2401—2800	01	2 ,,
2001—2400	00	00 ,,
1601—2000	10	20 ,,
1201—1600	14	28 ,,
801—1200	05	10 ,,
401— 800	10	20 ,,
001—400	07	14 ,,
योग	50	

सन्तान विवरण—

अभिभावकों में तीन ऐसे माता-पिता पाये गये जिनके क्रमशः 10, 9 व 8 सन्तानें हैं। 7 सन्तानों के 5 व 6 सन्तानों वाले 11 अभिभावक पाये गये। चार ऐसे भी अभिभावक हैं जिनके मात्र एक सन्तान है। 2, 3, 4 व 5 सन्तानों वाले अभिभावक क्रमशः 6, 8, 5 और 8 हैं।

एक दृष्टि में स्थिति की जानकारी तालिका संख्या 4 में उद्धृत है।

तालिका —4

बच्चों के अनुसार विवरण

वर्ग अन्तराल	संख्या (एन)	प्रतिशत
1	04	08 प्रतिशत
2	06	12 ,,
3	08	16 ,,
4	05	10 ,,
5	08	16 ,,
6	11	22 ,,
7	05	10 ,,
8	01	2 ,,
9	01	2 ,,
10	01	2 ,,
योग	50	

तालिका संख्या 5 से स्पष्ट है कि दो अनाथ बच्चे हैं जिनके संरक्षक उनके मामा एवं चाचा हैं। तीन बच्चे पिता की मृत्यु के कारण माँ के संरक्षण में पल रहे हैं और शेष को पिता का संरक्षण उपलब्ध है।

तालिका—5
संरक्षक विवरण

अभिभावक	(एन) संख्या	प्रतिशत
पिता	45	90 प्रतिशत
माता	03	6 ,,
मामा	01	2 ,,
चाचा	01	2 ,,
योग	50	

अभिभावक की शैक्षिक योग्यता—

तालिका संख्या 6 से स्पष्ट है कि निरक्षर अभिभावकों का बाहुल्य है यद्यपि वे आज अपने बाच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए काफी सजग, सतर्क और चैतन्य हैं। स्वयं निरक्षर होते हुए भी अपने बच्चों को अध्ययन हेतु विद्यालय नियमित रूप से भेजते हैं। अध्ययन के संदर्भ में बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 37 छात्र और 13 छात्रायें अध्ययनरत पाई गईं। जिनमें एक अभिभावक के दो बेटे अध्ययनरत हैं। एक अभिभावक को बच्चे की कक्षा का ज्ञान नहीं। 19 माता-पिता के बच्चे कक्षा 5 में, 6 के कक्षा 4 में, 12 के कक्षा 3 में, 8 के कक्षा 2 में और 5 के कक्षा एक में अध्ययनरत हैं।

तालिका संख्या– 6
अभिभावक शैक्षिक योग्यता तालिका

कक्षा संख्या	बी० ए०	बी० टी० सी०			निरक्षर	कुल योग
संख्या	1	4	?0	0·20	0·34	50

अभिभावक पत्नी प्रश्नावली की पद व्याख्या—

अभिभावक पत्नी से विद्यालय व्यवस्था सम्बन्धी प्राप्त सूचना को तालिका संख्या 7 में प्रस्तुत किया गया है- जिससे अभिभावक/माता-पिता के अपने पाल्य के विद्यालयों की स्थिति के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट है—

तालिका—7

विद्यालय-व्यवस्था

मंडल	शहरी विद्यालय	ग्रामीण विद्यालय	विद्यालय समय	भवन	बैठने की व्यवस्था	विभिन्न विषय अध्यापक है	अध्यापन कार्य प्रति दिन सम्पादित	पुस्तक-वितरण	भोजन नाश्ता वितरण
मुरादाबाद	प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	10·00 से 4·00	स्वयं	टाट पट्टी	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	किला रामपुर	घनेली पूर्वी मिलक रामपुर	10·00 से 4·00	स्वयं	टाट पट्टी	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
बरेली	बेसिक प्राइमरी पाठशाला	बेसिक प्राइमरी पाठशाला	10·00 से 4.00	स्वयं	कुर्सी	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	कोतवाली बरेली	करगैना (प्रथम)	10·00 से 4·00	स्वयं	टाट पट्टी	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण और शहरी अंचलों के विद्यालय प्रात: 10·00 से अपराह्न 4·00 बजे तक लगते हैं। सभी विद्यालयों के अपने निजी भवन हैं, जिनमें कक्षाओं के लिए उपयुक्त कमरे भी हैं। कक्षाओं में अध्यापन कार्य नियमित रूप से प्रतिदिन होता है। बरेली के शहरी विद्यालय के अतिरिक्त (जहाँ कुर्सी डेस्क है) अन्य सभी विद्यालयों में छात्र टाट-पट्टी पर बैठते हैं। बरेली के ही ग्रामीण विद्यालय में एक ही अध्यापक सभी विषय पढ़ाते पाये गये। अन्य विद्यालयों में इसके विपरीत विषयवार अध्यापक पाये गये। विद्यालयों से पुस्तकों एवं भोजन/नाश्ता वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्नावली के शेष मिश्रित पदों का विवेचन तालिका संख्या 8 में प्रस्तुत है—

तालिका—8

पद विश्लेषण

पद अनु०	पद	उत्तर		संख्या
1	पति-पत्नी दोनों कार्यरत या अकेले ?	35-पति	दोनों-12	पत्नी-3
2	क्या विद्यालय पसन्द हैं ?	47-हाँ	1-नहीं	2-अनभिज्ञ
3	न पसन्दगी का कारण ?	1-असंतोष	जनक	पढ़ाई
4	एक ही शिक्षक/शिक्षिका पूरे समय पढ़ाती है ?	10-हाँ	36-नहीं	4-अनभिज्ञ
5	क्या अलग-अलग विषय अध्यापक हैं ?	35 हाँ	8 नहीं	7 अनभिज्ञ
6	क्या विद्यालय से सन्तुष्ट हैं ?	47	1	2
7	असन्तुष्टता का कारण ?	स्तर असन्तोषजनक		
8	क्या ट्यूटर रखा हैं ?	4-हाँ	46-नहीं	—
9	ट्यूटर घर में ठीक से पढ़ाता है ?	3-हाँ	1-नहीं	—
10	ट्यूशन फीस क्या देते हैं ?	रु० 50-एक	45-एक	रु० 20-दो
11	क्या विद्यालय के अध्यापक ठीक से पढ़ाते हैं ?	50-हाँ	—	—
12	कक्षा के छात्रों की संख्या ?	सभी अभिभावकों ने भिन्न-भिन्न दी		
13	बैठने की उपयुक्त व्यवस्था है ?	48-हाँ	1-नहीं	1-अनभिज्ञ
14	खाने की छुट्टी में शिक्षक खाने पर जोर देते हैं ?	2-हाँ	47-नहीं	1-अनभिज्ञ
15	अंकगणित गुटकों की सहायता से पढ़ाते हैं ?	24-हाँ	19-हाँ	7-अनभिज्ञ
16	क्या गृहकार्य दिया जाता है ?	45-हाँ	3-कभी-कभी	2-
17	क्या स्वच्छ कपड़ों में बच्चे विद्यालय जाते हैं ?	50-हाँ	1	—
18	खेलने के लिए अध्यापक बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ?	45-हाँ	—	5
19	विद्यालय में खेलने का मैदान है ?	22	26	2
20	दाई के साथ जाते हैं या अकेले या कोई पहुँचाने जाता है ?	41 अकेले 1-अज्ञानता	2 रिक्शा 1 साथी	5-घर वाले

21—क्या शिक्षक अपना गृह कार्य करवाते हैं ?	—	50 नहीं	—
22—राष्ट्रीय पर्व पर उत्सव आयोजन ?	49 हाँ	—	1-अनभिज्ञ
23—राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई वितरण ?	45 हाँ	3-कभी-कभी	2-अनभिज्ञ

उपर्युक्त तालिका से इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि शिक्षित और जागरूक माता-पिता ही वर्तमान विद्यालय की व्यवस्था एवं अध्यापन से सन्तुष्ट नहीं हैं। आर्थिक कमजोरी के कारण ही वे अपने बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। अभिभावक स्वयं की निरक्षरता एवं खाने-कमाने की आपा-धापी में यह भी नहीं जानते कि उनका बच्चा कैसे, कब विद्यालय जाता हैं ? कक्षा आदि की क्या व्यवस्था हैं ? सभी अभिभावक पद संख्या 17 और 21 पर एक मत हैं। कक्षा एक से तीन तक गुटकों की सहायता से गणित पढ़ाई जाती है उससे ऊपर की कक्षाओं में सामान्य रूप से श्यामपट का प्रयोग किया जाना बताया गया।

खेलने के लिए बच्चों को अध्यापक प्रोत्साहित तो करते हैं किन्तु 28 अभिभावकों के अनुसार विद्यालय में खेलने के मैदान की सुविधा नहीं पाई गई। राष्ट्रीय पर्वों पर उत्सवों का आयोजन और मिठाई वितरण पर लगभग सभी अभिभावक सहमत हैं।

तालिका—9

प्रश्नावली पदों का सांख्यिकीय विश्लेषण

पद सं०	पद	हाँ		नहीं		अनभिज्ञता	
		सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
1—	क्या विद्यालय पसन्द है ?	47	94 ,,	1	2 ,,	2	4 ,,
2—	एक ही शिक्षक/शिक्षिका पूरे समय पढ़ाती है ?	10	20 ,,	36	72 ,,	4	8 ,,
3—	क्या अलग-अलग विषय अध्यापक हैं ?	35	70 ,,	8	16 ,,	7	14 ,,
4—	क्या विद्यालय से सन्तुष्ट हैं ?	47	94 ,,	1	2 ,,	2	4 ,,
5—	क्या ट्यूटर रखा है ?	4	8 ,,	46	92 ,,	—	—
6	क्या ट्यूटर घर में ठीक से पढ़ाता है ?	3	6 ,,	1	2 ,,	—	—
7—	क्या विद्यालय के अध्यापक ठीक से पढ़ाते हैं ?	50	100 ,,	—	—	—	—

8—क्या बैठने की उपयुक्त व्यवस्था है ?	48	96 ,,	1	2 ,,	1	2 ,,
9—खाने की छुट्टी में शिक्षक खाने पर जोर देते हैं ?	2	4 ,,	47	94 ,,	1	2 ,,
10—क्या गृह कार्य शिक्षक देते हैं ?	45	90 ,,	3	6 ,, (कभी-कभी)	2	4 ,,
11—क्या स्वच्छ कपड़ों में बच्चे विद्यालय जाते हैं ?	50	100 ,,	—	—	—	—
12 - खेलने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ?	45	90 ,,	—	—	5	10 ,,
13—विद्यालय में खेलने का मैदान है ?	22	44 ,,	26	52 ,,	2	4 ,,
14—क्या शिक्षक बच्चों से अपने घर का काम कराते हैं ?	—	—	50	100 ,,	—	—
15—राष्ट्रीय पर्व पर उत्सव आयोजन होता है ?	49	98 ,,	—	—	1	2 "
16 —राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई वितरण	45	90 "	3	6 " (कभी-कभी)	2	4 "

उपर्युक्त तालिका के पदों के सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि 94 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय को पसन्द करते हैं। 2 प्रतिशत नापसन्द एवं 4 प्रतिशत अभिभावकों को स्थिति का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विद्यालय की ना पसन्दगी के 2 प्रतिशत समूह का दृष्टिकोण 94 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और सारगर्भित है क्योंकि यह वह प्रबुद्ध और शिक्षित वर्ग है जिसे बच्चों की प्रगति हेतु विद्यालय में मिलने वाली उपलब्धियों का पूर्ण ज्ञान है अतः इस सम्बन्ध में उनका ही मूल्यांकन अधिक वैध और महत्वपूर्ण है।

उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि पद 3 से 6 तक तथा पद 13 के पदों के प्रतिशत (16 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 52 प्रतिशत) से हो रही है।

8—निष्कर्ष—

प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित तथ्य निष्कर्ष रूप में उभर कर आये—

(1) शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय एवं आय के आधार पर अभिभावकों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

प्रथम समूह में कक्षा-दस एवं उससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभिभावक हैं जो चिकित्सक और अध्यापन का कार्य करते हैं तथा 2800 रु० से अधिक वेतन पाते हैं।

द्वितीय समूह ऐसे साक्षर अभिभावकों का है, जिनकी शैक्षिक योग्यता कक्षा एक से नौ तक सीमित है। व्यापारी और दूकानदार हैं। वेतन 1201 से 2800 तक है।

तृतीय समूह मजदूर और कृषक का है जिनकी मासिक आय का विस्तार 150 से 1200 तक है तथा निरक्षर हैं।

2—इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रबुद्ध, समझदार एवं शिक्षित वर्ग ने ही विद्यालय की असन्तोष-पूर्ण व्यवस्था की ओर संकेत किया है। चूंकि प्रतिदर्श में साक्षर और निरक्षर अभिभावकों का बाहुल्य है जिसके कारण उनको इस बात का पूर्ण ज्ञान ही नहीं है कि विद्यालय में बच्चों की प्रगति के लिए क्या-क्या होना आवश्यक है। फलत: उनका दृष्टिकोण तो बच्चे के पढ़ने जाने, कुछ सीखकर आने और घर पर यदा-कदा बैठकर कुछ लिख-पढ़ लेने तक सीमित लगता है और उसी के आधार पर उन्होंने अपने सन्तोषजनक दृष्टिकोण को प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्त कर दिया है जो बहुत वैध नहीं प्रतीत होता है।

3—प्रबुद्ध शिक्षित वर्ग असन्तुष्ट होते हुए भी अपने बच्चों को इन विद्यालयों में अपनी परिवेशीय मजबूरियों के कारण ही पढ़ा रहे हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा-दीक्षा एवं प्रगति हेतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्तिगत अध्यापक को पढ़ाने के लिये भी लगा रखा है।

4—राष्ट्रीय पर्वों पर उत्सवों का आयोजन एवं मिठाई वितरण, अध्यापक द्वारा बच्चों से अपने घर का काम न करवाने, प्रतिदिन स्वच्छ कपड़े पहन कर विद्यालय आने के पदों पर सभी अभिभावक लगभग एक मत पाये गये।

9—अनुसरण अध्ययन तथा अन्य कार्यक्रम—

(1) अभिभावक/माता-पिता का विद्यालय की परिस्थिति के सम्बन्ध में उपयुक्त एवं वैध दृष्टिकोण ज्ञात करने के लिए वर्तमान अध्ययन को बृहद् स्तर पर करने की आवश्यकता है।

(2) विद्यालय के प्रति माता-पिता/अभिभावक का सही और निर्णायक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सर्व-प्रथम आवश्यक है कि उनको तत्सम्बन्धी ज्ञान से पूर्ण परिचित कराया जाये। इसके लिए सामूहिक स्तर पर अभि-भावक जागरण कार्यक्रम (Awareness Programme) चलाना होगा।

(3) व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा विद्यालय के प्रति उनके विचारों को तर्क के साथ स्वीकार करते हुए उनको विद्यालय के विभिन्न अवयवों एवं प्रगति सुविधाओं से भी परिचित कराकर प्रश्न माला को भरवाया जाये।

(4) वार्षिक परीक्षाफल वितरण के समय बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाये। प्रत्येक माता-पिता/अभिभावक को उनके बच्चों की प्रगति एवं विद्यालय से दी जाने वाली सभी सुविधाओं से उन्हें अवगत कराते हुए अग्रिम सुधार के विभिन्न आयामों को बताया जाए।

इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत समय-समय पर अल्पकालिक प्रौढ़-प्रशिक्षण केन्द्र का चलाना भी लाभकारी होगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया से अभिभावकों का तत्सम्बन्धी ज्ञान समृद्ध होगा और वे अपने विचारों का सही प्रकाशन भी कर सकेंगे।

3

प्राइमरी विद्यालयों में अलाभग्रस्त बच्चों की समस्याओं का अध्ययन

1—भूमिका—

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का सार्वजनीकरण या सर्वीकरण हमारी प्रमुख समस्या है। आज भारत के हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का मूलभूत अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अवसर प्रदान करने और शिक्षा को सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जहाँ अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम संचालित हैं, वहीं औपचारिक शिक्षा के लिए भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसा अनुभव किया जाता है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित वर्ग के बच्चों को विभिन्न समायोजन और अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन का प्रयोजन इन्हीं समस्याओं को जानना है।

बालक देश की वह निधि है जिसे सही आकार देना देश. समाज, परिवार और सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है। व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं एक, जिसे व्यक्ति जन्म के साथ लेकर समाज में आता है जैसे शारीरिक बनावट, बुद्धि, योग्यता और क्षमता आदि। दूसरा, जो उसे पर्यावरण से प्राप्त होता है। पर्यावरण वह माध्यम तथा साधन है जो व्यक्ति की जन्मजात निधि को सींचकर बढ़ाता है। बालक जिन विशिष्टताओं को वंश से लेकर आता है उसे परिवेशीय घटक समुचित और व्यवस्थित रूप से विचलित करते हैं, जैसे भोजन, रहने की व्यवस्था, तन ढकने की व्यवस्था. परिवार, अर्थ, समाज, खेल-कूद, प्रोत्साहन, अभिव्यक्ति आदि। भोजन, वस्त्र और रहने की व्यवस्था हर व्यक्ति की प्रारम्भिक और स्वाभाविक आवश्यकता है जिसका समुचित प्रबन्ध आवश्यक है।

आज का बालक कल बड़ा होकर देश का कर्णधार बनेगा। वर्ड्सवर्थ के शब्दों में (The child is the father of man).

भारत जैसे प्रगतिशील देश में प्रत्येक क्षेत्र में सुधार तथा नवीन उपायों पर विचार विमर्श कर उसे कार्यान्वित किया जाता है। उनमें से एक क्षेत्र प्राइमरी विद्यालय में अध्ययनरत बालकों का भी है। न केवल भारतवर्ष में अपितु देश के विभिन्न कोनों में बाल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बालक के समग्र विकास में अनेक कारक इकाई के रूप में अपना प्रभाव डालते हैं। उदाहरणस्वरूप, आज

के परिवेश में थकान एक सामान्य समस्या हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं, जिनका अपना स्वयं का मकान है। कुछ परिवार किराये के मकानों में हैं। कुछ परिवार सरकारी योजना से क्रय करते हैं। आजकल मकानों का ढाँचा छोटा और संकुचित होता है। सीमित कमरों के मकान में परिवार निवास तो करता है, अध्ययन के लिए सुविधाजनक पर्याप्त स्थान नहीं उपलब्ध हो पाता है। विशेषकर बड़े और व्यस्त शहरों में अनेक परिवार झोपड़पट्टी में रहते हैं। किराए के मकान मंहगें होने के कारण मध्य वर्ग के परिवार के लिए संघर्ष का विषय बन जाता है। बढ़ती हुई दरों और प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में निम्न तथा साधारण परिवारों में बच्चों के पास प्राय: पुस्तक, पेन्सिल आदि का अभाव देखा जाता है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है तो यह समस्या गम्भीर और जटिल हो जाती है।

इसके अतिरिक्त शारीरिक विकास के लिए भोजन महत्वपूर्ण घटक हैं। व्यावहारिक रूप से अनेक परिवार ऐसे हैं जहाँ पढ़ने वाले विकासशील अवस्था के बालक फल, दूध, अंडा के रूप में प्रोटीन और विटामिन का सेवन नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं। साधारण परिवारों में दोनों समय सादा भोजन मात्र देखा जाता है। यही कारण है कि प्राय: पढ़ने वाले बालक नेत्र विकार के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के कारण ही शारीरिक दौर्बल्य तथा नए-नए रोग सुनाई देते हैं। जागरुकता के अभाव के कारण निम्न वर्ग के अभिभावक नियमित टीकों और औषधियों पर ध्यान नहीं देते हैं।

प्राय: पढ़ने वाले बालक होटलों, दुकानों पर मजदूरी करते हुए पाए जाते हैं। कारण यह नहीं है कि वे करना चाहते हैं, अपितु उन्हें करना पड़ता है। शनैः-शनैः संयुक्त परिवार भी एकल परिवार में परिवर्तित होते जा रहें हैं। व्यक्ति जीविकोपार्जन हेतु अलग शहरों में निवास करने लगते हैं। मकान की समस्या के कारण भी एकल परिवार अधिक पाए जा रहे हैं। वर्तमान सामाजिक परिवेश में आर्थिक अभाव में संघर्षरत है। आर्थिक और स्थानीय अभाव के कारण खेलकूद की सुविधा भी बालकों को नहीं प्राप्त हो पाती है। इन सुविधाओं के वंचन के कारण अन्य समस्याएँ जैसे निष्पादन स्तर का कम होना, शारीरिक विकास समुचित ढंग से न होना, ऋणात्मक संवेगों का विकसित होना और सामाजिक गुणों के विकास में अवरोध उभरती हैं।

भारतवर्ष में सुविधाओं से वंचित बालकों पर कुछ शोध अध्ययन हुए हैं जो इस प्रकार हैं—

2—संबंधित शोध अध्ययन—

इस क्षेत्र में संपादित कतिपय शोध अध्ययनों का विवरण इस प्रकार है—

काशी विश्वविद्यालय में (Education Nutrition and child development) पर शोध द्वारा यह पाया गया है कि अनेक परिवार अभाव और अज्ञानता के कारण पोषक आहार पर ध्यान नहीं देते हैं।

(Situational Analysis of Street Children) पर यूनिसेफ तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा कानपुर में शोध किया गया। परिणाम पाया गया कि गरीबी एक ऐसा रोग है जिसके कारण शहरों में सैकड़ों बच्चे सड़कों पर जीवन यापन करते हुए पाए जाते हैं।

इन्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन की ओर से कलकत्ता में (Child Labour in Calcutta) पर शोध कार्य हुआ है। शोध द्वारा ऐसे बालक पाए गए हैं जो दिन में विद्यालय में अध्ययन करते हैं और अध्ययन शुल्क हेतु होटलों, सड़कों या घरों में मजदूरी करते हैं।

3—उद्देश्य—

आर्थिक अभाव जाल के समान पूरे समाज में फैला हुआ है। इस कारण पढ़ने वाले बच्चों को उनकी अवस्था के अनुकूल सम्पूर्ण सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य प्राइमरी विद्यालयों में अलाभग्रस्त बच्चों की समस्याओं का अध्ययन करना है।

4—अध्ययन विधि और उपकरण—

अध्ययन हेतु एक 'पृच्छा प्रपत्र' निर्मित किया गया। यह प्रपत्र अध्यापकों द्वारा बच्चे के सम्बन्ध में विवरण उनसे पूछकर तथा अभिलेखों के आधार पर भरा गया है।

पृच्छा प्रपत्र में 53 प्रश्न रखे गये हैं। ये प्रश्न छात्रों के पारिवारिक आर्थिक, शैक्षिक सम्प्राप्ति, बौद्धिक स्तर, रुचि, सामाजिकता, भोजन तथा रहने की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ/नहीं में देना था। पृच्छा प्रपत्र अन्त में संलग्न है।

5—प्रतिदर्श—

उपर्युक्त पृच्छा प्रपत्र कानपुर मंडल के पाँच प्राइमरी विद्यालयों में प्रशासित किया गया है। इस अध्ययन में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र हैं। इन छात्रों की कुल संख्या 50 थी जैसा कि निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है :—

कानपुर मंडल

क्रम सं०	विद्यालयों के नाम	छात्रों की संख्या
1—	बेसिक प्राइमरी पाठशाला, स्वरूपनगर	17
2—	बेसिक परिषद पाठशाला, स्वरूपनगर	03
3—	प्राइमरी पाठशाला, तिलकनगर	08
4—	बेसिक स्कूल पम्पिंग स्टेशन	04
5—	बेसिक परिषदीय पाठशाला	18
	योग	50

6 — सांख्यिकीय विश्लेषण —

प्रदत्त सामग्री का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि 50 छात्रों में में 45 छात्र शहरी और 5 छात्र ग्रामीण क्षेत्र के थे। सारिणी संख्या 2 से भी यही ज्ञात होता है।

सारिणी संख्या— 2

क्षेत्र/बालक	संख्या	प्रतिशत
शहरी	45	90 %
ग्रामीण	05	10 %
योग	50	100 %

विश्लेषण द्वारा छात्रों के परिवार के दो स्वरूप पाए गए। 18 प्रतिशत संयुक्त और 82 प्रतिशत एकल। तालिका नं० 3 से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज में एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही हैं और संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं—

तालिका संख्या—3

परिवार	संख्या	प्रतिशत
संयुक्त	09	18 %
एकल	41	82 %
योग	50	100 %

इन परिवारों में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। विद्यालय न जाने के तीन कारण उभर कर सामने आए हैं। जैसा कि तालिका नं० 4 से प्रतीत होता है कि आर्थिक अभाव के कारण स्कूल न जाने वाले बालक अधिक है। आर्थिक अभाव के कारण धनोपार्जन में व्यस्त होने के कारण बालकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। आर्थिक शिथिलता के कारण अधिकांश परिवारों के बालक शिक्षा-अध्ययन से वंचित हैं —

तालिका नं०—4

विद्यालय न जाने वाले बालकों की संख्या		26	52 प्रतिशत
कारण	आर्थिक	17	30 प्रतिशत
	कार्यरत	05	18 प्रतिशत

कुछ बालक ऐसे भी पाए गए हैं जिनके माता-पिता अशिक्षित हैं। पिता की अपेक्षा माताएँ अधिक मात्रा में अशिक्षित पाई गई हैं। 56 प्रतिशत माताएँ तथा 36 प्रतिशत पिता ऐसे पाए गए हैं जो शिक्षित नहीं हैं।

आर्थिक अभाव के कारण निवास स्थान की समस्या का स्वरूप भी स्पष्ट रूप से उभर कर आया है। 50 बालकों में से 21 बालक पक्के मकान में, 21 बालक कच्चे तथा 8 बालकों का परिवार झोपड़ी में निवास करता है। जिनमें 45 प्रतिशत बालकों के निवास स्थान में पढ़ने योग्य सुविधाजनक न तो स्थान है न ही उनमें सुविधाजनक स्थान बनाए जाने की व्यवस्था की जा सकती है। तालिका नं० 5 इस बात को दर्शाता है।

तालिका नं०—5

	स्वस्थ	संख्या	प्रतिशत
मकान	कच्चा	21	42 प्रतिशत
	पक्का	21	42 ”
	झोपड़ी	08	16 ”
सुविधाजक स्थान	हाँ	05	10 ”
	नहीं	45	90 ”

परिवार के भरण-पोषण लिए के 50 प्रतिशत अभिभावक मजदूरी करते पाए गए हैं। 28 प्रतिशत परिवारों में नौकरी तथा 22 प्रतिशत परिवारों में दुकानदारी पाई गई है। यही कारण है कि 52 प्रतिशत बच्चों के पास पर्याप्त

पुस्तकों तथा कापियों का अभाव है। इन अभावों के बाद भी सराहनीय बात यह है कि 94 प्रतिशत छात्रों की विद्यालय में सीखने की प्रगति संतोषजनक पाई गई है। 84 प्रतिशत छात्रों के लेख स्वच्छ तथा सुन्दर पाए गए हैं। इस बात का संकेत तालिका नं० 6 से मिलता है :—

तालिका नं०—6

	पर्याप्त पुस्तकों कापियों की संख्या		सीखने की प्रगति संतोषजनक		लेख स्वच्छ तथा सुन्दर	
		प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत
हाँ	24	48%	47	94%	42	84%
नहीं	26	52%	3	6%	8	16%
योग	50	100%	50	100%	50	100%

प्रगति के साथ-साथ मौखिक प्रश्नों का उत्तर 76 प्रतिशत बालक सही ढंग से देते पाए गए तथा लिखित प्रश्नों का उत्तर 72 प्रतिशत बालक देते पाए गए हैं। मौलिक स्तर पर 28 प्रतिशत असफल बालक पाए गए हैं।

तालिका नं० 7 इस ओर संकेत देती है :—

तालिका नं०—7

	मौखिक		लिखित	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	38	76%	36	72%
नहीं	12	24%	14	28%
योग	50	100%	50	100%

विभिन्न विषयों में प्रगति का विश्लेषण करने पर पाया गया कि गणित में 82 प्रतिशत छात्र प्रगति कर रहे हैं। विज्ञान में 64 प्रतिशत तथा प्रायोगिक विषय/शिल्प में 54 प्रतिशत छात्र प्रगति कर रहे हैं। खेलकूद में यद्यपि 92 प्रतिशत बालक भाग लेते हैं किन्तु केवल 14 प्रतिशत छात्रों को ही खेल का नायक बनने का अवसर प्राप्त है।

96 प्रतिशत छात्र नियमित रूप से समय से विद्यालय आते हैं तथा 100 प्रतिशत छात्र पूरे समय तक विद्यालय में रहते हैं। 54 प्रतिशत छात्र सांस्कृतिक क्रिया कलाप में भाग लेते हैं। 68 प्रतिशत छात्र कहानी, कविता पाठ, 12 प्रतिशत छात्र नाटक, 4 प्रतिशत छात्र प्रहसन तथा 4 प्रतिशत ग्रुप में कार्य करते हैं। तालिका नं० 8 दृष्टव्य है :—

तालिका नं०—8

सांस्कृतिक क्रिया कलाप	संख्या	प्रतिशत
नाटक	06	12 प्रतिशत
भाषण	00	00 प्रतिशत
कहानी, कविता, पाठ	34	68 प्रतिशत
प्रहसन	02	4 प्रतिशत
समूह में कार्य करना	02	4 प्रतिशत

50 छात्रों की प्रदत्त सामग्री में से एक भी छात्र कक्षा के नायक के रूप में नहीं पाया गया जबकि जिम्मेदारी से काम करने वाले छात्रों का प्रतिशत 96 है। 92 प्रतिशत छात्र अनुशासन मे अपना पूर्ण योगदान देते हैं। 49 छात्रों का स्वास्थ्य सामान्य पाया गया है। 98 प्रतिशत छात्र नियमित स्नान करते है। नाखून संबंधी सफाई पर ध्यान देते हुये 84 प्रतिशत छात्र पाए गए हैं।

अभिभावकों की अज्ञानता के कारण 44 प्रतिशत छात्र प्रतिरक्षक दवा से वंचित हैं। आर्थिक अभाव के कारण भोजन का पक्ष अधिक प्रभावित पाया गया हैं। तालिका नं० 9 से ज्ञात होता है कि क्रमशः 36 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत छात्र दोपहर तथा सायंकाल के भोजन से वंचित रह जाते हैं।

तालिका नं०—9

भोजन का समय	प्रातः		दोपहर		सायं		रात	
	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत
हाँ	43	86 ,,	32	64 ,,	28	56 ,,	34	68
नहीं	07	14 ,,	18	36 ,,	22	44 ,,	16	32 ,,
योग :	50	100 ,,	50	100 ,,	50	100 ,,	50	100 ,,

तालिका नं० 10 के यह ज्ञात होता है कि अधिकांश छात्र हरी सब्जी, दाल, रोटी ही ग्रहण कर पाते हैं। 10 प्रतिशत छात्र दूध, अंडा तथा 36 प्रतिशत छात्र घी का सेवन कर पाते हैं।

तालिका नं0—10

स्वरूप/ उत्तर	दूध	अंडा	हरी सब्जी	घी
हाँ	05	05	49	18
नहीं	45	45	01	32
योग :	50	50	50	50

92 प्रतिशत छात्रों में सामुदायिक कार्य करने की प्रवृत्ति पाई गई है तथा 98 प्रतिशत छात्रों में नागरिकता के गुण पाए गए हैं।

6—निष्कर्ष—

प्रस्तुत शोध में प्रदत्त सामग्री के विश्लेषण से यह पाया गया कि 50 छात्रों में से अधिकांश छात्र आर्थिक अभाव के कारण उचित निवास स्थान, उचित भोजन तथा पठनीय सामग्री से वंचित हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण ही संयुक्त परिवार बिखरते जा रहे हैं और एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। आर्थिक अभाव के साथ-साथ दूसरा कारण अभिभावक की निरक्षरता और अज्ञानता पाया गया है। छात्र चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो किन्तु अर्थ, भोजन, निवास स्थान की समस्याएँ सामान्य रूप से पाई गई है। इस ऋणात्मक पक्ष के साथ धनात्मक

पक्ष भी पाए गए हैं। उपर्युक्त अभावों के बावजूद भी छात्र अपने अध्ययन के क्षेत्र में संतोषजनक तथा प्रगतिशील पाया गया है। अधिकांश बालक विज्ञान तथा गणित मे प्रगतिशील पाये गये हैं। प्रदत्त सामग्री के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हैं कि यद्यपि छात्र विभिन्न खेलकूल में सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में भाग लेता है किन्तु न तो उसे खेल का नायक बनने का अवसर मिल पाता है न ही कक्षा के नायक बनने का।

आयु के अनुरूप प्रत्येक छात्र का सामाजिक, नैतिक, विकास समुचित रूप से हो रहा है।

अलाभग्रस्त बालकों की मुख्य समस्याएँ इस प्रकार से हैं :—

(1) आर्थिक समस्या।

(2) उचित, सुविधाजनक पढ़ने योग्य स्थान तथा निवास स्थान का न होना।

(3) माता-पिता का अशिक्षित होना।

(4) अवसर का अभाव होना।

(5) पौष्टिक भोजन का अभाव होना।

(6) अभिव्यक्ति के अवसर का अभाव होना।

7—सुझाव—

इन समस्याओं के आधार पर कुछ सुझाव निम्नवत् हैं :—

(1) प्राइमरी स्कूलों में यदि योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति का प्रावधान प्रारम्भ किया जाए तो आर्थिक समस्याएँ कुछ कम हो सकती हैं।

(2) अभिभावक की आय तथा जीविकोपार्जन के साधन के आधार पर छात्रों को विद्यालय के प्रशासन की ओर से पठन सामग्री (पुस्तक, पेंसिल, आदि) की सुविधा प्रदान करने से उन छात्रों को विशेष लाभ होगा जिनमें क्षमता तो है, परन्तु पुस्तक कापी के अभाव के कारण क्षमता विकसित होने में बाधा आ रही है।

(3) माह में एक दिन अभिभावक तथा अध्यापक की गोष्ठी का आयोजन प्रत्येक अभिभावक तथा अध्यापक के लिए हितकारी होगा।

(4) अभिभावकों के साथ लिखित सम्प्रेषण भी कायम रखना छात्र के लिए हितकारी होगा।

(5) स्थान अभाव की पूर्ति के लिए अभिभावक को अपनी सूझ-बूझ से सीमित दायरे में ही उपयुक्त योजना द्वारा पढ़ने योग्य स्थान व्यवस्थित करने का प्रयास करने देना बालक के लिए हितकारी होगा।

(6) सरकार की ओर से समय-समय पर भोजन के महत्व पर प्रदर्शनी (चल-चित्र, सिनेमा द्वारा) अभिभावकों के लिए हितकारी होगा।

7) कक्षा में प्रत्येक छात्र को थोड़े-थोड़े समय पर उसकी क्षमता की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना उपयगी होगा।

(8) छात्र के प्रशंसनीय कार्य की कक्षा के समक्ष सराहना करना अत्यन्त आवश्यक है। सराहना और प्रोत्सहन देने से छात्र के अपने अन्य अभाव का अनुभव कम होगा, साथ ही उसमें आत्मविश्वास भी उत्पन्न होगा।

(9) योग्यता तथा क्षमता के अनुसार प्रत्येक छात्र को उसकी क्षमता/योग्यता अनुरूप के अवसर प्रदान करते रहना छात्र के समुचित विकास के लिए लाभकारी होगा।

(10) समय-समय पर बालक/छात्र को ऋणात्मक तथा धनात्मक गुणों की जानकारी देते रहना हितकारी होगा।

(11) बालक के साथ उसके अभिभावक को भी बालक के बारे में जानकारी देते रहना हितकारी होगा।

(12) खेलकूद सम्बन्धी सुविधा तथा अवसर प्रदान करना लाभकारी होगा। स्कूलों में विभिन्न प्रकार के खिलौनों की व्यवस्था आवश्यक है। व्यक्तिगत के विकास में खेल का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थ के अभाव के कारण प्राय: घरों में खिलौनों की सुविधा की व्यवस्था असम्भव हो जाती है अत: विद्यालयों द्वारा इस कमी को पूरा किया जा सकता है।

(13) घर, भोजन के अतिरिक्त अन्य समस्याओं को माता-पिता, अध्यापक अपनी सक्रिय भूमिका द्वारा कम कर सकते हैं।

(14) विद्यालयों में समय-समय पर प्रतिरक्षक दवाओं का कैम्प सरकार की ओर से लगाया जाए तो उन छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध हो सकती है, जिनके माता-पिता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

(15) विद्यालयों में यदा-कदा (वर्ष में एक बार) सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आवश्यक हैं। इस आयोजन में पुरस्कार द्वारा छात्र को उत्साहित किया जा सकता है।

(16) सरकार की ओर से इन बच्चों को खाने की छुट्टी में पौष्टिक आहार का प्रावधान उनके लिए उपयोगी तथा लाभकारी होगा।

(17) सरकार की ओर से यदि छात्रावास का प्रबन्ध किया जाए तो रहने की समस्या का समाधान हो सकता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है जिन अभावों के कारण बालक की प्रगित तथा उसके विकास में समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें सरकार की योजनाओं द्वारा कम किया जा सकता है।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7810
Date 01-04-93

4

शिक्षकों के अनुसार प्राइमरी विद्यालयों के सुचारु रूप से कार्य करने में शिक्षा विभाग के शैक्षिक आयोजकों का योगदान

1 —भूमिका –

शैक्षिक प्रबन्ध एक व्यापक परिक्षेत्र है। इस परिक्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, प्रदेशीय शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग एवं शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी सभी समाहित हैं। विद्यालयीय शैक्षिक प्रबन्ध में शैक्षिक आयोजकों की प्रमुख भूमिका है। शैक्षिक प्रबन्ध का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना है जिससे उनकी योग्यता और क्षमता का सर्वाधिक उपयोग किया जा सके।

यदि इसी वर्ष में हम शैक्षिक आयोजकों की भूमिका का सिंहावलोकन करें तो हमें उन्हें अध्यापकों के नायक के रूप में अंगीकार करना विविध और बहुआयामी अपेक्षा है। समाज प्रमुख रूप से उनसे चाहता है कि वे : –

- छात्रों के अध्ययन हेतु श्रेष्ठतम व्यवस्था करें।
- —अध्यापकों को वेतन समय से दिलायें।
- —विद्यालय भवन का आवश्यकतानुसार विस्तार करें।
- —छात्रों के सहपाठ्यक्रमीय क्रिया-कलापों की समुचित व्यवस्था की देख-रेख करते रहें।
- —विभागीय नियमों की जानकारी रखें और जो अध्यापकों पर लागू हो उससे उन्हें अवगत करावें।
- —उनका परिषदीय परीक्षाफल ठीक रहे।
- —विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें।
- —शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग करें।
- —शैक्षिक संघों का आदर करें।

—विद्यालय में प्रबन्ध तन्त्र का कुशल प्रतिनिधित्व करें।

—विद्यालय उत्कर्ष में समुदाय का सहयोग प्राप्त करें।

—विद्यालय पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने दें।

—छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के अवसर प्रस्तुत करें।

—विभाग द्वारा प्रस्तुत छात्रवृत्तियों को समय से निकाल कर बच्चों को उपलब्ध करायें आदि।

उनकी भूमिका यह है कि वह इन समस्त कार्यों को न केवल करेंगे बल्कि इनकी व्यवस्था इस प्रकार करेंगे कि नियोजित ढंग से सभी लोग अपने-अपने दायित्वों का निर्वाह करने लगे।

हमारे सामने जटिल समस्या है कि इन अपेक्षाओं की पूर्ति प्रशासनिक अधिकारी कैसे करेंगे। इसकी न तो सरल एवं सर्वत्र उपलब्ध कुंजी है न सामान्य नियमावली।

सर्वप्रथम जिस कार्य को उन्हें करना है, उसमें उनका विश्वास हो एवं वह अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें। उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान हो और अपने प्रयासों को कार्यान्वित कराने की प्रवृत्ति हो, वह जानते हों कि शिक्षा संहिता क्या है।

नीति और क्रियान्वयन, शासन और प्रशासन स्तर की कड़ी ही नहीं, एक सिक्के के दो पक्ष हैं। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अच्छे आयोजक के गुणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणी दृष्टव्य है :—

मात्र चरित्र ही नहीं, क्षमता भी हो, विशेषज्ञ ही नहीं, निर्णायक हो, सही एवं तत्काल निर्णय की क्षमता हो, निर्णय जल्दबाजी में लिया गया न हो, निर्णय अन्तिम हो, अनन्तिम नहीं, निर्णय सही अवसर पर लिया गया हो, उसके क्रियान्वयन की क्षमता और प्रशासन के सुधार की उत्कृष्ट अभिलाषा रखें। निर्णय अच्छा वही है, जो समय पर हो, दृढ़ हो, सही हो, समवेत हो, स्थायी हो और अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति करता हो।

"शिक्षा पुनर्निर्माण में प्रशासनिक क्षेत्र का विशेष महत्त्व है क्योंकि यह तन्त्र विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। अतः शिक्षा प्रशासन में सुधार किये बिना हम शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते।"

प्रशासन के अन्तर्गत विश्वास, सम्पादन, साहस और उत्साहपूर्ण नेतृत्व तथा मानव सम्बन्धों को भली-भाँति निभाने की सामर्थ्य आते हैं।

प्रशासन की अधिक समस्या तो राज्य स्तर की है क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय माना गया है :—

"भारत का शैक्षिक प्रशासन भारतीय शिक्षा प्रणाली की उपलब्धियों को प्राप्त न होने देने के लिये उत्तरदायी है।" कोठारी कमशीन के अनुसार "भारत में शैक्षिक प्रशासन में ऐसी बहुत सी बातें नही है जो वांछित हैं। उनका प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य ही अधिक है और शैक्षिक तथा वित्तीय आँकड़ों का संकलन करने और उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट देने तक ही सीमित है।"

शैक्षिक आयोजक को अत्यन्त अनुभवी, चैतन्यशील व विवेकपूर्ण व्यक्ति के साथ-साथ अपने सहयोगी कार्य-कर्त्ताओं व अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मानवीय सम्बन्धों की स्थापना में भी निपुण होना चाहिये। संचालन की सफलता के लिए उत्तरदायित्वों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये। निस्संदेह शैक्षिक प्रबन्ध का मुख्य ध्येय मानवीय सम्बन्धों को स्थापित करना है जिससे कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति भी मिलकर समुचित सहयोग से कार्य कर सकें।

आजकल ऐसा समझा जा रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्य प्रभावी रूप से नहीं चल रहा है और शैक्षिक आयोजकों की दृष्टि से इसके लिए प्रमुख रूप से अध्यापक उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार अध्यापक शैक्षिक आयोजक को उत्तरदायी समझता है। इस अध्ययन का प्रयोजन शिक्षकों की दृष्टि में शैक्षिक आयोजकों के योगदान की समीक्षा करना है।

2—उद्देश्य—

इस अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों के दृष्टिकोण से प्राइमरी विद्यालयों के सुचारु रूप से कार्य करने में शैक्षिक आयोजकों के योगदान का आकलन करना है।

3—अध्ययन विधि तथा उपकरण—

इस सर्वेक्षण हेतु झाँसी और आगरा मण्डल के कुल 50 प्राइमरी अध्यापकों को एक प्रश्नावली भेजी गयी। यह प्रश्नावली सर्वेक्षणकर्त्ता द्वारा निर्मित की गयी है जिसमें 60 कथन दिये गये हैं। इन कथनों के माध्यम से प्राइमरी विद्यालयों से सम्बन्धित शैक्षिक प्रबन्ध और शैक्षिक आयोजकों के दायित्व और योगदान के बारे में उनके विचार "हाँ" अथवा "नहीं" में ज्ञात किये गये। इस प्रकार इस अध्ययन में कुल 50 प्राइमरी अध्यापकों का न्यादर्श लिया गया जिनमें शहरी, ग्रामीण, सरकारी, मान्यता प्राप्त और परिषदीय विद्यालय तथा पुरुष और महिला दोनों ही प्रकार के अध्यापक/अध्यापिकाओं पर प्रदत्त संग्रह किये गये।

4—प्रतिदर्श—

आगरा मण्डल तथा झाँसी मण्डल के नगरीय तथा ग्रामीण दोनों ही स्तर के विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं पर यह अध्ययन सम्पन्न किया गया। इसके लिये कुल 50 अध्यापकों का न्यादर्श लिया गया।

5—विश्लेषण एवं विवेचन—

शिक्षक समायोजन प्रश्नावली में 60 प्रश्न सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से शिक्षक द्वारा शिक्षाधिकारियों से ऐसे सहयोग सम्बन्धी अपेक्षाओं की जानकारी करना था जिनके अभाव में प्राइमरी स्तर के विद्यालयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्नावली के प्रश्न केवल शिक्षाधिकारियों से अपेक्षा पर ही केन्द्रित नहीं रह पाये। अपेक्षा के क्षेत्र को कुछ फैला दिया गया है जैसे विभाग से अपेक्षायें, समाज से अपेक्षायें, स्वयं शिक्षक वर्ग से अपेक्षायें, व्यवस्था से अपेक्षायें, प्रधानाध्यापक से अपेक्षायें और शिक्षाधिकारियों से अपेक्षायें। अपेक्षाओं की उपस्थिति ही सम्यक् और वांछित व्यवस्था के अभाव की सूचक है। उपर्युक्त प्रश्नावली अंत में संलग्न है। प्रश्नों के उत्तर सारिणी सं० 1, 2, 3, 4 में दर्शाये गये हैं। प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

और 38 में विभाग से अपेक्षाओं का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 1, 2, 5, 6 और 12 में शिक्षकों की अपेक्षा के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था है। भवन उपलब्ध है, मतलब भर की भूमि है, आवश्यक उपकरण यथा श्यामपट, खड़िया, टाट-पट्टी, फरनीचर और छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षक हैं। इन प्रश्नों पर क्रमश: 73 प्रतिशत, 74 प्रतिशत, 78 प्रतिशत, 84 प्रतिशत और 82 प्रतिशत शिक्षकों ने हाँ पर चिन्ह लगाकर अपना सन्तोष व्यक्त किया है। पर अन्य आवश्यक कार्यों हेतु जो सामग्रियाँ विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जानी चाहिये थी उनसे अध्यापक कम सन्तुष्ट दिखायी दिये। प्रश्न 9, 11, 13, 3 और 7 में मिले हाँ के प्रतिशत क्रमश. 2, 16, 34, 38, 44 है। उनके अनुसार शिल्प कार्यों के लिए न तो वाँछित उपकरण दिये गये हैं, न खेल का सामान विषयानुसार शिक्षकों की नियुक्ति का अभाव, बागवानी के लिए भूमि और आवश्यक मात्रा में उपकरण नहीं है। भूगोल विज्ञान अध्यापन की सहायक सामग्रियाँ भी पूरी नहीं है। प्रश्न 7, 38 इनकी पूर्ति की अपेक्षा आध्यापक विभाग में करता है जिसके संचालन और व्यवस्थापन में शिक्षाधिकारियों की भूमिका अहम् होती है। प्रश्न 19 में विभाग और सरकार को साथ मानते हुए निर्धन बच्चों के गणवेश की व्यवस्था सुलभ कराने में 2 प्रतिशत अध्यापकों के उत्तर ही हाँ में रहे 98 प्रतिशत के अनुसार ऐसी व्यवस्था अब तक नहीं की जाती रही है। पोशाक की सुविधा होने पर मौसम परिवर्तन के प्रभाव से बच्चे अस्वस्थ होने से बचे रहकर अध्ययन कर सकेंगे।

(क) समाज से अपेक्षाएँ :—प्रश्न 15 "क्या विद्यालय के सुचारु संचालन हेतु स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने में निरीक्षण अधिकारी सहयोग प्रदान करते हैं के उत्तर में 64 प्रतिशत अध्यापकों ने 'हाँ' कहा है जो इस बात का संकेत करता है कि समाज के स्थानीय समुदाय समुचित सहयोग करते हैं। फिर भी 36 प्रतिशत उस दिशा में सहयोग प्राप्त करने में निरीक्षक अधिकारियों के सहयोग की अपेक्षा करता है। छात्र नामांकन के प्रयासों में जहाँ अभिभावक वर्ग के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रहती है वहाँ अध्यापक निरीक्षण अधिकारी से सहयोग भी प्राप्त करना चाहता है। भले ही 42 प्रतिशत अध्यापकों की सूचना के अनुसार उनसे सहयोग मिलता हैं और 58 प्रतिशत के अनुसार नहीं (प्रश्न 14)। यदि समाज स्वत: प्राइमरी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में जागरुक हो जाये तो अधिगम संचालन का काम सरल हो सकता है। प्रश्न 52 भी इसी क्षेत्र से सम्बद्ध है क्योंकि अपने व्यक्तिगत कार्य में सुविधा पाने हेतु (जो शिक्षाधिकारियों की निर्लिप्तता या आक्रोश के कारण कठिन हो जाती है) आक्रोश की अभिव्यक्ति का माध्यम अनुशासनाधमक कार्यवाही होती है और अनुकूल योगदान पाने के लिये जन प्रतिनिधियों का अवलम्बन लेता है। इससे सम्बन्धित (प्रश्न 52) पर 10 प्रतिशत ने 'हाँ' और 90 प्रतिशत ने 'नहीं' का उल्लेख किया। पर ऐसी स्थिति आती अवश्य है। इसके लिये केवल समाज ही दोषी नहीं है। समाज के मूल्यों और बदलती छूट के अर्थ को अपने अनुकूल बनाने में अध्यापक द्वारा कुछ अवांछित व्यवहार (दायित्व बोध के प्रति उदासीन) हो जाते हैं। समाज के सदस्यों के थोड़ा सा और जागरुक होने पर अध्यापक अपने दायित्व बोध के प्रति सजग रहेंगे।

(ख) स्वयं से अपेक्षायें :—प्रश्न 21 पर प्राप्त हाँ (80 प्रतिशत) अध्यापकों के अवलम्बन का संकेत देता है और यह मानता है कि अनुशासनहीनता सम्बन्धी समस्यायों का निराकरण वह स्वयं कर सकता है। उसके लिये उसे शिक्षाधिकारियों के सहारे की अपेक्षा न है और न होनी चाहिये। प्रश्न 22 के अनुसार वह यह भी मानता है कि उसके निर्माण प्राय: गलत नहीं होते (नहीं 60%) अत: अधिकारी वर्ग को अनावश्यक उसमें सम्मिलित करना उपयोगी नहीं है। सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों से अध्यापक को दूर नहीं रहना चाहिये। (प्रश्न 24 नहीं

84 प्रतिशत) प्रश्न संख्या 25 (क्या विद्यालय में अच्छा कार्य करने पर अधिकारियों द्वारा आपकी प्रशंसा की जाती है (56 प्रतिशत हाँ और 44 प्रतिशत नहीं प्राप्त हुये हैं। अर्थात् उन्हें सामान्यत प्रशंसा मिल जाती है पर न भी मिलने पर उनमें किसी प्रकार का कुंठा बोध नहीं होना चाहिये। यही उनकी अपने से अपेक्षा हैं। उक्त प्रश्न 25 जैसी अभिव्यक्ति प्रश्न 29 पर भी प्राप्त हुई है अर्थात् अधिकारियों से प्रोत्साहन मिल जाये तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं (हाँ 54 प्रतिशत नहीं 48 प्रतिशत) कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ वे क्या होना चाहिये से प्रेरित होकर उत्तर दे गये हैं जैसे अध्यापकों से अधिकारियों द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तत्पर रहना (प्रश्न 28 हाँ—94 प्रतिशत नियमित रूप से विद्यालय आना, (प्रश्न 31, हाँ 98 प्रतिशत विद्यालय के कार्य से प्रसन्न रहना (प्रश्न 33—हाँ 90 प्रतिशत घर से विद्यालय दूर होने पर भी प्राय: विद्यालय पहुँचने में देर का न होना (प्रश्न 34 नहीं—96) घर से विद्यालय दूर होने के क्षोभ (प्रतिकार) में उनकी विद्यालय फिर भी समय से पहुँचते रहना (प्रश्न 54, नहीं 94 प्रतिशत), खोज प्रतियोगिताओं में विशेषज्ञ के रूप में उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करना (प्रश्न 44, हाँ 92 प्रतिशत)) और आपके व्यवहार से अधिकारियों का अप्रसन्न न होना (प्रश्न 39, नहीं 100 प्रतिशत)। यह अन्तिम प्रश्न ही इस बात का बोध करा देता है कि वे आदर्श कहने की लीक पर चल रहे हैं क्योंकि बच्चों से मनमाना शुल्क लेने की सहमति अधिकारी वर्ग नहीं देगा अत: जानकारी होने पर उसका अप्रसन्न होना अवांछनीय नहीं है। कदाचित मन के किसी कोने में यह भावना सुप्त हो कि बच्चों से मनमाना शुल्क लिया जाय और अधिकारी भी प्रसन्न रहें। प्रश्न 50 के उत्तर में 50 प्रतिशत अध्यापकों का कहना है कि वे प्रधानाध्यापक होने पर भी अपने मूल और आवश्यक कार्य के प्रति सजग रहेंगे और जी हजूरी को अधिक महत्व नहीं देंगे। (नहीं 60 प्रतिशत)। उनकी अध्यापक बन्धुओं से यह अपेक्षा है कि अपनी ही जाति विशेष का अधिकारी निरीक्षक के रूप में पाकर भी उन्हें सामान्य बने रहना है और कार्य के प्रति सजग रहना है (नहीं—90 प्रतिशत । प्रश्न 23 के माध्यम से वह मुखर होकर कह पड़ता हैं कि सुविधाओं के अभाव में भी वह (अध्यापक वर्ग) निष्पक्ष रहने के मूल्य को अपनाये रहेगा (हाँ—72 प्रतिशत) तभी तो प्रश्न 27 के माध्यम से वह स्वीकार करता है कि अधिकारी उन्हें जिम्मेदार समझकर दायित्व का काम सौंपते हैं। पर वह यह नहीं समझ पा रहा है कि जब उसे जिम्मेदारी के काम सौंपे जाते हैं तो केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही पुस्तक लेखन का अधिकार क्यों सीमित है। (प्रश्न—20 हाँ, 18 नही 82 प्रतिशत सम्प्रति प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापक ऐसा संकेत देते हैं कि वे भीरु नहीं है और वे अधिकारियों के बच्चों पर अधिक ध्यान देने के पक्षपात से अपने को रहित रखते हैं। वे उन्हें सबके बराबर ध्यान देने की बात पर बल देते हैं और यदि कभी कुछ विशेष ध्यान देना पड़ता है तो उसका आधार उनसे डरना नहीं होता (प्रश्न—37, नहीं 94 प्रतिशत) प्रश्न 45 के द्वारा 72 प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के सन्दर्भ में अधिकारियों से साहस जुटाकर अपनी बात कह लेने को उद्यत हो गये है और अपने अन्य साथियों से भी अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिये ये भी अपनी बात निर्भीकतापूर्वक अधिकारियों से करें ताकि बच्चों को हित की हानि से बचा सके। इसलिये (प्रश्न—40) शिक्षाधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये जाने पर अपनी सफाई देने के लिये वे उस उच्च अधिकारी से सम्पर्क करने को अधिक महत्व नहीं देते हैं। वे कारणवश अनुपस्थित होने को जबाबदेही योग्य नहीं मानते (नहीं—78 प्रतिशत) फिर भी 22 प्रतिशत अध्यापक सम्भवत: ग्लानि बोध से उच्च अधिकारी से सम्पर्क कर लेने को वांछनीय मानते है। इस सन्दर्भ में वे अपने अधिकारी को असहिष्णु के रूप में नहीं स्वीकारते। 94 प्रतिशत अध्यापकों ने संकेत दिया है कि अधिकारी वर्ग उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की धमकी नहीं देते हैं। उनकी अपने अध्यापक वर्ग से यह अपेक्षा है कि यदि उनमें से किसी अध्यापक के विरुद्ध अधिकारी

द्वारा सही और उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है तो वे निश्चय ही सही का पक्ष लेते हुए अधिकारियों का सहयोग कर (प्रश्न—41, हाँ 58 प्रतिशत जबकि 42 प्रतिशत, अध्यापक अपने साथी की संरक्षा हेतु अधिकारी को सहयोग न देने को उचित ठहराता है। अपनी व्यक्तिगत विद्यालीय समस्याओं के निराकरण में वह अधिकारी को उनके और प्रधानाध्यापक के बीच में लाने के पक्षधर नहीं है। (प्रश्न—49, नहीं 84 प्रतिशत) केवल 16 प्रतिशत अध्यापक ही अपनी उक्त समस्याओं को सुलझाने में प्रधानाध्यापक की अपेक्षा अधिकारियों से सहयोग माँगते है।

(ग) निरीक्षण अधिकारी से अपेक्षायें :—प्रश्न 16, 17 और 18 से शिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य-कलापों में अध्यापकों द्वारा अपेक्षायें व्यक्त की गई है। प्रश्न 16 के अनुसार केवल 32 प्रतिशत अध्यापकों ने निरीक्षण अधिकारी को विद्यालय संकुल संगठित करने के प्रति सक्रिय पाया है। 68 प्रतिशत अध्यापकों ने निरीक्षण अधिकारियों को इस दिशा में उदासीन पाया है (प्र० 16)। इसी प्रकार निरीक्षण अधिकारियों के सहयोग से अध्यापकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में 62 प्रतिशत अध्यापकों ने यह अरोपित किया है कि निरीक्षण अधिकारी अपनी भूमिका निभाने में शिथिल रहे। ऐसा भी नहीं है 38 प्रतिशत अध्यापकों की सूचना अपने निरीक्षण अधिकारियों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजन में सजग और सक्रिय पाती है। प्रश्न 18 में निरीक्षण कार्य के दौरान अध्यापकों के अधिगम में सुधार लाने हेतु निरीक्षण अधिकारी द्वारा आदर्श पाठ प्रस्तुत किये जाने को लगभग तीन चौथाई अध्यापकों ने नकारा है जबकि अधिकारी से ऐसे कार्यकलाप सम्पादन में अग्रणी होने की अपेक्षा रहती है। इस प्रकार निरीक्षण अधिकारियों से अपने शिक्षण की दिशा में किये जाने वाले सहयोग की माँग अध्यापकों द्वारा समवेत स्वर में उठाई गई है।

(घ) शिक्षाधिकारियों से अपेक्षायें :—यद्यपि प्रश्न 49 के उत्तर में अधिकांश अध्यापक अपनी विद्यालयीय समस्याओं के निराकरण में प्रधानाध्यापक की भूमिका अहम् मानते हैं पर यदि प्रश्न 35 के साथ प्रश्न 55 के अध्यापकीय कथन को ध्यान में रखा जाय तो जो तथ्य सामने आता है उसके अनुसार जहाँ कार्य ही अधिकारी के स्तर से होना है वहाँ उन्हीं के सहयोग की अपेक्षा है। (प्रश्न—55, हाँ 82 प्रतिशत क्योंकि विभाग द्वारा स्थानान्तरण से जितने अध्यापक प्रभावित होते हैं वे अपने बच्चों की शिक्षा दिला सकने में अपनी सहगामिता को यथेष्ट नहीं पाते हैं (प्रश्न 35, हाँ 24 प्रतिशत इस प्रश्न में 76 प्रतिशत के नहीं कहने का कारण सीधा सा है सबको तो विभाग घर से दूर स्थानान्तरित कर नहीं देता अतः जिनके पैरों में बिवाइयाँ नहीं फटी वह दूसरे की पीर के अनुरूप प्रतिक्रिया कैसे दें। चूँकि सभी अध्यापक असन्तुष्ट नहीं है। और जो (प्रश्न, 24 प्रतिशत पीड़ित है उनमें से तीन चौथाई प्रश्न 36 के माध्यम से यह भी संकेत देते हैं कि बिना सुविधा शुल्क के वे सम्बन्धित अधिकारी के पास आये क्यों। अर्थात् एक प्रकार से यह अनिवार्यता सी बन गई है और अधिकारी उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। यह एक आरोप है। प्रश्न 26 के माध्यम से 90 प्रतिशत अध्यापक अधिकारियों से असन्तुष्ट हैं क्योंकि लगातार अच्छा परीक्षाफल देते पर भी उनकी प्रोन्नति बाधित है। प्रश्न 43 के माध्यम से 44 प्रतिशत लगभग आधे अध्यापक यह मानने को मजबूर है कि शिक्षा अधिकारियों में निचले स्तर से उच्च स्तर तक भ्रष्टाचार की पैठ है। यद्यपि 56 प्रतिशत अध्यापक इस भ्रष्टाचार को नकारते हैं। पर दुगुण और वह भी अपने से उच्च स्तर के अधिकारी पर इस बात का संकेत अवश्य देते हैं कि यह कथन पूर्णतया सत्य भले ही न हो पर आरोप का संवरण और समावेश है अवश्य। प्रश्न 46 के द्वारा यह उभर कर आया कि शिक्षाधिकारी अध्यापकों की सुख-सुविधा को ध्यान मे रखकर

सदैव केवल पढ़ाने की ही बातें करते हैं (हाँ—54 प्रतिशत) 46 प्रतिशत अध्यापक अपने अधिकारी को उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखने वाला पाते हैं।

प्रश्न 48 में जहाँ 86 प्रतिशत अध्यापक स्वीकार करते हैं कि उनकी सेवा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण करने में शिक्षाधिकारी गण सक्रिय प्रयास करते हैं वहीं 34 प्रतिशत अध्यापक अपने शिक्षाधिकारियों पर यह आरोप लगाते हैं कि वेतन भुगतान में सदैव ही उनके द्वारा अनियमितता बरती जाती है। भविष्य निधि खाते को लेकर भी 64 प्रतिशत अध्यापक शिक्षाधिकारी के कार्यालय की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट नहीं हैं और उसमें वे सुधार की अपेक्षा करते हैं। प्रश्न 58 यह संकेत देता है कि सम्प्रति की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था से आधे अध्यापक सन्तुष्ट हैं और आधे असन्तुष्ट। इसी प्रकार आधे-आधे अध्यापक विद्यालय की अव्यवस्थित शिक्षा के लिए शिक्षाधिकारियों को उत्तरदायी मानते हैं। अध्यापकों का अधिक भाग 56 प्रतिशत प्रश्न 57 प्रधानाध्यापक की अन्य अध्यापकों के अवकाश पर होने पर उनकी कक्षाओं को पढ़ाने के लिये प्रेरित किये जाने पर अपना असन्तोष व्यक्त करता पाया गया। 34 प्रतिशत अध्यापकों का आरोप है कि उनके शिक्षाधिकारी उनकी विद्यालयीय समस्या का समाधान निरन्तर टालते रहने की प्रवृत्ति अपनाएँ हुये हैं (प्रश्न 60)। प्रश्न 56 अपने में महत्वपूर्ण है क्योंकि 68 प्रतिशत अध्यापक इस कथन से सहमत हैं कि शिक्षाधिकारियों से समुचित न्याय न मिलने की दशा में उन्हें न्यायालय की शरण में अवश्य जाना चाहिये।

6—सारांश—

अध्यापकों की सूचना के अनुसार विभाग ने जहाँ विद्यालयों के लिए भवन, श्यामपट्ट, खड़िया, टाटपट्टी, अध्यापकों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था पूरी की है वहीं बागवानी, शिल्प और खेल के लिए भूमि और आवश्यक उपकरणों की पूर्ति नहीं है। उनकी स्वयं से शिक्षाधिकारियों के सन्दर्भ में कुछ अपेक्षाएँ हैं। वे विद्यालय के हित में निरीक्षण अधिकारियों से अपनी बात निर्भीकतापूर्वक कहने का आवाहन करते हैं ताकि उन्हें विद्यालय संकुल की सहायता उपलब्ध हो सके और पुनर्बोधीकरण प्रशिक्षण भी समय-समय पर मिलता रहे। यदि उनका अन्तःकरण शुद्ध है और वे निष्पक्ष रहे तो शिक्षाधिकारी से भय की कोई बात नहीं है। उनसे शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक सम्पादित करने की अपेक्षा की गई है। अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे उनसे दायित्वपूर्ण कार्य लें पर उनकी सुख सुविधा के प्रति भी सजग रहें। अनावश्यक रूप से उन्हें केवल अप्रसन्नतावश घर से बहुत दूर स्थान्तरित न करें। उनसे यह अपेक्षा न की जाय कि अदालतों की तरह बिना सुविधा शुल्क के शिक्षाधिकारी के कार्यालय में भी कोई ध्यान न दिया जाय (वेतन देने में अनियमितता और भविष्य निधि के रख-रखाव में शिथिलता को दूर करने) यदि ऐसा होता रहा और वे वाँछित सुविधा से वंचित किये जाते रहे तो उन्हें न्यायालय का द्वार खटखटाने में कोई हिचक नहीं होगी।

सारिणी—1

क्र० सं० कथन	हाँ	नहीं
1—विद्यालय के पास पर्याप्त भूमि है।	76%	24%
2—विद्यालय के पास आवश्यक भवन है।	75%	26%

क्र० सं० कथन	हाँ	नहीं
3—बागवानी हेतु क्या आवश्यक सुविधाएँ हैं।	38%	62%
4—खेल हेतु क्या खेल का मैदान है।	48%	52%
5—विद्यालय में आवश्यक टाट पट्टी है।	78%	22%
6—विद्यालय के पास आवश्यक उपकरण है।	84%	16%
7—भूगोल शिक्षण हेतु क्या मानचित्र, ग्लोब आदि हैं।	44%	56%
8—स्टाफ हेतु विद्यालय में फर्नीचर है।	52%	48%
9—बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त खेल सामग्री हैं।	84%	16%
10—छात्रों की खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है।	68%	32%
11—विद्यालय में शिल्प कार्य हेतु उपकरण एवं सामग्री हैं।	02%	98%
12—विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हैं।	82%	18%
13—विषयानुसार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।	34%	66%
14—छात्र नामांकन में अधिकारी सहयोग देते हैं।	42%	58%
15—विद्यालय संचालन में स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त है।	64%	36%

सारिणी—2

क्रम सं० कथन	हाँ	नहीं
16—विद्यालय संकुल की व्यवस्था है।	32%	68%
17—अध्यापयों के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की।	38%	62%
18—अधिकारियों द्वारा आदर्श पाठ प्रस्तुत किया जाता है।	26%	74%
19—निर्धन छात्रों को पोशाक प्रदान किया जाता है।	02%	98%
20—विभाग द्वारा पुस्तक आलेखन के अधिकार आपको प्राप्त है।	18%	82%
21—अधिकारियों के सहयोग के बिना क्या अनुशासनहीनता का निराकरण सम्भव है।	80%	20%
22—अध्यापक प्रायः गलत निर्णय लेते हैं इसलिए अधिकारियों द्वारा हमेशा निर्देश मिलते रहना चाहिये।	40%	60%

क्र० सं०		हाँ	नहीं
23—सुविधाओं के अभाव में क्या अध्यापक से निष्पक्ष व्यवहार की आशा है ।		72%	28%
24—अध्यापक को धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिये ।		16%	84%
25—अच्छा कार्य करने पर अधिकारी आपकी प्रशंसा करते हैं ।		56%	44%
26—लगातार अच्छे परीक्षाफल पर आपको प्रशंसा प्रोन्नति कर दी जाती है ।		10%	90%
27—आपके अधिकारी आपको जिम्मेदारी का कार्य देते हैं ।		70%	30%
28—अधिकारियों के प्रश्नों के उत्तर देने में आप तत्परता दिखाते हैं ।		94%	06%
29—अधिकारियों द्वारा सदैव प्रोत्साहन मिलता है ।		54%	46%
30—प्राचार्य आपकी कठिनाइयाँ दूर करने में तत्परता दिखाते हैं ।		90%	10%

सारिणी—3

क्र० सं०	कथन	हाँ	नहीं
31	आप नियमित रूप से आप नियमित रूप से विद्यालय आते हैं ।	98%	02%
32	अपनी बात बिना भय के अधिकारियों से पूछ लेते हैं ।	92%	08%
33	आप विद्यालय के कार्य से प्रसन्न हैं ।	90%	10%
34	दूरी के कारण विद्यालय पहुँचने में प्रायः देर करते हैं ।	04%	96%
35	घर दूर होने के कारण उचित शिक्षा नहीं दे पाते ।	24%	76%
36	अधिकारियों से आपकी अप्रसन्नता का कारण बिना सुविधा शुल्क के बात न सुनना है ।	82%	18%
37	अधिकारियों के बच्चों पर आप अधिक ध्यान देते हैं ।	06%	94%
38	आपके विद्यालय में विज्ञान किट है ।	30%	70%
39	मनमाना शुल्क लेने के कारण अधिकारी आपसे प्रसन्न रहते हैं ।	00%	100%
40	निरीक्षण में अनुपस्थित पाये जाने पर आप उससे उच्च अधिकारी से मिलना चाहेंगे ।	22%	78%

क्रम० सं०	कथन	हाँ	नहीं
41—	विद्यालय के किसी अध्यापक के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर आप अधिकारी का सहयोग करेंगे ।	58%	42%
42—	आप अधिकारियों से दण्डात्मक कार्यवाही की धमकी पाते हैं ।	08%	92%
43—	अधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है ।	44%	56%
44—	खेल विशेषज्ञ के रूप में अधिकारियों के आदेश का सदैव पालन करते हैं ।	92%	08%
45—	विद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु अधिकारी से लड़ जाना पसन्द है ।	72%	28%
46—	अधिकारी आपकी सुख सुविधा का ध्यान न रखकर सदैव पढ़ाने की बातें करते हैं ।	54%	46%

5

प्राइमरी विद्यालयों में विशेष रूप से कक्षा पाँच में पढ़ने वाले बच्चों की रुचियों का अध्ययन

1—भूमिका—

बालकों के विकास में खेल का विशेष महत्व है। विभिन्न खेलों के द्वारा बालकों के "स्व" तथा "व्यक्तित्व" का विकास होता है। यही कारण है कि सम्यक् बाल विकास में विद्वानों ने खेल तथा खेल के विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। बाल विकास में खेलों के महत्व को स्वीकार करते हुये इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि बालकों के लिए खेलने-कूदने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। खेल तथा खेल के साधन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उनके स्वरूप अलग-अलग हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने खेलों के विभिन्न प्रकारों और विभिन्न स्वरूपों का वर्णन तो किया ही है, साथ ही यह भी अध्ययन करने का प्रयास किया है कि बच्चों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से खेलों का क्या महत्व है। खेल इतना महत्वपूर्ण हैं कि इसके द्वारा बालकों में वैयक्तिक भिन्नता देखी जा सकती है। बालकों में वैयक्तिक भिन्नताओं को देखने के लिए फेगाट (1973) एवं स्मिथ (1971) ने खेल को अत्यधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि बच्चों के विकास में खेलों के महत्व को समझकर बच्चों के लिये खेल की समुचित व्यवस्था को आवश्यक माना गया हैं।

खेल के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हरलॉक ने (1950) लिखा है कि खेल का सम्बन्ध किसी भी ऐसे कार्य से है जो सुखानुभूति के लिये किया जाता हैं। बच्चों के खेल में बाहरी दबाव या बाध्यता का अभाव होता है।

बालकों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को खेल माना जा सकता है जिससे उन्हें सुख की तथा आनन्द की अनुभूति होती है। इन क्रियाओं से बालक किसी परिणाम की आशा नहीं रखते केवल आनन्द की अनुभूति ही उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों की यह क्रियायें दूसरों के लिए अर्थहीन हो सकती है, किन्तु बच्चों के लिए, उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए खेल की सभी क्रियायें अत्यन्त सार्थक होती हैं।

खेल के विकास पर यदि ध्यान दिया जाए तो एक निश्चित बात उभरकर सामने आती है कि विभिन्न आयु स्तर पर खेलों के स्वरूप अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए 7 या 8 वर्ष की अवस्था तक बच्चे खिलौनों वाले खेल अधिक पसन्द करते है, उसके बाद दौड़-धूप तत्पश्चात् क्रीड़ाओं में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। गेसैल

(1940) ने इस प्रक्रिया पर विशेष अध्ययन किया है और बताया कि प्रारम्भ में पेशीय क्रियायें, इसके बाद समाजीकृत खेलों और आगे विकासक्रम में अभितयी एवं रचनात्मक खेलों के स्वरूप दिखायी देते हैं। इस प्रकार यह बात महत्वपूर्ण है कि खेलों के विकास में निश्चित अनुक्रमों का समावेश होता है। अवस्था तथा अधिगम के साथ बालकों में अनेक प्रकार के खेलों का विकास होता है। पुराने खेलों के स्थान पर नवीन खेल स्थान ग्रहण करने लगते हैं। बच्चों में प्रारम्भिक समय के खेल अधिक सरल तथा अनियमित होते हैं। आयु बढ़ने के साथ-साथ ये खेल जटिल तथा नियमित होते चले जाते हैं। हरलाक (1950) ने बच्चों के खेल का वर्गीकरण पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्याबस्था के आधार पर किया है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों के खेल मुक्त स्वाभाविक, कल्पनात्मक तथा रचनात्मक होते हैं। उत्तर बाल्यावस्था के प्रमुख खेलों में संग्रह, खेलकूद, मनोरंजन आदि प्रमुख होते हैं। बालकों के विकास में विभिन्न प्रकार के खेलों का विशेष महत्व हैं। खेलों द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। उनकी शारीरिक क्षमता, सक्रियता, शारीरिक संगठन दृढ़ होता है। व्यवहार सम्बन्धी परिपक्वता का विकास होता है। मानसिक सन्तुलन के दृष्टिकोण से भी खेलों का अत्यधिक महत्व है। इसी कारण शिक्षाशास्त्री, अध्यापक तथा मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था को आवश्यक माना है।

2—सम्बन्धित शोध अध्ययन—

बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर खेलों के सम्बन्ध में कोई विशेष शोध अध्ययन नहीं हुये हैं। प्रस्तुत शोध-अध्ययन नवीन है। जो मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा किया गया है।

3—उद्देश्य—

इस अध्ययन का उद्देश्य कक्षा—पाँच के बच्चों की विभिन्न क्षेत्रों की रुचियों को ज्ञात करना है।

4—अध्ययन विधि एवं उपकरण—

प्राइमरी विद्यालय की कक्षा पाँच के बच्चों की रुचियों का अध्ययन करने के लिए एक रुचि-पत्री बनायी गयी जिसमें पाँच क्षेत्र निर्धारित किये गये। प्रत्येक क्षेत्र 20-20 प्रश्नों पर आधारित है। इस प्रकार पूरी रुचि-पत्री में कुल 100 प्रश्न हैं, जिसके उत्तर "हाँ" या "नहीं" में। उसी रुचि पत्री पर बच्चों द्वारा भरवाये गये हैं। रुचि-पत्री के ये पाँच क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

(1) घर के बाहर खेले जाने वाले खेल।

(2) घर के अन्दर खेले जाने वाले खेल।

(3) रचनात्मक खेल।

(4) सृजनात्मक खेल।

(5) सामाजिक खेल।

शोध अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली बाल रुचिपत्री अन्त में संलग्न है।

5—प्रतिदर्श—

इस शोध से सम्बन्धित आँकड़े एकत्र करने के लिये लखनऊ मण्डल एवं फैजाबाद मण्डल के परिषदीय एवं नगर महापालिका द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा पाँच के 50 छात्र लिये गये, जिनका विवरण सारिणी नं० 1 में दिया गया है :—

सारिणी नं०—1

विद्यालय का नाम	सख्या
1 बाल प्राथमिक विद्यालय, उन्नाव	21
2 —प्राइमरी पाठशाला, फैजाबाद	12
3—प्राथमिक विद्यालय, लखनऊ	10
4 —क० पा० जार्पलिग रोड, लखनऊ	07
योग	50

6—सांख्यकीय विश्लेषण—

बालकों पर सम्पादित की गयी रुचि-पत्री पाँच भागों में विभाजित है। घर से बाहर खेले जाने वाले खेल, घर के अन्दर खेले जाने वाले खेल, रचनात्मक खेल, सामाजिक खेल। इसी क्रम में सारिणीवार तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

सारिणी नं०—2

घर से बाहर खेले जाने वाले खेल

क्र०सं० पदों का विवरण	हाँ	नहीं
1—मुहल्ले के बच्चों के साथ खेलना	88%	10%
2—साथियों के साथ दूर-दूर निकल जाना	10%	80%
3—गुलेल से चिड़ियों को मारना	10%	82%
4—लुका-छुपी खेलना।	84%	14%

क्रम सं॰	पदों का विवरण	हाँ %	नहीं %
5—नदी में तैरना		30%	62%
6—मछली मारना		24%	76%
7—साथियों के साथ मारपीट करना		08%	74%
8—चोर सिपाही खेलना		78%	14%
9—पेड़ों पर चढ़ना		26%	72%
10—गेंदतड़ी खेलना		74%	20%
11—साथियों के साथ पतंग उड़ाना		66%	32%
12—साइकिल चलाना		88%	12%
13—साथियों के साथ पिकनिक मनाना		62%	38%
14—कबड्डी खेलना		86%	14%
15—गेंद और बल्ला खेलना		92%	08%
16—इक्कड़ दुक्कड़ खेलना		48%	52%
17—साथियों के साथ इमलियाँ खाना		54%	46%
18—चिकने पत्थर तलाश करना		34%	66%
19—चिन्मी फोड़ खेलना		50%	48%
20—छुक-छुक खेल खेलना		42%	18%

सारिणी नं॰ 2 के द्वारा घर से बाहर खेले जाने वाले खेलों के सम्बन्ध में जो बात उभर कर सामने आयी है, वह इस प्रकार है कि 88% बच्चों ने मुहल्ले के बच्चों के साथ खेलना तथा साथियों के साथ पतंग उड़ाना पसन्द किया है। 92% बच्चों ने गेंद व बल्ले से खेलना पसन्द किया है। 86% बालकों ने कबड्डी खेलना व 84% बालकों में लुका छुपी खेलना रुचिकर बताया है। क्रमशः 78% ने चोर-सिपाही खेलना व 74% ने गेंदतड़ी खेलना पसन्द किया है। इसके अतिरिक्त क्रमशः 82% व 80% ने गुलेल से चिड़ियों को मारना, साथियों के साथ दूर-दूर निकल जाना, मछली मारना, साथियों के साथ मारपीट करना तथा पेड़ों पर चढ़ना नापसन्द किया है।

सारिणी नं० — 3

घर के अन्दर खेले जाने वाले खेल

क्रम नं० पदों का विवरण	हाँ %	नहीं %
1—लूडो खेलना	78%	22%
2—कैरम खेलना	80%	16%
3—झूला झूलना	50%	46%
4—खाना पकाना	64%	36%
5—गुड़िया खेलना	46%	54%
6—गुड़िया का विवाह करना	58%	40%
7—रस्सी कूदना	58%	42%
8—सकरी सुस्ता खेलना	54%	44%
9—छोटे-छोटे बर्तन इकट्ठे करना	56%	40%
10—पहियेदार खिलौने चलाना	78%	22%
11—गुट्टा खेलना	42%	56%
12—गुड़िया का घर सजाना	66%	34%
13—साबुन घोल कर बुलबुले उड़ाना	64%	36%
14—गपशप करना	48%	52%
15—पहेलियाँ बुझाना	80%	18%
16—अन्ताक्षरी करना	84%	12%
17—शिक्षात्मक ताश खेलना	40%	50%
18—ताश में तीन, दो, पांच खेलना	32%	64%
19—शतरंज खेलना	60%	34%
20—कहानियाँ सुनना	88%	08%

सारिणी नं० 3 के आधार पर 88% बच्चों ने कहानियाँ सुनना, 84% बच्चों ने अन्त्याक्षरी करना,

80% बच्चों ने पहेलियाँ बुझाना, 80% ने कैरम खेलना, लूडो खेलना, 78% बच्चों ने पहियेदार खिलौने चलाने में अपनी रुचि व्यक्त की।

सारिणी नं० 4

रचनात्मक खेल

क्र०सं०	पदों का विवरण	हाँ	नहीं
1	माचिस के डिब्बों से सुन्दर सामान बनाना	84%	16%
2	गीली मिट्टी के बर्तन बनाना	74%	24%
3	कागज के फूल बनाना	82%	16%
4	कागज की नाव तैराना	78%	22%
5	रंगीन चित्र बनाना	94%	06%
6	गुड़िया का घर बनाना (दफ्ती के गत्ते)	64%	36%
7	कागज पेन्सिल से डिजाइन बनाना	88%	12%
8	कपड़े के फूल सजाना	88%	18%
9	चित्रों में रंग भरना	88%	06%
10	कागज और तीलियों से चीजें बनाना	76%	24%
11	क्यारी में पौधा लगाना	92%	08%
12	रुई के जानवर बनाना	84%	16%
13	टी० वी० बनाना (डिब्बों से)	78%	22%
14	कागज का हवाई जहाज या राकेट बनाना	72%	28%
15	टूटी चूड़ियों की माला बनाना	52%	46%
16	रंगीन कागज से गुलदस्ता बनाना	84%	14%
17	रंगीन कागज की जंजीर बनाकर सजाना	80%	18%
18	शीशियों से मीनार वा घर बनाना	52%	48%
19	मोतियों से गुड़िया का जेवर बनाना	64%	32%
20	मोम पिघला कर साँचे में ढालना	56%	40%

सारिणी नं० 4 में 94 प्रतिशत बालकों ने रंगीन चित्र बनाना, 88% ने कागज पेन्सिल से डिजाइन बनाना, कपड़े के फूल सजाना व चित्रों में रंग भरना, 84% ने रुई के जानवर बनाना और रंगीन कागज से गुलदस्ता बनाना, माचिस के डिब्बों से सुन्दर सामान बनाना तथा 82% ने कागज के फूल बनाना पसन्द किया है। किसी भी प्रकार के रचनात्मक खेलों में बच्चों ने विशेष अरुचि की अभिव्यक्ति नहीं दी है।

सारिणी नं० 5

सृजनात्मक खेल

क्र० सं० पदों का विवरण	हाँ	नहीं
1—कहानी लिखना	86%	14%
2—नई डिजाइन बनाना	84%	12%
3—अधूरे चित्रों को पूरा करना	72%	26%
4—कविता की पंक्तियाँ लिखना	88%	12%
5—विज्ञान में नई खोज करना	76%	14%
6—बिजली की चीजें बनाना	50%	50%
7—कल्पना से रंगीन चित्र बनाना	64%	34%
8—विभिन्न चीजों को मिलाकर नयी चीज बनाना	84%	14%
9—कपड़ों की नई डिजाइन	84%	16%
10—भोजन के नये-नये प्रकार बनाना	76%	22%
11—नाटककार बनाने का शौक	72%	28%
12—मौलिक चीज बनाने की इच्छा	72%	28%
13—रोबोट की नयी नयी स्टाइल बनाना	78%	22%
14—पहेलियाँ बनाना	82%	18%
15—राजा-रानी की कहानी मन से बनाना	96%	04%
16—आकृतियों का नया-नया रूप देना	62%	38%
17—गोलाकार से विभिन्न आकार बनाना	72%	28%
18—त्रिभुज, चौकोर, गोलाकार से नया रूप देना	82%	18%
19—किसी भी प्रश्न का अछूता उत्तर ढूंढना	68%	32%
20—बंधे टिके कार्यों को नया मोड़ देना	64%	36%

सारिणी नं० 5 सृजनात्मक खेलों में राजा-रानी की कहानियाँ मन से बनाना 96% बालकों ने, कविता की पंक्तियाँ लिखना, 88% ने कहानी लिखना 86% बालकों ने नई डिजाइन बनाना, विभिन्न चीजों को मिला कर नई चीजें बनाना तथा कपड़ों की नई डिजाइन बनाना 84% ने, नई पहेलियाँ बनाना 82% बालकों ने पसन्द किया है।

सारिणी नं० 6

सामाजिक खेल

क्र०सं०	पदों का विवरण	हाँ	नहीं
1	—साथियों से मिलना जुलना	. 90%	10%
2	—भाई बहिनों को पढ़ाना	90%	10%
3	—बीमार की सेवा करना	92%	06%
4	—माता-पिता का हाथ बँटाना	82%	18%
5	—पार्क जाना	82%	18%
6	—स्कूल में कार्यक्रमों के लिये चन्दा इकट्ठा करना	78%	22%
7	—लान की घास निकालना	72%	24%
8	—स्कूल में किसी विषय पर बोलना	86%	14%
9	—चोट लगने पर किसी व्यक्ति की मदद करना	86%	10%
10	—साथियों के साथ बोटिंग करना	72%	28%
11	—रेल से सफर करना	86%	14%
12	—तोते को बोलना सिखाना	94%	06%
13	—पालतू कुत्ते के साथ खेलना	84%	08%
14	—साथियों की मदद करना	94%	06%
15	—पुस्तकों पर रंग-बिरंगे स्टीकर लगाना	80%	18%
16	—अपना काम स्वयं करना	98%	02%
17	रोज नहाना	92%	04%
18	—दूसरों की बात मानना	80%	20%
19	—जोर-जोर से गाना	68%	28%
20	—साथियों के साथ तितलियों के पीछे भागना	58%	40%

सारिणी नं० 6 के द्वारा इस बात की पुष्टि हो रही है कि 98% बालकों ने साथियों की मदद करने तथा तोते को बोलना सिखाने में अपनी रुचि व्यक्त की हैं। 94% बालकों ने बीमारों की सेवा करने में 92% बालकों ने साथियों से मिलने जुलने में रुचि बतायी। 90% बालकों ने भाई बहनों को पढ़ाने, 86% बालकों ने स्कूल में किसी विषय पर बोलने, चोट लगने पर किसी व्यक्ति की मदद करने तथा रेल से सफर करने में अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति दी है।

7 —निष्कर्ष—

साँख्यकीय विश्लेषण पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि बालक पाँचों प्रकार के खेलों में पर्याप्त रुचि लेते हैं। फिर भी सबसे अधिक प्रतिशतांक स्वयं कार्य करने में (98%) राजा-रानी की कहानियाँ मन से बनाने में (96%) रंगीन चित्र बनाने में (94%) बीमारों की सेवा करने में (92%) साथियों से मिलने जुलने तथा भाई-बहिनों को पढ़ाने में (90%) में पाया गया है।

8 —सुझाव—

(1) प्राइमरी स्कूल तक के बालकों के लिये खेल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वह खुलकर अभिव्यक्ति कर सकें।

(2) प्रतिदिन स्कूल के टाइम टेबुल में एक घन्टा खेल का होना चाहिये, जिसमें सब बच्चों को खेलने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिये।

(3) कुछ ऐसे खेल जो उपर्युक्त अध्ययन में भी सर्वाधिक प्रिय बताये गये हैं, समय-समय पर आयोजन कर बच्चों को खेलने के लिये दिये जाने चाहिये। छोटी-छोटी प्रतियोगितायें आयोजित की जानी चाहिये। जो बालक विजयी हो उनको पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(4) कुछ सृजनात्मक एवं रचनात्मक खेलों की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। इससे बालकों के स्वस्थ मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायता मिलेगी।

(5) खेलने के अवसर प्रदान किये जाने से बालकों का सामाजीकरण भली-भाँति हो सकेगा तथा वह सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखेंगे। इससे देश के भावी नागरिक अधिक संतुलित व समायोजित हो सकेंगे।

(6) प्राइमरी स्कूलों में विषयों के शिक्षण में खेल-विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। 98% बच्चों की स्वयं कार्य करने की रुचि परिलक्षित हुई है, इसका समुचित उपयोग कक्षा और कक्षा के बाहर किया जाना चाहिये।

6

विद्यालयों की बेसिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति अन्य जाति के शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार का अध्ययन

1—भूमिका—

"अभिवृत्ति को व्यक्तित्व संरचना का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है—अपने परिवेश में विद्यमान व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति को ही अभिवृत्ति कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपनी अभिवृत्तियों से ही अभिप्रेरित, निर्देशित व नियन्त्रित होता है।"

"विद्यालय की बेसिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति अन्य जाति के शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार का अध्ययन करने के लिये भारत की अत्यन्त प्राचीन "वर्ण व्यवस्था" पर दृष्टि डालना उचित होगा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चार जातियों को कर्म स्तर के आधार पर विभक्त किया गया था। ब्राह्मण का कार्य पठन-पाठन, क्षत्रिय का कार्य देश रक्षा, वैश्य का वाणिज्य व और शूद्र का कार्य सेवा करना था। प्राचीन काल में चारों वर्ण अपने कार्यों को सुचारू ढंग से करते हुये एक दूसरे से प्रेम भाव, सद्भावना एवं भाई चारा रखते थे, किन्तु कालान्तर में पठन-पाठन, रक्षा कार्य व्यापार कार्य तो प्राय: सभी जातियाँ इच्छानुकूल करने लगीं परन्तु शूद्रों के कार्यों को अन्य वर्णों ने नहीं अपनाया और न ही उन्हें समानता का दर्जा दे सके।

प्राचीन काल के अनेक उदाहरण उच्च वर्ण द्वारा शूद्रों पर किये गये अत्याचार से सम्बन्धित मिलते हैं। "सूतपुत्र" समझकर कर्ण को तथा एकलव्य को "भील" समझकर शिक्षा से वंचित किया जाना अन्याय के जीवन्त उद्धरण हैं। यहाँ तक कि देवस्थानों, मन्दिरों में जाना, जन साधारण के जलाशयों से जल ग्रहण करना तथा उच्च वर्णों के साथ उठना, बैठना, पढ़ना लिखना सब वर्जित व प्रतिबन्धित था।

यद्यपि शिक्षा के प्रचार व प्रसार के कारण एवं स्वतन्त्रता के फल स्वरूप स्वतन्त्र तथा निरपेक्ष भारत में कुछ जागरुकता आयी और अनेक महापुरुषों ने सेवाकार्य में संलग्न रहने वाले इस शोषित व दलित शूद्रों की दयनीय दशा पर सहानुभूतिपूर्वक चिन्तन किया तथा मानवीय आधार पर उन्हें समानता का दर्जा देने के लिये आवाज उठायी। महात्मा गाँधी ने उन्हें ससम्मान 'हरिजन" कहकर पुकारा और भारत के संविधान निर्माता डॉ० अम्बेदकर ने इन हरिजनों के लिये आरक्षण नीति बनायी।

उपर्युक्त प्रकार की समानता दिये जाने का आधार कुछ समय के लिये तो ठीक था किन्तु आरक्षण के द्वारा अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने में निरन्तरता बनी हुई है। इस आरक्षण को ढाल बनाकर अन्य वर्ण भी आरक्षण की माँग अन्य आधारों पर करने के लिये उद्यत है। जिससे अब चयन प्रक्रिया में सामान्य वर्ग से चुने जाने वालों की संख्या अल्प रह गयी है। फलस्वरूप सामान्य वर्णों में आक्रोश एवं असन्तोष की लहरें निरन्तर उठती रहती हैं। विशिष्ट दक्षता वाले पदों पर योग्य व्यक्तियों का चयन नहीं हो पा रहा है। आरक्षण के कारण कम योग्य कर्मियों का चयन हो जाता हैं जिससे देश की व्यवस्था का संचालन दक्ष व्यक्तियों के हाथ में नहीं रह गया है। गंदी व स्वार्थ पूर्ण राजनीति को प्रश्रय मिल रहा है। अनैतिकता, शोषण, अनुशासनहीनता, विध्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। वर्ण और धर्म की वोट प्राप्त करने एवं कुर्सी हथियाने के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

हमारे देश के कर्णधारों की इच्छा है कि आरक्षण नीति से तथा दबाव से शूद्रों को समानता का दर्जा दिया जा सकता है किन्तु सरकारी दबाव से हृदय परिवर्तन सम्भव नहीं है। जन-मानस में संस्कार के रूप से समाये हुए द्वेष भावों को किस सीमा तक दूर किया जा सका है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

शूद्र भी आरक्षण और सुविधायें प्राप्त कर उच्च वर्ण को नीचा दिखाने के प्रयास में अपने पुरातन आचार विचारों को विस्मृत कर बैठे हैं, जिससे उच्च वर्ण में शूद्रों के प्रति सद्भावना तथा स्नेह समाप्त होता जा रहा है और प्रतिद्वन्दिता तथा ईर्ष्या द्वेश उभर कर सामने आ रहे हैं जो समाज के लिये भयावह हैं।

क्या यह भावना शिक्षालयों में भी विद्यमान है—इस प्रश्न को ज्ञात करने हेतु उपर्युक्त शोध अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नावली तैयार की गयी तथा उससे प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सकारात्मक एवं रचनात्मक सुधार करने की दिशा में विचार कर कुछ ठोस कदम उठाये जाने का निश्चय किया गया।

2—सम्बन्धित अध्ययन—

"विद्यालय की बेसिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति अन्य जाति के शिक्षकों की अभिवृत्ति तथा व्यवहार" शीर्षक के अन्तर्गत अभी तक कोई भी शोध—अध्ययन शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत शोध अध्ययन इस समस्या पर होने वाला नितान्त नवीन अध्ययन है।

3—उद्देश्य—

लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले हमारे देश भारत की समाज व्यवस्था बहुजातीय तथा बहुवर्गीय है। अतः यहाँ वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था तथा जाति के प्रति भेद-भाव अधिक दिखाई देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र केवल अपनी जाति में ही सम्बन्ध रखना अधिक पसन्द करते हैं। शूद्र जैसे चमार, पासी तथा मेहतर आदि के बच्चों के प्रति तथाकथित उच्च जाति के लोग संस्कारगत मान्यताओं के कारण घृणा का भाव रखते हैं उन्हें अस्पृश्य मानकर व्यवहार करते हैं।

यद्यपि लोकतन्त्रात्मक दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविधान के अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष माना गया है और इस जातिगत भेदभाव को दूर रखने की व्यवस्था है, परन्तु हमारे देश में उच्च वर्ग कहलाने वाला वर्ग अनु-

सूचित जाति के व्यक्तियों के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं रख पा रहा है। अनुसूचित जाति के बच्चों का उठना, बैठना, खाना अथवा उनके यहाँ विवाह समारोहों, भोजों आदि में सम्मिलित होना तथा अपने समारोहों आदि में उनको निमंत्रित करना प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा जाता है।

विद्यालय तथा उसमें अध्यापन करने वाला शिक्षक भी समाज का अभिन्न अंग है। उसकी अभिवृत्ति व व्यवहार का प्रभावित होना स्वाभाविक है। अतः अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति अन्य जाति के शिक्षकों की अभिवृत्ति तथा व्यवहार का अध्ययन करने हेतु सम्बन्धित प्रश्नों को संकलित करते हुये प्रश्नावली तैयार की गयी जो अन्त में संलग्न है। उस पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर उपर्युक्त शोध अध्ययन का प्रयास किया गया है।

4 -अध्ययन विधि एवं उपकरण --

विद्यालय की बेसिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति अन्य जाति के शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार का अध्ययन करने के लिये चार खण्डों में विभक्त 40 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की गाई जिसमें सम्बन्धित अध्ययन के विषय को दृष्टिगत रखते हुये प्रथम खण्ड (क) में ऐतिहासिक धारणा अनुसूचित जातियों के उद्भव से सम्बन्धित तथा द्वितीय खण्ड (ख) में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न हैं। तथा चौथे खण्ड (घ) में अनुसूचित जातियों को प्रशासन द्वारा प्रदान की गयी अतिरिक्त सुविधाओं के द्वारा राष्ट्र व देश के हित सुझावात्मक प्रश्न रखे गये हैं, इन प्रश्नों के उत्तर-प्रश्नों के समक्ष लिखें "हाँ" अथवा नहीं की अभिव्यक्ति गोले में घेर कर करने से सम्बन्धित निर्देश दिये गये हैं। प्रश्नावली को भरने के लिये समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया था परन्तु अनुमानतः इसमें 30 मिनट का समय लगने की सम्भावना व्यक्त की गयी थी। उपर्युक्त वर्णित चार क्षेत्रों में उच्च जाति के शिक्षकों की विचार धारा का अध्ययन उनके द्वारा प्रत्येक प्रश्न की हाँ और नहीं के द्वारा की गयी अभिव्यक्ति के आधार पर किया गया।

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के हाँ और नहीं का प्रतिशत ज्ञात करने के कथनों का संक्षिप्तीकरण करके जो रूपरेखा सामने आयी उसे निष्कर्षों की आधार माना गया। प्रतिशतांकों को दर्शाने के लिये क्रमशः चार खण्डों के प्रश्नों को संक्षिप्त कथनों के रूप में लिखकर चार सारणी निर्मित की जिनका विवरण सांख्यकीय विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

5—प्रतिदर्श —

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निर्मित प्रश्नावली के आधार पर गोरखपुर मण्डल के घोसी, मऊ कोपागंज, सिद्धार्थनगर आदि क्षेत्रों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 25 शिक्षकों तथा वाराणसी मण्डल के रसड़ा, बलिया, नई बस्ती, पिसनहरिया, राजगढ़, मिर्जापुर, बड़ेनी, भवानीपुर आदि क्षेत्रों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों 25 शिक्षकों से प्रश्नावली भरवाई गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर 50 अध्यापकों से चार खण्डों में विभक्त 40 प्रश्नों वाली प्रश्नावली को भरवाया गया।

6—सांख्कीय विश्लेषण—

प्रस्तुत शोध अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नावली चार उपखण्डों 'क', 'ख', 'ग', 'घ' में विभक्त की गयी है—प्रत्येक उपखण्ड में क्रमश: ऐतिहासिक, सामाजिक व्यवस्था, तर्क, चिन्तन तथा राष्ट्र व समाज हित से सम्बन्धित सुझावात्मक प्रश्न हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 40 कथनों की सहमति को हाँ या नहीं को गोले से घेरकर अभिव्यक्ति करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रत्येक खण्ड का सांख्यकीय आँकड़ों के आधार पर जो विश्लेषण प्राप्त हुआ वह निम्नवत् :—

खण्ड—क

ऐतिहासिक धारणा (सारिणी सं० 1)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि खन्ड "क" में प्रश्न 4, 9, 10 अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों को रुचिकार प्रतीत हुआ और इन व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि 'राम का पैर धोता निषादप्रिय है, शबरी का जूठा बेर खाते राम प्रिय हैं तथा अनुसूचित जाति विवाह आदि समारोहो में पूज्य है। इससे प्रतीत होता है कि यदि सामाजिक स्तर पर खान-पान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोहों में सम्मिलित होना इत्यादि सामाजिक व्यवहार सामान्य ढंग से अपनाया जाये तो अनुसूचित जातियों के प्रति वैमनस्य कम होने की सम्भावना हो सकती है।

प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7 8, पर नकारात्मक सहमति का प्रतिशत अधिक रहा इससे प्रतीत होता है कि शिक्षण संस्थाओं और शिक्षित वर्ग में जागृति व उदार हृदय व्यक्तियों की संख्या अधिक है। वे पुरानी रूढ़िवादी दृष्टिकोण को वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर अपनाने को तत्पर है। नकारात्मक सहमति वाले कथन हैं—शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से, एकलव्य का अंगूठा माँगना, कर्ण को सूतपुत्र समझ शिक्षा से वंचित रखना, महात्मा गाँधी का अनुसूचित जातियों को ऊपर उठाना और हरिजन कहकर ससम्मान पुकारना, अनुसूचित जातियों को समानता देना, ढोल गंवार, शूद्र पशु, नारि आदि। इन कथनों से शिक्षित वर्ग सहमत नहीं है। अत: यदि समाज में पुरानी मान्यताओं को त्यागकर छुआछूत तथा जातिगत, भेदभाव को मिटा दिया जाये तो आपसी सद्भावना और प्रम एवं सौहार्द्र को स्थान मिला सकता है, जिससे व्यक्तियों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन सम्भव है।

खण्ड—ख

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था (सारणी सं० 2)

शूद्र लोग आज भी अपने पूर्वजों के धन्धों को छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं। वे अपने कार्य विभाजन से संतुष्ट हैं—इससे सम्बन्धित कथन "सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु कार्य विभाजन उपयुक्त है" पर 82 प्रतिशत व्यक्तियों ने सहमति दी है यद्यपि असवर्ण जातियों को सामाजिक स्तर पर अन्य सवर्ण लोग स्वीकार करने लगे हैं

उनके साथ वैवाहिक सम्बन्धों को स्थापित नहीं करना चाहते हैं। [कथन नं० (3) अनुसूचित जातियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध] इस खण्ड में अनुसूचित जाति पारम्परिक धन्धे के अतिरिक्त अन्य धन्धों में भी लगना चाहती है। प्रश्न 7 एवं 10 इस कथन की पुष्टि करते हैं।

खण्ड—ग

तर्क-वितर्क व चिन्तनयुक्त प्रश्न (सारणी सं० 3)

इस खण्ड में क्रमश: 1, 3, 5, 9, 10 पर सर्वाधिक लोगों की सहमति प्राप्त हुई। अनुसूचित जाति के कार्य समाजोपयोगी हैं। सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए कार्य विभाजन उपयुक्त है। हरिजनों के समारोह में सवर्ण लोग अल्प संख्या में उपस्थित होते हैं। हरिजनों को जीवनोपयोगी साधन सुलभ कराना सामाजिक न्याय है इन कथनों पर सहमति का प्रतिशत क्रमश: 60 प्रतिशत, 74 प्रतिशत, 86 प्रतिशत, 92 प्रतिशत रहा तथा कथन संख्या (10) कार्य की कुशलता के लिये व्यक्ति का चयन का प्रतिशत शतप्रतिशत रहा है। तात्पर्य यह है कि प्रतेक व्यक्ति चाहता हैं कि किसी कौशलपूर्ण कार्य के लिये व्यक्ति के चयन का आधार योग्यता होनी चाहिये आरक्षण न हो क्योंकि उसका आधार जातिगत हो जाता है, जिससे कुशल व्यक्ति का चयन सम्भव नहीं हो पाता।

जिन कथनों पर अधिक व्यक्तियों ने असहमति प्रकट की है वे हैं—क्रमश: (2) आरक्षण से हरिजनों को विभिन्न व्यवसायों में लाना (4) हरिजनों को विभिन्न व्यवसायों में लाना (4) हरिजनों के प्रवेश से कार्य उत्पादन की प्रभावकारिता में ह्रास (82 प्रतिशत असहमति) (6) बेरोजगारी का प्रमुख कारण हरिजनों का पारम्परिक धन्धों से विमुख होना (62 प्रतिशत असहमति) (7) हरिजनों को मान्यता (54 प्रतिशत) (8) वैयक्तिक व सामाजिक समायोजन के लिये पारम्परिक धन्धे उपयुक्त हैं (52 प्रतिशत)।

उपर्युक्त आँकड़ों से निष्कर्ष निकलता है कि समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए वर्ग भेद न किया जाना उचित होगा। किन्तु अतीत काल से चली आ रही मन:स्थितियों को एकाएक परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस उद्देश के लिये विवेक एवं सद्भावना की आवश्यकता है।

खण्ड—घ

राष्ट्र व समाजहित में सुझावात्मक प्रश्न (सारणी 4)

खण्ड "क" में सर्वाधिक पसन्द किये गये कथन हैं—आरक्षण से वर्ग भेद को बढ़ावा, सुविधा देना, हरिजनों को अपंग बनाना (84 प्रतिशत) आरक्षण के कारण योग्य व्यक्तियों का न उभर पाना (80 प्रतिशत) देश की नींव का कमजोर होना आदि।

जो कथन सर्वाधिक न पसन्द किये गये हैं वे हैं आरक्षण अन्याय है (68 प्रतिशत) इससे हरिजनों का अपमान होता है; स्वाधीनता के 40 वर्षों बाद भी हरिजनों का स्तर पूर्ववत् है (84 प्रतिशत)।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आरक्षण से जनता एवं शिक्षक समुदाय अप्रसन्न है क्योंकि इससे उत्तरदायित्व पूर्ण पदों पर व कम योग्य व्यक्ति का चयन होता है और देश की बागडोर का दक्ष व कुशल व्यक्तियों के हाथ में होना अनिवार्य है तभी कोई राष्ट्र स्थिर व सक्षम राष्ट्र कहलाने योग्य हो सकता है।

सारणी संख्या —1 (खण्ड —क)

क्रम सं०	संक्षिप्त कथन	हाँ	नहीं
1.	शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से होना।	14%	86%
2.	शूद्र जन्म से ही होते हैं।	44%	56%
3.	द्रोणाचार्य का एकलव्य से अंगूठा माँगना उचित था।	16%	84%
4.	राम का पैर धोते निषाद का प्रिय लगना।	84%	16%
5.	कर्ण को सूतपुत्र समझकर शिक्षा से वंचित रखना	10%	90%
6.	महात्मा गाँधी का अनुसूचित जातियों को ऊपर उठाना	38%	62%
7.	समाज का ढाँचा बदलने पर ही अनुसूचित जातियों को समानता मिलना।	32%	68%
8.	ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी उचित है	20%	80%
9.	राम का शबरी का जूठा बेर खाना उचित था	82%	18%
10.	पारम्परिक धन्धों के कारण अनुसूचित जाति का विवाह आदि में पूज्य समझना उपयुक्त है।	58%	42%

सारणी संख्या—2 (खण्ड—ख)

क्रम सं०	संक्षिप्त कथन	हाँ	नहीं
1.	सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु कार्य विभाजन उपयुक्त है।	82%	18%
2.	अपने घर में अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ खेलना पसन्द है।	88%	12%

क्र०सं०	संक्षिप्त कथन	हाँ	नहीं
3.	निजी सम्बन्धियों का वैवाहिक सम्बन्ध अनुसूचित जाति के साथ करना उपयुक्त है।	18%	82%
4	अनुसूचित जाति का भोज में निमन्त्रण स्वीकार कर भोज में शामिल होना उपयुक्त है।	52%	48%
5.	अपने घर में अनुसूचित जाति के बच्चों का आना-जाना पसन्द करना।	76%	24%
6.	अनुसूचित जाति के संग लोगों का खान-पान पसन्द करना	40%	60%
7.	अनुसूचित जाति के बच्चों का पारम्परिक धन्धे में लगना उचित है।	22%	78%
8.	अनुसूचित जाति की तुलना सवर्ण जाति से नहीं होनी चाहिये।	52%	48%
9.	अनुसूचित जाति के अफसर/मित्र के घर खाना पसन्द करना	68%	32%
10.	अनुसूचित जाति के विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश से अनुशासनहीनता बढ़ना।	28%	72%

सारिणी संख्या—3

(खण्ड—"ग")

क्र०सं० संक्षिप्त कथन	हाँ	नहीं
1 —अनुसूचित जाति के लिये पारम्परिक कार्य समाजोपयोगी	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत
2—आरक्षण से अनुसूचित जातियों को विभिन्न व्यवसायों में लाना।	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
3 –सामाजिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये कार्य विभाजन उपयुक्त	74 प्रतिशत	26 प्रतिशत
4—हरिजनों के प्रवेश से कार्य उत्पादन की प्रभावकारिता का ह्रास्	18 प्रतिशत	82 प्रतिशत
5 –हरिजनों के समारोहों में सवर्ण लोगों का अल्पसंख्या में उपस्थित होना।	86 प्रतिशत	14 प्रतिशत

क्रम सं०	संक्षिप्त कथन	हाँ	नहीं
6	—बेरोजगारी की प्रमुख समस्या का एक कारण हरिजनों का पारम्परिक धन्धों से विमुख होना।	38 प्रतिशत	62 प्रतिशत
7	—सवर्णों द्वारा हरिजनों को औपचारिक एवं सैद्धान्तिक रूप से मान्यता।	46 प्रतिशत	54 प्रतिशत
8	—वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन के लिये पारम्परिक धन्धों का उपयुक्त होना।	48 प्रतिशत	52 प्रतिशत
9	—हरिजनों के लिये जीवनोपयोगी साधन सुलभ कराना सामाजिक न्याय है।	92 प्रतिशत	08 प्रतिशत
10	—कार्य की कुशलता के लिये कुशल व्यक्ति का चयन उचित है।	100 प्रतिशत	00 प्रतिशत

सारणी संख्या—4

(खण्ड—"घ")

क्र०सं०	संक्षिप्त कथन	हाँ	नहीं
1	—आरक्षण से वर्ग भेद को बढ़ावा मिलता है।	64 प्रतिशत	36 प्रतिशत
2	—आरक्षण अन्याय है इससे हरिजनों का अपमान होता है।	32 प्रतिशत	68 प्रतिशत
3	—सभी वर्गों को समान समझने का ढोल बजाना सरकारी हथकण्डा है।	56 प्रतिशत	44 प्रतिशत
4	—सुविधा देकर हरिजनों को अपंग और पराश्रयी बनाना है।	84 प्रतिशत	16 प्रतिशत
5	—स्वाधीनता के 40 वर्षों बाद ही हरिजनों का स्तर वैसे का वैसा है।	16 प्रतिशत	84 प्रतिशत
6	—आरक्षण रहित चयनित कार्यकर्त्ताओं में अधिक विवेक व निर्णय शक्ति होती है।	5 6 प्रतिशत	44 प्रतिशत

क्रम सं०	संक्षिप्त कथन	हाँ	नहीं
7	आरक्षण के कारण योग्य लोग उभर नहीं पा रहे हैं, देश की नींव कमजोर हो रही है।	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत
8	अनुसूचित जातियों को स्वरोजगार में लगे रहने हेतु प्रोत्साहन न कि आरक्षण	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत
9	अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सुविधा से प्रसन्न हैं।	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत
10	क्या अन्य लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों को समानता का समर्थन करने पर आप विरोधी विचारों पर अडिग हैं।	38 प्रतिशत	62 प्रतिशत

निष्कर्ष--

भारतवर्ष में जाति व्यवस्था का अस्तित्व अतीत काल से है। यहाँ विभिन्न जाति वर्ग के साथ भाषा, संस्कृति, धर्म रीति रिवाज ऐसी अनेकों भिन्नतायें दृष्टिगोचर होती हैं परन्तु शैक्षिक जागृति के कारण जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है, स्वतन्त्रता के उपरान्त इसे संवैधानिक तथा प्रशासनिक स्तरों पर समूल समाप्त करने का विचार किया जा रहा है। विद्यालय तथा उनमें अध्यापन करने वाला शिक्षक भी समाज व राष्ट्र का अभिन्न अंग है। अत: अपने छात्रों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति व व्यवहार विचारणीय विषय है और वर्तमान समय में अनुसूचित जातियों की समानता के स्तर पर लाने के लिये प्रदान की गयी अतिरिक्त सुविधाओं तथा आरक्षण आदि के कारण व्याप्त असन्तोष लहर से शिक्षक कितना प्रभावित हुआ है वर्तमान शोध का मुख्य बिन्दु है और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐतिहासिक धारणा खण्ड 'क' में प्राप्त प्रतिक्रियाओं से निष्कर्ष निकलता है कि सवर्ण जाति के शिक्षकों में जाति-भाव को लेकर समायी हुई संस्कार गत मान्यताओं जैसे अनुसूचित जाति को अस्पृश्य मानना घृणा का भाव आदि दृष्टिगोचर नहीं होते हैं अपितु दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा हैं जैसा कि सारिणी संख्या – 1 (कथन —5) में "कर्ण को सूतपुत्र समझकर शिक्षा से वंचित रखने का सवर्ण अध्यापकों ने भी अन्याय के रूप में देखा है तथा दूसरी ओर "राम का शबरी के जूठे बेर खाने" की प्रशंसा की है। अनुसूचित जाति व सवर्ण जाति के मध्य दूरियाँ मिटती दिखाई देती हैं अत: यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक धारणायें स्वस्थ धरातल पर बनी है वर्तमान समय में भी सवर्ण अध्यापकों का दृष्टिकोण अतीत की भाँति उदार व सद्भावना पूर्ण है।

खण्ड 'ख' में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत है कि अनुसूचित जाति के अफसर/मित्र खाना पसन्द करने का प्रतिशत 68 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जाति के विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश से अनुशासनहीनता के बढ़ने के प्रति असहमति प्रकट करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 72 प्रतिशत है तथा सारिणी सं० – 2 (कथन —2) अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ खेलना पसन्द करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 88 प्रतिशत है जिससे निष्कर्ष

निकलता है कि सवर्ण जाति के व्यक्ति में इस प्रकार का वैमनस्य अथवा द्वेष भाव नहीं है कि अनुसूचित जातियाँ ऊपर न उठने पायें बल्कि उनके साथ खानपान को बढ़ावा देकर, बच्चों को साथ-साथ खेलने देने का अवसर देकर इन्हें समानता का दर्जा देने की बात दृष्टिगोचर होती है।

तर्क-वितर्क तथा चिन्तनयुक्त प्रश्न खण्ड "ग" में है उसमें संकलित कथनों में हरिजनों के लिए जीवनोपयोगी साधन सुलभ कराने को सामाजिक न्याय मानने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 92 प्रतिशत है तथा सारिणी सं० 3 (कथन-4) हरिजनों के प्रवेश से काम उत्पादन की प्रभावकारिता का ह्रास के प्रति असहमति का प्रतिशत 82 प्रतिशत है परन्तु हरिजनों के समारोहों में सवर्ण लोगों का अल्प संख्या में उपस्थित होना सारिणी सं० 3 (कथन-5) में स्वीकारोक्ति का प्रतिशत 86 प्रतिशत रहा है जिससे निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यत: व्यक्ति संस्कारगत मान्यताओं व मूल्यों को पूर्णत: त्याग नहीं पा रहे हैं परन्तु असवर्णों के विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश को उचित तथा जीवनोपयोगी साधन सुलभ कराने को न्याय संगत मानते हैं (सारणी सं० 3 कथन-1) जो एक स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है— हरिजनों का पारस्परिक धन्धों से विमुख होने को बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानने के प्रति असहमति पूर्ण प्रतिक्रिया का प्रतिशत 62 प्रतिशत है। जिससे प्रतीत होता है कि हरिजनों के विभिन्न व्यवसायों में लगे रहने से सवर्ण वर्ग को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु साथ ही कुशल व्यक्ति का चयन (सारणी सं० 3 कथन-5) के सन्दर्भ में सहमति का प्रतिशत शत प्रतिशत रहा है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश व्यक्तियों का मानना है कि चयन का आधार गुणात्मक योग्यता होनी चाहिये। अत: बेसिक कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति पूर्वाग्रह से प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है।

राष्ट्र व समाज हित से सम्बन्धित सुझावात्मक कथन खण्ड "घ" में संकलित हैं उनसे प्राप्त प्रतिक्रियायें हैं—सारणी सं० 4 (कथन-9) में अनुसूचित जाति को दी जाने वाली सुविधाओं से प्रसन्न होने का प्रतिशत 80 प्रतिशत है, आरक्षण से वर्ग भेद को बढ़ावा मिलता है (सारणी सं० 4, कथन-2 मे सहमति का प्रतिशत 64 प्रतिशत है तथा (सारणी सं० 4 कथन-7) आरक्षण के कारण योग्य लोग उभरने नही पा रहे हैं। देश की नींव कमजोर हो रही है। सहमति का प्रतिशत 80 प्रतिशत है तथा सुविधा देकर हरिजनों को अपंग व पराश्रयी बनाया (सारणी सं० 4 कथन-4 का सहमति प्रतिशत 84 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जाति को आरक्षण के स्थान पर प्रोत्साहन प्रदान करने का समर्थन करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 80 प्रतिशत हैं। (सारणी सं० 4 कथन-8) इससे प्रतीत होता है कि सवर्ण में हरिजनों को सुविधायें प्रदान किये जाने के कारण असन्तोष व्याप्त नहीं है वरन् उन्हें पराश्रयी बनाये जाने के स्थान पर प्रोत्साहन द्वारा आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनाये जाने की सद्भावना है, देश की कमजोर होती नींव के प्रति अध्यापक सशंकित है और गुणात्मक योग्यता को ही उभरते देखना चाहता है। किसी वर्ग या जाति विशेष को नहीं जिससे व्यापक रूप से समाज व राष्ट्र के हित के लिये देश के दक्ष व कुशल व्यक्ति अपना योगदान दे सकने के अवसर पा सकें।

7

अहिन्दी भाषी प्रान्तों में द्वितीय भाषा के रूप में निर्धारित हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त शब्दावली का अध्ययन

पृष्ठभूमि—

भारतीय संविधान में राजभाषा के प्रश्न पर विचार करते हुये कहा गया है—'हिन्दी भाषा के प्रसार में वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और आठवीं सूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली व पदावली को आत्मसात करते हुये तथा जहाँ आवश्यक और वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए, उसकी समृद्धि करना संघ का कर्तव्य होगा।" —(भारतीय संविधान)

संविधान की इस मूल धारणा को समझते हुये मुदालियर कमीशन में भी "मातृभाषा शिक्षा का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है"—कहा गया है। आगे चलकर कोठारी कमीशन ने भाषा सम्बन्धी समस्या के सुधार हेतु त्रिभाषा सूत्र को अपनाने पर बल दिया, जो निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है—

(1) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।

(2) केन्द्र की राजभाषा या सहराज भाषा।

(3) एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा, जिसे नं० 1 या 2 में न लिया गया हो, और जो शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो।

इस भाषा नीति से स्पष्ट हो जाता है कि स्कूली शिक्षा में कौन-सी भाषा कब शुरू की जाय और कितने समय तक पढ़ायी जाय।

अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का शिक्षण द्वितीय भाषा के रूप में होता है। हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा है। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त के लोगों की भावनाओं को समझने के लिए हिन्दी की सामान्य जानकारी आवश्यक है। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को समझने तथा अधिकांश प्रान्तों से भावात्मक सम्बन्ध जोड़ने में

सुविधा होती है । विदेशी भाषा की अपेक्षा बालक के मानसिक विकास के लिए द्वितीय भाषा अधिक सहायक होती है, द्वितीय भाषा मातृभाषा के साथ वह सहयोजित भाषा होती है, जिसे भाषाई समुदाय का एक सदस्य होने के नाते प्रयोक्ता को सीखना पड़ता है ।

प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा—

मातृभाषा बालक की प्रथम भाषा होती है । प्रथम भाषा द्वारा बालक अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । यह सीखने में सरल और सुबोध होती है । प्रथम भाषा द्वारा अभिव्यक्ति के कौशलों को वह सहज ही सीख जाता है । द्वितीय भाषा सदैव मातृभाषा से इतर भाषा होती है । यह अन्य समुदायों से उसे जोड़ने में सहायक होती है । हिन्दीतर प्रदेशों के लिए राजभाषा हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में कार्य करती है । द्वितीय भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त नहीं होती, फिर भी कई दृष्टियों से बालक की शिक्षा में उसका अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है ।

मातृभाषा और द्वितीय भाषा सीखने की परिस्थितियों में भी अन्तर होता है । इसे सीखने के लिए बालक को विशेष प्रयास करना होता है । फिर भी द्वितीय भाषा के बिना बालक में विशिष्टता और उसके व्यक्तित्व में व्यापकता नहीं आ सकती । व्यवसाय, आर्थिक सुदृढ़ता तथा अन्तरप्रान्तीय सम्बन्धों के लिए भी यह भाषा आवश्यक है । अतः अहिन्दी भाषी प्रान्तों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन चल रहा है ।

शोध की आवश्यकता—

अहिन्दी भाषी प्रान्तों में हिन्दी शिक्षण द्वितीय भाषा के रूप में कहीं कक्षा 5 से एवं कहीं कक्षा 6 से आरम्भ होता है । द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य से भिन्न होते हैं । इसका पाठ्यक्रम भी अलग होता है । प्रथम भाषा की अपेक्षा द्वितीय भाषा को ग्रहण करना भी श्रमसाध्य होता है । अतः प्रथम भाषा की अपेक्षा द्वितीय भाषा की पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दावली अधिक सरल और सुबोध होनी चाहिये । प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा यह देखने का अवसर प्राप्त होगा कि द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त पाठ्य-पुस्तकों की शब्दावली छात्रों के स्तरानुकूल है या नहीं । कक्षा विशेष के अनुसार शब्दावली का उचित प्रयोग किया गया है या नहीं साथ ही यह भी देखा जायगा कि अहिन्दी भाषी प्रान्तों में प्रयुक्त हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों में स्तर की दृष्टि से कहाँ तक एकरूपता है ।

उद्देश्य —

1—द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण को सरल सुबोध तथा उपयोगी बनाने के लिए पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दावली का अध्ययन ।

2—प्रयुक्त शब्दावली के स्तरीय होने की जाँच करना ।

3—प्रयुक्त शब्दावली का शिक्षण की दृष्टि से मूल्यांकन करना ।

4—शब्दावली की उपयुक्तता निर्धारित करना।

5—विविध जीवन मूल्यों/सन्दर्भों से सम्बद्ध शब्दावली का तुलनात्मक मूल्यांकन।

6—विविध प्रान्तों में समान रूप से प्रचलित शब्दों की सूची तैयार करना।

7—विभिन्न स्तर पर एकरूपता स्थापित करने हेतु यदि आवश्यक हो तो सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना—

"अहिन्दी भाषी प्रान्तों में द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त पाठ्य-पुस्तकों की शब्दावली स्तरानुकूल है, किन्तु उनमें एकरूपता का अभाव है।"

परिसीमन—

1—प्रस्तुत शोध अध्ययन अहिन्दी भाषी 3 प्रान्तों (आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र) की द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों के अध्ययन तक सीमित रखा गया है।

2—उपर्युक्त तीन प्रान्तों की कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 10 के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

उपकरण—

द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हिन्दी की तीनों प्रान्तों की 15 पुस्तकें।

शोध प्रक्रिया—

शोध अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अहिन्दी भाषी प्रान्तों में (आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल) प्रयुक्त हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों के शब्द भंडार का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन के 4 पक्ष थे—शब्दों के परिणाम (बारम्बारता सहित) उनका स्तरीकरण, उपयुक्तता एवं भाषा कौशल सम्बन्धी अभ्यास। उपयुक्तता के अन्तर्गत जीवन सन्दर्भों से सम्बन्धित शब्दों को देखा गया। इन बातों की जानकारी करने हेतु उपर्युक्त तीनों प्रान्तों की हिन्दी पाठ्य पुस्तकों के शब्द भंडार का विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया गया—

(1) कुल शब्दों की संख्या (बारम्बारता सहित)

(2) सर्वोपयोगी शब्दों की संख्या।

(3) विभिन्न जीवन सन्दर्भों से सम्बन्धित शब्दों की संख्या।

(4) भाषा कौशल बढ़ाने वाले शब्दों के अभ्यास से सम्बन्धित शब्द।

उपर्युक्त अध्ययन हेतु तीनों प्रान्तों की निहित कक्षा 6 से प्रारम्भ द्वितीय भाषा के रूप में प्रमाणित पुस्तकों का अध्ययन किया गया। प्रत्येक बिन्दु हेतु पृथक-पृथक सूची तैयार की गई। शब्दों का सूचीकरण एवं गणना कर लेने के बाद उनका विश्लेषण किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण—

(1) कुल प्रयुक्त शब्द (बारम्बारता सहित) कक्षा 6 से 8 तक।

सारणी—1.1

वय वर्ग—11 से 14 वर्ष तक

प्रदेश का नाम	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	कुल प्रयुक्त शब्द	प्रति पुस्तक औसत शब्द सं०
आन्ध्र प्रदेश	56·0	692)	8830	21400	7133
महाराष्ट्र	11596	12478	13495	37569	12523
पश्चिमी बंगाल	6870	8460	10300	25630	8543.33
योग—	24116	27858	32625	84599	28199.66

शब्दों की संख्या छात्रों की पठन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बच्चे शीघ्र ही शब्दों को पहचानने लगते हैं, उनका शुद्ध उच्चारण करते हैं साथ ही उनसे ध्वनित होने वाले अर्थ को समझने लगते हैं। कुल शब्दों का तात्पर्य दो प्रकार के शब्दों से है। (1) जो एक पृष्ठ में एक बार आते हैं। (2) जो एक पृष्ठ में बारम्बार आते हैं। दोनों की सम्मिलित संख्या को कुल शब्द कहा गया है। इस प्रकार से देखने पर वय वर्ग 11 से 14 के बच्चों के लिए यह अधिकता सामान्य नहीं लगभग डेढ़ गुने से भी अधिक है। तीनों प्रदेशों की तीनों पाठ्य पुस्तकों की औसत शब्द संख्या 28199.66 है। प्रदेश की पाठ्य-पुस्तकों को देखने से ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र की तीनों पाठ्य-पुस्तकों की प्रति पुस्तक औसत शब्द संख्या 12523 है जबकि पश्चिम बंगाल की प्रति पुस्तक की औसत शब्द संख्या 8543.33 है तथा आन्ध्र की पाठ्य-पुस्तकों की प्रति पुस्तक औसत शब्द संख्या 7133 है। स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के छात्रों को आन्ध्र तथा बंगाल के छात्रों की अपेक्षा लगभग डेढ़ गुने अधिक शब्दों के पठन का अभ्यास होता है।

1.2—कुल प्रयुक्त शब्द (बारम्बारता सहित) कक्षा 9–10

सारिणी—1.2

वय वर्ग—14 से 16 वर्ष

प्रदेश का नाम	कक्षा 9	कक्षा 10	कुल प्रयुक्त शब्द	प्रति पुस्तक	औसत शब्द संख्या
आन्ध्र प्रदेश	29100	30600	59700	29850	
महाराष्ट्र	35750	36400	72150	36075	
पश्चिम बंगाल	30400	32500	62900	31450	
योग —	95250	99500	194750	64916.66	

वय वर्ग 14 से 16 के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तक में उपलब्ध कुल शब्दों की दृष्टि से भी महाराष्ट्र की पाठ्य-पुस्तक में अन्य दो प्रान्तों से अधिक शब्द हैं किन्तु यह अन्तर प्रारम्भिक कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों की तुलना में अधिक नहीं हैं। पाठों का विस्तार अधिक होने के कारण स्पष्ट है कि शब्द संख्या की दृष्टि से तीनों प्रान्तों की पाठ्य-पुस्तकों में प्राय: एकरूपता ही है। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की पुस्तकों में क्रमश: प्रति पुस्तक औसत शब्द संख्या 29850,36075 तथा 31450 है। तीनों प्रान्त की दोनों पाठ्य-पुस्तकों की औसत शब्द संख्या 64916.66 है। तात्पर्य यह है कि इन प्रदेशों में कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का अध्ययन करते हुए लगभग 65000 शब्दों का अध्ययन बारम्बारता सहित करने का अवसर पाठ्य-पुस्तक के माध्यम से मिलता है।

2.1—सर्वोपयोगी शब्दों की संख्या कक्षा 6 से 8 तक

सारिणी—2.1

वय वर्ग 11 से 14 वर्ष

प्रदेश	कक्षा	सर्वोपयोगी शब्दों की संख्या	मुहावरों की संख्या	प्रयुक्त विशेषण शब्दों की संख्या	योग	औसत शब्द संख्या
आन्ध्र प्रदेश	6	3200	—	120	3320	—
	7	4600	—	175	4775	—
	8	4850	12	340	5202	—
योग—	–	12650	12	635	13297	4432.33

महाराष्ट्र	6	4800	30	220	5050	—
	7	4735	61	325	5121	—
	8	4895	59	445	5399	—
योग—	-	14430	150	990	15570	5186
प० बंगाल	6	3604	06	178	3788	—
	7	4225	12	235	4472	—
	8	4140	22	370	4532	—
योग—	-	11969	40	783	12792	4264
महायोग—	-	39049	292	2408	41749	4638

सर्वोपयोगी शब्द का तात्पर्य उन शब्दों से है जिनका प्रयोग प्रायः सभी बच्चों को विविध परिस्थितियों में करना पड़ता है। फादर कोयइंग ने एक विश्लेषण के आधार पर चार हजार सर्वाधिक उपयोगी शब्दों की सूची बनाई थी। उनका विचार था कि चार हजार शब्द जो उनकी सूची में है उनकी बारम्बरता पुस्तकों में अधिक होती है। डा० जगन्नाथ ने दो हजार तथा तीन हजार (दो सूची में) कुल पाँच हजार की सूची तैयार की है। इनमें से केवल डा० जगन्नाथ की सूची देखने को मिली। ये शब्द कक्षा एक से पाँच तक के छात्रों के लिए है। द्वितीय भाषा की पुस्तकों के लिए इन्हें कक्षा 6, 7, 8 के लिए आधार बनाया गया। आन्ध्र प्रदेश की तीनों पुस्तकों की औसत शब्द संख्या 4432, महाराष्ट्र की पुस्तकों की औसत शब्द संख्या 5186 तथा पश्चिमी बंगाल की पाठ्य-पुस्तकों की औसत शब्द संख्या 4264 है। यहाँ देखने पर भी स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की पाठ्य-पुस्तकों में सर्वोपयोगी शब्दों की संख्या उपयुक्त है।

2.2 **सर्वोपयोगी शब्द कक्षा** 9 **से** 10 तक

सारिणी—2.2

वय वर्ग 14 से 16

प्रदेश	कक्षा	सर्वोपयोगी शब्दों की संख्या	मुहावरों की संख्या	प्रयुक्त विशेषण शब्दों की संख्या	योग	प्रति पुस्तक औसत शब्द संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9	5600	28	360	5988	—
	10	5520	32	428	5980	—
योग—	-	11120	60	788	11968	5984

महाराष्ट्र	9	6800	49	253	7102	—
	10	8360	45	364	8769	—
योग—	-	15160	94	617	15871	7935.5
प० बंगाल	9	5480	35	378	5893	—
	10	6370	42	417	6829	—
योग—	-	11850	77	795	12722	6361
महायोग—	-	38130	231	2200	40561	6760

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कक्षा 9 से 10 तक सर्वोपयोगी शब्दों की संख्या प्रारम्भिक स्तर से क्रमशः बढ़ती गयी है। आंध्र प्रदेश की पाठ्य-पुस्तकों की औसत शब्द संख्या 5984 तथा महाराष्ट्र की 7935 तथा पश्चिम बंगाल की पाठ्य-पुस्तकों में औसत शब्द संख्या 6361 है। इस स्तर पर भी महाराष्ट्र की पाठ्य-पुस्तकों में शब्दों की संख्या अन्य दो प्रान्तों की पाठ्य-पुस्तकों से अधिक है। वस्तुतः महाराष्ट्र में हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों का स्तर शब्द भण्डार की दृष्टि से अपेक्षाकृत अन्य प्रान्तों के अच्छा है। एन० सी०ई०आर०टी० के अध्ययन में कक्षा 10 तक 1600 शब्दों की सूची तैयार की गयी है। द्वितीय भाषा की पुस्तकों में स्तर के अनुसार दोनों कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों की कुल शब्द संख्या (जो सारिणी में अंकित है), सन्तोषजनक कहा जा सकता है।

2.3—पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त मुहावरों की संख्या—

पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त मुहावरों का विश्लेषण करने पर देखा गया कि आन्ध्र प्रदेश की पाठ्य-पुस्तकों में कक्षा 6, 7 की पाठ्य-पुस्तक में एक भी मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। कक्षा 8 की पाठ्य-पुस्तक में केवल 12 मुहावरे है जो नाममात्र के है। महाराष्ट्र पाठ्य-पुस्तक में 150 मुहावरे प्रयुक्त है इनमें 30-35 मुहावरे दुहराये भी गये हैं। पश्चिम बंगाल की पाठ्य-पुस्तक में मात्र 40 मुहावरे प्रयोग में आये हैं जो सारिणी संख्या 2.1 से स्पष्ट हैं।

2.4 प्रयुक्त विशेषण शब्दों की संख्या

विशेषण शब्दों की दृष्टि से भी पाठ्य-पुस्तकों में पर्याप्त विशेषण शब्द आये हैं। महाराष्ट्र की पाठ्य-पुस्तक में 990 विशेषण शब्द हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश और प० बंगाल में क्रमशः 635 तथा 783 विशेषण शब्द आये हैं। यद्यपि पुस्तकों की शब्द संख्या में विशेष अन्तर नहीं है फिर भी प्रायः अन्तर का अनुपात वही बना हुआ है। महाराष्ट्र को पुस्तकों में शब्दों की संख्या अधिक है।

3.1 —विविध जीवन मूल्यों सन्दर्भों से सम्बन्धित शब्दों की संख्या—

सारणी संख्या —3.1

वय वर्ग —11 से 14 वर्ष

कक्षा - 6 से 8 तक

क्र०सं० जीवन सन्दर्भ	आन्ध्र प्रदेश कक्षा 6 से 8	महाराष्ट्र कक्षा 6 से 8	प० बंगाल कक्षा 6 से 8	योग
1- प्राकृतिक परिवेश	185	194	89	468
2 —रंगों से सम्बन्धित	30	45	48	123
3 — कृषि सम्बन्धी	28	75	56	159
4 —पशु पक्षी जीव-जन्तु सम्बन्धी	25	80	79	214
5 — शरीर के अंग सम्बन्धी	48	60	59	167
6—घर परिवार	75	95	81	251
7—"शिक्षा एवं विज्ञान"	35	55	42	132
8—औषधि एवं स्वास्थ्य	26	46	51	123
9—सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश सम्बन्धी	212	220	196	628
10–ऐतिहासिक शब्द	35	56	48	139
11–अन्य खेलकूद यात्रा आदि	49	67	46	162
योग --	778	993	795	2566
शब्दों के आधार पर प्रतिशत	6.15	6.88	6.64	6.57

पाठ्य-पुस्तक के माध्यम से छात्रों के शब्द भण्डार की सोद्देश्य वृद्धि की जाती है किन्तु सहज ढग से प्रयास किया जाता है कि छात्र पाठों के माध्यम से ही जीवन के विविध प्रसंगों से सम्बद्ध शब्दों को समझ ले उन्हें पढ़ने तथा लिखने का अभ्यास कर लें। समृद्ध शब्द भण्डार तभी कहा जा सकता है जब उसमें विविध प्रकार के शब्द हों। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर सर्वोपयोगी शब्दों के आधार पर प्राकृतिक परिवेश, रंगों से सम्बन्धित,

कृषि सम्बन्धी, पशुपक्षी जीव जन्तु सम्बन्धी, शरीर के अंग सम्बन्धी, सामाजिक, ऐतिहासिक प्रसंगों आदि से सम्बन्धित शब्द आन्ध्र प्रदेश की पाठ्य-पुस्तक में 6.15 प्रतिशत, महाराष्ट्र की पुस्तक 6.88 प्रतिशत पश्चिम बंगाल की पाठ्य-पुस्तक में 6.64 प्रतिशत शब्द हैं। सभी पुस्तकों में प्रायः समान प्रतिशत के ही शब्द हैं।

3.2—**विविध जीवन सन्दर्भों से सम्बन्धित शब्दों की संख्या—**

सारिणी—3-2

वय वर्ग— 14 से 16 वर्ष

कक्षा —9 एवं 10

क्र०सं० जीवन सन्दर्भ	आन्ध्र प्रदेश कक्षा 9 से 10	महाराष्ट्र कक्षा 9 से 10	प० बंगाल कक्षा 9 से 10	योग
1—प्राकृतिक परिवेश	81	113	12	286
2—रंगों से सम्बन्धित	74	24	24	62
3—कृषि सम्बन्धी	25	41	36	102
4—पशु-पक्षी, जीव-जन्तु सम्बन्धी	21	46	32	99
5—शरीर के अंग सम्बन्धी	28	52	29	109
6—घर परिवार सम्बन्धी	40	57	44	141
7—शिक्षा एवं विज्ञान सम्बन्धी	101	45	56	202
8—औषधि एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी	27	42	38	107
9—सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश सम्बन्धी	293	387	185	865
10—ऐतिहासिक शब्द	40	48	46	134
11—अन्य खेल-कूद यात्रा आदि	35	25	27	88
योग —	705	881	609	2195
प्रतिशत	6.33	5.81	5.13	5.75

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कक्षा 9 तथा 10 की पाठ्य-पुस्तुतकों में आन्ध्र प्रदेश की पुस्तक में विविध जीवन मूल्यों से सम्बन्धित 6.33 प्रतिशत महाराष्ट्र की पाठ्य-पुस्तक में 5.81 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल की पाठ्य-पुस्तक में 5.13 प्रतिशत शब्द शब्द हैं। जहाँ तक जीवन मूल्यों से सम्बन्धित शब्दावली की बात है सभी पुस्तकों में समानता है किन्तु यह शब्दावली अपेक्षाकृत कम है। पशु-पक्षी, खेल-कूद, घर परिवार से सम्बन्धित कम शब्दावली है।

4-1—भाषा कौशल बढ़ाने वाले शब्दों के अभ्यास से सम्बन्धित शब्द कक्षा (6 से 8 तक)

सारणी—4-1

वय वर्ग—11 से 14 वर्ष

प्रदेश	कक्षा	पठन अभ्यास वाले शब्द	लेखन अभ्यास वाले शब्द	उच्चारण सुधारने वाले शब्द	योग
आन्ध्र प्रदेश	6 से 8	2480	1320	1250	9050
सर्वोपरि शब्दों के आधार पर प्रतिशत	—	19.60	10.43	9.88	39.92
महाराष्ट्र	,, ,,	2248	1226	1040	4514
सर्वोपरि शब्दों के आधार पर प्रतिशत	—	15.57	8.49	7.20	31.28
पं० बंगाल	,, ,,	2390	1046	980	4416
सर्वोपयोगी शब्दों के आधार पर प्रतिशत	—	19.96	8.73	8.18	36.89

पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों में पठन, लेखन एवं उच्चारण अभ्यास कराते हुए उनमें भाषिक कौशल का विकास किया जाता है। भाषिक कौशल की दक्षता बहुत कुछ पाठ्य पुस्तकों में दिये गये अभ्यास कार्य पर आधारित होती है। इस दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश की पाठ्य पुस्तक में 39.92 प्रतिशत, महाराष्ट्र की पाठ्य पुस्तक में 31.28 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल की पाठ्य पुस्तक में 36.89 प्रतिशत शब्द विविध अभ्यासों के बीच आये हैं।

विविध अभ्यासों में पठन अभ्यास के सर्वाधिक शब्द हैं। इससे स्पष्ट है कि पाठ्य पुस्तक में पठन-लेखन और उच्चारण पर विशेष बल दिया गया है। महाराष्ट्र की पुस्तक में जहाँ शब्द भंडार की दृष्टि से शब्दों की अधिकता है वहाँ अभ्यास में अपेक्षाकृत कम शब्द लिये गये हैं। अन्य पुस्तकों में अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास के शब्द हैं।

4-2—भाषा कौशल बढ़ाने वाले शब्दों के अभ्यास से सम्बन्धित शब्द कक्षा (9 से 10 तक)

सारणी—4-2

वय वर्ग—14 से 16 वर्ष

प्रदेश	कक्षा	पठन अभ्यास वाले शब्द	लेखन अभ्यास वाले शब्द	उच्चारण सुधारने वाले शब्द	योग
महाराष्ट्र	9-10	2944	1780	800	5524
सर्वोपयोगी शब्दों के आधार पर प्रतिशत	—	26.47	16.00	7.19	49.67
आन्ध्र प्रदेश	,, ,,	3265	1546	660	5451
सर्वोपयोगी शब्दों के आधार पर प्रतिशत	—	21.53	10.19	4.48	36.22
प० बंगाल	,, ,,	2774	1238	740	4752
सर्वोपयोगी शब्दों के आधार पर प्रतिशत	—	23.40	10.44	6·24	40.10

वय वर्ग 14 से 16 वर्ष के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास सम्बन्धित प्रश्नों की उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अभ्यास के सर्वाधिक प्रश्न महाराष्ट्र की पुस्तक में 49.67 प्रतिशत है जब कि आन्ध्र तथा प० बंगाल की पुस्तकों में क्रमश: 36.22 तथा 40.10 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की पाठ्य पुस्तक में प्रारम्भिक कक्षाओं की अपेक्षा माध्यमिक वर्ग के छात्रों के लिए अधिक अभ्यास कार्य दिये गये है जो उस स्तर के अनुकूल हैं। इसी अनुपात में आन्ध्र प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में भी होना चाहिए।

5—पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त वर्तनी—

पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त वर्तनी सम्बन्धी मानक बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है किन्तु किंचित् असमानता भी है।

1—उत्तर प्रदेश की वर्णमाला में 'क्त' का प्रयोग अब नहीं होता पर महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश के मानक में अभी उसे दिया जा रहा है।

2—"अ" तथा "ख" "ल" "झ" "छ" के मानक हमारे प्रदेश में अनुकूल ही है।

3—उत्तर प्रदेश में "त्र" लिखा जाता है। पर इस पुस्तकों में 'त्र' रूप ही चल रहा है।

4—अनुस्वार का सर्वत्र प्रयोग किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश की पुस्तक में प वर्ग तथा त वर्ग में पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है।

5—बिना पाई वाले वर्णों को दूसरों से संयुक्त करने पर हलन्त का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे मानक के अनुसार ही है यद्यपि हमारे प्रदेश में पूर्व प्रचलित रूप ही अभी चल रहा है पर उन प्रान्तों की पाठ्य पुस्तकों में उनका पूर्णतया पालन किया जा रहा है। यथा द्‌वारा-द्वारा, मिट्‌टी-मिट्टी, वृद्‌ध-वृद्ध आदि अपने यहाँ दोनों रूप अभी चलते हैं जबकि मानक प्रथम रूप ही है।

6—वाह्यवरण चित्र एवं छपाई—

वाह्य, चित्र एवं मुद्रण आदि की दृष्टि से महाराष्ट्र की पुस्तकें अधिक आकर्षक हैं।

निष्कर्ष—

1—द्वितीय भाषा की शब्दावली अपेक्षाकृत सरल और सुबोध होती है फिर भी शब्द भंडार की वृद्धि पर पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विशेष बल दिया जाता है। स्तरानुकूल शब्द भंडार की दृष्टि से तीनों प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में उपर्युक्त मात्रा में शब्द है किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से बारम्बारता के आधार पर गिने गये शब्दों के आधार पर महाराष्ट्र की पाठ्य पुस्तक में अधिक शब्द हैं।

2—पाठ्य पुस्तक के आधार पर महाराष्ट्र के छात्रों को अधिक शब्द ज्ञान सुलभ होने का अवसर मिलता है।

3—पुस्तकों की औसत शब्द संख्या 28199 है जो उपर्युक्त है। 14 से 16 वय वर्ग की पाठ्य पुस्तकों की कुल शब्द का औसत संख्या 65000 है, जो स्तर के अनुकूल ही है।

4—सर्वोपयोगी या सर्व प्रचलित शब्दों की दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर प्रति पुस्तक औसत शब्द संख्या आन्ध्र प्रदेश में मानक से कुछ कम है। पर महाराष्ट्र में मानक से अधिक शब्द हैं। बंगाल की पाठ्य पुस्तक में भी मानक से कुछ कम शब्द है। किन्तु यह कमी नाम-मात्र की है।

5—कक्षा 9-10 की पाठ्य पुस्तकों में सर्वोपयोगी शब्दों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई है। जो स्तर के अनुसार उपयुक्त है।

6—सर्वोपयोगी शब्दों की औसत शब्द संख्या महाराष्ट्र की पाठ्य पुस्तकों में अन्य दो प्रान्तों से अधिक है।

7—मुहावरों एवं विशेषण शब्दों की दृष्टि से पर्याप्त शब्दावली है किन्तु आन्ध्र प्रदेश की कक्षा 6, 7 की पाठ्य पुस्तकों में एक भी मुहावरा नहीं कक्षा 8 में भी मात्र 12 मुहावरे हैं।

8 विविध जीवन मूल्यों से सम्बन्धित शब्दावली का प्रयोग है, पर इनकी संख्या अपेक्षाकृत और होनी चाहिए थी।

9—भाषा कौशल की बढ़ाने शब्दों के अभ्यास की दृष्टि से इन पाठ्य पुस्तकों में पर्याप्त अभ्यास है। फिर भी लेखन अभ्यास के कम अवसर हैं।

10—वय वर्ग 14-16 की पाठ्य पुस्तकों में महाराष्ट्र की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास अन्य दो प्रान्तों की पाठ्य पुस्तकों से अधिक पुष्ट एवं भाषिक कौशल प्रेरक है।

11—मानक वर्तनी की दृष्टि से इन पाठ्य पुस्तकों में उत्तर प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों के कतिपय मानकों को छोड़कर अन्य मानकों का समान प्रयोग किया गया है। हमारे यहाँ "त्र" चलता है पर उनमें 'त्र" का प्रयोग होता है।

12—वाह्यवरण, मुद्रण, चित्र आदि की दृष्टि से महाराष्ट्र की पाठ्य पुस्तक का अधिक आकर्षक है।

उपर्युक्त निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि शोध की परिकल्पना प्रायः सही प्रतीत होती है कि पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दावली स्तरानुकूल है। किन्तु महाराष्ट्र, आन्ध्र तथा बंगाल की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दावली संख्या सर्वोपयोगी शब्द संख्या, अभ्यास, मुद्रण आदि की दृष्टि मे एकरूपता का अभाव है।

————

8

प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों में सुलेख के प्रति बढ़ती उदासीनता के कारणों का अध्ययन तथा उसके निवारण हेतु सुझाव

पृष्ठ भूमि—

लिखना एक कला है। प्रत्येक कला में निरन्तर अभ्यास से कुशलता प्राप्त होती है आरम्भ में मनुष्य ने जब ध्वनि प्रतीकों के रूप में लिपि या वर्णमाला का आविष्कार किया तो वे कुछ चित्र या रेखाओं के विविध रूपों में थे धीरे-धीरे उनमें काट-छाट तथा सुधार आता गया और मनुष्य की कलात्मक वृत्ति ने उसे सुन्दर आवृति प्रदान कर दी।

छपाई या मुद्रण कला के विकास के पूर्व हमारा साहित्य हस्तलिखित रूप में ही उपलब्ध था। एक पीढ़ी उसे हस्तलिखित रूप में ही भावी पीढ़ी को सौंपने का प्रयास कर रही थी इसलिए आवश्यक था कि लेख, स्वच्छ स्पष्ट और सुन्दर रूप में लिखा जाय। आज भी संस्कृत, हिन्दी, प्राकृत तथा अरबी, फारसी के प्राचीन हस्तलेख जयपुर, हैदराबाद, तथा दिल्ली के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। किन्तु मुद्रण कला के विकसित होने के बाद भी सुन्दर हस्तलेख का महत्व बराबर बना हुआ है। शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा आधुनिक परीक्षा प्रणाली में जहां व्यक्ति अपनी सारी भावाभिव्यक्ति अपने हस्तलेख में ही प्रस्तुत करता है, वहां सुलेख का महत्व पहले से कई गुना बढ़ गया है।

नागरी वर्णमाला संसार की समस्त लिपियों में अपनी सिरोरेखा और सुडौल आकृतियों के कारण अत्यन्त वैज्ञानिक और सुष्ठु लिपि मानी जाती है। विद्यालयों में नागरी लिपि की सुडौल आकृति को ध्यान में रखते हुए तथा स्पष्ट और सुन्दर लेखन के महत्त्व को समझते हुई बच्चों के लेख सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। इसके लिए अध्यापक पृथक से छात्रों के लेखन-अभ्यास पर विशेष ध्यान देते रहे हैं पर छात्र संख्या वृद्धि के कारण शिक्षक और शिक्षार्थी के सम्बन्धो में जैसे-जैसे ह्रास आता गया अध्यापकों ने छात्रों के सुलेख पर ध्यान देना छोड़ दिया परिणामत: अध्यापकों में सुलेख के प्रति उदासीनता की वृद्धि हुई है।

आवश्यकता—

आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों तथा अध्यापकों में सुलेख के प्रति बढ़ रही उदासीनता के कारणों का पता लगाया जाय तथा उन्हें दूर कर छात्रों से सुलेख के प्रति विशेष आकर्षण किया जाय। आज की परीक्षा प्रणाली में "सुलेख" परीक्षकों से अधिक अंक दिलाने में सहायक होता है। कभी-कभी तो सुलेख के अभाव में बच्चों को बहुत कम अंक मिलते हैं। सुलेख का अर्थ केवल सुन्दर लेखन से नहीं वरन स्वच्छ एवं स्पष्ट लेखन से है, अतः स्वच्छता एवं स्पष्टता के अभाव में बच्चों की लिखित भावाभिव्यक्ति परीक्षक या शिक्षक तक सम्प्रेषित नहीं हो पाती पत्रादि के लिखने में भी सुलेख का विशेष प्रभाव पड़ता है। सुलेख कभी अर्थ का अनर्थ भी कर देता है। बच्चे लिखित रूप में जो कहना चाहते हैं, वह नहीं कह पाते या फिर जितना कहना चाहते हैं, वह भी त्वरित लेखन के अभाव में नहीं कर पाते। अध्यापक उनमें सुधार लाने का प्रयत्न भी नहीं करते।

ऐसी स्थिति में शोध द्वारा विद्यालयों में सुलेख की वर्तमान स्थिति तथा उसके प्रति बरती जाने वाली असावधानियों का पता लगाना तथा उन असावधानियों के कारणों का निवारण करना आवश्यक है, ताकि छात्र अपने सुष्ठु लेखन द्वारा अपना लिखित भावाभिव्यक्ति को अधिक प्रभावपूर्ण बना सकें।

उद्देश्य—प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(1) प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के हस्तलेख सुधार की वास्तविक स्थिति का आकलन करना।

(2) सुलेख के प्रति अध्यापकों की अवधारणा का पता लगाना।

(3) सुलेख के प्रति अध्यापकों की बढ़ती उदासीनता के कारणों का पता लगाना।

(4) उदासीनता के कारणों का निवारण करना।

(5) छात्रों की लिखित भावाभिव्यक्ति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाना।

परिकल्पना—

(1) प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में सुलेख के प्रति अनुदिन उदासीनता बढ़ रही है।

(2) उचित निर्देशन एवं प्रेरणा का अभाव है सुलेख के प्रति अध्यापकों की उदासीनता का प्रमुख कारण है।

परिसीमन—

प्रस्तुत अध्ययन वाराणसी तथा सुल्तानपुर जनपद के दस विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालय के 200 छात्रों और 30 प्रधानाध्यापक तथा 20 प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों पर आधारित हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 4 तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 के छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं का निरीक्षण किया गया।

उपकरण—

(1) प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के 200 छात्र/छात्राओं की सुलेख पुस्तिकाएं।

(2) 50 छात्र/छात्राओं द्वारा लिखाये गये सुलेख के नमूने।

(3) प्रश्नावली I—छात्रों के लिए।

(4) साक्षात्कार अनुसूची। प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय प्रति उपनिरीक्षकों के लिए।

कार्य विधि—

[1] नीचे लिखे छात्र समूह की 200 सुलेख पुस्तिकाओं की जाँच की गई तथा न्यादर्श का चयन किया गया—

सारणी—1

	प्राथमिक विद्यालय		पूर्व माध्यमिक विद्यालय		योग
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
ग्रामीण क्षेत्र—	80	40	20	10	150
नगर क्षेत्र—	20	10	10	10	50
योग—	100	50	30	20	200

कुल 10 विद्यालय की छात्र/छात्राओं की पुस्तिकाओं का चयन क्रमबद्ध न्यादर्शन (सिस्टैमैटिक सैम्पलिंग) द्वारा किया गया है।

[2] प्रश्नावली का प्रयोग निम्नलिखित समूह पर किया गया है। इनके चयन में याच्छिक न्यादर्श विधि का उपयोग किया है।

सारिणी—2

	पुरुष
प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक स्तर	30
प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका	20
योग	50

[3] न्यादर्श के लिए चुनी गयी पुस्तिकाओं से सम्बन्धित 200 छात्रों में से 50 (30 + 20) छात्र-छात्राओं द्वारा स्वयं बोलकर श्रुत लेख लिखवाया गया। उनसे प्राप्त नमूनों का लेखन गति एवं एक शुद्ध लेखन की दृष्टि से विश्लेषण किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण —

सारिणी — 3

बच्चों के सुलेख का वर्गीकरण — (विवरण प्रतिशत में)

क्षेत्र	सुन्दर एवं आकर्षक लेख	औसत लेख	भद्दा एवं अनाकर्षक लेख	योग प्रतिशत
ग्रामीण	30	50	20	100
नगर	20	46	34	100
योग	25	48	27	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल छात्रों में से केवल 25 प्रतिशत छात्रों के लेख सुन्दर एवं आकर्षक एवं कोटि में आते हैं। 48 प्रतिशत छात्रों के लेख सामान्य या औसत कोटि के हैं। 27 प्रतिशत लेख भद्दे, अनाकर्षक और अपठनीय हैं। सुन्दर और असुन्दर लेख का अनुपात प्राय: बराबर है। कुल मिलाकर सुलेख का स्तर सामान्य औसत ही कहा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में नगरीय छात्रों की अपेक्षा सुलेख के प्रति अधिक सजगता है। सामान्य स्तरीय सुलेख की दृष्टि से भी ग्रामीण छात्रों की स्थिति अच्छी है। बालक तथा बालिकाओं के लेख में उल्लेखनीय अन्तर नहीं मिला।

सारिणी —4

2—कत कटी कलम तथा पेन/पेंसिल का प्रयोग—

(सभी आँकड़े प्रतिशत में हैं)

क्षेत्र	कत कटी कलम का प्रयोग	पेन/पेंसिल का प्रयोग	योग
ग्रामीण	88%	12%	100%
नगर	30%	70%	100%
योग—	59%	41%	100%

स्पष्ट है कि कत कटी कलम का प्रयोग जहाँ पहले सभी छात्र अनिवार्य रूप से करते थे और अध्यापक उस पर ध्यान रखते थे अब केवल 59 प्रतिशत छात्र ही उसका प्रयोग करते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा कत कटी कलम का प्रयोग अधिक छात्र करते हैं । नगरीय क्षेत्र में 70 प्रतिशत छात्र पेन और पेंसिल का प्रयोग करते हैं । ग्रामीण क्षेत्र में भी पेन का प्रयोग किया जाने लगा है किन्तु अभी उनका प्रतिशत केवल 12 है । फिर भी स्पष्ट है कि ग्रामीण छात्रों में पेन/पेंसिल के प्रयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है । नगरीय क्षेत्र में भी 30 प्रतिशत छात्र कत कटी कलम का प्रयोग करते हैं । किन्तु अध्यापकों से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि नगरीय क्षेत्र में कत कटी कलम का प्रयोग करने वाले छात्र प्राय: वे ही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आये हैं ।

पूर्व माध्यमिक स्तर के 50 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच पर मिला कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राय: छात्र कत कटी कलम का प्रयोग करते हैं । वहीं नगरीय क्षेत्र में प्राय: सभी छात्र पेन तथा पेंसिल का प्रयोग करते हैं ।

सारिणी — 5

3—सीधी तथा तिरछी लिखावट—

	सीधी लिखावट	तिरछी लिखावट	योग
बालक	86	14	100
बालिका	79	21	100
योग—	82.5	17.5	100

82.5 प्रतिशत छात्रों की लिखावट सीधी हैं । जबकि 17.5 प्रतिशत छात्र-छात्राओं द्वारा तिरछी लिखावट में लिखे जाते हैं । बालकों की तुलना में लड़कियों में तिरछी लिखावट की प्रवृत्ति अधिक है । हो सकता है यह उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति की सूचक हो । पर तिरछी लिखावट की प्रवृत्ति छात्र और छात्राओं दोनों में मिलती है । तिरछी लिखावट को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये ।

4 —वर्ण, शब्दों एवं वाक्यों के बीच उचित दूरी —

सारणी—6

	उचित दूरी पर ध्यान दिया गया	उचित दूरी पर ध्यान का अभाव	योग
बालक	37	63	100
बालिका	43	57	100
योग—	40	60	100

वर्णों से वर्णों के बीच एक पाई और शब्द से शब्द के बीच एक वर्ण के बराबर दूरी होनी चाहिये। वाक्य से वाक्य के बीच दो वर्णों के एक शब्द की दूरी रखी जाती है। बच्चों के लेख के विश्लेषण में देखा गया कि केवल 40 प्रतिशत बच्चे उचित दूरी पर ध्यान रखकर लिखते हैं किन्तु 60 प्रतिशत छात्रों का अभ्यास सही नहीं है। बालकों की तुलना में बालिकाओं के लेख में दूरी के प्रति सावधानी अधिक है। दूरी का ध्यान अभ्यास पर निर्भर होता है। यदि अध्यापक ध्यान देकर बच्चों के लेख में सुधार करते रहे तो बच्चों को उचित दूरी पर ध्यान रखकर लिखने का अभ्यास सहज ही हो जायेगा।

सारणी—7

5—पुस्तिकाओं में हाँसिये पर ध्यान —

	ऊपर नीचे और बाईं ओर हासिये पर ध्यान	केवल ऊपर और बाईं ओर के हासिये पर ध्यान	योग
बालक	35.3	64.6	100
बालिका	45.7	54.4	100
योग प्रतिशत—	39	61	100

हासिया छोड़कर लिखना सुलेख के लिए आवश्यक होता है। यह हासिया पुस्तिका के ऊपरी भाग पर बाईं

ओर तथा नीचे छोड़ा जाता है । इस दृष्टि से 39 प्रतिशत छात्र-छात्रायें ही तीनों हाशियों पर ध्यान रखकर लिखने के अभ्यस्त दिखाई पड़े । 61 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के लेख में हासिये पर उचित ध्यान नहीं था । इनके द्वारा नीचे का हासिया उपेक्षित रहा ।

6—अध्यापकों द्वारा सुलेख का संशोधन—

सारणी—8

	उपयुक्त रीति से संशोधित लेख जिनका अभ्यास बच्चों द्वारा किया गया	असंशोधित लेख कामचलाऊ ढंग से संशोधित	संशोधित किन्तु बच्चों द्वारा न सुधारे गये लेख	योग
बालक	42	16	42	100
बालिका	34	53	13	
योग प्रतिशत—	39	29	32	100

उत्तर पुस्तिकायें अध्यापकों द्वारा तीन रूप में संशोधित मिलीं । संशोधन के साथ द्वारा उचित ढंग से लिखकर अभ्यास रूप में दुहराने का निर्देश दिया गया था और छात्रों में उसका अभ्यास भी किया था । 2—असंशोधित लेख या काम चलाऊ ढंग से संशोधित जिसमें केवल सही का निशान अंकित था अशुद्धियों का निर्देश नहीं था न अभ्यास कराया गया था । 3—वे लेख जो अध्यापक द्वारा सुधारे गये थे न छात्रों ने उसे सुधारा था न अध्यापकों ने उसे पुन: देखा ही था । 39 प्रतिशत लेख उचित रूप में संशोधित थे । 29 प्रतिशत लेख उपेक्षापूर्ण ढंग से संशोधित थे । 32 प्रतिशत लेख संशोधित तो थे पर बच्चों ने उसे सुधारा नहीं था । बच्चों द्वारा न सुधारे गये लेख में बालकों का प्रतिशत बालिकाओं से लगभग तीन गुना अधिक है । इसमे सुलेख के प्रति बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा अधिक असावधानी दिखाई पड़ती है ।

7—लेखन जाति एवं शुद्ध लेखन परीक्षण—

सुलेख का तात्पर्य लेखन में केवल सुन्दर वर्णाकृति के प्रयोग से ही नहीं है । वर्ण विन्यास की दृष्टि से सुन्दर दिखायी पड़ने बाला लेख यदि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से भरा है और नियमित गति से नहीं लिखा गया है या अपूर्ण रह गया है तो उसे किसी भी प्रकार सुलेख नहीं कहा जा सकता । अत: छात्रों के लिखने की गति को समझने के लिए 50 बच्चों (30 बालक 20 बालिकाओं) से श्रुत लेख बोलकर लिखवाया गया और प्राप्त नमूने का विश्लेषण किया गया ।

सारणी—9

लेखनगति एवं शुद्ध लेखन	बालक	बालिका	आंकड़े प्रतिशत में योग
1—लेख जो निर्धारित समय में परे किये और शुद्ध वर्तनी में लिखे गये	36.6	25	32
2—लेख जो अधूरे रह गये और जिसमें वर्तनी सम्बन्धी अधिक त्रुटियाँ मिलीं ।	43.4	35	4C
3—लेख जो अपूर्ण थे किन्तु वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियाँ नहीं थी ।	20	40	28
योग—	100	100	100

कुल 32 प्रतिशत छात्र/छात्राओं ने श्रुत लेख में बोले गये खण्ड को निर्धारित समय में पूरा कर लिया तथा शुद्ध वर्तनी के साथ लिखा । निर्धारित समय में पूर्णतः शुद्ध लिखने में बालकों का प्रतिशत बालिकाओं से अधिक है । निश्चित है कि बालिकाएँ बालकों की अपेक्षा धीमी गति से लिखती है । समय में पूरा न करने तथा अशुद्ध लिखने वाले छात्र 40 प्रतिशत थे । इसमें लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से कम है स्पष्ट है कि शुद्ध लेखन में लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में हैं किन्तु अपूर्ण लेख लड़कियों के ही अधिक रहे । श्रुत लेख शुद्ध गति और शुद्ध वर्तनी में लिखने वाले छात्र केवल एक तिहाई भर हैं । इससे भी सुलेख के प्रति अध्यापकों की अच्छी अभिरुचि का परिचय नहीं मिलता ।

सुलेख के प्रति अध्यापकों की अभिरुचि

पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 30 अध्यापकों और 20 प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों से सुलेख के सम्बन्ध में अध्यापकों की वर्तमान मनः स्थिति या उनकी अभिरुचि को जानने का प्रयास किया गया । परीक्षण निम्नलिखित रहा—

(सभी आँकड़े प्रतिशत में हैं)

	प्रधानाध्यापक				प्रति उप वि० नि०			योग	
	हाँ	नहीं	अनुत्तर	योग प्रतिशत	हाँ	नहीं	अनुत्तर	हाँ नहीं	अनुत्तर
1—क्या आप अनुभव करते हैं कि आज का प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक सुलेख के प्रति उदासीन है	40%	43.4%	6.6	100	45%	50%	5%	42+52+6	100%
2—क्या सुलेख के प्रति उदासीनता के लिए आप अध्यापक को ही पूर्ण जिम्मेदार मानतें हैं	30%	66.6%	3.4%	100	55%	40%	5%	40+56+4	100%

42 प्रतिशत प्रधानाध्यापक और निरीक्षक अनुभव करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों में सुलेख के प्रति उदासीनता है। किन्तु 52 प्रतिशत मानते हैं कि अध्यापकों में उदासीनता नहीं है। 42 प्रतिशत लोगों का विचार है कि सुलेख के प्रति उदासीनता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अध्यापक का नहीं है। 56 प्रतिशत लोग अध्यापक को ही उत्तरदायी न मानकर अन्य लोगों को भी दोषी मानते हैं। स्पष्ट हैं कि संख्यात्मक दृष्टि से 60 प्रतिशत लोग उसकी उदासीनता स्वीकार करते हैं। इससे स्पष्ट हैं कि अध्यापकों में सुलेख के प्रति उदासीनता अवश्य है। यह बात दूसरी है कि इसका पूर्ण दारोमदार अध्यापक पर ही नहीं है।

निष्कर्ष

सुलेख के प्रति उदासीनता के कारण—

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्यापकों में सुलेख के प्रति पहले जैसी तत्परता नहीं रह गयी है। वैसे अब भी बहुत से अध्यापक ऐसे हैं, जो सुलेख पर विशेष ध्यान रखते हैं, पर अध्यापकों की नई पीढ़ी में सुलेख के प्रति वह सावधानी, वह सजगता और तत्परता नहीं है, जिसकी सुलेख के लिए विशेष आवश्यकता है। प्रधानाध्यापकों और प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों से लिए गये साक्षात्कार में प्राप्त विचारों के विश्लेषण से निम्नलिखित कारण सामने आये हैं—

[1] कक्षा एक में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण अध्यापक उन पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं देते।

[2] कलम पकड़में तथा उनसे लिखने के अभ्यास की कमी है।

[3] अधिकांश अध्यापकों का हस्तलेख स्वयं ही अच्छा नहीं है।

[4] सुलेख के लिए निरीक्षकों की ओर से विशेष प्रोत्साहन का अभाव है।

[5] कत कटी कलम के प्रयोग पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।

[6] अध्यापक कलम ठीक करने के लिए प्राय: अपने पास एक चाकू हमेशा रखते थे अब वह प्रचलन समाप्त हो रहा है।

[7] सुलेख और अनुलेख अभ्यास का नियमित पालन नहीं किया जा रहा है।

[8] सुलेख प्रतियोगिताएं प्राय: कम होती जा रही है।

[9] कलम से तख्ती पर लिखने की अपेक्षा अध्यापक पेन और पेंसिल से कापी पर लिखना अधिक पसन्द करते हैं।

[10] अध्यापक पब्लिक स्कूलों की पेन और पेंसिल से लिखने की परम्पराओं से प्रभावित हो रहे हैं।

[11] निरीक्षकों द्वारा सुलेख पर पृथक से टिप्पणी बहुत कम ही की जाती है।

[12] सुलेख के सम्बन्ध में अध्यापकों को अलग से निर्देश या प्रोत्साहन बहुत कम दिये जाते हैं।

[13] छात्रों को स्वयं उत्तर पुस्तिकाएँ बदल कर परस्पर संशोधन कराया जाता है। इससे अध्यापक अपने कर्तव्य के प्रति धीरे-धीरे असावधान होते जा रहे हैं।

[14] प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य गण समय-समय पर सुलेख का निरीक्षण कर उसके लिए अध्यापकों को प्रेरित करने का काम अपेक्षाकृत बहुत कम करते हैं। केवल 28 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के द्वारा प्रश्न पर पर सकारात्मक उत्तर दिया गया।

[15] सुलेख अभ्यास पुस्तिकाओं का प्रचलन प्राय: समाप्त हो गया है। केवल 22 प्रतिशत विद्यालयों में सुलेख की अभ्यास पुस्तिकाएँ व्यवस्थित रूप में मिलीं।

9

छात्रों की हिन्दी सम्बन्धी सामान्य भूलों का अध्ययन माध्यमिक स्तर

1—आवश्यकता—

छात्रों द्वारा भाषा सम्बन्धी भूलें मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के समय की जाती है मौखिक अभिव्यक्ति में जहाँ उच्चारण सम्बन्धी भूलें की जाती हैं वहीं लिखित अभिव्यक्ति में वाक्य रचना, वर्तनी, शब्द संयोजन आदि की भूलें होती हैं। शुद्ध भाषा प्रयोग की उचित जानकारी वाक्य रचना के सही ज्ञान पर ही पूर्णरूपेण आधारित है। भाषा शिक्षण में निरन्तर यह प्रयास बना रहना चाहिये कि बालक शुद्ध वाक्य रचना करता रहे। आधुनिक सन्दर्भ में छात्र प्राय: बोलने एवं लेखन में अत्यधिक भूलें करते रहते हैं। अध्यापकों के समक्ष उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं के सशोधन एवं परिमार्जन की गम्भीर समस्या बनी हुई है। फलत: प्रस्तुत शोध के माध्यम से उन सम्पूर्ण भूलों की खोज की जायेगी जिनके कारण माध्यमिक स्तर के छात्रों की वाक्य रचना अशुद्ध एवं प्रभावहीन हो जाती है।

2—उद्देश्य —

(1) भाषा के लिखने एवं बोलने में अपनाई जाने वाली विशेष सावधानियों से छात्रों एवं अध्यापकों को सुपरिचित कराना।

(2) छात्रों में सही वाक्य रचना हेतु अभिरुचि उत्पन्न करना।

(3) छात्रों द्वारा की गई भूलों की खोज करके उन भूलों के कारणों का पता लगाकर उनके निराकरण हेतु उपाय ढूंढ़ना।

3—परिकल्पना—

छात्रों द्वारा की गई वाक्य रचना, व्याकरण वर्तनी आदि भाषागत त्रुटियों का समाधान अध्यापकों द्वारा उचित समय पर नहीं किया जाता।

5—परिसीमन—

प्रस्तुत शोध अध्ययन वाराणसी गाजीपुर जनपद के चार विद्यालयों के 9, 10, 11, 12 के 200 छात्रों तक सीमित किया गया है।

6—कार्यविधि—

(क) न्यादर्श—माध्यमिक स्तर के 200 छात्रों तथा 20 अध्यापकों से प्रदत्तों का चयन किया गया। 100 छात्र ग्रामीण तथा 100 छात्र नगर क्षेत्र के थे।

(ख) उपकरण—

(1) छात्रों के लिए प्रश्नावली।

(2) अध्यापकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची।

(3) छात्रों की अभ्यास पुस्तिकायें।

(ग) समय सारिणी—

(1) प्रारूप प्रेषण—1991

(2) प्रदत्तों का संकलन—सितम्बर से नवम्बर 1991 तक

(3) प्रदत्तों का विश्लेषण—दिसम्बर 1991 तक

(4) निष्कर्ष लेखन—जनवरी 1992

(5) आख्या, टंकण एवं प्रेषण—फरवरी मार्च 1992

शोध-प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध के सफल सम्पादन हेतु सर्व प्रथम कुछ प्रश्नों का निर्माण छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर किया गया। इसका आधार "गद्य गरिमा" को रखा गया। सम्पूर्ण प्रश्नों के उत्तर कक्षा 11 व 12 के छात्रों से प्राप्त किये गये। प्रश्न पत्र पर ही उत्तर देने हेतु प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तु परक एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों का स्वरूप निश्चित किया गया। प्रस्तुत शोधपरक प्रश्नावली के अन्तर्गत भाषा के यथासम्भव प्रत्येक बिन्दुओं पर अति लघु आकार में ही निर्मित किया गया। तदनन्तर उन्हें चक्रमुद्रित कराया गया।

परीक्षण हेतु विद्यालय नेशनल इण्टर कालेज, कासिमाबाद, गाजीपुर राजकीय सिटी इण्टर कालेज का चयन किया गया। कक्षा 11 व 12 दोनों कक्षाओं का परीक्षण इन्हीं विद्यालयों के छात्रों पर किया गया। प्रयास इस बात का किया गया कि सभी स्तर के छात्र इसमें आ जायँ। विज्ञान एवं कला वर्ग के छात्रों का समवेत परीक्षण किया गया।

उक्त परीक्षण विद्यालयों में स्वयं उपस्थित रहकर सम्पन्न किया गया। प्रश्न पत्र का कुल निर्धारित समय 45 मिनट तथा पूर्णाङ्क 30 निश्चित था। प्रश्नों के उत्तर लिखने के पूर्व आवश्यक निर्देश स्पष्ट रूप से अंकित कर दिये गये। छात्रों को एकान्त रूप से शान्त रहकर उत्तर लिखने आदेश दिया गया था तथा भ्रमात्मक स्थितियों के निराकरण हेतु स्पष्ट आदेश लिखित तथा मौखिक पहले ही दे दिये गये थे। छात्रों को उत्तर लिखने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया था। सम्पूर्ण परीक्षण शोध कर्ता एवं विषयाध्यापक की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

प्राप्त उत्तरों को संकलित किया गया। तदनन्तर उनका परीक्षण किया गया। मूल्यांकन करते समय बिन्दुवार त्रुटियों को ध्यान में रखा गया। त्रुटियों को ध्यान में रखा गया। त्रुटियों का वर्गीकरण करने के पश्चात् शोध के उद्देश्य के सापेक्षिक महत्व को दृष्टिगत करते हुए उन त्रुटियों का विश्लेषण आगे किया गया है।

तदनन्तर निष्कर्ष एवं सुझाव के प्रकरण पर क्रमागत विचार विमर्श किया गया है। सुझाव छात्रों एवं अध्यापकों दोनों को ही दिये गये हैं। इन सुझावों से अपेक्षा की गयी है कि इन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिससे त्रुटियों का भविष्य में निवारण हो सकेगा।

(1) भाषागत सामान्य भूलों का विश्लेषण—

(क) स्वतन्त्र भाव प्रकाशन।
(ख) शब्दार्थ
(ग) समास
(घ) वाक्य प्रयोग
(ङ) प्रत्यय
(च) उपसर्ग

(2) वर्तनीगत त्रुटियाँ—

(क) लिपि एवं मात्रा सम्बन्धी भूलें।
(ख) मानक वर्तनी सम्बन्धी भूलें।
(ग) वर्तनी सम्बन्धी सामान्य त्रुटियाँ।

(3) वाक्य सम्बन्धी भूलें—

(क) पदक्रम सम्बन्धी भूलें।
(ख) वचन एवं लिंग सम्बन्धी त्रुटियाँ।
(ग) शब्द एवं उनके प्रयोग सम्बन्धी भूलें।

(4) विराम चिह्न एवं समस्त पद विषयक भूलें।

(5) निष्कर्ष एवं सुझाव।

(6) उपसंहार।

क्रम 1 पर ग्रामीण स्थित विद्यालयों के छात्र तथा क्रम 2 पर नगर स्थिति छात्रों का विवरण प्रस्तुत है।

(क) स्वतन्त्र भाव प्रकाशन

	क्रम	स्तर के अनुकूल न लिखने वाले	शुद्ध लिखने वाले	त्रुटिपूर्ण लिखने वाले
नगर—	1—	25	10	15
देहात—	2—	20	15	15

स्वतन्त्र भाव प्रकाशन के अन्तर्गत 15 अगस्त तथा 26 जनवरी के महत्व पर पाँच पंक्तियाँ लिखने का निर्देश दिया गया था। परन्तु छात्रों का हृदय विचार शून्य दिखलायी पड़ा। ऐसा लगता है कि उनका हृदय भावरस से परिपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय पर्वों के महत्व पर उनका मन कौंध न जाय, तथा स्वरचित पंक्तियों में पाँच वाक्य का न लिखा जाना आश्चर्य है। भाषा की सरलता, सरसता तथा मधुरता का प्रश्न तो अलग है महत्व का पूर्ण ज्ञान भी छात्रों को नहीं था।

छात्रों द्वारा प्राप्त उत्तर यह सिद्ध करता है कि लिखने, समझने, मनन करने का अवसर छात्रों को या तो मिलता ही नही है या मिलता है तो उसका भरपूर उपयोग नहीं किया गया है। भाषा अध्ययन के अन्तर्गत इस बिन्दु पर गंभीरता से मनन करना नितान्त अनिवार्य है।

(ख) शब्दार्थ

(1) निसर्गसिद्ध—प्रकृति से प्राप्त।

क्रम	स्तर के अनुकूल न लिखने वाले	शुद्ध लिखने वाले	त्रुटिपूर्ण अर्थ लिखने वाले
1—	20	15	15
2—	24	16	10

त्रुटिपूर्ण उत्तर—

जिसकी सिद्धि सफल न हो, स्वयं सिद्ध, कार्यों की सिद्धि, भारतीय साहित्य की विशेषताएँ, सुषमा, सर्वत्र सिद्ध हुआ।

इस प्रकार का उत्तर लिखने वाले छात्र को यह ज्ञान है कि इसका अर्थ सौन्दर्य से नहीं बल्कि सिद्धि से मिलता हैं। पाठ का नाम भी छात्र ने लिखा है। ऐसा लगता है कि शब्दार्थ का ज्ञान प्रसंग के अन्तर्गत नहीं कराया गया है। साथ ही कोशगत अर्थ का ज्ञान भी छात्रों को नहीं के बराबर है।

प्राप्त होना, बेकार सिद्धि प्राप्त करना, विसर्ग, सुषमा, जीवन की शुद्धि अर्थ पूर्णत: अशुद्ध है। मानसिक शक्तियों को प्रयोग में न लाकर मनमाने ढङ्ग पर ये लिखे गये उत्तर हैं।

(ग) समास—

घात-प्रतिघात—द्वन्द्व समास

क्रम	स्तर के अनुकूल न लिखने वाले	शुद्ध लिखने वाले	त्रुटिपूर्ण लिखने वाले
1—	20	25	5
2—	25	15	10

त्रुटिपूर्ण उत्तर—

द्वन्द समास, द्विगु समास, द्वन्द्व समास, द्ववन्द समास

इस प्रकार उत्तर देने वाले छात्रों का सामान्य स्तर अत्यधिक असंतोष-जनक है। वर्तनी तथा समास की मूल परिभाषा का ज्ञान शून्य है। अध्यापन के समय इन प्रकरणों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया है। समास की वर्तनी का अशुद्ध होना तो नितांत ही आपत्तिजनक है। प्रारम्भिक कक्षाओं से समास का ज्ञान कराया जाता है। कक्षा 11 व 12 में "द्ववन्द समास" लिखा जाना घोर निराशाजनक है।

नगर के छात्रों का उत्तर कुछ ठीक है। परन्तु पूरे शब्दों के पहचान में उन्हें भी पूरी सफलता नहीं मिली है। वसन्तश्री आदि शब्दों में समास की सही पहचान नहीं हो पायी है। वैसे इस प्रकरण पर अपेक्षाकृत सफलता छात्रों को मिली है। द्वन्द्व तत्पुरुष एवं बहुब्रीहि समासों की पहचान ठीक ही है।

(घ) वाक्य प्रयोग—

जागरूक, अभिराम, नश्वर, समन्वय

"भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है।"

"जागरूक राष्ट्र के निवासी अपने कर्तव्य पालन में सचेष्ट रहते हैं।"

स्तर के अनुकूल न लिखने वाले	शुद्ध लिखने वाले	त्रुटिपूर्ण लिखने वाले
10	25	15
10	30	10

शब्दों को स्वरचित वाक्यों में प्रयोग करना था। यह वाक्य-प्रयोग सामान्यत: ठीक रहा है। परन्तु स्तर के अनुकूल वाक्य प्रयोग नहीं रहा जो वाक्य प्रयोग किये गये हैं उनसे पता चलता है कि वाक्य प्रयोग का अभ्यास बिल्कुल नहीं है।

सुबह का समय अभिराम होता है।
नम्रता ही देश को महान बनाता है।।

ये वाक्य प्रयोग स्तर के अनुकूल नहीं हैं। अधिकांश छात्रों ने शब्दों के मूल शब्दों का अर्थ नहीं समझा है। अत: वाक्य प्रयोग सही नहीं हो सका है।

(ङ) **प्रत्यय**—

घुमक्कड़, बुद्धिमान, संयमी, मानवता

घुमक्कड़—(घूमन + अक्कड़, घुमक्कड़)

बुद्धिमान—(मत्) मान् = मान

संयमी—ई

मानवता—ता

स्तर के अनुकूल न लिखने वाले	शुद्ध लिखने वाले	त्रुटिपूर्ण लिखने वाले
20	15	15
20	20	10

घुमक्कड़ में पूछे गये प्रत्यय का स्पष्टीकरण 90% छात्रों ने नहीं किया है। अधिकांश ने इस शब्द का अर्थ लिख दिया है। कुछ ने घु + मक्कड़, घूमक्क-ड़ लिखा है। जया, क ड़, घुमना, बहुत, ही, अक्, प्रत्ययों, घु, घुमने वाला उत्तर पूर्णत: गलत है।

अन्य शब्दों के लिये भी प्राय: अधिक त्रुटियाँ हैं। छात्रों को मूल शब्द तथा प्रत्यय का ज्ञान शून्य के बराबर है। इससे ज्ञात होता है कि अध्यापन के समय इन प्रकरणों की सर्वथा उपेक्षा की गयी है। अधिकांश छात्रों ने शब्दों का अर्थ लिखने का प्रयास किया है जो त्रुटिपूर्ण है तथा स्तर के अनुकूल नहीं है। प्रत्यय का ज्ञान शब्दों के पूर्ण ज्ञान के लिये अनिवार्य है।

(च) उपसर्ग

नीरोग—निर् + रोग, नि:

अभियोग—अभि + योग

प्रतिनिधि—प्रति + निधि

संग्रह—सम् + ग्रह

स्तर के अनुकूल न लिखने वाले	शुद्ध लिखने वाले	त्रुटिपूर्ण लिखने वाले
15	20	15
15	25	10

त्रुटिपूर्ण उत्तर—

नी:, नि:, निअ, नीति, नीर्, नी:, नीरा।

उपर्युक्त उत्तरों में नी, नी:, नीरा लिखने वाले छात्र सही उत्तर के समीप हैं। परन्तु उन्हें मूल शब्द एवं प्रत्यय का ज्ञान शून्य है। छात्रों के प्राप्त उत्तर से यह सिद्ध होता है कि पूर्व ज्ञान भी इन प्रकरणों पर शून्य है। पूर्व कक्षाओं में भी इन प्रकरणों पर अत्यधिक अभ्यास कराने हेतु अभ्यास प्रश्न दिये गये हैं जिनकी घोर उपेक्षा की गई है। मूल शब्द में उपसर्गों के जुड़ने से पड़ने वाले प्रभाव का श्रीगणेश ही नहीं कराया गया है जिसके कारण इन भूलों की अधिकता पायी जाती है।

अभियोग—अभि + योग

स्तर के अनुकूल न लिखने वाले	शुद्ध उत्तर देने वाले	त्रुटिपूर्ण उत्तर देने वाले
15	25	10
10	30	22

अशुद्ध उत्तर—

अ + भियोग, अभियो + ग, अभि, योग।

अभि प्रत्यय और योग उपसर्ग है। ये सभी उत्तर त्रुटिपूर्ण हैं। अभि को अलग कर लिखने वाले छात्रों के उत्तर कुछ ठीक हैं। परन्तु शब्द के बाद में उपसर्ग को लिखने वाले छात्रों का स्तर एवं ज्ञान घोर आपत्तिजनक हैं क्योंकि उपसर्ग एवं प्रत्यय शब्द के पूर्व एवं बाद में जुड़कर मूल शब्द में परिवर्तन किस प्रकार कर लेते हैं इसका परिपक्व ज्ञान नहीं है।

प्रतिनिधि — प्रति + निधि

स्तर के अनुकूल लिखने वाले	शुद्ध उत्तर लिखने वाले	त्रुटिपूर्ण उत्तर देने वाले
10	30	10
15	35	10

अशुद्ध उत्तर—

प्रति प्रत्यय निधि उपसर्ग, प्रतिनि + ध, प्र + तिनिधि, प्रति, प्रति उपसर्ग प्रत्यय नि, ये सम्पूर्ण उत्तर गलत हैं। इनमें सभी उत्तर = मूल उपसर्ग एवं ज्ञान के अभाव के कारण अशुद्ध हैं। मूल उपसर्ग का ज्ञान इस स्तर पर भी नहीं के बराबर है।

संग्रह = सम् + ग्रह। सम् का म् अनाचार हो गया।

स्तर के अनुकूल न लिखने वाले	शुद्ध उत्तर लिखने वाले	अशुद्ध उत्तर देने वाले
15	20	30
10	25	15

सं + ग्रह, स + आग्रह, सं, संग, स, संस आदि उत्तर उपसर्ग की पहचान में अंशतः सफल हैं। शेष उत्तर बिल्कुल अशुद्ध हैं। मूल शब्द एवं उपसर्ग का ज्ञान नहीं के बराबर हैं।

(क) वर्तनीगत त्रुटियाँ—

वर्णों की आकृति एवं बनावट में कतिपय परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों की सम्यक जानकारी भी

अधिकांश छात्रों को नहीं है। मानक वर्णों के मानक स्वरूप की जानकारी लिखने के अभ्यास द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया। ख, भ, धन इन सम्बन्धी त्रुटियाँ अत्यधिक हैं। इन पर सम्यक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मात्रा सम्बन्धी त्रुटियाँ भी अत्यधिक पायी गई हैं। ह्रस्व, दीर्घ का प्रयोग अनावश्यक रूप में किया गया है। मात्रा को पूर्ण आकार में प्रस्तुत भी नहीं किया गया है।

छात्रों ने शिरो रेखा का प्रयोग भी नहीं किया है। इस प्रकार की त्रुटि का इस स्तर पर बना रहना उचित नहीं है। शिरोरेखा के अभाव में लिपि की वैज्ञानिकता नष्ट हो जाती है। शिरोरेखा के अभाव में अर्थ में महान परिवर्तन हो जाता है। यथा —धन–घन, भर–मर। अध्यापक इस ओर विशेष ध्यान दें।

(ख) मानक वर्तनीगत त्रुटियाँ—

हिन्दी में संयुक्ताक्षर के नियम पूर्णतः स्पष्ट है। इसकी लिपि के अन्तर्गत तीन प्रकार के वर्ण है। यथा मध्य में खड़ी पाई, आगे खड़ी पाई तथा पाई विहीन वर्ण। संयुक्ताक्षर में वर्णों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। शुण्डिका हटाकर, पाई हटाकर संयुक्ताक्षर करने सम्बन्धी अभ्यास की भी बड़ी आवश्यकता है।

चन्द्रबिन्दु तथा अनुस्वार की भी त्रुटियाँ देखने में आती हैं। शब्दों के बहुवचनान्त अ, आ, ए के साथ चन्द्रबिन्दु का प्रयोग न होकर बिन्दु का प्रयोग ही होता है, जैसे नदियां, चिड़ियां तथा एक वचन में चन्द्रबिन्दु का ही प्रयोग होता है जैसे—आँख, मुँह।

शुद्ध उच्चारण, अभ्यास, सुलेख, शुद्धिकरण तथा अशुद्धि को इंगित न करना वर्तनीगत त्रुटियों का मूल कारण है। त्रुटियों के संशोधन का प्रयास करना चाहिये।

(ग) वर्तनी सम्बन्धी सामान्य त्रुटियाँ—

तत्त्व/तत्व

तत् में त्व प्रत्यय के लगने से तत्त्व हुआ।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
15	20	15
15	25	10

रचयिता/रचियता

रच् धातु, ईयान् प्रत्यय के लगने से रचयिता हुआ।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
10	20	20
10	30	10

अनुग्रहीत/अनुगृहीत

अनु उपसर्ग ग्रह् धातु से अनुगृहीत बनता है ।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
10	30	10
10	25	15

पूजनीय/पूज्यनीय

पूज् धातु—अनीयर् प्रत्यय से बना है ।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
20	15	15
15	20	15

वाक्य सम्बन्धी त्रुटियाँ—

पदक्रम—क्रिया

हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं । हमारे शिक्षक प्रश्न करते है ।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
10	25	15
10	25	5

प्रश्न के साथ "करना" क्रिया का प्रयोग किया जाता है।

इस समय आपकी आयु चालीस वर्ष है / इस समय आपकी अवस्था चालीस वर्ष है।

अवस्था का प्रयोग यहाँ सार्थक है क्योंकि "आयु" समस्त जीवन-काल और "अवस्था" साधारण वय या उम्र को कहते हैं।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
10	25	15
8	30	12

मेरा नाम आनन्द कुमार है / मेरा नाम श्री आनन्द कुमार है।

अपने नाम के पूर्व या अन्त में विशेषण का प्रयोग नहीं होता है। अपने नाम के पूर्व या अन्त में क्रमशः श्री एवं जी लगाना अहंकार और शिष्टाचारहीनता का परिचय देना है।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
20	20	10
10	35	5

मुझे बस पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है / मुझे बस पकड़ने के लिए भागना पड़ता है।

"दौड़ना" साधारण अर्थ में और "भागना" भय या आशंका के कारण भागने के अर्थ में लिया जाता है। यहाँ भागना प्रयोग सार्थक नहीं है।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
15	30	5
10	35	5

लिंग वचन एवं क्रिया सम्बन्धी—

राम और सीता वन को जा रहीं थी / रहे थे।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
5	25	20
5	30	15

अशुद्ध उत्तर—

इस वाक्य में द्वन्द्व समास तथा विभिन्न लिंगों के कर्ता होने के कारण क्रिया बहुवचन तथा पुलिंग में होती है। इसका रही थी रूप गलत है।

मैंने पुस्तक, कागज, कलम और दवात मोल लिए / ली।

यदि वाक्य में एक वचन के व एक ही लिंग के कई कर्म एक साथ होने पर यदि क्रिया को कर्म के अनुसार रखना अपेक्षित हो तो क्रिया कर्म के लिंगानुसार तथा एक वचन में होती है। अत: बहुवचन की क्रिया का प्रयोग 'लिए' अशुद्ध है।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
15	20	15
10	30	10

राम ने मिठाई खाई / खाया।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
10	30	10
5	35	10

कर्ता यदि "ने" विभक्ति से युक्त हो तो क्रिया कर्म के लिंग वचन का अनुसरण करती है। अत: क में "मिठाई" के अनुसार क्रिया "खाई" होगी। "खाया" रूप गलत है।

कृष्ण और सुभद्रा भाई-बहन थीं / थे।

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
10	25	15
10	30	10

द्वन्द्व समास वाले भिन्न लिंगों के कर्ता होने पर क्रिया पुलिंग बहुवचन होगी । अतः "थीं" अशुद्ध है ।

विराम-चिह्न एवं प्रश्न वाचक चिह्न की त्रुटि --

विराम-चिह्न (प्रथम स्थान)

नहीं लिखे	शुद्ध	अशुद्ध
15	20	15
10	20	20

प्रश्नवाचक चिह्न की त्रुटि—

अंकित नहीं किये	शुद्ध	अशुद्ध
15	15	20
10	25	15

अन्त को मुझसे न रहा गया मैं चिल्ला उठा आनन्द आनन्द कहाँ है आनन्द हाय तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गँवाया बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दुहराया किन्तु मेरी आन्तरिक प्रकृति स्तब्ध थी अतएव मुझे आश्चर्य हुआ पर उसी समय ब्रह्माण्ड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा क्या कभी आपने आप में भी देखा था मैं अवाक् था ।

अन्त को मुझसे न रहा गया । मैं चिल्ला उठा आनन्द, आनन्द कहाँ है आनन्द !! हाय ! मेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गँवाया । बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दुहराया, किन्तु मेरी आन्तरिक प्रकृति स्तब्ध थी । अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ । पर उसी समय ब्रह्माण्ड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा— क्या कभी आपने आप में भी देखा था ? मैं अवाक् था ।

कुछ छात्रों ने विराम चिह्न का प्रयोग किया है जो गलत है। अल्प विराम का प्रयोग तो नितान्त अशुद्ध है। प्रश्नवाचक चिह्न का निर्धारण भी छात्र नहीं कर सके हैं। छात्रों के उत्तरों में अल्प विराम व पूर्ण विराम का मनमाने ढंग से प्रयोग हुआ है। समस्त पद एवं प्रश्नवाचक चिह्न पर कुछ का ही ध्यान गया है। इसका मूल कारण अभ्यास न करना है।

निष्कर्ष एवं उपसंहार—

छात्रों के उत्तरों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि स्वतंत्र भाव प्रकाशन का स्तर भी संतोषप्रद नहीं है। पाठ्य-पुस्तक के अन्तर्गत आये शब्दों के अर्थ व वाक्य-प्रयोग में पर्याप्त अशुद्धियों का पाया जाना उनकी असावधानी का सूचक है। वाक्य रचना एवं वर्तनी की सामान्य त्रुटियां भी अत्यधिक हैं। शब्द सम्पदा के विस्तार में उपसर्ग एवं प्रत्यय का विशेष योगदान है। अधिकांश छात्रों को प्रत्यय का ज्ञान शून्य है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेद जनक है। छात्रों को विविध पक्षों तथा साहित्य के अन्यान्य बिन्दुओं का भी ज्ञान नहीं है। शब्द कोश देखना, पुस्तकालय में पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों के अध्ययन का संस्कार भी नहीं है।

अध्यापन एवं मूल्यांकन के समय व्याकरण के अंश पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जो नहीं हुआ है। विराम चिह्नों तथा वाक्य रचना के विविध सोपानों का ज्ञान भी नहीं है। इसकी उपेक्षा ठीक नहीं है। अतः व्याकरण का पक्ष उपेक्षित न रखा जाय। त्रुटियों का मूल कारण अभ्यास का न होना तथा प्रभावी कक्षा शिक्षण का न होना है।

सुझाव—

(1) भाषिक अभिव्यक्ति के दो रूप हैं—लिखित और मौखिक। इन दोनों पर ध्यान दिया जाय। किसी एक की उपेक्षा से छात्रों का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है।

(2) लिखित कार्य का अत्यधिक स्थान इस स्तर पर भी रखा जाय। गृह कार्य व कक्षा कार्य का मूल्यांकन करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाय।

(3) छात्रों की सहज अभिव्यक्ति को विकसित करने हेतु विद्यालय में साहित्य परिषद का गठन किया जाय तथा उसके अन्तर्गत विद्वानों के प्रवचन कराये जायँ।

(4) अध्यापन के समय विविध पाठों के अन्तर्गत प्रसंगानुकूल छात्रों की रूचियों का ध्यान तथा उनका परिष्कार भी किया जाय। शब्द-सम्पदा में निरन्तर वृद्धि हेतु कुछ नवीनता का ध्यान अवश्य ही रखा जाय।

(5) विद्यालय में प्रकाशित पत्रिका के माध्यम से छात्रों को लिखित कार्य की ओर उन्मुख किया जाय। उत्तम निबन्धों पर पुरस्कार की की व्यवस्था हो तो अत्यधिक अच्छा हो।

(6) गद्य एवं पद्य पाठों में प्रयुक्त सूक्तिपरक पंक्तियों को कंठाग्र करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय । उनको लिखने तथा प्रयोग करने की रूचि भी पैदा की जाय ।

(7) व्याकरण के विविध पक्षों की ओर अध्यापन के समय ही प्रश्न पूछकर अभ्यास कराया जाय । पाठ में आये अभ्यास प्रश्नों को भी हल करने हेतु कहा जाय ।

(8) पाठ पढ़ाते समय अध्यापक को मनोविज्ञान के अद्युनातन सिद्धान्तों का उपयोग करना चाहिए । छात्रों की साहित्यिक रूचियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि अपनाने हेतु भी विवश किया जाय ।

(9) गद्य शिक्षण में प्रत्येक पाठ का शिक्षण एक समान नहीं रखना चाहिए । समीक्षात्मक पाठों एवं भावनात्मक निबन्धों में भेद रखा जाय । रेखाचित्र, संस्मरण एवं रिपोर्ताज के पढ़ाने का ढंग भी अलग-अलग हो ।

10

प्रारम्भिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) के छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा का अध्ययन

(1) पृष्ठभूमि—

बच्चों में विभिन्न प्रकार के सृजन की क्षमता आरम्भ से ही होती है किन्तु यह क्षमता सभी बच्चों में समान हो, ऐसी बात नहीं है। यदि छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा का अध्ययन कर उन्हें उपयुक्त दिशा प्रदान की जाय तथा उनकी क्षमता को विकसित करने के लिए विशेष अवसर प्रदान किये जाय तो निश्चय ही आगे चलकर वे अपनी सर्जनात्मक क्षमता का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक स्तर (मुख्यतः कक्षा 6 से 8 तक) के छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा का अध्ययन किया जाय और उन्हें उपयुक्त दिशा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये जायं ताकि छात्रों की प्रतिभा का उपयोग राष्ट्रहित में किया जा सके।

(2) उद्देश्य—

(1) प्रारम्भिक स्तर के छात्रों की सर्जनात्मक क्षमता का पता लगाना।

(2) सर्जनात्मक क्षमता को विकसित करने वाले कारणों का पता लगाना।

(3) छात्रों की सर्जनात्मक क्षमता के विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारणों का पता लगाना तथा उनका समाधान प्रस्तुत करना।

(3) परिकल्पना—

विद्यालय में छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा को विकसित करने हेतु उन्हें विशेष अवसर प्रदान नहीं किया जाता है जिससे वे अपनी सर्जनात्मक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

(4) परिसीमन—

प्रस्तुत शोध अध्ययन वाराणसी जनपद के कक्षा 6 से 8 तक के 100/छात्र-छात्राओं तक सीमित किया गया है।

(5) कार्य विधि—

(क) न्यादर्श का चयन—सर्व प्रथम वाराणसी जनपद के ग्रामीण अंचल में स्थित जूनियर हाई स्कूल, महराजगंज विकास क्षेत्र औराई तथा नगर में स्थित राजकीय आदर्श विद्यालय वाराणसी के 100 छात्र/छात्राओं का चयन किया गया।

(ख) उपकरण—

(1) सर्जनात्मक प्रतिभा के अध्ययन हेतु कक्षा 6 से 7 एवं 8 के छात्रों के लिए प्रश्नावली।

(2) अध्यापकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची।

(3) छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाएँ।

(ग) प्रदत्तों का संग्रह—

प्रदत्तों के संग्रह हेतु छात्रों के लिए प्रश्नावली, अध्यापकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची तथा छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं का सहारा लिया गया।

प्रस्तुत शोध के सम्पादन के लिए छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर कक्षा 6, 7 और 8 के लिए सामान्य प्रश्नावली का निर्माण किया गया। प्रश्न पत्र पर ही उत्तर लिखने की दृष्टि से वस्तु परक एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों का चयन किया गया। सर्जनात्मक प्रतिभा को संकेतित करने वाले भाषागत प्रश्नों को भी प्रश्नावली में स्थान दिया गया। छात्र/छात्राओं की संख्या 100 रखी गयी।

परीक्षण ग्रामीण अंचल में स्थित जूनियर हाई स्कूल महाराजगंज विकास क्षेत्र-औराई तथा नगर में स्थित राजकीय आदर्श विद्यालय वाराणसी जाकर किया गया। प्रश्नों को हल करने हेतु निर्देश यथा समय दे दिया गया। परीक्षण अध्यापक की उपस्थिति में किया गया। छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा को जानने के लिए अध्यापकों से साक्षात्कार अनुसूची भरवायी गयी तथा कतिपय मौखिक जानकारी प्राप्त की गयी। कुल 30 अध्यापकों (15 नगर 15 ग्रामीण) से साक्षात्कार किया गया। छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं का भी परीक्षण किया गया। उत्तरों के संकलन के पश्चात उनका मूल्यांकन किया गया।

छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा का विवरण

तालिका संख्या—1

क - छात्रों के सामान्य ज्ञान का विवरण

प्रश्न/विषय संकेत	ग्रामीण: कुल छात्र संख्या	उत्तर नहीं लिखे	उत्तर अशुद्ध लिखे	उत्तर शुद्ध लिखे	उत्तर शुद्ध लिखने वालों का प्रतिशत	नगर: कुल छात्र संख्या	नहीं लिखे	अशुद्ध लिखे	शुद्ध लिखे	शुद्ध लिखने वालों का प्रतिशत
(1 छात्र की सम्बन्धित कक्षा	50	--	—	50	100	50	—	--	50	100
(2) छात्र की जन्म तिथि	50	—	42	08	16	50	40	—	10	20
(3) छात्र का जनपद	50	--	--	50	100	50	50	—	—	100
(4) हिन्दी पाठ्य-पुस्तक का नाम	50	02	01	47	94	50	—	—	50	100
(5) पाठ्य-पुस्तक के कुल पाठों की संख्या	50	30	10	10	20	50	15	15	20	40
(6) पाठ्य-पुस्तक में कुल पद्य पाठों की संख्या	50	40	01	09	18	50	37	04	09	18
(7) हिन्दी पद्य की पंक्तियां	50	25	10	15	30	50	23	07	20	40

तालिका संख्या-2

ख—छात्रों की रुचि का विवरण

छात्र	संख्या	मौखिक अभिव्यक्ति	प्रतिशत	कहानी लेखन	प्रतिशत	कविता का पद्य रचना	प्रतिशत	निबन्ध लेखन	प्रतिशत	कहानी की पूर्ति	प्रतिशत	शीर्षक चयन	प्रतिशत
ग्रामीण	50	10	20	--	—	—	—	9	18	—	—	10	10
नगर	50	14	28	--	—	02	—	12	24	01	02	11	22

तालिका संख्या—3

ग—अध्यापकों के प्रयासों का विवरण (छात्रों से प्राप्त उत्तर के आधार पर)

छात्र संख्या	कहानी लेखन का अवसर दिया जाना	कविता लेखन का अवसर दिया जाना	सुलेख का अभ्यास कराया जाना	हस्त लिखित पत्रिका आयोजन किया जाना	बाल सभा का आयोजन किया जाना
ग्रामीण 50	—	—	40	—	45
नगर 50	05	—	50	—	45

तालिका संख्या— 4

घ—छात्रों में स्वेच्छया कार्य करने की प्रवृत्ति

छात्र संख्या	कहानी लेखन	प्रतिशत	कविता लेखन	प्रतिशत	निबन्ध लेखन	प्रतिशत	चुटकुले का लेखन	प्रतिशत	सुलेख का अभ्यास	प्रतिशत
ग्रामीण 50	—	—	—	—	30	60	05	10	50	100
नगर 50	02	04	04	08	45	90	03	06	50	100

तालिका संख्या—5

ङ—विषय अध्यापकों द्वारा छात्रों के लिखित कार्य की जांच

(छात्रों से प्राप्त उत्तर के आधार पर)

छात्र संख्या	अध्यापक लिखित कार्य की जाँच करते हैं	प्रतिशत	जाँच कभी-कभी करते हैं	प्रतिशत	जाँच नहीं करते हैं	प्रतिशत
ग्रामीण 50	30	60	18	36	02	04
नगर 50	28	56	21	42	01	02

तालिका संख्या —6

च —घर पर अध्ययन करने वाले छात्र

छात्र संख्या	अध्ययन नहीं करते	प्रतिशत	अध्ययन कभी-कभी करते हैं	प्रतिशत	अध्ययन नियमित करते हैं	प्रतिशत
ग्रामीण 50	10	20	25	50	15	30
नगर 50	—	—	10	20	40	80

तालिका संख्या—7

छ —घर पर अध्ययन न करने का कारण

छात्र संख्या	अध्ययन में मन नहीं लगता	प्रतिशत	विषय समझ में नहीं आता	प्रतिशत	पढ़ाने वाला नहीं है	प्रतिशत	प्रेरित करने वालों की कमी	प्रतिशत	साधनों की कमी
ग्रामीण 50	04	08	01	02	03	06	—	02	04
नगर 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—

तालिका संख्या—8

ज—अध्यापकों से साक्षात्कार के पश्चात प्राप्त विवरण

ज—सर्जनात्मक प्रतिभावान छात्रों को उत्प्रेरित करने हेतु अध्यापकों द्वारा किया जाने वाला प्रयास

प्रयास करने का विषय	ग्रामीण अध्यापकों की संख्या 15	प्रतिशत	नगर प्रयास करने वाले अध्यापकों की संख्या 15	प्रतिशत
कहानी लिखने का अवसर	—	—	10	66
कविता लिखने हेतु प्रेरणा	—	—	12	80

सुलेख का अभ्यास	15	100	15	100
रोचक कविता का चयन	05	33	10	66
हस्तलिखित पत्रिका का लेखन	—	—	—	—
बाल सभा का आयोजन	15	100	15	100
अभिनय	10	66	15	100
प्रतियोगिता का आयोजन	15	100	15	100

तालिका संख्या —9

झ —छात्रों में सर्जनात्मक प्रतिभा की झलक का रूप

अध्यापक संख्या		प्रतिभा का स्वरूप						
		मौखिक भावाभिव्यक्ति	कहानी लेखन	कविता की रचना	निबन्ध लेखन	अधूरी कहानी की पूर्ति	शीर्षक चयन	कविता, कहानी की प्रशंसा की क्षमता
ग्रामीण	15	12	—	02	15	02	10	04
नगर	15	13	—	04	15	03	13	06

तालिक संख्या—10

अ—प्रतिभावान छात्रों का प्रतिशत (अध्यापक की आख्या द्वारा)

अध्यापक संख्या		प्रतिभावान छात्रों का प्रतिशत	अध्ययन क्षमता वाले छात्रों का प्रतिशत
ग्रामीण	15	18	35
नगर	15	20	40

7—प्रदत्तों का विश्लेषण—

प्राथमिक स्तर के छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा का अध्ययन करने हेतु कक्षा 6-7 और 8 के छात्रों से सामान्य प्रश्नावली भरवायी गयी। प्रश्नावली के मूल्यांकन के फलस्वरूप छात्रों की प्रतिभा का पता चला जो इस प्रकार है—

(1) **छात्रों का सामान्य ज्ञान**—जैसा कि तालिका संख्या–1 से स्पष्ट होता है कि छात्रों के सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने की दृष्टि से प्रश्नावली में 7 अति सामान्य प्रश्न दिये गये थे। ग्रामीण क्षेत्र के 16 प्रतिशत तथा नगर क्षेत्र के 20 प्रतिशत छात्रों को अपनी जन्म तिथि की जानकारी है शेष को नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के 6 प्रतिशत छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम ज्ञान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के केवल 20 प्रतिशत छात्रों को तथा नगर के 40 प्रतिशत छात्रों को अपनी पाठ्य-पुस्तक के पाठों की संख्या ज्ञात है। दोनों छात्रों के केवल 18 प्रतिशत छात्र पद्य पाठों की संख्या का संकेत दे सके। ग्रामीण और नगर क्षेत्र के क्रमशः 30 और 40 प्रतिशत छात्र हिन्दी पद्य की शुद्ध पंक्तियां लिख सके। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगर क्षेत्र के छात्रों के सामान्य ज्ञान का स्तर ऊँचा है।

(2) **छात्रों की रूचि का परिचय**—छात्रों की रूचि की अध्ययन करने की दृष्टि से यह पूछा गया-गया था कि मौखिक भावाभिव्यक्ति कहानी लेखन कविता का पद्य रचना, निबन्ध लेखन अधूरी कहानी की पूर्ति सटीक शीर्षक चयन आदि में से किसमें आपकी विशेष रूचि है तालिका संख्या–2 से स्पष्ट है कि ग्रामीण और नगर क्षेत्र के क्रमशः 20 और 23 प्रतिशत छात्रों मौखिक भावाभिव्यक्ति में रूचि रखते है निबन्ध लेखन में 18 और 24 प्रतिशत, शीर्षक रचना में 10 और 22 प्रतिशत छात्र विशेष रूचि लेते हैं। नगर क्षेत्र में 4 प्रतिशत छात्र पद्य रचना में रूचि लेते हैं। तथा 2 प्रतिशत छात्र अधूरी कहानी की पूर्ति में रूचि लेते हैं। कहानी लेखन में दोनों क्षेत्र के छात्रों का प्रतिशत शून्य रहा। नगर क्षेत्र के छात्रों में अध्ययन के प्रति विशेष रूचि है।

(3) **सर्जनात्मक प्रतिभा को**—उत्प्रेरित करने हेतु, अध्यापकों द्वारा किया गया प्रयास छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा को उत्प्रेरित करने हेतु अध्यापक के प्रयासों का अध्ययन करने की दृष्टि से प्रश्नावली द्वारा छात्रों से प्रश्न किये गये और यह ज्ञात किया गया कि कक्षा में अध्यापक किस प्रकार का प्रयास करते हैं।

तालिका संख्या—3 में ग्रामीण और नगर क्षेत्र के अध्यापकों के प्रयासों का परिचय छात्रों से प्राप्त उत्तर के आधार पर सूचित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक छात्रों को कहानी तथा कविता लेखन का अवसर नहीं देते हैं जब कि नगर क्षेत्र के 10 प्रतिशत अध्यापक उक्त के प्रति सचेष्ट रहकर प्रयास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 80 और नगर क्षेत्र के 100 प्रतिशत अध्यापक सुलेख का अभ्यास कराते हैं। बाल सभा के आयोजन का प्रतिशत दोनों क्षेत्र में बराबर है। हस्त लिखित पत्रिका का प्रतिशत दोनों क्षेत्र का शून्य रहा।

(4) **छात्रों में स्वेच्छया से कार्य करने की प्रवृत्ति**-तालिका संख्या 4 के अवलोकन से छात्रों में स्वेच्छया कार्य करने की प्रवृत्ति का पता चलता है। नगरीय छात्रों में स्वतः अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक हैं।

(5) **विषयाध्यारकों द्वारा छात्रों के लिखित कार्य की जांच**—छात्रों से प्राप्त उत्तर के आधार पर तालिका संख्या—5 से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के 60 प्रतिशत अध्यापक छात्रों के लिखित कार्य की जाँच करते हैं किन्तु 36 प्रतिशत अध्यापक जाँच का कार्य कभी-कभी करते हैं। नगर क्षेत्र के 56 प्रतिशत अध्यापक लिखित कार्य का नियमित परीक्षण करते हैं। तो 42 प्रतिशत अध्यापक कभी-कभी करते हैं। दोनों क्षेत्र के अध्यापकों के लिखित कार्य के परीक्षण का प्रतिशत लगभग बराबर है।

(6) **घर पर अध्ययन करने वाले छात्र**– 6 से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के 20 प्रतिशत छात्र घर पर अध्ययन नहीं करते है। 50 प्रतिशत छात्र कभी-कभी अध्ययन करते है और 30 प्रतिशत छात्र निमित अध्ययन करते

हैं । नगर क्षेत्र के 20 प्रतिशत छात्र कभी-कभी अध्ययन करते हैं । जब कि 80 प्रतिशत छात्र नियमित अध्ययन करते हैं । इस प्रकार नगर क्षेत्र के छात्रों में अध्ययन की प्रवृत्ति अधिक है ।

(7) **घर पर अध्ययन न करने का कारण** —तालिका संख्या 7 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 8 प्रतिशत छात्रों की अध्ययन के प्रति रूचि नहीं है 2 प्रतिशत छात्रों को विषय समझ में नहीं आता है, 6 प्रतिशत छात्रों को घर पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तथा 4 प्रतिशत छात्रों को साधनों का अभाव है । नगर क्षेत्र के समक्ष उक्त समस्याएँ नहीं हैं ।

8—**अध्यापकों से साक्षात्कार**—

सर्जनात्मक प्रतिभावान छात्रों को उत्प्रेरित करने हेतु अध्यापकों द्वारा किये जाने वाला प्रयास—

(8) **तालिका संख्या**--8 में सर्जनात्मक प्रतिभावान छात्रों को उत्प्रेरित करने वाले अध्यापकों के प्रयासों का विवरण दिया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण और नगर के 100 प्रतिशत अध्यापक छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा को उत्प्रेरित करने हेतु सुलेख का अभ्यास कराते हैं और बाल सभा का आयोजन करते हैं साथही साथ प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक छात्रों को कहानी और कविता लिखने की प्रेरणा नहीं देते है जब कि नगर क्षेत्र के 66 और 80 प्रतिशत अध्यापक कहानी और कविता लिखने हेतु छात्रों को प्रेरित करते हैं । हस्त लिखित पत्रिका हेतु कोई अध्यापक छात्रों को प्रेरित नहीं करता है ।

(9) **छात्रों में सर्जनात्मक प्रतिभा की झलक**—तालिका संख्या—9 में छात्रों में सर्जनात्मक प्रतिभा की झलक का परिचय सूचित किया गया है । छात्रों में भावाभिव्यक्ति, कविता कहानी की प्रशंसा सम्बन्धी प्रतिभा हैं । निबन्ध लेखन की प्रतिभा प्राय: सभी छात्रों में निहित होती है ऐसा सभी अध्यापकों ने स्वीकार किया है ।

(10) **प्रतिभावान छात्रों का प्रतिशत** – ग्रामीण क्षेत्र के 18 तथा नगर क्षेत्र के 20 प्रतिशत छात्रों में विशेष प्रतिभा निहित है ।

(11) **छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं का परीक्षण**—छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण और नगर के क्षेत्रा के प्राय: 20 प्रतिशत छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखते हैं और सुन्दर लेख में बिन्दुवार सभी कार्य पूर्ण करते हैं । 30.35 प्रतिशत छात्र मध्यम श्रेणी के है जो आधा अधूरा कार्य करते है । शेष छात्र अभ्यास पुस्तिका सम्बन्धी कार्य में लापरवाही करते है ।

(12) **अध्यापकों द्वारा अनुभूत कठिनाइयां**—साक्षात्कार के समय कतिपय अध्यापकों नें बताया कि कुछ छात्रों में सर्जनात्मक प्रतिभा तो होती है किन्तु वातावरण के दुष्प्रभाव से ये प्रतिभायें उभर नहीं पाती हैं । प्रतिभाओं को उभारने के लिए घर और आस-पास का वातावरण ठीक होना चाहिए । छात्रों के अभिभावक अपने पाल्य के अध्ययन के प्रति उदासीन रहते हैं ।

(13) **छात्रों से साक्षात्कार**—छात्रों से साक्षात्कार के पश्चात स्पष्ट हुआ कि उनके घर पर अध्ययन हेतु समयबद्ध कार्य क्रम नहीं है, जिससे वे अध्ययन में पीछे छूट जाते है ।

8—निष्कर्ष (उपसंहार)—

प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण और नगर क्षेत्र में अध्ययन करने वाले छात्रों में लगभग 18.20 प्रतिशत छात्र सर्जनात्मक प्रतिभा से युक्त है और 35 प्रतिशत छात्रों में अध्ययन क्षमता है यदि ऐसे छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा / अध्ययन क्षमता को उत्प्रेरित किया जाय तो निश्चय ही वे छात्र अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा को विकसित कर समाज में अच्छा कार्य कर सकते हैं। प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक एवं अध्यापक छात्रों के अध्ययन के प्रति उदासीन रहते हैं। अध्यापक सर्जनात्मक प्रतिभायुक्त छात्रों को अपनी प्रतिभा को उत्प्रेरित करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करते और न तो ऐसे छात्रों को अतिरिक्त अवसर ही देते हैं। जो अध्यापक छात्रों की प्रतिभा को उत्प्रेरित करने के लिए प्रयास करते हैं और अतिरिक्त अवसर देते हैं ऐसे अध्यापकों की संख्या अल्पतम है। विद्यालयों में छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा के उपयोग के लिए मौखिक और लिखित कार्यों का अवसर कम दिया जाता है। जिससे छात्र अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पाते हैं।

छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा के उन्नयन हेतु पाठ्येतर क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा को विकसित करने हेतु कतिपय सुझाव—

(1) अध्यापकों को सत्रारम्भ में ही सर्जनात्मक प्रतिभावान छात्रों की जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे ही सर्जनात्मक प्रतिभावान छात्रों का पता चले वैसे ही उनकी प्रतिभा को विकसित करते हेतु अध्यायकों को प्रयास करना चाहिए।

(2) छात्रों के अभिरुचि के अनुरूप कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे छात्र सम्बन्धित क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर सकें।

(3) छात्रों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए छात्रों को कविता—कहानी लिखने का अवसर दिया जाना चाहिए उन्हें सुन्दर लेख लिखने और रोचक कविताओं के चयन का अवसर दिया जाना चाहिए। बाल सभा के आयोजन से छात्रों की प्रतिभा को विकसित करने में सहायता मिलती है।

(4) जिन छात्रों में एक से अधिक प्रतिभाएं परिलक्षित हो उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में उन्नयन हेतु सहायता दी जानी चाहिए।

(5) छात्रों की मौखिक भावाभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे छात्रों के अन्दर झिझक न रह जाय।

(6) अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों के लिखित कार्य का नियमित जाँच करते रहे जिससे छात्रों में कार्य करने की प्रवृत्ति बनी रहे।

(7) विद्यालय का वातावरण और साज-सज्जा आकर्षक और प्रभावकारी हो।

(8) सर्जनात्मक प्रतिभावान छात्रों की प्रतिभा को विकसित करने हेतु अलग से समय दिया जाना चाहिए। जिससे ऐसे छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके।

(9) कठिन विषयों को समझाने के लिए रोचक पाठक शैली को अपनाना चाहिए जिससे छात्र विषय वस्तु की गहराई को आसानी से समझ सकें।

(10) अध्यापकों को चाहिए कि वे सर्जनात्मक प्रतिभावान छात्रों के अभिभावक से सम्पर्क बनाये रखें तथा छात्र की प्रतिभा को विकसित करने हेतु अभिभावक को भी यथोचित सुझाव देते रहना चाहिए।

यदि छात्रों की सर्जनात्मक प्रतिभा को विकसित करने हेतु यथोचित प्रयास किया जाय तो निश्चय ही ऐसे छात्र अपनी प्रतिभा को विकसित कर राष्ट्रहित में कार्य कर सकते है।

11

प्राथमिक छात्रों के अधिगम पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन

आवश्यकता—

बालकों के अधिगम पर उनके परिवेश का विशेष प्रभाव पड़ता है। यह परिवेश नगरीय और ग्रामीण रूप में तथा बच्चों के माता-पिता के शिक्षित और अशिक्षित होने के रूप में देखा जा सकता है। ग्रामीण अंचल में उत्पन्न एवं पालित पोषित शिशु कक्षा के बालकों का भाषा ज्ञान नगरीय परिवेश में पले बच्चों के भाषा ज्ञान की अपेक्षा बहुत अल्प समिति एवं संकुचित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों की भाषा में आंचलि एवं स्थानीय बोलियों के शब्दों का बाहुल्य रहता है वे शुद्ध खड़ी बोली में बोल भी नहीं पाते जब कि नगर के अधिकांश बालक जिनके माता-पितापढ़े-लिखे और उच्च स्तरीय शासकीय सेवाओं तथा उद्यमों में लगे हुए हैं, अपने विचारों को बहुत संयत एवं संक्षिप्त खड़ी बोली में अभिव्यक्त कर लेते हैं। इस प्रकार एक ही स्तर पर पढ़ने वाले ग्रामीण एवं नगरीय बालकों के अधिगम में स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होता है। बड़े बच्चों की अपेक्षा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के अध्ययन को पारिवारिक वातावरण एवं परिवेश अधिक प्रभावित करता हैं अत: प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध द्वारा सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण उसका बच्चे के अधिगम पर प्रभाव आदि का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है।

उद्देश्य—

(1) प्राथमिक छात्रों के अधिगम पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना।

(2) वातावरण के प्रभाव का सकारात्मक परिणाम मिलने की दशा में अभिभावकों को अपने बच्चों की उचित देख-रेख एवं मार्ग निर्देशन हेतु प्रेरित करना।

परिकल्पना—

बच्चों के अधिगम को पारिवारिक वातावरण प्रभावित करता है।

परिसीमन—

(1) प्रस्तुत अध्ययन कक्षा 5 के छात्र/छात्राओं पर आधारित है।

(2) इसमें वाराणसी जनपद के ग्रामीण एवं नगर अंचल के 50-50 छात्र/छात्राओं को सम्मिलित किया गया है।

(3) वाराणसी जनपद के नगरीय अंचल के बाल निकेतन जू० हा० स्कूल, अर्दली बाजार, पुलिस लाइन, वाराणसी तथा ग्रामीण अंचल के प्रा० विद्यालय, आशापुर, वाराणसी को परीक्षण के लिये चुना गया है।

कार्यविधि—

(क) न्यादर्श का चयन—

1—ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के 50-50 छात्र/छात्राओं का पारिवारिक वातावरण का अध्ययन के अध्यापकों के सहयोग से किया गया है।

2—छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के उनके रहन-सहन/शैक्षिक स्तर तथा परिवेश को ध्यान में रखकर यह शोध प्रबन्ध तैयार किया गया है।

3—छात्र/छात्राओं के लिखित कार्य का निरीक्षण करके इस शोध के तथ्य संगृहीत किये गये।

(ख) उपकरण—

(1) छात्र/छात्राओं के शैक्षिक स्तर बोध हेतु प्रश्नावली तैयार की गयी है।

(2) प्रश्न छात्र/छात्राओं के स्तरानुकूल उनकी पाठ्य-पुस्तकों से सम्बन्धित विषय सामग्री पर आधारित है।

(3) तैयार की गयी प्रश्नावली को छात्र/छात्रों में उनके अध्यापक/अध्यापिकाओं के माध्यम से वितरित किया गया तथा उनसे उत्तर लिखने के लिए कहा गया साथ ही उन्हें यह निर्देश दिया गया कि उत्तर लिखने में कोई किसी दूसरे छात्र से सहयोग न ले।

(4) छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के शैक्षिक स्तर एवं परिवेश के परिज्ञान हेतु प्रश्नावली तैयार कर उनमें वितरित की गयी तथा उनसे उत्तर भी प्राप्त किया गया।

मूल्यांकन —

छात्र/छात्राओं तथा उनके अभिभावकों से प्राप्त उत्तर संकलन एवं मूल्यांकन किया गया। 1 पुस्तकों का मूल्यांकन में छात्र/छात्राओं के भाषा ज्ञान एवं अभिव्यक्ति को ध्यान में रखा गया।

प्रदत्तविश्लेषण—भाषा ज्ञान परीक्षण सम्बन्धी विषय को छात्रों की अधिगम शक्ति का परिज्ञान करने हेतु सात भागों में विभाजित किया गया है :—

(1) स्वास्थ्य सम्बन्धी

(2) विलोम सम्बन्धी

(3) भूगोल सम्बन्धी

(4) विज्ञान सम्बन्धी

(5) अर्थज्ञान सम्बन्धी

(6) मुहावरा सम्बन्धी

(7) अभिव्यक्ति सम्बन्धी

1—स्वास्थ्य सम्बन्धी—इस सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं को मात्र एक प्रश्न दिया गया था। अधिकांश छात्र-छात्राओं ने इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट एवं प्रासंगिक दिया है। प्रश्न एवं उसका शुद्ध उत्तर है—

प्रश्न—शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है।

उत्तर—शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए अनाज, दाल, साग-सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल, दूध, दही, मांस, मछली और अंडे की उचित मात्रा में प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है।

छात्र/छात्राओं के त्रुटिपूर्ण अस्पष्ट उत्तर इस प्रकार रहे—

(1) मौसमी सन्तुलित भोजन की आवश्यकता है।

(2) स्वस्थ शरीर के लिए भोजन चाहिए।

(3) पौष्टिक भोजन।

नगरीय एवं ग्रामीण छात्र/छात्राओं पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अन्तर स्पष्ट करने हेतु उनकी उपलब्धि के प्रतिशत को अलग-अलग दिखाया जा रहा है—

नगरीय क्षेत्र—

	उत्तर न देने वाले	त्रुटिपूर्ण अस्पष्ट उत्तर देने वाले	शुद्ध उत्तर देने वाले
बालक	2	6	17
बालिका	1	8	16
योग—	3	14	33
उपलब्धि प्रतिशत	6 प्रतिशत	28 प्रतिशत	66 प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्र—

	उत्तर न देने वाले	त्रुटिपूर्ण अस्पष्ट उत्तर देने वाले	शुद्ध उत्तर देने वाले
बालक—		07	18
बालिका—	–	15	10
योग—		22	28
उपलब्धियाँ प्रतिशत		44 प्रतिशत	56 प्रतिशत

2—विलोम सम्बन्धी—इस सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं को 5 शब्द दिये गये थे। बहुत कम छात्र/छात्राओं ने पाँचों शब्दों का शुद्ध विलोम लिखा है। प्रश्न एवं उसका उत्तर इस प्रकार है—

प्रश्न—निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखो—

स्वस्थ, लाभदायक, गुण, उपयोगी, विजय।

उत्तर—अस्वस्थ, हानिकारक, दोष, अवगुण, अनुपयोगी, पराजय।

छात्र/छात्राओं द्वारा दिये गये अशुद्ध उत्तर

1—स्वस्थ, आवश्यक, आरोग

2—अनिकारक, बुरा

3—अगुण, अवगुण

4—निरोगी, उपयोगिता, अपयोगी, अवसर

5—हार, परजय, पराजम आदि

प्रतिशत विवरण इस प्रकार है—

नगरीय क्षेत्र—

	उत्तर न देने वाले	त्रुटिपूर्ण व अस्पष्ट उत्तर देने वाले	शुद्ध उत्तर देने वाले
बालक	—	18	06
बालिका	—	22	04

योग —	—	40	10
उपलब्धि प्रतिशत—	—	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्र—

बालक	—	20	04
बालिका	—	24	02
योग—	—	44	06
उपलब्धि प्रतिशत	—	88 प्रतिशत	12 प्रतिशत

3—भूगोल सम्बन्धी—

इस प्रकार के प्रश्न का सही उत्तर लगभग 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने दिया किन्तु उत्तर वाक्य की रचना कुछ छात्र/छात्राओं की अशुद्ध रही प्रश्न एवं उसका उत्तर इस प्रकार है—

प्रश्न—सरिता का जल कहाँ से आता है।

उत्तर—सरिता का जल हिमगिरि के हिम से पिघल-पिघल कर आता है।

छात्र/छात्राओं द्वारा दिये गये त्रुटिपूर्ण उत्तर इस प्रकार थे।

त्रुटिपूर्ण उत्तर—

1—सरिता का जल शिखरों से आता है।

2—सरिता का जल नदियों व झरनों से आता है।

3—सरिता का जल नदि से आता है।

उपलब्धि प्रतिशत—

नगरीय क्षेत्र—

	उत्तर न देने वाले	अशुद्ध व अस्पष्ट उत्तर देने वाले	शुद्ध उत्तर देने वाले
बालक	4	10	11
बालिका	3	12	10

योग—	7	22	21
उपलब्धि प्रतिशत	14 प्रतिशत	44 प्रतिशत	42 प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्र—

बालक	6	11	08
बालिका	4	12	09
योग –	10	23	17
उपलब्धि प्रतिशत	20 प्रतिशत	46 प्रतिशत	34 प्रतिशत

4—विज्ञान सम्बन्धी—इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण व संतोषजनक नहीं दिया गया।

प्रश्न व उसका शुद्ध उत्तर—

प्रश्न—पुष्पक विमान के विषय में आप क्या जानते हैं।

उत्तर—पुष्पक विमान कुबेर का विमान है। इसे रावण छीन कर लंका लाया था। था॥ लंका विजय के उपरान्त श्रीराम चन्द्र जी उसी पर बैठकर अयोध्या लौट आये थे। त्रुटिपूर्ण उत्तर—

(1) पुष्पक विमान से युद्ध किया जाता है।

(2) जिससे देवलोग यात्रा करते हैं।

(3) हवाई जहाज एक उड़ने वाला यान है।

उपलब्धि विवरण—

नगरीय क्षेत्र—

	उत्तर न देने वाले	अशुद्ध व अपुण उत्तर देने वाले	शुद्ध उत्तर देने वाले
बालक	—	10	15
बालिका	—	12	13

योग—	—	22	28
उपलब्धि प्रतिशत	—	44 प्रतिशत	56 प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्र—

बालक किसी भी छात्र/छात्राओं ने इस प्रश्न

बालिका का उत्तर ही नहीं दिया।

उपलब्धि प्रतिशत

अर्थज्ञान सम्बन्धी—इस प्रश्न के अन्तर्गत कक्षा—5 की हिन्दी पाठ्य-पुस्तक ज्ञान भारती भाग-5 से कुछ शब्दों का चयन कर उनका अर्थ लिखने को कहा गया था। शब्दों की संख्या तीन थीं। प्रश्नोत्तर इस प्रकार रहा।

प्रश्न—निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखो—

श्रुति, गोष्ठी, पुस्तैनी

उत्तर—

शब्द	अर्थ
श्रुति	वेद
गोष्ठी	सभा
पुस्तैनी	दादा परदादा के समय के पुराने शब्द का

शुद्ध अर्थ 100 में से किसी भी छात्र/छात्रा ने नहीं लिखा गोष्ठी तथा पुस्तैनी का अधिकांश छात्र/छात्राओं ने शुद्ध-शुद्ध अर्थ लिखा है। उपलब्धि प्रतिशत निम्नवत है—

नगरीय क्षेत्र—

	उत्तर न देने वाले	त्रुटिपूर्ण व अस्पष्ट उत्तर देने वाले	शुद्ध उत्तर देने वाले
बालक	05	04	16
बालिका	07	05	13
योग—	12	09	29
उपलब्धि प्रतिशत	24 प्रतिशत	18 प्रतिशत	58 प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्र—

बालक	07	06	12
बालिका	08	06	11
योग—	15	12	23
उपलब्धि प्रतिशत	20 प्रतिशत	24 प्रतिशत	46 प्रतिशत

(6) **मुहावरा सम्बन्धी**—इस प्रकार के प्रश्न के अन्तर्गत कुल 3 मुहावरों का अर्थ लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा गया था। छात्र/छात्राओं ने मुहावरों का अर्थ तो जिन्होंने लिखा कुछ अंश तक ठीक लिखा है। किन्तु वाक्यों में प्रयोग का कार्य सन्तोष जनक नहीं रहा अधिकांश छात्र/छात्राओं ने अर्थ न लिखकर सीधे मनमाने वाक्यों में प्रयोग कर डाला है। यह कार्य प्रायः सभी छात्र/छात्रओं का अपूर्ण रहा।

प्रश्न—निम्नांकित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनको अपने वाक्यो में प्रयोग करो—

आंख लगना, हृदय जीत लेना, लोहे के चना चबाना,

उत्तर— मुहावरा	अर्थ	वाक्य में प्रयोग
आँख लगना	ताक में रहना	सबकी आँखे बीजापुर पर लगी थी
हृदय जीत लेना	बश में कर लेना	राम ने धनुष तोड़ कर सीता का हृदय जीत लिया
लोहे के चना चबाना	असम्भव तथा कठिन	रावण का बध करने में राम को लोहे के चने चबाने पड़े।

उपलब्धि विवरण—

नगरीय क्षेत्र—

	जिन्होने उत्तर नहीं लिखा	जिन्होंने अपूर्ण अशुद्ध उत्तर दिया	जिन्होंने शुद्ध उत्तर दिया
बालक	—	19	06
बालिका	—	20	05
योग—	0	30	11
उपलब्धि प्रतिशत	—	78 प्रतिशत	22 प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्र—

बालक	6	15	04
बालिका	9	14	02
योग—	15	29	6
उपलब्धि प्रतिशत	30 प्रतिशत	58 प्रतिशत	12 प्रतिशत

(7) **अभिव्यक्ति सम्बन्धी**—सातवाँ और अन्तिम प्रश्न अभिव्यक्ति सम्बन्धी था। छात्र/छात्राओं से गाय के विषय में केवल पांच वाक्य लिखने को कहा गया था वाक्य रचना की दृष्टि से प्रायः 80 प्रतिशत बालक/बालिकाओं के वाक्य अशुद्ध रहे। 20 प्रतिशत छात्र/छात्राओं ने ही संतोष जनक उत्तर दिया।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नगर क्षेत्र के बालक/बालिकाओं की अधिगम क्षमता ग्रामीण क्षेत्र के बालक/बालिकाओं से अधिक होती है जिसके कारण का पता लगाने हेतु इन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों से कुछ विवरण प्राप्त किये गये है जिनके अनुसार-ग्रामीण क्षेत्र के 50 तथा नगरीय क्षेत्र के 50 अभिभावकों ने अपने पाल्य के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करायी। इस जानकारी के आधार पर निम्न लिखित आँकड़ा प्रस्तुत किया जाता है।

	नगर क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1—अशिक्षित अभिभावक/माता-पिता	5	20
2—आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावक	11	20
3—जिन अभिभावकों के घर पर छात्र/छात्राओं के लाभार्थ जन संचार माध्यम यथा रेडियो दूरदर्शन आदि की व्यवस्था नहीं है।	8	20
4—घर पर बच्चों के साथ खड़ी बोली में वार्तालाप न करने वाले माता-पिता।	5	30
5—जिन अभिभावकों के बच्चे घर पर बैठ कर स्वयं नही पढ़ते।	10	30
6—जो अभिभावक स्वयं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते।	12	30
7 जो अपने बच्चों को लिखित कार्य एवं विद्यालय कार्य स्वयं नहीं देखते।	8	30
8—जो अपने बच्चों को शुद्ध उच्चारण स्वयं नहीं सिखाते।	10	30

9—जो अपने बच्चों के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु पत्र पत्रिकाएँ चित्रात्मक लघु पुस्तिकाएँ उपलब्ध नहीं कराते हैं।	5	20
10—जो अपने बच्चों की स्वस्थता एवं शारीरिक विकास हेतु खेल का उपकरण एवं अवसर उपलब्ध नहीं कराते।	10	30

क्रमश: 1 से 3 तक का विवरण बच्चों से मौखिक प्रश्नोत्तर द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

निष्कर्ष—पूर्व वर्णित विवरणों एवं आंकड़ों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक स्तर के कक्षा 5 छात्र/छात्राओं के अधिगम पर जिन पर यह परीक्षण किया है और यह लघु शोध प्रबन्ध है पारिवारिक वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है जो माता/अभिभावक पढ़े-लिखे नहीं हैं निर्धनता के कारण जिनके पास दूरदर्शन रेडियो जैसे जनसंचार के साधनों का अभाव है जो न तो स्वयं शुद्ध खड़ी बोली में बोल सकते हैं न ही अपने बच्चों से बात-चीत कर सकते हैं तथा जो अपने बच्चों के सामान्य ज्ञान के अभिवृद्धि हेतु पत्र-पत्रिका एवं शारीरिक क्षमता के विकास हेतु खेल-कूद के उपकरण जुटा नहीं पाते उनके बाल्यों अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करते हैं क्योंकि गाँवों में आय के स्रोतों की कमी के कारण आर्थिक विपन्नता का बच्चो के रहन-सहन मस्तिष्क एवं शरीर सब पर प्रभाव पढ़ता है किन्तु नगर निवासी माता-पिता अभिभावक जो प्राय: मानसिक दृष्टि से गावों की अपेक्षा अधिक सम्पन्न होते उनके बच्चे स्तर के अनुसार विकसित बुद्धिमान एवं परिश्रमी होते हैं तथा खेल-कूद में अधिक रुचि लेते हैं।

अत: स्पष्ट है कि छात्रों के अधिगम पर पारिवारिक वातावरण का बहुत अधिक पड़ता है।

12

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं में विराम चिन्हों के प्रयोग में की जाने वाली त्रुटियों का अध्ययन

1—पृष्ठभूमि --

भाषा-शिक्षण में लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। आजकल लिखित कार्यों की विशेष उपेक्षा के कारण माध्यमिक स्तर तक के छात्रों में लिखित कार्यों मे अनेक प्रकार की त्रुटियां पायी जाती है। जिनमें विराम चिह्न प्रमुख है। भाव-बोधक को सरल तथा सुबोध बनाने के लिए कतिपय ठहराव स्थलों का संकेत करना पड़ता है, ये ठहराव स्थल ही विराम चिह्नों के नाम से जाने जाते हैं, इनका प्रयोग वाक्य के मध्य या अन्त में किया जाता है। उनके प्रयोग से लेखक के भाव और विचारों को आसानी से समझा जाता है, किन्तु माध्यमिक स्तर के अध्यापक एवं छात्र विराम चिह्नों के समुचित प्रयोग के प्रति उदासीन है। विराम चिह्न के अभाव में या उनके गलत प्रयोग से अर्थ-बोध में त्रुटि तथा भिन्नता हो जाती है। कभी-कभी एक ही वाक्य के भिन्न-भिन्न अर्थ समझ लिए जाते हैं, और वांछित अर्थ की पूर्ति नहीं हो पाती है। अत: यह आवश्यक है कि छात्रों में विराम चिह्नों के प्रयोग सम्बन्धी त्रुटियों और उनके कारणों का पता लगाकर उनके उचित प्रयोग हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किया जाय।

2—उद्देश्य—

(1) माध्यमिक स्तर के छात्रों की विराम चिह्न विषयक त्रुटियों का अध्ययन करना उनके कारणों का पता लगाना।

(2) उनकी त्रुटियों के निवारण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना।

(3) उनकी लिखित अभिव्यक्ति को त्रुटि रहित एवं अधिक प्रभावशली बनाने का प्रयास करना।

3—परिकल्पना—

छात्रों एवं अध्यापकों में विराम चिह्न प्रयोग के प्रति विशेष उदासीनता है।

4—परिसीमन—

प्रस्तुत शोध अध्ययन हाई-स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के 100 छात्रों तथा 20 अध्यापकों तक सीमित है।

5—कार्यविधि—

(क न्यायदर्श का चयन—

सर्व प्रथम आजमगढ़ जनपद के ग्रामीण अंचल स्थित यदुनाथ इण्टर कालेज, बहादुरपुर, आजमगढ़ तथा नगर में स्थित हरिश्चन्द्र इण्टर कालेज, वाराणसी के 100 छात्रों तथा 20 अध्यापकों का चयन किया गया ।

(ख) उपकरण—

(1) विराम चिह्न विषयक अध्ययन हेतु कक्षा 10 एवं 12 के छात्रों के लिए प्रश्नावली ।

(2) अध्यापकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची ।

(3) छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाएँ ।

(4) हाई-स्कूल परिषदीय परीक्षा 1991 की 25 उत्तर पुस्तिकाएं ।

(ग) प्रदत्तों का संग्रह—

प्रदत्तों के संग्रह हेतु छात्रों के लिए प्रश्नावली, अध्यापकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं और परिषदीय परीक्षा 1991 की उत्तर पुस्तिकाओं का सहारा लिया ।

इस शोध अध्ययन हेतु छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के छात्रों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया गया है । प्रश्न पत्र पर ही उत्तर लिखने की दृष्टि से लघु उत्तरीय प्रश्नों का चयन किया गया । छात्रों के विराम चिह्न-विषयक ज्ञान को परखने की दृष्टि से प्रश्नावली में इनसे सम्बन्धित प्रश्नों की अधिकता रही । छात्रों की संख्या 100 रखी गयी ।

तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से ग्रामीण और नगर में स्थित क्रमशः श्री यदुनाथ इन्टर कालेज, बहादुरपुर; आजमगढ़ तथा हरिश्चन्द्र इन्टर कालेज, वाराणसी का चयन किया गया । यह परीक्षण विद्यालय में जाकर विषयाध्यापक की उपस्थिति में किया गया । समय सीमा 40 मिनट रखी गयी । समय समाप्त होने पर छात्रों से प्रश्नावली ले ली गयी । विराम चिह्नों के प्रयोग के सम्बन्ध में अध्यापकों की धारणा जानने के लिए उनसे साक्षात्कार अनुसूची भरवायी गयी और कतिपय मौखिक जानकारी प्राप्त की गयी । कुल 20 अध्यापकों (10 नगर=10 ग्रामीण) से साक्षात्कार किया गया । छात्रों की 25 अभ्यास पुस्तिकाओं और हाई-स्कूल परिषदीय परीक्षा 1991 की 25 उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण किया गया । उत्तरों के संकलन और अभ्यास पुस्तिकाओं/उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण के पश्चात उनका मूल्यांकन किया गया ।

6—प्रदत्तों का विश्लेषण—

तालिका संख्या—1

(क) छात्रों का विराम चिह्न विषयक ज्ञान

कक्षा	छात्रों की संख्या	उत्तर नहीं लिखे	प्रतिशत	विराम चिह्नों का ज्ञान नहीं है ।	प्रतिशत	विराम चिह्न का ज्ञान नहीं है ।	प्रतिशत
कक्षा—10 ग्रामीण	25	4	16	3	12	18	72
कक्षा—10 नगर	25	2	8	2	8	21	84

कक्षा 12 ग्रामीण	25	1	4	–	–	24	96
कक्षा—12 नगर	25	–	–	1	4	24	96
योग—	100	7	7	6	6	87	87

तालिका संख्या—2

(ख) छात्रों के विविध विराम चिह्न विषयक ज्ञान का परीक्षण

कक्षा	छात्र संख्या	उत्तर नहीं दिये	प्रतिशत	सामान्य ज्ञान	प्रतिशत	सामान्य से अधिक ज्ञान	प्रतिशत	विशेष ज्ञान	प्रतिशत
कक्षा 10—ग्रामीण	25	2	8	12	48	10	40	1	4
कक्षा 10—नगर	25	1	4	10	40	12	48	2	8
कक्षा 12 ग्रामीण	25	1	4	11	44	10	40	3	12
कक्षा 12—नगर	25	2	8	9	36	11	44	3	12
योग—	100	6	6	42	42	43	43	9	9

तालिका संख्या—3

(ग) विराम चिह्नों के प्रयोग में छात्रों की उदासीनता का विवरण

कक्षा	छात्र संख्या	उदासीन है	प्रतिशत	उदासीन नहीं है	प्रतिशत
कक्षा 10—ग्रामीण	25	12	48	13	52
कक्षा 10—नगर	25	11	44	14	56
कक्षा 12—ग्रामीण	25	10	40	15	60
कक्षा 12—नगर	25	8	32	17	68
योग—	100	41	41	59	59

तालिका संख्या—4

(घ) विषयाध्यापकों की विराम चिह्न विषयक उपेक्षा का विवरण

(छात्रों से प्राप्त उत्तर के आधार पर)

कक्षा	छात्र संख्या	अध्यापक विराम चिह्न पर	प्रतिशत	अध्यापक विराम चिह्न पर	प्रतिशत
कक्षा 10—ग्रामीण	25	07	28	18	72
कक्षा 10—नगर	25	06	24	19	76
कक्षा 12—ग्रामीण	25	04	16	21	84
कक्षा 12—नगर	25	03	12	22	88
योग—	100	20	20	80	80

तालिका संख्या—5

(ङ) छात्रों की विराम चिह्न विषयक त्रुटियों का विवरण

कक्षा	छात्र सं०	पूर्ण विराम		अल्प विराम		प्रश्न सूचक चिह्न		उद्धरण		अर्ध विराम		निर्देश चिह्न (डैस		विस्मय बोधक चिह्न		योजना चिह्न (हाइफन)	
		शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शु०	अ०	शु०	अ०	शु०	अ०	शु०	अ०
कक्षा—10 ग्रामीण	25	23	02	20	05	10	15	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—
कक्षा—10 नगर	25	24	01	20	05	12	13	14	11	—	—	—	—	—	—	—	—
कक्षा—12 ग्रामीण	25	24	01	23	03	—	—	—	—	—	25	05	20	01	24	03	22
कक्षा—12 नगर	25	25	—	23	02	—	—	—	—	—	25	07	18	02	23	06	19

तालिका संख्या—6

(च) विषय अध्यापक की दृष्टि में छात्रों की विराम चिह्न विषयक त्रुटियाँ

		त्रुटियों का प्रतिशत							
अध्यापक संख्या	कक्षा	पूर्ण विराम	अर्ध विराम	अल्प विराम	प्रश्न सूचक चिह्न	उद्धरण चिह्न	विस्मयादि बोधक चिह्न	निर्देश चिह्न	योजक चिह्न
5 ग्रामीण	10	28	80	40	40	42	50	35	41
5 नगरीय	10	18	70	35	33	40	52	30	36
5 ग्रामीण	12	15	70	30	34	38	45	32	34
5 नगरीय	12	96	65	25	35	33	43	29	30

तालिका—7

छ) परिषदीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका तथा अभ्यास पुस्तिका के आधार पर विराम चिह्न विषयक त्रुटियों का विवरण

		त्रुटियों का प्रतिशत								
उत्तर पुस्तिका/ अभ्यास पुस्तिका	कक्षा	छात्र सं०	पूर्ण विराम	अर्ध विराम	अल्प विराम	प्रश्न सूचक चिन्ह	उद्धरण चिन्ह	विस्मयादि बोधक चिन्ह	निर्देश चिन्ह	योजक चिन्ह
परिषदीय परीक्षा की उत्तर पुस्तकाएँ	10	25	10	60	20	30	25	35	28	25
अभ्यास पुस्तिकाएँ	12	25	08	58	15	25	22	33	20	18

1—छात्रों को विराम चिन्ह विषयक ज्ञान—

छात्रों की प्रश्नावली से प्राप्त उत्तर द्वारा उनके विराम चिह्न विषयक ज्ञान संकेत तालिका संख्या-1 में किया गया है। ग्रामीण अंचल के कक्षा—10 के 12 प्रतिशत को विराम चिह्न की जानकारी नहीं है, जबकि उसी कक्षा के नगर क्षेत्र के 3 प्रतिशत छात्र विराम चिह्न की जानकारी नहीं रखते हैं। ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के क्रमशः 72 तथा 84 प्रतिशत छात्रों को विराम चिह्न की सामान्य जानकारी है, किन्तु ग्रामीण और नगर क्षेत्र के कक्षा 12 के छात्रों का विराम चिह्न विषयक ज्ञान समान (96 प्रतिशत) है। दोनों क्षेत्रों के कक्षा-10 तथा 12 का सम्मिलित प्रतिशत 87 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकांश छात्र विराम चिह्न की सामान्य जानकारी रखते हैं।

2—छात्रों से विविध विराम चिह्न विषयक ज्ञान का विवरण—

छात्र कितने तरह का विराम चिह्न जानने हैं ? यह जानते की दृष्टि से प्रश्नावली में विभिन्न विराम चिह्नों का नाम लिखने के लिए दिया गया था। तालिका संख्या-2 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा-10 के 8 प्रतिशत और नगर क्षेत्र के 4 प्रतिशत छात्रों ने उत्तर नहीं लिखा। ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के क्रमश: 12 और 10 प्रतिशत छात्रों ने कुछ विराम चिह्नों का नाम लिखा। 10 और 12 प्रतिशत छात्र विराम चिह्नों की सामान्य जानकारी रखते हैं। तथा 4 और 8 प्रतिशत छात्र इसके विषय में समुचित जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण और नगर क्षेत्र के कक्षा 12 के क्रमश: 4 और 8 प्रतिशत छात्रों ने उत्तर नहीं लिखा। 44 और 36 प्रतिशत छात्रों को सामान्य जानकारी है। 40 और 44 प्रतिशत छात्रों को सामान्य से अधिक जानकारी है। 12 प्रतिशत दोनों क्षेत्रों के छात्रों को समुचित जानकारी है। दोनों कक्षाओं के 42 प्रतिशत छात्रों को विराम चिह्न विषयक सामान्य ज्ञान है। 43 प्रतिशत छात्रों को सामान्य से अधिक तथा 9 प्रतिशत छात्रों को उसके विषय में समुचित ज्ञान है।

3 –विराम चिन्ह के प्रयोग में छात्रों की उदासीनता—

माध्यमिक विद्यालय के छात्र विराम चिह्नों के प्रयोग पर अधिक ध्यान नहीं देते। तालिका सं०-3 में छात्रों में कितने प्रतिशत छात्र विराम चिह्नों के प्रति उदासीन हैं, इसका विवरण दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 12 के तथा उसी कक्षा के नगर क्षेत्र के छात्र क्रमश: 40 तथा 32 प्रतिशत छात्र उनके प्रयोग के प्रति उदासीन रहते हैं। हाई-स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट कक्षा के छात्रों की संख्या हाई-स्कूल के उदासीन छात्रों की संख्या से कम है। इण्टर के छात्र हाई-स्कूल के छात्रों से परिपक्व होते हैं। उनमें जागरूकता आ जाती है। वे स्वत: विराम चिह्नों के प्रयोग के प्रति सचेष्ट हो जाते हैं। लगभग 59 प्रतिशत छात्र विराम चिह्नों के प्रयोग पर ध्यान देते हैं।

4— विषयाध्यापकों की विराम चिन्ह विषयक उपेक्षा (छात्रों की प्रश्नावली के आधार पर)—

कक्षा में छात्रों को विराम चिह्न का प्रकरण पढ़ाया जाता है अथवा नहीं ? यह जानने की दृष्टि से प्रश्नावली में तीन प्रश्न दिये गये थे। छात्रों से प्राप्त उत्तरों का निष्कर्ष तालिका संख्या-4 में दर्शाया गया है। कक्षा-10 के ग्रामीण और नगर क्षेत्र के क्रमश: 28 और 24 प्रतिशत छात्रों ने यह स्वीकार किया है कि कक्षा में विराम चिह्न पर ध्यान नहीं दिया जाता हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों के कक्षा 12 के छात्रों ने क्रमश: 16 और 12 प्रतिशत छात्रों ने भी अध्यापक की उपेक्षा का संकेत दिया है। हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अध्यापकों की विराम चिह्न विषयक उपेक्षा का प्रतिशत 20 है। 80 प्रतिशत अध्यापक इस प्रकरण पर ध्यान देते हैं। इससे स्पष्ट है कि छात्र इसके प्रयोग के सम्बन्ध में स्वत: लापरवाह हैं।

5 –छात्रों की विराम चिन्ह विषयक त्रुटियाँ —

छात्र विराम चिह्न के प्रयोग में अधिक त्रुटि करते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के छात्रों हेतु प्रश्नावली में दो गद्य खण्ड दिये गये थे, जिनमें विभिन्न विराम चिह्नों का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। छात्रों की विभिन्न विराम चिह्न विषयक त्रुटियां तालिका सं०-5 में दर्शायी गयी हैं। हाईस्कूल के छात्रों को पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह तथा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना था।

ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 10 के 8 प्रतिशत छात्र पूर्ण विराम के प्रयोग में 20 प्रतिशत अल्प विराम के प्रयोग में, 60 प्रतिशत प्रश्न सूचक के प्रयोग में तथा 52 प्रतिशत छात्रों ने उद्धरण चिन्ह के प्रयोग में त्रुटियां की हैं। इसी प्रकार इसी कक्षा के नगर क्षेत्र के छात्रो ने पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह के प्रयोग में क्रमशः 4,20,52 तथा 44 प्रतिशत छात्रों ने त्रुटियां की हैं।

इण्टरमीडिएट के छात्रों को दिये गये गद्यांश में पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अर्ध विराम, निर्देश चिन्ह, विस्मयादिबोधक तथा योजक चिन्ह का प्रयोग करना था। तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण और नगर दोनों क्षेत्रों के छात्रों को अर्ध विराम का ज्ञान नहीं है। क्योंकि किसी छात्र ने प्रदत्त गद्यांश में अर्ध विराम का प्रयोग नहीं किया है। दोनों क्षेत्रों के छात्र विस्मयादिबोधक चिन्ह के प्रयोग पर ध्यान नहीं देते हैं। इस चिन्ह के प्रयोग पर ग्रामीण और नगर क्षेत्र के क्रमशः 16 और 92 प्रतिशत छात्रों ने त्रुटि की है। अन्य चिन्हों के प्रयोग के सम्बन्ध में इन्टरमीडिएट के छात्रों का स्तर हाईस्कूल के छात्रों से ऊंचा है।

6 — विषयाध्याक की दृष्टि में छात्रों की विराम चिन्ह विषयक त्रुटियां —

विराम चिन्ह विषयक त्रुटियों के अध्ययन हेतु ग्रामीण और नगर क्षेत्र के 10-10 अध्यापकों में साक्षात्कार किया गया। 25 प्रतिशत अध्यापकों ने यह स्वीकार किया है कि विराम चिन्ह के प्रकरण को अलग से न पढ़ाकर छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं में इन चिन्हों का निर्देश कर दिया जाता है। और छात्र निर्देशानुसार विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग करते रहते हैं। किन्तु 75 प्रतिशत अध्यापकों का कथन हैं कि विराम चिन्ह को पढ़ाने के लिए कक्षा में अलग से समय दिया जाता है। और उनकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अध्यापकों की दृष्टि में तालिका संख्या 6 में छात्रों की विभिन्न विराम चिन्ह विषयक त्रुटियां सकेतित हैं। पूर्ण विराम और अल्प विराम के प्रयोग में ग्रामीण और नगर क्षेत्र की छात्रों की त्रुटियों का प्रतिशत कम है, किन्तु अर्ध विराम और विस्मयादिबोधक चिन्हों के प्रयोग मे दोनों क्षेत्रों के छात्र अधिक त्रुटि करते हैं। अर्ध विराम के प्रयोग को जैसे छात्र जानते ही नहीं। प्रश्न सूचक चिन्ह के लिए छात्र विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। छात्रों को गद्यांश में निहित ठहराव की जानकारी नहीं होती। इसीलिए वे समुचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाते। कुछ छात्र अनावश्यक चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं। सम्बन्धित तालिका से स्पष्ट होता है कि हाईस्कूल छात्रों की अपेक्षा इन्टरमीडिएट के छात्रों का विराम चिन्ह विषयक ज्ञान अधिक है।

7 — परिषदीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं तथा छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं के आधार पर विराम चिन्ह विषयक त्रुटियाँ —

विराम चिन्ह विषयक त्रुटियों के अध्ययन हेतु हाईस्कूल परिषदीय परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण किया। त्रुटियों को विवरण तालिका संख्या-7 में अंकित किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक त्रुटियाँ अर्ध विराम विषयक रही हैं। 35 प्रतिशत छात्रों ने विस्मयादिबोधक चिन्ह के प्रयोग में 30 प्रतिशत छात्र, प्रश्न सूचक चिन्ह के प्रयोग में तथा 25-25 प्रतिशत छात्रों ने उद्धरण चिन्ह तथा योजक चिन्ह में त्रुटियां की है। निर्देश चिन्ह की त्रुटियाँ 28 प्रतिशत रही है।

इन्टरमीडिएट के छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि छात्र अर्ध-विराम के

प्रयोग पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार प्रश्न सूचक उद्धरण, विस्मयादि बोधक, निर्देश और योजक चिन्हों के प्रति छात्र ध्यान नहीं देते हैं। अतः इनके प्रयोग में त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। पूर्ण विराम के प्रयोग में तो कतिपय छात्रों ने विषय वस्तु के समाप्त हो जाने पर भी वाक्य के अन्त में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। हाई स्कूल की अपेक्षा इन्टरमीडिएट के छात्रों में उपर्युक्त त्रुटियाँ कम पायी जाती हैं।

निष्कर्ष (उप संहार)—

उपर्युक्त शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों में विराम चिन्ह विषयक त्रुटियाँ पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। छात्र स्वलिखित गद्यांशों में अपनी समझ के अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, किन्तु उनमें विराम चिन्ह विषयक ठोस ज्ञान का अभाव हैं। इसीलिए इन चिन्हों का यथोचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं। विराम चिन्ह के प्रकरण पर छात्रों का गहन अध्ययन नहीं है, जिससे विभिन्न छात्रों में भिन्न-भिन्न त्रुटियाँ देखने को मिलती है। नगर क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के छात्र विराम चिन्ह के प्रयोग में अधिक लापरवाह हैं। वैसे नगर क्षेत्र के छात्रों में प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित त्रुटियों का प्रतिशत कम नहीं है। हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट में अध्यापन करने वाले कतिपय अध्यापक भी विराम चिन्ह की उपेक्षा कर देते हैं जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है। अधिकांश अध्यापक छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं के संशोधन के विभिन्न विराम चिन्हों का संकेत तो कर देते हैं किन्तु कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जो इन चिन्हों के प्रयोग पर विशेष बल नहीं देते हैं किन्तु कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जो इन चिन्हों के प्रयोग पर विशेष बल नहीं देते हैं। साथ ही छात्रों द्वारा की गयी त्रुटियों पर उनका ध्यान आकृष्ट नहीं करते हैं। यदि विषयाध्यापक विराम चिन्ह के प्रकरण को विभिन्न उदाहरणों के साथ रोचक शैली में अध्यापन करें तो निश्चय ही छात्रों की विराम चिन्ह विषय त्रुटियाँ अवश्यमेव दूर हो जायगी।

विराम चिह्न की त्रुटियों को दूर करने हेतु आवश्यक सुझाव :—

विराम चिन्ह विषयक त्रुटियों को दूर करने लिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक हैं।

(1) हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के छात्रों का विराम चिन्ह विषयक पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के उपरान्त इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी करा देनी चाहिए, जिससे छात्र विराम चिन्हों से पूर्व परिचित हो जाय।

(2) अध्यापकों को अध्यापन के समय विराम चिन्ह के प्रकरण को सत्रारम्भ में ही समझा देना चाहिए। बीच-बीच में पुनर्बोधात्मक शिक्षण भी करते रहना चाहिए।

(3) छात्रों के विराम चिन्ह के महत्व को समझाना चाहिए और अध्यापकों को छात्रों को स्पष्ट रूप से बता दें कि इसके गलत प्रयोग से अर्थ में भिन्नता हो जाती है ओर अर्थ बोध में कठिनाई होती है। जैसे—(क) लौटो, मत आगे बढ़ो। (ख) लौटो मत, आगे बढ़ो।

(4) अध्ययन/अध्यापन के समय गद्यांश और पद्यांश में प्रयुक्त विविध विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देकर समुचित ठहराव के साथ उनका वाचन कर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

(5) छात्रों के अभ्यास पुस्तिकाओं के संशोधन के समय उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं में विविध विराम चिन्हों का संकेत कर देना चाहिए।

(6) छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए विराम चिन्हों के प्रयोग का बार-बार अभ्यास कराना चाहिए।

(7) जिन विराम चिन्हों (अर्ध विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्न सूचक आदि) के प्रयोग में अधिक त्रुटियाँ होती है उन विराम चिन्हों की त्रुटियों को दूर करने हेतु विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए और छात्रों से उनका बार-बार अभ्यास कराते रहना चाहिए।

(8) जो छात्र अधिक त्रुटि करते हों उनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त समय देकर व्यक्तिगत निर्देश देना चाहिए।

(9) विराम चिन्हों के प्रयोग सम्बन्धी चार्ट बनवाकर कक्षा में टँगवा देना चाहिए जिससे बीच-बीच में छात्रों का ध्यान उस चार्ट पर जाता रहे।

उपर्युक्त सुझावों पर ध्यान देने से छात्रों की विराम चिन्ह विषयक त्रुटियाँ निश्चित रूप से दूर की जा सकती है।

13

पूर्व माध्यमिक स्तर के छात्रों की वाचन अभिरुचि का अध्ययन

पृष्ठभूमि—

भाषा-शिक्षण में वाचन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः वाचन भाषा का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण शिक्षा का प्राथमिक और प्रमुख अंग है। डा० रामसकल पांडेय अपनी पुस्तक "हिन्दी-शिक्षण" पृष्ठ 64 पर लिखते है-कि "वाचन एक कला है जिसकी ऊँच-नीच निर्धन-धनवान सभी को आवश्यकता पड़ती रहती है। इस प्रगतिशील विश्व में पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। वाचन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनन्द नहीं ले सकता। जीवन-चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियाँ, लेख, उपन्यास नाटक मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं, उनका पूर्णतया आनन्द और लाभ स्वयं पढ़कर ही लिया जा सकता है। "साधारण पठन और वाचन में थोड़ा सा अन्तर है। वाचन में साधारण रूप से पढ़ने की अपेक्षा शुद्धता, स्पष्टता तथा प्रभावोत्पादकता अधिक होती है कभी-कभी हम दूसरों के वाचन को सुनकर हँस पड़ते हैं और आवेश में आकर तालियाँ भी पीटने लगते हैं। इन हास्यास्पद लोगों में समाज के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी लोग सम्मिलित हैं। पर इनमें उनका कोई दोष नहीं, दोष है उनकी शिक्षा का और उनके शिक्षकों का जिन्होंने उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी है। वाचन दो प्रकार के होते हैं—(1) सस्वर वाचन, (2) मौन वाचन दोनों वाचनों का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्त्व है। सस्वर वाचन से छात्रों की झिझक दूर हो जाती है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, साहस बढ़ता है, शब्दोच्चारण ठीक और शुद्ध होता है तथा बोलने की शक्ति का समुचित विकास होता है। विद्वानों का यह भी मत है कि अच्छे ढंग से वाचन करने वाले छात्र आगे चल कर एक अच्छा वार्ताकार, प्रभावशाली वक्ता, एवं सफल अभिनेता बन जाता है। वाचन की शुद्धता स्पष्टता एवं सुमधुरता से छात्रों में वार्तालाप या सम्भाषण का ढंग आता है। जिसके परिणाम स्वरूप वे देश के अच्छे योग्य नागरिक हो सकते हैं। समाज में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है।

यूरोपीय विद्वानों के अनुसार वाचन के पाँच गुण माने जाते हैं—

(1) स्पष्ट अक्षरोच्चारण—प्रत्येक वर्ण का उचित स्थान और प्रयत्न के अनुसार उच्चारण।

(2) स्पष्ट शब्दोच्चारण—औचित्य एवं सौन्दर्य के साथ प्रत्येक शब्द का उच्चारण।

( ) उचित ध्वनिनिर्गम— मुख विवरस्थ उचित स्थान एवं प्रयत्न से ध्वनि उत्पन्न करना।

(4) बल—प्रत्येक शब्द अथवा वर्ण पर उपयुक्त बल देना ।

(5) सुस्वरता—भाव के अनुसार वाक्य में शब्दों के स्वर का उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करना ।

इन गुणों के अतिरिक्त भारतीय विद्वान तीन और गुणों का होना भी आवश्यक मानते हैं, जो इस प्रकार हैं—

(1) **मधुरता**—वाचन के समय वाणी में लोच एवं मधुरता का होना ।

(2) **धैर्य**—*धैर्य का तात्पर्य यहाँ श्रोताओं की संख्या एवं* दूरी के अनुसार बिना घबराने उचित गति से वाचन करना ।

(3) **पठन मुद्रा**—वाचन करते समय उचित ढंग से बैठना अथवा खड़ा होना । पठन सामग्री को हाथ में पकड़ना तथा भावानुसार हाथ, पैर, आँख, नाक, सिर, भौं आदि अंगों का सूक्ष्म संचालन करना आवश्यक होता है । यदि बैठकर वाचन किया जाय तो कुर्सी पर सीधे बैठना चाहिए (जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे) और पैरों को 90 अंश का कोण बनाते हुए लटकाना चाहिए । यदि खड़े होकर वाचन करना है तो बिल्कुल सीधे खड़ा होना चाहिए और पठन सामग्री को बायें हाथ में पुस्तक को इस प्रकार बीच से पकड़नी चाहिए कि अगर उसके बीच के मोड़पर बायें हाथ का अंगूठा आ जाय और दूसरा हाथ भावाभिव्यक्ति के लिए खुला रहे । यदि पुस्तक बड़ी हो तो दोनों हाथों से भी पकड़ी जा सकती है । पढ़ते समय पठन सामग्री को आँख से लगभग 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए तथा वाचन करते समय दृष्टि सदा पुस्तक पर ही न रहे वरन् बीच-बीच में आँख उठाकर विद्यार्थियों या श्रोताओं को भी देख लेना चाहिये ।

कोहनी पर 45 अंश का कोण बनाती हुई पुस्तक बायें हाथ से पकड़नी चाहिए ।

वाचन करते समय एक बार एक धारा में कितने शब्द बोलने चाहिए इसका ध्यान रखते हुए शब्दों के समूह का उचित चुनाव करके आवश्यक ठहराव देकर वाचन करना चाहिए ।

पढ़ने की गति न बहुत मन्द हो और न बहुत तीव्र । स्वर में श्रोताओं तक पहुँचने का बल कर्णप्रियता हो आदि ।

उद्देश्य :—(1) छात्रों की वाचन अभिरुचि का अध्ययन ।

(2) छात्रों में वाचन अभिरुचि में कमी के कारणों का पता लगाना ।

(3) विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा वाचन के लिए दिये जाने वाले अवसरों का पता लगाना ।

(4) विद्यालयों में वाचन के प्रति अध्यापकों की अभिरुचि का पता लगाना तथा अपेक्षित सुझाव प्रस्तुत करना ।

कार्य विधि :— उक्त शोध कार्य हेतु वाराणसी जनपद के एक नगरीय (राजकीय आदर्श विद्यालय संलग्न राजकीय

बेसिक एल० टी० ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी) तथा एक ग्रामीण (बल्देव इन्टर कालेज बड़ागाँव, वाराणसी) का चयन किया गया। इस विद्यालय के कक्षा 6, 7 तथा 8 के बच्चों से उनकी कक्षाओं में जा जाकर उनके वाचनों को सुना गया तथा वाचन के समय छात्रों द्वारा किये गये अशुद्ध उच्चारणों को नोट किया गया एवं वाचन के समय विराम चिन्हों सम्बन्धी त्रुटियों को भी नोट किया गया इसके साथ ही वाचन अभिरुचि से सम्बन्धित प्रश्न पत्रों को बच्चों से अपने सम्मुख भरवाकर वापस लिया गया। इसी प्रकार का कार्य नवम्बर में ही राजकीय आदर्श विद्यालय, संलग्न राजकीय बेसिक एल० टी० ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी के कक्षा 6, 7 तथा 8 के छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापकों से सम्पर्क करके प्रश्नों द्वारा उनकी भी वाचन अभिरुचि का पता लगाया गया जिनका विवरण निम्नवत है—

प्रदत्तों का विश्लेषण—

(1) **सस्वर वाचन के समय का अभाव**—इस सम्वन्ध में 200 छात्रों में से 150 छात्र ऐसे मिले जिनको घर पर सस्वर वाचन करने का अवसर इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि उनके घर में उनसे बड़े भाई बहन भी पढ़ते हैं। घर में पढ़ने के लिए एक ही 'कक्षा' है।

(2) विद्यालय में केवल भाषा शिक्षण के समय ही उनको सस्वर वाचन का अवसर मिलता है अन्य विषयों में मात्र मौन वाचन का अवसर मिलता है।

सन्दर्भित दोनों विद्यालयों में छात्रों से सस्वर वाचन करवाया गया। वाचन करते समय छात्रों ने निम्नलिखित शब्दों का अशुद्ध उच्चारण किया—

जो उच्चारण किया	जो उच्चारण होना चाहिए
पुर्ण	पूर्ण
स्वक्ष	स्वच्छ
इक्षा	इच्छा
लखन	लषन
ब्रम्हा	ब्रह्मा
राजग्रह	राजगृह
कूरता	क्रूरता
कृप्या	कृपया
गुरुजी	गुरूजी

धयानमग्न	ध्यानमग्न
बुध	बुद्ध
प्रल्हाद	प्रह्लाद
ताबुत	ताबूत
रिष्यमूक	ऋष्यमूक
रिषि	ऋषि
पंचबटी	पंचबटी
शकल	शक्ल
अकल	अक्ल
प्रिथवी	पृथ्वी
क्रिपा	कृपा
बिलाप	विलाप
रितु	ऋतु
समुन्दर	समुद्र
पिताम्भर	पीताम्बर
बाघिनि	बाघिन
क्रितज्ञता	कृतज्ञता
सिसिर	शिशिर
शुन्य	शून्य
छड़-भर	क्षण-भर
छड़	क्षण
सतकार	सत्कार
पच्छ	पक्ष
निर्पराध	निरपराध
अस्थापना	स्थापना
अस्पष्ट	स्पष्ट
इस्कूल	स्कूल
बातावरण	वातावरण
बानकी	बानिकी

अस्मरणीय	स्मरणीय
आद्रता	आर्द्रता
उपलक्ष	उपलक्ष्य
भ्रकुटी	भृकुटी
विरदावली	विरदावलि
जर्दी	जरदी
ईण-वर	ईश-वर
भगवत् गीता	भगवद् गीता
निर्पवाद	निरपवाद
बिकराल	विकराल
भाग्य	भाग
रिचा	रचा
अस्मृति	स्मृति
लहूलुहान	लौहूलुहान
चिन्ह	चिह्न

उक्त वर्णित उच्चारण सम्बन्धी त्रुटि के मुख्य कारण निम्नवत हैं—

(1) क्षेत्रीय बोली का प्रभाव।

(2) भौगोलिक प्रभाव।

(3) सामाजिक प्रभाव।

(4) पारिवारिक प्रभाव।

(5) धार्मिक प्रभाव।

(6) ध्वनियों से उच्चारण स्थान और प्रयत्न की अज्ञानता।

(7) विराम चिन्हों के ज्ञान का अभाव।

(8) बलाघात के ज्ञान की कमी।

(9) उचित आरोहावरोह के ज्ञान की कमी/आदि।

(1) क्षेत्रीय बोली का प्रभाव—यह बात कटु सत्य है कि बालक अपनी माँ के दूध के साथ अपनी मातृ-भाषा को ही सीखता है। मातृ-भाषा-क्षेत्र विशेष की क्षेत्रीय बोली होती है। विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के योग से राज्य भाषा या राष्ट्र-भाषा का निर्माण होता है। हिन्दी हमारी राज्य-भाषा है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश तथा दिल्ली प्रान्तों की भी राज्य-भाषा हिन्दी ही है। और सम्पर्क भाषा के रूप में यह भारत के सभी राज्यों में बोली एवं समझी जाती है।

मातृ-भाषा विचार विनिमय का सरलतम साधन है इसलिए प्रारम्भ में शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृ-भाषा ही होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम होने के कारण मातृ-भाषा अन्य भाषाओं एवं समस्त ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन की नींव मानी जाती है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डा० जाकिर हुसेन ने लिखा है कि—"मातृ-भाषा में शिक्षा-प्रदान करने की मांग में न केवल देश-भक्ति का ही भाव निहित है, बल्कि मनोविज्ञान और अच्छी शिक्षा के सिद्धान्तों का भी तकाजा है कि शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा ही होनी चाहिए यही तकाजा शिक्षा के आर्थिक पक्ष का भी है।"

उक्त बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, क्षेत्रीय बोली यह क्षेत्रीयता का प्रभाव अपरिहार्य है। हमारी मातृ-भाषा हिन्दी की 18 क्षेत्रीय बोलियां हैं। जिनमें कुछ साहित्यिक दृष्टि से इतनी सम्पन्न थीं की काल विशेष में उन्हें भाषा की संज्ञा दे दी गयी थी-जैसे-ब्रजभाषा, अवधीभाषा आदि परन्तु आज ये हिन्दी की बोलियां हैं। खड़ी बोली पहले हिन्दी की एक बोली थी। खड़ी बोली, बांगरू ब्रज, कन्नौजी, बुन्देली, अवधी, बघेली, छत्तीस गढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मैवाली, गालवी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, गढ़वाली, कुमांवनी, नैपाली, हिन्दी की कुल 18 बोलियां हैं।

बालक अपने प्रारम्भिक जीवन में अपनी मातृ-भाषा के मौखिक रूप को ही सीखता है। विद्यालय में प्रवेश लेने के पहले उसके पास जो भी शब्द भंडार होता है यह उसकी क्षेत्रीय बोली का होता है। शिक्षण-नियमों के अनुसार पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बालक को शिक्षा दी जाती है। अतः प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय बोली ही होती है। लेकिन बालक के मानसिक विकास के साथ ही उसे परिनिष्ठित हिन्दी (खड़ी बोली में) ही शिक्षा देनी चाहिए। वैसे लिखित रूप में वह खड़ी बोली का ही प्रयोग करता है। कक्षा स्तर के अनुसार अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों को हिन्दी भाषा के मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में समान्तर लायें और बच्चों को परिनिष्ठित हिन्दी में बोलकर अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनायें।

मनुष्य की शारीरिक संरचना पर भौगोलिक (पर्यावरणीय) परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय विभिन्नता के फलस्वरूप व्यक्ति की आकृति एवं रंग में भी भिन्नता आ जाती है। शारीरिक संरचना की विभिन्नता के कारण व्यक्ति के वाद्ययन्त्रों में भी भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उच्चारण में भी स्वभावतः अनेकरूपता दिखायी पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों का उच्चारण मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भिन्न होता है। इस उच्चारण भिन्नता का कारण भौगोलिक विपरीतता ही है। हिन्दी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हिन्दी के समग्र क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से कई भागों में विभक्त किया जा सकता है, इसलिए हिन्दी में उच्चारण की विभिन्नता स्वाभाविक है। बंगाल एवं पहाड़ के रहने वाले लोग वर्णों का उच्चारण प्रायः ओष्ठ गोल करके करते हैं। इनके द्वारा उच्चरित वर्णों का उच्चारण आकार गोल होता है। इन स्थानों के निवासी "क" को "क" "ख"

को "खो" की भांति बोलते हैं। इसी प्रकार पंजाबी तथा अवधी क्षेत्र के रहने वाले वर्गों को दीर्घान्त कर देते हैं। वे "क" को "ख" को "खा" "शेर" को "शेरा" कहते हैं। मारवाड़ आदि में "स" के स्थान पर "ह" का और गुजरात तथा राजस्थान में "न" के स्थान पर "ण" का प्रयोग प्रचलित हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उच्चारण भेद में पर्यावरणीय परिस्थितियों का विशेष महत्व है।

समाज में प्रचलित बोलियों का भी उच्चारण पर प्रभाव पड़ता हैं। बोलियों में शब्दों का उच्चरित रूप से खड़ी बोली के शब्दों से भिन्न होता है। बच्चे तो बोलियों के उच्चरित रूप से ही परिचित होते हैं अतः बोलने में वे उसी का व्यवहार करते हैं जो खड़ी बोली के अनुरूप नहीं होता है। दूसरी भाषाओं के शब्द भी कभी-कभी घिस-पिटकर बोलियों में आ जाते हैं इनमें से कुछ शब्द तो इतने विकृत हो जाते हैं कि उनके मूल रूप को जानना ही कठिन हो जाता है, जैसे—सिगल, करनेल, लाट, कप्तान, कलट्टर, ताबुत, तुफान आदि।

पारिवारिक प्रभाव के कारण भी बच्चे के उच्चारण में भिन्नता मिलती है उदाहरण के लिए यदि बच्चा पंजाबी परिवार का है तो यह "स्कूल" को "सकूल" स्कूटर" को "सकूटर" "स्टेशन" को "सटेशन" ही बोलता है।

बच्चों के उच्चारण पर उनके पारिवारिक परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि बच्चा इस्लाम धर्मावलम्बी परिवार से सम्बन्धित है तो निश्चय ही वह संस्कृतानिष्ट शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पायेगा। जैसे—क्वाथ-काढ़ा, श्रवण-सरवन, श्रुति-सुरूति, दर्पण का दरपन, कीर्ति का कीरति, दर्शन का दरशन, वर्ण का वरण, सर्वश का सरवश, जीर्ण का जीरण।

ध्वनियों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न की अज्ञानता के कारण बच्चे शब्दों का शुद्ध उच्चारण या वाचन नहीं कर पाते जैसे—स्वच्छ का स्वक्ष, छात्र का क्षात्र, कक्षा का कच्छा, ऋचा का रिचा, कृपा का क्रिया सभा को शभा, इच्छा को इक्षा आदि।

विराम चिन्हों की अज्ञानता के कारण भी बच्चे उचित आरोहावरेह के साथ शुद्ध वाचन नहीं कर पाते जैसे—

मारो, मत जाने दो खल को।
मारो मत, जाने दो खल को।
पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग-नर्क सा हेतु।
पराधीन जो जन, नहीं स्वर्ग-नर्क सा हेतु।

(1) रुको मत जाओ।
(2) रुको, मत जाओ। (जाने का निषेध स्पष्ट है)
(3) रुको मत, जाओ। (रुकने का निषेध हो जाता है)

बलाघात की अज्ञानता के कारण छात्र शब्दों का उच्चारण त्रुटिपूर्ण करते हैं जैसे—सामूहिक का सामूहिक' राजनैतिक का राजनीतिक, भौगोलिक का भूगोलिक आध्यात्मिक का आध्यात्मिक आदि ।

कविताओं के वाचन में सस्वर आदर्श वाचन को ठीक से न सुनने के कारण बच्चे उचित आरोहावरोह के साथ शुद्ध-शुद्ध कविता का वाचन नहीं कर पाते हैं । जैसे—

''रण-बीच चौकड़ी भर भर कर,
चेतक बन गया निराला था ।
राणा प्रताप के घोड़े से,
पड़ गया हवा का पाला था ।।''

या

नाथ, एक आवा कपि भारी,
सो अशोक, बा टिका, उजारी ।।
"नाथ एक आवा कपि भारी ।
सो अशोक, वाटिका, उजारी ।।''

इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि मात्र 25 प्रतिशत छात्रों में वाचन अभिरुचि की मात्रा कम है । शेष 75 प्रतिशत छात्रों में अभिरुचि अधिक है । छात्रों से मौखिक प्रश्न करने से यह ज्ञात हुआ कि इसके निम्नलिखित कारण हैं—

(1) अभिभावकों का बच्चों की पढ़ाई पर कम ध्यान देना या उनका पिछड़ापन ।

(2) उच्चारण अशुद्धि के कारण कुछ बच्चे सस्वर वाचन से (कतराते हैं) जी चुराते हैं, बचना चाहते हैं ।

(3) अध्यापकों तथा अभिभावकों से वंचित प्रोत्साहन का अभाव ।

(4) विद्यालय में सस्वर वाचन हेतु समय की अनुपलब्धता ।

(५) सस्वर वाचन के अवसरों का अभाव आदि ।

विद्यालयों में वाचन के प्रति अध्यापकों की अभिरुचि के सम्बन्ध में सम्बन्धित भाषा-अध्यापकों से मौखिक जानकारी प्राप्त की गयी, जिससे यह ज्ञात हुआ कि प्रतियोगिताओं इत्यादि में छात्रों अथवा उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों को विभाग द्वारा उचित प्रोत्साहन या पुरस्कार नहीं मिलता और न ही समाज द्वारा ही उनका किसी प्रकार का प्रोत्साहन या पुरस्कार मिलता है । अन्य विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक बच्चों की वाचन अभिरुचि के विकास में पूर्ण सहयोग नहीं देते ।

पूर्व माध्यमिक स्तर के छात्रों के वाचन में उच्चारण सम्बन्धी त्रुटियों को निम्नलिखित उपायों से दूर किया जा सकता है :—

(1) बालक के समक्ष शुद्ध-भाषा का ही प्रयोग किया जाय। उन्हें शुद्ध उच्चरित भाषा सुनने का अधिक अवसर प्रदान किया जाय।

(2) यदि बालक किसी शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ है तो उस शब्द का खण्ड-खण्ड करके उच्चारण अभ्यास कराया जाय।

(3) ऋ, श, ष, क्ष, ज्ञ, व, ड़, ख ध्वनियों का अलग-अलग उच्चारण अभ्यास कराया जाय। इन वर्णों के उच्चारण में कुशल हो जाने पर बालकों से इन वर्णों से बने शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराया जाय।

(4) बालकों को वर्णों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर तदनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाय।

(5) चार्ट द्वारा जिह्वा के स्पर्श स्थानों, ओठों की आकृतियों आदि को दिखाना चाहिये। इससे बालकों को वर्णों के उच्चारण स्थान का शुद्ध ज्ञान हो जायगा और वे शुद्धोच्चारण के साथ वाचन कर सकेंगे।

(6) विद्यालय में बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। इसके लिए कहानी, वार्तालाप, संवाद, कवि-जयन्ती, काव्य-गान, कवि-सम्मेलन, काव्य-गोष्ठी, कवि-दरबार, समस्यापूर्ति, अन्त्याक्षरी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन, वर्ग, कक्षा एवं विद्यालय आदि समस्त स्तरों पर किया जाय।

(7) छात्रों की उच्चारण सम्बन्धी त्रुटियों का संशोधन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिये।

(8) व्यक्तिगत त्रुटि का संशोधन व्यक्तिगत स्तर पर ही किया जाना चाहिये।

(9) छात्रों को मानक उच्चारण सुनने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। इसके लिए उन्हे रेडियो, टेप-रिकार्डर, टेलीविजन, वीडियो आदि यन्त्रों को देखने एवं सुनने का अवसर प्रदान करना चाहियें।

(10 पढ़ने अथवा बोलने का कार्य प्रारम्भ में कक्षा के अच्छे छात्रों से करवाया जाय।

सुझाव—

बच्चों के वाचन अभिरुचि के विकास हेतु निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाये जा सकते हैं :—

(1) विद्यालयों में छात्रों को वाचन हेतु अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जाय।

(2) वाचन शिक्षण में वाचन-शिक्षण की सातों विधियों का प्रयोग किया जाय। वाचन शिक्षण की सात विधियाँ—

[1] देखो और कहो विधि

[2] अक्षर बोध विधि

[3] ध्वनि साम्य विधि

[4] अनुध्वनि विधि

[5] भाषा शिक्षण की यन्त्र विधि

[6] समवेत पाठ विधि

[7] संगति विधि ।

(3) कवि-जयन्ती, काव्य-पाठ, कवि-सम्मेलन, काव्य-गोष्ठी, कवि-दरबार, समस्यापूर्ति, अन्त्याक्षरी, काव्य-पाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय प्रांगण में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवम्बर, 5 सितम्बर आदि पर्वों पर करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय आये हुये छात्रों एवं सम्बन्धित अध्यापकों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाय। ऐसा करने पर छात्रों एवं अध्यापकों दोनों में वाचन के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी।

(4) कक्षा में अच्छा वाचन करने वाले छात्र को उत्साहित किया जाय, उसकी सराहना की जाय। इससे कक्षा के अन्य छात्रों में भी सुन्दर वाचन करने की अभिरुचि जागेगी और सुन्दर संस्वर एवं मौन वाचन हेतु वे अपने आपको तैयार करेंगे।

(5) सुन्दर वाचन करने वाले विद्यार्थी को उपयोगी पत्र एवं पत्रिकाएँ प्रोत्साहन में पढ़ने के लिए दी जाय।

(6) बच्चों में वाचन अभिरुचि के विकास हेतु कहानी, नाटक, एकांकी आदि की लघु पुस्तिकाएँ दी जाय।

(7) छात्रों में वाचन अभिरुचि के विकास हेतु कक्षा या विद्यालय स्तर पर वाचन प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाय तथा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाय और साथ ही साथ उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाय। ऐसा करने से अध्यापकों एवं छात्रों दोनों की वाचन के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी।

14

राज्य के विभिन्न स्तर के शिक्षक संघों की शैक्षिक उन्नयन में भूमिका

1—**आवश्यकता** :—उ० प्र० राज्य की शिक्षा प्रणाली को मूल रूप से तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है— बेसिक (प्रारम्भिक कक्षाँ 1 से 8 तक), माध्यमिक (कक्षा 12 तक) तथा उच्च (स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाएँ तीनों ही स्तर के शैक्षिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अपने-अपने स्तर के संघ है जिनके माध्यम से अध्यापक अपने-अपने विचार, माँगे, कठिनाईयाँ आदि शासन तक पहुँचाते हैं। अपनी माँगे मनवाने और शासन को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कभी-कभी संघ आन्दोलनों एवं हड़तालों का भी सहारा लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान पड़ता है। संघों के माध्यम से व्यक्त माँगों के पीछे एक यह भी उद्देश्य रहता है कि यदि अध्यापकों की आर्थिक अवस्था सुधरेगी तो शिक्षण व्यवस्था में भी सुधार होगा। अतः यह ज्ञात करना आवश्यक है कि अब तक संघों ने वर्तमान शिक्षण व्यवस्था को सुधारने में क्या योगदान किया है।

2—**उद्देश्य** :—अध्यापकों ने शिक्षक संघों में विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को सुधारने और उसके उन्नयन में क्या योगदान दिया है।

4—**परिकल्पना** :—शिक्षक संघों की स्थापना के पीछे यह उद्देश्य निहित था कि इसके माध्यम से अध्यापकों का कल्याण होगा तथा साथ-साथ प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था के उन्नयन में संघ के माध्यम से अपनी माँगे मनवाने के लिए आन्दोलन तथा हड़तालों का सहारा लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है तथा विद्यालयों में न तो समय से पाठ्यक्रम पूर्ण होता है और न परीक्षा/छात्र तथा अभिभावक एक तनाव की अवस्था में बने रहते हैं। अतः संघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा छात्रों, अभिभावकों और जन मानस पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सफल नहीं रहा है।

5— परिसीमन :— (1) यह अध्ययन प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित रहेगा।

(2) इस अध्ययन हेतु प्रदेश के झांसी, वाराणसी, आगरा तथा पौड़ी मन्डलों के क्रमशः बांदा, मिर्जापुर, आगरा तथा देहरादून जनपद चयनित किए जाएँगे ।

(3) प्रत्येक चयनित जनपद से चार-चार माध्यमिक विद्यालय लिये जायेंगे जिनमें से तीन विद्यालय बालकों के तथा एक बालिकाओं के होंगे ।

6—**कार्यविधि**:—(क) न्याय दर्श का चयन (1) जनपदों के चयनित विद्यालयों में विभिन्न शिक्षण संघों से सम्बन्धित प्रधानाचार्य, अध्यापकों से पृच्छा-प्रपत्रों के माध्यम से संघों के विषय में जानकारी तथा विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के उन्नयन में किये गए योगदान को ज्ञात करना ।

विश्लेषण :—उत्तर प्रदेश के चार चयनित जनपदों बांदा, मिर्जापुर, आगरा और देहरादून—के 13 इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों/अध्यापकों द्वारा पूर्ण किए गए पृच्छा प्रपत्र सम्बन्धित जनपदीय जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से निम्न सारणीनुसार प्राप्त हुए :—

सारिणी

क्रम सं०	जनपद	कालेज संख्या		योग	पृच्छा प्रपत्र पूर्ण करने वाले				
		बालिका	बालक		प्रधानाचार्य	प्रवक्ता	स्नातक अध्यापक	सी० टी० अध्यापक	योग
1	बांदा	1	1	2	1	3	2	2	8
2	मीरजापुर	1	2	3	1	4	7	–	12
3	देहरादून	1	3	4	2	3	3	1	9
4	आगरा	1	3	4	1	8	5	2	16
	योग	4	9	13	5	18	17	5	45

इन 13 विद्यालयों में से 3 विद्यालय राजकीय तथा शेष राजकीय सहायता प्राप्त थे और सभी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०, इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त थे । पृच्छा-प्रपत्रों से निम्न बिन्दु स्पष्ट हुए :—

(क) 1—सभी प्रधानाचार्य, उ० प्र० प्रधानाचार्य परिषद के सदस्य हैं ।

2—सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ माध्यमिक शिक्षा संघ, उ० प्र० शर्मा/पाण्डेय गुट के सदस्य है !

(ख) राजकीय विद्यालयों के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ राजकीय शिक्षक संघ के सदस्य है।

(ग) उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है इस शोध अध्यन में प्रदेश के चार मण्डलों– झांसी, वाराणसी, गढ़वाल और आगरा के 13 इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या और अध्यापक/अध्यापिका ने प्रतिभाग किया जिनमें :—

1—बालिका इण्टर कालेज की संख्या 4

2—बालक इण्टर कालेजों की संख्या 9 है।

पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से एकत्र की गयी सूचनाओं से शिक्षक संघों की शैक्षिक उन्नयन में लिए गए योगदान के निम्न बिन्दु प्रमुख से स्पष्ट हुए :—

1—विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षण व्यवस्था में सुधार हेतु सक्रिय सहयोग, प्रदान करना।

2—शिक्षकों के हितों, सेवा सम्बन्धी समस्याओं, शोषण और उनके प्रति होने वाले अन्याय को अधिकारों और शासन के सम्मुख संघ के माध्यम से प्रस्तुत करना।

3—विद्यालय एवं छात्र/छात्राओं की व्यवहारिक समस्याओं, शैक्षिक संसाधनों के आभाव को संघ के माध्यम से अभिभावकों और अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उनके निदान हेतु सहयोग प्राप्त करना।

4—संघ के माध्यम से अध्यापकों/अध्यापिकाओं की कमी को शिक्षकों का प्रबन्ध करके दूर करना।

निष्कर्ष—उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि शिक्षक संघों की शैक्षिक उन्नयन में भूमिका केवल सैद्धान्तिक है तथा व्यवहारिक रूप से नगण्य है क्योंकि संघों के मुख्य उद्देश्य अध्यापकों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं को दूर करता है और हितों की सुरक्षा करना है तथा अपनी मांगों को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करके उनके माध्यम से शासन तक पहुँचाना है। छात्रों, अध्यापकों और राजनीतिक आन्दोलनों, हड़तालों आदि के कारण शैक्षिक सत्रों में नष्ट हुए कार्यदिवसों के परिणामस्वरूप छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन तथा पाठ्यक्रम पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी सुझाव अथवा रूप रेखा नही बतायी है। न ही संघों ने किसी भी विद्यालय में भवन निर्माण, जल व्यवस्था, पुस्तकालय प्रयोगशाला, शैक्षिक संसाधन, आदि को सुधारने में रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है।

15

माध्यमिक विद्यालयों के वीक्षण कार्यक्रमों की प्रभावात्मकता का अध्ययन

पृष्ठभूमि—

आधुनिक भारत की सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा के क्षेत्र में समयानुसार नवीन प्रवृत्तियों एवं विचार-धाराओं का जन्म हुआ। इसके फलस्वरूप शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य तथा शिक्षण विधियों आदि में क्रान्तिकारी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। विद्यालयों के बदलते हुये परिवेश तथा शिक्षा के अपेक्षित आकांक्षाओं के अनुरूप निरीक्षण के स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन हुआ।

इस प्रकार विद्यालय निरीक्षण व्यवस्था में विभिन्न परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों के अनुसार हमारे प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में वीक्षण व्यवस्था का प्राविधान बहुत दिनों से चला आ रहा है। परन्तु वीक्षण की वास्तविक संकल्पना को ध्यान में रखते हुये गंभीरता से चिन्तन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इण्टरमीडिएट कालेजों के वर्तमान निरीक्षण से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वीक्षण व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक समझा गया।

शोध अध्ययन का उद्देश्य—

(1) निम्नलिखित के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षकों प्रधानाचार्यों एवं विद्यालयों शिक्षक-अभिभावक संघ के अध्यक्षों के दृष्टिकोण का पता लगाना।

(2) वर्तमान निरीक्षण व्यवस्था से इण्टरमीडिएट कालेजों के शिक्षा में हो रहे गुणात्मक सुधार की समीक्षा करना।

(3) विद्यालय की पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों तथा अन्य गतिविधियों पर नामिका निरीक्षण का प्रभाव ज्ञात करना।

(4) नामिका निरीक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सुझावों का संकलन करना।

परिकल्पना—

शिक्षा व्यवस्था एवं उसके बदलते हुये आयाम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान वीक्षण व्यवस्था शैक्षिक स्तर तथा पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों के सुधार में असफल सिद्ध हुई है।

परिसीमन—

वर्तमान वीक्षण व्यवस्था की प्रभावात्मकता का अध्ययन करने हेतु इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद तथा बरेली मण्डल के 5 जिला विद्यालय निरीक्षकों, 25 *इण्टरमीडिएट कालेजो का चयन किया गया। चयनित विद्यालयों में उनके अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्षों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।

उपकरण—

इस शोध अध्ययन को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित पृच्छा प्रपत्रों का प्रयोग किया गया :—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए।

(2) प्रधानाचार्यों के लिए।

(3) अभिभावक संघ के अध्यक्षों के लिए।

कार्यविधि—

शोध अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये उपर्युक्त पृच्छा प्रपत्र तैयार किये गये। पूर्व निर्धारित प्रतिदर्श चयन के अनुसार 5 जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं उनके अधीन 5 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा उनके शिक्षक अभिभावक संघों के अध्यक्षों से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया।

प्रतिदर्श विश्लेषण—

शोध अध्ययन से स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सभी पृच्छा प्रपत्रों के अलग-अलग अध्ययन एवं विश्लेषण से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं—

सारिणी संख्या—1

जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्रतिक्रियायें

प्रश्न	प्राप्त प्रतिक्रियायें			
	हां	नहीं	सामान्य	आंशिक
(1) विशेषज्ञों की संख्या पर्याप्त	2	—	—	—

(2) निर्धारित तीन दिन का समय पर्याप्त ।	2	—	—	—
(3) विशेषज्ञों की कमी पारिश्रमिक की न्यूनता के कारण ।	2	—	—	—
(4) परिणात्मक एवं गुणात्मक सुधार	—	—	2	—
(5) शैक्षिक स्तर में सुधार	—	—	2	—
(6) पाठ्य सहगामी तथा अन्य क्रियाकलापों में सुधार ।		1	1	
(7) वीक्षण के परामर्श का निर्देशन पक्ष पर प्रभाव ।		1	1	

वर्तमान निरीक्षण के अन्तर्गत निरीक्षण हेतु निर्धारित तीन दिन का समय और 3 विशेषज्ञों की संख्या के सम्बन्ध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों का विचार है कि इनमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक मत होकर यह विचार व्यक्त किया है कि विशेषज्ञों की कम उपस्थिति का प्रमुख कारण पारिश्रमिक की न्यूनता है ।

उनका विचार है कि वर्तमान व्यवस्था से विद्यालय की शिक्षा में होने वाले परिणामात्मक एवं गुणात्मक सुधार केवल आंशिक रूप से ही प्रभावित होते हैं इससे अधिक नहीं साथ ही शैक्षिक स्तर के उन्नयन में भी इसका आंशिक प्रभाव ही रहता है ।

सारिणी संख्या—2

प्रधानाचार्यों की प्रतिक्रियायें में

प्रश्न	होता है	नहीं होता है	सामान्य से कम	सामान्य	सामा० से अधिक
(1) निर्धारित अंतराल पर	5	1	—	—	—
(2) परीक्षाफल प्रभावि	5	1	—	—	—
(3) गुणात्मक सुधार की सीमा	0	0	1	4	1
(4) पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के प्रभावित होने की सीमा	—	—	1	4	1

(5) दृष्टिकोण केवल	4	1			
आलोचानात्मक	1	4	—	—	—
(6) निरीक्षण उद्देश्यहीन					

83.5 प्रतिशत प्रधानचार्यों का मत है कि उनके विद्यालयों में नामिका निरीक्षण कार्य निर्धारित अन्तराल पर ही सम्पन्न हो जाता है किन्तु 15.5 प्रतिशत का मत है कि ऐसा नहीं होता है।

विद्यालयों के परीक्षाफल से संबंधित प्रतिक्रियाओं से यह बात स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था की प्रभावकारिता 83.5 है शिक्षा में होने वाले गुणात्मक सुधार की सीमा के सम्बन्ध में केवल 16.7 प्रतिशत ने इस बात की पुष्टि की है कि यह सुधार सामान्य से अधिक सीमा तक प्रभावित होता है। 66.6 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इस सामान्य सीमा तक ही प्रभावी स्वीकार किया है। जबकि 16.7 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि इनकी प्रभावकारिता सामान्य से भी कम है। इसी प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की प्रभावकारिता की सीमा के सम्बन्ध में 16.7 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इसे सामान्य से अधिक 16.7 प्रतिशत ने सामान्य तथा 66.6 प्रतिशत ने सामान्य से कम माना है।

निरीक्षण के समय निरीक्षकों का दृष्टिकोण सुधारात्मक न होकर आलोचनात्मक होता है, इस विचार की पुष्टि 83.3 प्रतिशत प्रधानाचार्यों द्वारा की गई है। 16.7 प्रतिशत ने इसका विरोध किया है। अधिकांश 83.3 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान निरीक्षण व्यवस्था उद्देश्यहीन होकर रह गई है। जबकि 16.7 प्रतिशत ने इसका खण्डन किया है।

सारिणी संख्या– 3

शिक्षक अभिभावक संघों के पदाधिकारियों की प्रतिक्रियायें

	हां	नहीं	स्वात्मक	आंशिक	पूर्ण
(1) क्या आपको वीक्षण सम्बन्धी आख्या से अवगत कराया जाता है?	4	1	—	—	—
(2) वीक्षण आख्या को लागू करने में संघ की भूमिका		3	2		
(3) वीक्षण कार्यक्रम विद्यालय सुधार में कहां तक प्रभावी है।				5	1

66.8 प्रतिशत अभिभावक संघ में अध्यक्षों ने मत व्यक्त किया है कि उनको वीक्षण आख्या से अवगत कराया जाता है। 16.7 ने वीक्षण आख्या द्वारा अवगत न कराये जाने की बात की है शेष 16.5 ने कोई मत नहीं व्यक्त किया है। 50 प्रतिशत अभिभावक संघ के अध्यक्षों ने वीक्षण आख्या को लागू कराने में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करने का मत व्यक्त किया है। 83.3 प्रतिशत में वीक्षण कार्यक्रम को विद्यालय सुधार में आंशिक लाभकारी पाया है तथा 16.7 ने इसे पूर्ण लाभकारी बताया है।

विश्लेषण से प्राप्त परिणाम—

(1) विभिन्न पृच्छ प्रपत्रों द्वारा प्राप्त प्रतिदर्शों का विधिवत विश्लेषण करने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वर्तमान वीक्षण व्यवस्था शैक्षिक स्तर के उन्नयन में असफल सिद्ध हुई है।

(2) प्रतिदर्श विश्लेषण से यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि विद्यालयों के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों एवं अन्य गतिविधियों में सुधार लाने के लिए हमारी वर्तमान वीक्षण व्यवस्था प्रभावहीन है।

(3) वर्तमान नामिका निरीक्षण व्यवस्था मात्र औपचारिक ही रह गई है।

निष्कर्ष—

उपर्युक्त विवेचन से शोध परिकल्पना के सत्यापन की पुष्टि होती है।

सुझाव—

(1) वीक्षण कार्य हेतु विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति उनकी योग्यता अनुभव एवं विद्यालय विषयक आवश्यकता आदि महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

(2) निरीक्षण कार्य को सम्मानजनक बनाने हेतु मानदेय में वृद्धि आवश्यक है।

(3) जिला विद्यालय निरीक्षक का अधिकांश समय दिन प्रतिदिन के प्रशासकीय कार्यों में व्यतीत होने के फलस्वरूप वीक्षण कार्य मात्र दिखावटी रह गया है। ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को चाहिए कि वह अधिकांश समय प्रशासकीय कार्यों की देख-रेख के लिए सह जिला विद्यालय निरीक्षक का सहयोग प्राप्त करें जिससे कि वे निरीक्षण कार्य निश्चित होकर अधिक से अधिक समय देकर कर सके। यदि वे इसके प्रति उदासीन होते है तो निरीक्षकों की नियुक्ति की अवधारणा ही निष्प्रभावी हो जाती है।

(4) निरीक्षण के समय विषय विशेषज्ञों की अनुपस्थिति से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने हेतु शिक्षा विभाग में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों एवं परामर्शदाता नियुक्त किये जांय तो ऐसी योजना से वर्तमान निरीक्षण व्यवस्था अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली बन सकती है।

(5) निरीक्षण द्वारा विद्यालयों का मूल्यांकन कर श्रेष्ठता के अनुसार वर्गीकरण किया जाय तथा ऐसे वर्गीकरण के आधार पर निम्न स्तर के विद्यालयों के निरीक्षण एवं सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जाय ।

(6) प्रत्येक क्षेत्र के अच्छे विद्यालय को संदर्भ केन्द्र मानकर उसके आस-पास के अन्य विद्यालयों का उस संदर्भ केन्द्र से सह सम्बन्ध स्थापित किया जाय । ऐसे संदर्भ केन्द्र अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनेंगे ।

(7) निरीक्षकों के लिए विभाग द्वारा प्रशिक्षण तथा कार्यशाला आदि आयोजित किये जाय जिसमें उनका प्रतिभाग सुनिश्चित कर उपयोगी बनाया जाय ।

(8) निरीक्षण मात्र निरीक्षण नहीं वरन मूल्यांकन, निर्देशन, मार्ग दर्शन एवं परामर्श आदि का संतुलित रूप होना चाहिए तभी इसके वांछित उद्देश्य की पूर्ति संभव होगी ।

16

माध्यमिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत प्रशासन योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयाँ और उनके प्रभाव का अध्ययन

पृष्ठभूमि —

शिक्षा के प्रसार हेतु शिक्षा साधन के रूप में विद्यालयों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालय संचालित थे और अशासकीय विद्यालयों पर शासन का नियंत्रण एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जनतांत्रिक परम्परा को ध्यान में में रखते हुए व्यक्तिगत प्रयासों पर आधारित अशासकीय विद्यालयों के संचालकों के अधिकारों पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रखा गया था। कालान्तर में आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षाविदों के सुझावों एवं शासन स्तर पर लिये गये निर्णयों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा अधिनियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। इन परिवर्तनों में 1959 में अशासकीय विद्यालयों के लिए प्रशासन योजना के निर्माण का प्राविधान किया गया इन विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने तथा उसकी संचालन व्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु समय-समय पर नवीन परिवर्तन शृंखला में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग 1982 का गठन इसकी नवीनतम परिवर्तन शृंखला में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इन परिवर्तनों के बावजूद प्रशासन योजना के पूर्ण रूपेण कार्यान्वयन की प्रक्रिया सफल नहीं हो पा रही है। विद्यालयों में प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय एवं अनुशासनात्मक समस्याएं दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। प्रशासन योजना कोई मशीन तंत्र नहीं जो निश्चित नियमों के अन्तर्गत एक समान व्यवहार करे। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि प्रशासन योजना के पूर्णतः व्यवहारिक न होने के मार्ग में उन कठिनाइयों के कारण एवं उनके निराकरण के उपाय अन्वेषित किये जांय। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर संस्थान द्वारा इस ज्वलन्त समस्या पर शोध अध्ययन प्रस्तुत किया गया।

उद्देश्य—

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत् थे—

(क) प्रशासन योजना के निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों / समस्याओं का पता लगाना।

(ख) प्रशासन योजना को व्यावहारिक बनाने हेतु उन कठिनाइयों / समस्याओं के समाधान हेतु सशक्त, प्रभावी सुझावों की संस्तुति करना।

परिसीमन—

शोध अध्ययन को दो जनपदों—इलाहाबाद, लखनऊ के अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों / प्रधानाचार्याओं, प्रबन्धकों तथा शिक्षाविदों के विचारों, अनुभवों एवं सुझावों तक सीमित रखा गया है।

कार्यविधि—

(क) प्रतिदर्श चयन—

शोध अध्ययन हेतु इलाहाबाद व लखनऊ जनपदों के कुल 20 प्रधानाचार्यों / प्रधानाचार्याओं, 20 प्रबन्धकों तथा 6 शिक्षाविदों को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है।

(ख) उपकरण—

निम्नांकित उपकरण शोध हेतु प्रयुक्त किये गये हैं :—

(1) प्रबन्धक प्रश्नावली

(2) प्रधानाचार्य प्रश्नावली

(3) शिक्षाविदों के विचार।

(ग) प्रदत्त संग्रह—

शिक्षा-बिदों के बहुमूल्य विचारों एवं सुझावों को प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया गया। संबंधित विषय पर केवल 2 शिक्षाविदों के विचार एवं सुझाव प्राप्त हुए। उसी प्रकार 20 विद्यालयों के प्रबन्धकों में केवल 4 ने अपने अनुभव अन्य विचारों एवं सुझावों से अवगत कराया है।

प्रधानाचार्यों एवं प्रधाताचार्याओं दोनों को सम्मिलित करके 20 प्रश्नावलियां प्रेषित की गई थी जिनमें 16 प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्यो ने अपनी प्रतिक्रियाओं तथा सुझाव प्रेषित किये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विद्यालयीय व्यवस्था की रीढ़ प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या है। उन्हें विद्यालय की समस्याओं का जितना व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव है उतना अन्य किसी को नहीं है।

प्रदत्त विश्लेषण—

शिक्षा-विदों के विचार—जिन शिक्षा-विदों के अनुभव एवं सुझाव प्राप्त हुए है वे उन्हीं के शब्दों में निम्नवत् है—

(क) श्री श्रीनिवास शर्मा, अवकाश प्राप्त, शिक्षा निदेशक (बेसिक) के अनुभव जन्य विचार एवं सुझाव—

वर्तमान समय में अशासकीय विद्यालयों की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। यद्यपि समय-समय पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में परिवर्तन होते रहे हैं। प्रशासन योजना के निर्माण की प्रक्रिया परिवर्तनों की श्रृंखला में एक अच्छा प्रयास है। किन्तु प्रशासन योजना की प्रमुख धाराए-16 क, 16 ख, और 16 ग है जिनका यदि सही तरीके से अनुपालन किया जाये तो बहुत सी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। फिर भी कुछ समस्याएं उभर कर आती हैं—

(1) प्रबन्ध समिति का निर्वाचन होता नहीं है। यदि होता भी है तो उसका कोई निश्चित समय नहीं है।

(2) साधारण समिति के सदस्यों की अर्हताओं के लिये शैक्षिक योग्यताएं नहीं रखी गई है। ऐसे सदस्य विद्यालयीय समस्याओं को समझने असमर्थ में रहते हैं। ये केवल प्रबन्धक के इच्छित व्यक्ति होते हैं।

(3) यह अक्सर देखा गया है कि प्रबन्धक किसी न किसी राजनैतिक दल से सक्रिय रूप से सम्बद्ध होता है तथा बहुधा विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य भी होते है, किसी व्यवसाय में कार्यरत होते हैं और उनकी विद्यालयीय व्यवस्था में विशेष रूचि नहीं होती है।

(4) प्रधानाचार्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को उनके पद के साथ देखा जाता है किन्तु व्यवहार में प्रधानाचार्य प्रबन्ध व उसकी समिति पर आश्रित रहता है।

(5) वित्तीय क्षेत्र में सम्पूर्ण दायित्व प्रबंधक पर रहता है। प्रधानाचार्य इस अधिकार के अभाव में विद्यालय को अपेक्षित स्वरूप प्रदान करने में असमर्थ रहता है।

(6) जनसंख्या विस्फोट भी एक समस्या है। अधिक छात्र संख्या, भवन की कमी, अध्यापकों का अध्यापन कार्य न करना, कोचिंग सेन्टर में विशेष रूचि लेना आदि ऐसी समस्याएं है जो स्वस्थ विद्यालयीय वातावरण बनाने में बाधक है।

(7) विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य, और प्रबन्धक के मध्य संबंधों का जो संतुलन होना चाहिए उसका सर्वत्र अभाव है। स्वार्थों का संघर्ष है जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है।

सुझाव—

यूं तो अनेक समस्याएँ हैं किन्तु उन समस्याओं के निराकरण को जादूगर के छूमन्तर की तरह ढूंढ निकालना आसान कार्य नहीं है। यदि उनके निराकरण के उपायों में से कुछ का भी अनुपालन सही अर्थों में किया जाय तो प्रशासन योजना के कार्यान्वियन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने मे सहायता मिल सकती है।

(1) जिन विद्यालयों में समय से प्रबन्ध समिति का निर्वाचन न कराया जाये उनकी वित्तीय सहायता तुरन्त समाप्त कर दी जाय। इस प्रकार के नियम का होना आवश्यक है।

(2) वर्तमान समय में शिक्षा का प्रसार हो रहा है । अतः यह आवश्यक है कि साधारण समिति के सदस्यों की अर्हता के लिए शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल निर्धारित होनी चाहिए । वे केवल प्रबन्धक की रबरस्टैम्प न बने रहे । सदस्यता हेतु एक रुपया शुल्क साधारण समिति के स्तर को देखते हुए कम है । इस शुल्क में वृद्धि होनी चाहिए ।

(3) प्रबन्ध के चयन में यथा सम्भव इस बात का ध्यान रखा जाये कि पद हेतु शैक्षिक सेवा से अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के चयन को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके । वे शैक्षिक समस्याओं को समझते हैं और उनके निराकरण में अच्छा सहयोग प्रदान कर सकते हैं ।

(4) प्रधानाचार्य के अधिकार एवं कर्तव्य को वास्तविक स्वरूप देने की आवश्यकता है । वह अपने कार्यों के लिए प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी है किन्तु जब तक पूर्ण रूपेण उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते है तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना भी उचित नहीं जान पड़ता । अतः दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में समुचित नीति निर्धारित की जाय ।

(5) इसी प्रकार वित्तीय क्षेत्र में यह अपेक्षित होगा कि केवल प्रबन्धक व उसकी समिति का ही एकाधिकार न होने पाये । विद्यालय के वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानाचार्य को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये जाय ।

(6) अध्यापक गण शिक्षण कार्य करें और छात्र अध्ययन करें ।" का यह नारा है जिसके कार्यान्वियन हेतु मात्र नियमों को निर्माण करना ही पर्याप्त न होगा वरन् उनका प्रभावी कार्यान्वियन भी आवश्यक है जिसके लिए प्रतिवद्धता की भावना का विकास किया जाना चाहिए ।

वर्तमान राजनीति से दूर रहने का उपदेश विफल हो रहा है अतः यह आवश्यक है कि कोचिंग सेन्टर पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाये अभिभावकों को प्रेरित किया जाये कि वे विद्यालयीय व्यवस्था में अधिकाधिक रूचि लें ।

(7) प्रबन्ध समिति के सदस्यों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जाये । दो पदेन अध्यापकों का रहना या न रहना एक प्रकार से महत्वहीन हो जाता है ।

(ख) डा० राम कुमार बाउंट्रा—अवकाश प्राप्त अपर शिक्षा निदेशक के विचार एवं सुझाव—

डा० रामकुमार बाउन्ट्रा के विचार से प्रशासन योजना के कार्यान्वयन से निम्न कमियां देखने को मिलती है :—

(1) प्रशासन योजना में प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धकों के मध्य अधिकार कर्तव्यों का उचित संतुलन नही है ।

(2) विद्यालय प्रशासन में प्रबन्धकों की रूचि केवल वित्तीय मामलों में होती है उसके अन्य क्रिया कलापों के लिए प्रबन्धकों के पास समय का अभाव रहता है ।

(3) वर्तमान दूषित राजनीति से ग्रस्त होने से विद्यालयों में स्वार्थ संघर्ष चलता है। जिसका पलड़ा भारी होता है वही विद्यालय को संचालित करता है न शिक्षक वर्ग, प्रधानाचार्य एवं प्रबन्ध तंत्र। छात्र उसके उपकरण मात्र होते हैं।

(4) विद्यालयों में प्रशासन योजना हेतु निर्धारित अर्हताएं नहीं होती उनका हेरा-फेरी में विश्वास रहता है।

(5) प्रबन्धकीय एवं विद्यालय स्तर पर जो भी समस्याएँ उत्पन्न होती है उनके निराकरण हेतु विभाग को सहयोग करना पड़ता है। परन्तु विभाग के अधीन एक ही विद्यालय नहीं है, वरन् अनेक है। अत: कार्य की अधिकता का, जनपद स्तर पर जिम्मेदारियों को अधिक वोझ होने के कारण समय दे पाना सम्भव नहीं है इसलिए प्रशासन योजना के क्रियान्वयन पक्ष को सहायता नहीं मिल पाती।

सुझाव—

किसी भी समस्या के निराकरण की व्यवहारिकता अनुपालन ही में सिद्ध होती है। उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न सुझाव है।

(1) प्रधानाचार्यों के अधिकारों कर्तव्यों को प्रभावी बनाया जाये ·विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर प्रभाव रहे।

(2) विद्यालय की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु प्रबन्धक प्रधानाचार्य तथा कम से कम छः अध्यापकों को वरीयता के आधार पर चयनित करके एक समिति बनाई जाय जिससे वित्तीय अपव्यय का भय नहीं रहेगा तथा सामूहिक जिम्मेदारी होगी।

(3) प्रबन्ध समिति के समय से निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाये। इसके अनुपालन न होने पर वित्तीय सहायता रोक दी जाय।

(4) विद्यालयीय समस्याओं के निरीकरण हेतु जनपद स्तर के अधिकारियों के अनावश्यक दायित्वों को कम किया जाये।

(5) विद्यालय की प्रशासन योजना को स्वीकृति देने से पूर्व यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि विद्यालय इन अर्हताओं को परिपूर्ण करता है या नहीं। ऐसा भी होता है, विद्यालय प्रशासन योजना स्वीकृत कराने के बाद भी अपने तरीके से विद्यालय संचालन करते रहते हैं।

विद्यालय प्रबन्ध समिति प्रश्नावली—

प्रशासन योजना के माध्यम से विद्यालयीय प्रशासन व्यवस्था को जो स्वरूप प्रदान किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबन्धकों में आक्रोश है। वे शासकीय नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। सम्बन्धित प्रकरण पर उनकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों का सार निम्नवत् है—

प्रशासनिक—

(1) प्रबन्धकों की आम राय है कि शासन इन विद्यालयों के प्रति अधिक सशंकित है जो किसी जाति, धर्म जुड़े हुए है।

(2) अल्पसंख्यक विद्यालयों में एकाधिकार की ओर शासन का ध्यान नहीं जाता तथा अन्य विद्यालयों के लिए एकाधिकार न होने पाये, हेतु स्पष्ट निर्देश हैं। यह किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।

(3) यह धारणा सही नहीं है कि प्रबन्ध समिति का निर्वाचन नहीं कराया जाता है। अधिकांश सदस्य प्रबन्धक के इच्छित व्यक्ति होते हैं।

(4) विद्यालय में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति कराना प्रधानाचार्य, शिक्षकों एवं विभागीय तंत्र की मिली भगत साजिश है। यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है।

(5) एक प्रबन्ध समिति के होते हुए दूसरी प्रबन्धक समिति का गठन हो जाता है और विभागीय तंत्र संघ के नेताओं के प्रभाव में आकर उन्हें मान्यता दे देती है। इस प्रकार की कार्यवाही न्यायालय की शरण लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(6) प्रधानाचार्य अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते। अध्यापक गण शिक्षण कार्य से उदासीन है और कोचिंग में व्यस्त रहते हैं। छात्र पलायनवादी हो गये हैं। अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है।

(7) अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन की नीति स्पष्ट नहीं हैं। पद रिक्त रहते है।

(8) छात्रों की अधिक संख्या के अनुपात में भवन की कमी तथा फरनीचर का अभाव है। शासन से पर्याप्त सहायता नहीं प्राप्त होती है।

(9) विभागीय अधिकारी वर्ग कभी संघ के दबाव में आकर और कभी अपने प्रकार से कार्यवाही करके जटिल समस्याएं उत्पन्न करते है। विद्यालयीय व्यवस्था पर उक्त अनुचित दबाव का बुरा प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय समस्याएँ—

(1) अधिकांश प्रबन्धकों की राय है कि निःशुल्क शिक्षा ने विद्यालयीय वित्तीय व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। पर्याप्त धन के अभाव में विद्यालयीय व्यवस्था करना संभव नहीं हो पा रहा है।

(2) बढ़ती हुई मंहगाई के कारण विद्युत कर फर्नीचर की मरम्मत, भवनों की मरम्मत, और विद्यालय कार्यालय से सम्बन्धित सामग्री आदि की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(3) विज्ञान विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है किन्तु अर्थाभाव के कारण विज्ञान प्रयोग शालाओं की समुचित व्यवस्था करना कठिन कार्य हो गया है।

(4) शिक्षण हेतु जितने भी प्रकार के शुल्क छात्रों से लिये जाते है वे वर्तमान में खर्चीले विद्यालय व्यवस्था के लिए अपर्याप्त है।

(5) प्रबन्धकों की राय है कि विभागीय तंत्र वेतन, पेंशन, और भविष्य निधि के शीघ्र निस्तारण न होने का उत्तरदायित्व प्रबन्धकों पर डाल देते है, जब कि विभागीय तंत्र की विलम्ब प्रवृत्ति से शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ! वे कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं।

सुझाव—

प्रबन्धकों ने प्रशासन योजना को प्रभावी बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये है जो निम्नवत् है—

प्रशासनिक—

(1) इण्टरमीडिएट ऐक्ट में परिवर्तन किया जाय।

(2) विभागीय अधिकारियों के हस्तक्षेप को यथासम्भव समाप्त किया जाय।

(3) साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति की प्रथा भी समाप्त किया जाय।

(4) विभाग 'विश्वास की भावना' को जागृत करके समस्याओं के निराकरण में सहयोग दे। न्यायालयों में लम्बित विवाद विद्यालयीय हित में नहीं होते है।

(5 विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट नीति हो। पदों का रिक्त रहना विद्यालयीय हित में नहीं है।

(6) शिक्षकों की कोचिंग प्रवृत्ति पर शासन स्तर से प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है। इस पर नियंत्रण हेतु ऐक्ट बनाया जाना उचित है।

(7) विद्यालय में व्याप्त अनुशासनहीनता को ऐक्ट द्वारा शीघ्र रोका जाय।

(8) सरकार विद्यालयों को अपने नियंत्रण में ले अथवा प्रबन्ध समिति को विद्यालय की आवश्यकतानुसार कार्य दिया जाय।

वित्तीय—

(1) शासकीय विद्यालयों की भाँति अशासकीय विद्यालयों को शासन द्वारा पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए क्योंकि अशासकीय विद्यालयों की संख्या शासकीय विद्यालयों की संख्या से अधिक है।

(2) अनावर्तक अनुदान की पर्याप्त धनराशि विद्यालयों को समयानुसार प्रतिवर्ष प्राप्त हो।

(3) निःशुल्क शिक्षा को समाप्त किया जायें क्योंकि अभिभावकों में यह धारणा घर कर चुकी है, अधिक

फीस लेने वाले विद्यालयों का स्तर अच्छा होता है। शिक्षण शुल्क लगाने से धन की प्राप्ति होगी और शासन पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा।

(4) वेतन बिल व भविष्य निधि जैसे वित्तीय प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रबन्ध। विद्यालय को अधिकार दिये जांय।

(6) छात्र हितैषी शुल्क लगाया जाय। इस शुल्क की राशि 5) रु० छात्र हो छात्रहित में इस धनराशि को खर्च किया जाये।

प्रधानाचार्य प्रश्नावली—

अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक—

(1) प्रधानाचार्यों की धारणा हैं कि विद्यालय प्रशासन में प्रबन्धकों का अनुचित दबाव विद्यालय हित में नहीं है।

(2) सामाजिक विज्ञान व विज्ञान विषय को विभाग द्वारा अनिवार्य विषय बना दिया गया है किन्तु छात्र संख्या को देखते हुए अध्यापकों की संख्या कम है।

(3) छात्रों का प्रवेश, कक्षोन्नति के समय प्रबन्धक तंत्र एवं शिक्षकों का अनावश्यक हस्तक्षेप होता रहता है।

(4) प्रधानाचार्यों की जो भी अधिकार एवं दायित्व सौंपे गये हैं वे केवल कागजी कार्यवाही है क्योंकि शिक्षकों, छात्रों एवं कार्यालय पर नियंत्रण रखने की प्रभावी शक्ति उनके पास नहीं है। अनुशासन-हीनता की बढ़ावा मिलना अनिवार्य हो जाता है।

(5) प्रधानाचार्यों की राय है जो प्रबन्धकगण राजनैतिक दल के सदस्य है अथवा विधान सभा या परिषद के सदस्य हैं उनके पास विद्यालय की महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं।

(6) शिक्षकों के चयन एवं प्रोन्नत्ति प्रकरण की लेकर न्यायालय में जो विवाद विचाराधीन होते हैं उनका विद्यालय व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(7) प्रभावशाली अध्यापकों के भविष्य निधि या अन्य प्रकरण सम्बन्धी कागजातों पर प्रबन्धक शीघ्रता से हस्ताक्षर करते हैं, अन्य इस सुविधा से वंचित रहते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही विद्यालय हितों के विपरीत होती है।

(8) प्रधानाचार्यों का कहना है कि दिन में विद्यालय/विद्यालय रहते है और शाम को वे कोचिंग सेंटर में परिवर्तित हो जाते हैं। इन कोचिंग सेन्टरों में विद्यालय के छात्रों के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के

छात्र भी आते हैं । अतः फर्नीचर का सही रख रखाव करना कठिन हो जाता है । प्रबन्ध एवम् शिक्षकों के सौजन्य से कार्य होता है ।

वित्तीय—

(1) वेतन बिल एवं भविष्य निधि ऋण आवेदन पत्रों पर प्रबन्धकों के साथ प्रधानाचार्यों के भी हस्ताक्षर होते हैं । यह केवल औपचारिकता मात्र है ।

(2) प्रधानाचार्यो को वेतन आहरण का अधिकार नहीं है । अतः शिक्षकों एवं कर्मचारियों का प्रधानाचार्यों के प्रति वास्तविक सम्बन्ध नहीं बन पाता ।

(3) प्रबन्धक की अनुमति के बिना भवन, फर्नीचर की मरम्मत तथा विद्यालय संबंधी उपकरणों को क्रय नहीं किया जा सकता ।

(4) शासन द्वारा जो शुल्क निर्धारित है वे वर्तमान में मंहगाई वृद्धि को देखते हुए अपर्याप्त है ।

(5) अनावर्तक अनुदान के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण महत्वपूर्ण मदों का सामयिक भुगतान नहीं हो पाता है ।

(6) निःशुल्क शिक्षा होने से महत्वपूर्ण वित्तीय स्त्रोतो से विद्यालय वंचित हो गये हैं ।

(7) पूर्व निर्धारित दरों पर दिया जाने वाला क्षतिपूरक अनुदान अपर्याप्त है जब कि मूल्यों में तीव्रता से वृद्धि हुई है ।

सुझाव प्रशासनिक —

(1) प्रधानाचार्य के पद में निहित अधिकारों एवं दायित्वों यथा संभव प्रबन्धाधिकरण से मुक्त रखा जाय तथा प्रधानाचार्यों के अधिकारों को प्रभावी बनाया जाये जिससे शिक्षक व कर्मचारियों में उसके पद के प्रति सम्मान रहे ।

(2) माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों का विद्यालय पर जो दबाव बना रहता है उसे कम किया जाये । शासन स्तर से इस उद्देश्य हेतु नियम निर्मित होना चाहिए ।

(3) इस बात का प्रयास होना चाहिए कि एक प्रबन्ध समिति के होते हुये दूसरी समानान्तर प्रबन्ध समिति गठित न हो जाये । न्यायालय में इसका निर्णय विलम्ब से होता है और विद्यालय में दो समितियों के संघर्ष में अस्थिर हो जाता है । प्रबन्ध समिति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए ।

(4) विद्यालय में रिक्त पदों के भरे जाने की त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए जिससे शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो ।

(5) इस बात का प्रयास होना चाहिए कि विद्यालय कोचिंग सेन्टर न बनने पायें। इस उद्देश्य हेतु शासन स्तर से प्रभावी नियम का निर्माण होना चाहिए तथा आकस्मिक निरीक्षण होना चाहिए।

(6) शासन स्तर से एक आधार संहिता का निर्माण होना चाहिए इसके अनुपालन न होने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था हो।

(7) छात्रों की अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखने के लिए ऐक्ट द्वारा छात्र संघो को समाप्त किया जाना विद्यालय के हित में होगा।

वित्तीय —

(1) शासकीय विद्यालयों की भाँति प्रधानाचार्यों के वेतन आहरण तथा एक निश्चित धनराशि तक भविष्य-निधि स्वीकृत करने का अधिकार मिलना चाहिए। इस कार्यवाही से समय की बचत होगी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर बोझ कम होगा।

(2) साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की व्यवस्था समाप्त की जाय।

(3) शासन स्तर से निर्धारित जो भी शिक्षण शुल्क है वे मूल्यों की वृद्धि को देखते हुए अपर्याप्त है।

(4) नि:शुल्क शिक्षा को समाप्त करके पुन: शिक्षा शुल्क लगाया जाये। प्राप्त धनराशि से न केवल विद्यालय को लाभ होगा वरन् शासन पर वित्तीय बोझ कम होगा।

(5) प्रधानाचार्यों को वित्तीय अधिकार देकर परीक्षण किया जाये कि प्रबन्ध समिति के अभाव में विद्यालय संचालन की क्या स्थिति बनती है। यदि आशातीत सफलता मिलती है तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में तदनुसार परिवर्तन अपेक्षित होगा।

निष्कर्ष -

प्रशासन योजना के कार्यान्वियन में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में शिक्षाविदों, विद्यालय प्रबन्धकों, प्रधानाचार्यों ने अपने, जो अनुभव एवं विचार व्यक्त किये है साथ ही सुझाव दिये हैं उनका निष्कर्ष निम्नवत् है—

प्रबन्धक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के मध्य सौहार्द्र पूर्ण सम्बन्ध एवं विश्वास का अभाव है। इस बात की आवश्यकता है कि उनमें परस्पर सहयोग एवं एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए।

विद्यालयहितों को सर्वोपरि मानते हुए शिक्षक गणों का पर्याप्त सहयोग अपेक्षित है। वे अपने को मात्र वेतनभोगी कर्मचारी न समझे तथा संस्था तथा छात्रों के प्रति लगाव की भावना को अपना उद्देश्य बनायें। यह सही है कि वे अपने पारिवारिक दायित्व के निर्वाह में इतना अधिक उलझ गये है कि उन्हें व्यवसायिक गतिशीलता में वृद्धि का समय ही नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियमों में परिवर्तन होते रहे हैं। किन्तु विद्यालयीय व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष के साथ उनका सामजंस्य नहीं है। इसीलिए कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह अपेक्षित है कि शासन स्तर पर एक समिति का गठन हो जो प्रशासन योजना के सभी पहलुओं तथा विद्यालयों की प्रमुख कठिनाइयों का अध्ययन करें। शिक्षा के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन की प्रतिभा को सार्थक बनाने का प्रयास करें। विद्यालय में वित्तीय सस्थानों का अभाव है।

शासकीय विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था को सुधारने से का प्रयास होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने, विद्यालय के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाने, और विद्यालय भवन का उचित रख-रखाव आदि के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। अभिभावक गण अपने बच्चों को मिशन स्कूलों में क्यों भेजना पसन्द करते हैं? इसका उत्तर मिशन स्कूलों की उच्चतर स्थिति को देखने से ही प्राप्त हो जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रख कर निःशुल्क शिक्षा को समाप्त किया जाना सार्थक होगा।

विद्यालयों को विभागीय हस्तक्षेप और माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं का अनुचित दबाव, सहन करना पड़ता है। अतः यह अपेक्षित है कि विद्यालयों को राजनीतिक स्वार्थों का अखाड़ा न बनने दें। शासन स्तर से इस प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित है कि प्रभावी आधार संहिता का निर्माण किया जाये। ऐसे नियमों का निर्माण किया जाये जिससे विद्यालय स्वतंत्र व निर्भय होकर शिक्षा के उन्नयन में अग्रसर हो सके।

17

माध्यमिक स्तर पर पैनल-निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता एवं प्रयुक्त किये जाने वाले प्रपत्रों का मूल्यांकन तथा निरीक्षण

पृष्ठभूमि

आधुनिक भारत की लोकतंत्रात्मक सामाजिक व्यवस्था में राष्ट्रीय आकांक्षाओं तथा विकासोन्मुख समाज की अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षा के नवीन आयामों प्रवृतियों तथा संकल्पनाओं को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न स्तरों की शिक्षा में सुधार हेतु समय-समय पर विभिन्न उपाय किये गये है। विद्यालयों के बदलते परिवेश तथा शिक्षा से अपेक्षित उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप पैनल निरीक्षण की संकल्पना में परिवर्तन तो हुआ किन्तु उसका स्वरूप अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है।

वस्तुत: नवीन संकल्पना के अनुसार पैनल निरीक्षण केवल प्रशासनिक न होकर विद्यालय के सर्वांगीण विकास पर आधारित होना चाहिए। इस संकल्पना के अनुसार पैनल निरीक्षण मात्र निरीक्षण न होकर मूल्यांकन, निर्देशन, मार्गदर्शन तथा परामर्श का सम्मिलित एवं संतुलित रूप है।

परम्परागत ढंग से पैनल निरीक्षण का जो स्वरूप प्रचलित रहा है, उससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर कहा जाता है कि पैनल निरीक्षण किन्हीं कारणों से उतना प्रभावी नहीं है जितना इस महत्वपूर्ण कार्य से अपेक्षा की जाती है। निरीक्षण से विद्यालय के विभिन्न पक्षों का जो गहन विश्लेषण उभर कर सामने आना चाहिए वह नहीं आ पा रहा है और इससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

अत: पैनल निरीक्षण की बदलती हुई संकल्पना के आलोक में इनकी प्रभावोत्पादकता का पता लगाने के साथ प्रयुक्त किये जाने वाले प्रपत्रों का मूल्यांकन एवं निर्धारण करने के सम्बन्ध में भी विचार करना समीचीन होगा।

पैनल निरीक्षण की वर्तमान व्यवस्था—

पैनल निरीक्षण की प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के प्रत्येक इण्टर कालेज का पैनल निरीक्षण हर तीसरे वर्ष किया जाता है। इस कार्य हेतु मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक अपने मण्डल के उन सभी इण्टर कालेजों की

सूची तैयार करते हैं जिनका उस सत्र में पैनल निरीक्षण होना है। ऐसे प्रत्येक विद्यालय के लिये निरीक्षकों का अलग-पैनल गठित किया जाता है। प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक अपने जनपद के सभी संबंधित विद्यालयों के पैनल का अध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के लिए संबंधित मण्डल के दो अन्य प्रधानाचार्य भी नियुक्त किये जाते हैं आवश्यकतानुसार प्रधानाचार्यों के स्थान पर विशेषज्ञ के रूप में प्रवक्ताओं की भी नियुति होती है। इस प्रकार प्रत्येक पैनल निरीक्षग में जिला विद्यालय निरीक्षक के अतिरिक्त दो अन्य सदस्य होते हैं जो सम्बन्धित विद्यालय में इस कार्य को तीन दिनों की अवधि में सम्पन्न करते हैं।

उद्देश्य—

(1) वर्तमान पैनल निरीक्षण व्यवस्था से छात्रों की शिक्षा में हो रहे गुणात्मक सुधार का अध्ययन।

(2) विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, अन्य गतिविधियों तथा अभिलेखों आदि के रख-रखाव पर पैनल निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता का अध्ययन।

(3) पैनल निरीक्षण हेतु प्रयुक्त किये गये प्रपत्रों का विभिन्न शैक्षिक आयामों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन तथा निर्धारण।

(4) उपर्युक्त अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार पैनल निरीक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सुझावों का संकलन।

परिसीमन—

माध्यमिक स्तर पर पैनल निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता जानने एवं प्रमुख प्रपत्रों में मूल्यांकन हेतु इलाहाबाद मण्डल के अतिरिक्त नौ अन्य जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा केवल इलाहाबाद मण्डल के 25 इण्टरमीडिएट कालेजों का चयन किया गया। विविधता की दृष्टि से चयनित विद्यालयों को प्रति नगर एवम् ग्रामीण अंचल के बालकों तथा बालिकाओं के विद्यालयों की प्रतिनिधित्व दिया गया।

उपकरण—

परियोजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से विचार संकलित करने का प्रयास किया जाय—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिये।

(2) प्रधानाचार्यों के लिए।

(3) अध्यापकों के लिए।

कार्यविधि—

पूर्व निर्धारित प्रतिदर्श चयन के अनुसार 14 जिला विद्यालय निरीक्षकों, 25 प्रधानाचार्यों, तथा 100

अध्यापकों के विचार जानने हेतु उनसे पृच्छा प्रपत्र के माध्यम से सम्पर्क स्थापित किया गया। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 4 जिला विद्यालय निरीक्षकों, 12 प्रधानाचार्यों तथा 50 अध्यापकों की प्रतिक्रियाएं ही प्राप्त हो सही।

प्रतिदर्श विश्लेषण —

परियोजना के दोनों पक्षों से स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त पृच्छा प्रपत्रों का अलग-अलग विश्लेषण किया गया जो इस प्रकार है :—

(क) पैनल निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रियाएँ तथा उनका विश्लेषण —

सारिणी संख्या 1 जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्रतिक्रियाएं—

प्रश्न	प्रतिक्रियाएँ					
	हां	नहीं	पूर्ण		सीमा	कुछ
			बड़ी आंसशिक		तक	नहीं
विशेषज्ञों की नियुक्ति में सफलता	—	—	1	2	—	1
आदर्श निरीक्षण में कठिनाई	—	—	—	4	—	—
विशेषज्ञों की वैकल्पिक व्यवस्था	—	—	2	2	—	—
विशेषज्ञों की उपस्थिति	—	—	1	2	—	1
अनुपस्थित का मुख्य कारण मानदेय	4	—	—	—	—	—
शिक्षा का गुणात्मक पक्ष, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप तथा अन्य गतिविधियां	—	—	—	4	—	—
नियमों का अनुपालन तथा पंजिकाओं का रख-रखाव	—	—	2	2	—	—
विद्यालयों द्वारा सुझावों की प्रति पुष्टि	—	—	—	4	—	—
निरीक्षण प्रपत्रों का प्रभावी होना	—	—	1	—	3	—

विद्यालयों की आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति में सफलता प्राप्ति होने के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि केवल 25 प्रतिशत ही पूर्ण सफलता के पक्ष में है. जबकि 50 प्रतिशत इसे आंशिक सफलता के रूप में स्वीकार करते हैं। शेष 25 प्रतिशत का विचार है कि उन्हें विशेषज्ञों की नियुक्ति में कोई सफलता प्राप्त होती ही नहीं।

सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों ने एक मत होकर यह स्वीकार किया है कि आदर्श निरीक्षण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 50 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि विशेषज्ञों की वैकल्पिक व्यवस्था में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है किन्तु 50 प्रतिशत का विचार है कि उन्हें ऐसी सफलता केवल अंशिक रूप से ही प्राप्त होती है।

50 प्रतिशत निरीक्षकों ने यह स्वीकार किया है कि नियुक्त किये गये विशेषज्ञों की उपस्थिति आंशिक ही रहती है, जब कि 25 प्रतिशत उनकी उपस्थिति को पूर्ण मानते हैं तथा शेष 25 प्रतिशत इस पक्ष में है कि वे आते ही नहीं।

सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों का कहना है कि विशेषज्ञों की उपस्थिति का मुख्य कारण अल्प मानदेय है। वे यह भी मानते हैं कि पैनल निरीक्षण से शिक्षा के गुणात्मक पक्ष, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों एवं अन्य गतिविधियों में केवल आंशिक सुधार ही सम्भव है।

पंजिकाओं के रख-रखाव तथा विभागीय नियमों के पूर्ण अनुपालन को केवल 50 प्रतिशत ने ही स्वीकार किया है, शेष 50 प्रतिशत इसे आंशिक रूप में ही स्वीकार करते हैं। शत/प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इस बात की पुष्टि की है कि निरीक्षण के समय दिये गयें सुझावों की केवल आंशिक प्रति पुष्टि ही विद्यालयों द्वारा होती है।

जहां तक निरीक्षण के समय प्रयुक्त प्रपत्रों का प्रश्न है, इस संबंध में अधिकांश अर्थात 75 प्रतिशत ने जहां यह स्वीकार किया है कि वर्तमान प्रपत्र बड़ी सीमा तक प्रभावी है, वही 35 प्रतिशत का कहना है कि ये पूर्ण रूप से प्रभावी हैं।

सारिणी संख्या 2 प्रधानाचार्यो की प्रतिक्रियाएँ—

प्रश्न	प्रतिक्रियाएं				
	हां	नहीं	पूर्ण	आंशिक	कुछ नहीं
शिक्षा के गुणात्मक सुधार	—	—	2	9	1
अभिलेखों का रख-रखाव	—	—	10	2	—
पाठ्य सामग्री क्रिया कलाप	—	—	5	6	1

वित्तीय नियमों का पालन	—	—	10	1	1
निरीक्षण आख्या की समय से प्राप्ति	4	8	—	—	—
सुझावों के क्रियान्वयन में सफलता सीमा	—	—	4	6	3
निरीक्षकों द्वारा आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण	12	—	—	—	—
आलोचनात्मक दृष्टिकोण की सीमा	—	—	2	9	1
आलोचनात्मक दृष्टिकोण के कारण निरीक्षण की उद्देश्यहीनता	8	4	—	—	—
निरीक्षण में प्रयुक्त प्रपत्रों की प्रभावकारिता	—	—	8	3	1

पैनल निरीक्षण द्वारा शिक्षा में होने वाले गुणात्मक सुधार की स्थिति के संबंध में 75 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अपना मत व्यक्त करते हुये कहा है कि इसका प्रभाव केवल आंशिक ही होता है। 17 प्रतिशत ने इससे होने वाले सुधारों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है जब कि 8 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इससे होने वाले गुणात्मक सुधार को अस्वीकार किया है।

कहां तक अभिलेखों के रख-रखाव का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में 83 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इसे पूर्ण रूप से प्रभावी स्वीकार किया है, शेष 17 प्रतिशत ने इसे केवल आंशिक रूप से ही प्रभावी माना है।

पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप के प्रभावी होने के सम्बन्ध में 42 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने पूर्ण रूप से, 50 प्रतिशत ने आंशिक रूप से तथा शेष 8 प्रतिशत ने इसकी प्रभावकारिता को शून्य बताया है।

83 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने वित्तीय नियमों के अनुपालन में पैनल निरीक्षण के रूप से सहायक होने की पुष्टि की है, किन्तु 8 प्रतिशत ने इसे केवल आंशिक रूप में प्रभावी होना ही स्वीकार किया है तथा 8 प्रतिशत ने इसके सहायक होने को अस्वीकार किया है।

केवल 33 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने ही इस बात को स्वीकार किया है कि पैनल निरीक्षण की आख्या उन्हें समय से प्राप्त हो जाती है। अधिकांश अर्थात् 67 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने समय से प्राप्त होने की पुष्टि नहीं की है।

आख्या में दिये गये सुझावों के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली सफलता के सम्बन्ध में मत व्यक्त करते हुए 50 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इसे आंशिक रूप से ही स्वीकार किया है। पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के पक्ष में

33 प्रतिशत प्रधानाचार्य हैं। जब कि 17 प्रतिशत ऐसे भी प्रधानाचार्य है जो ऐसी सफलता को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं।

शतप्रतिशत प्रधानाचार्य ने इस बात की पुष्टि की है कि पैनल निरीक्षण के समय निरीक्षकों द्वारा आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण नहीं होता।

पैनल निरीक्षकों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए 75 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इसे आंशिक रूप से आलोचनात्मक बताया है। 17 प्रतिशत ने पूर्ण रूप से तथा शेष 8 प्रतिशत ने ऐसे दृष्टिकोण की पुष्टि नहीं की है। इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण के कारण निरीक्षण के उद्देश्यहीन के पक्ष में जहां 7 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अपना मत व्यक्त किया है वहीं 33 प्रतिशत ने अस्वीकार किया है।

निरीक्षण में प्रयुक्त किये जाने वाले प्रपत्रों का मूल्यांकन करते हुए 67 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इसके पूर्ण रूप से प्रभावी होने की पुष्टि की है, 35 प्रतिशत ने इसे आंशिक रूप से प्रभावी होते हुए भी किसी विशेष परिवर्तन के पक्ष में राय नहीं दी है तथा केवल 8 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इसके प्रभावी होने को अस्वीकार किया है।

सारिणी संख्या—3 अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ

प्रश्न	प्रतिक्रियाएँ				
	हाँ	नहीं	पूर्ण	आंशिक	कुछ नहीं
पैनल निरीक्षण के सुझावों की जानकारी	20	30	—	—	—
पैनल निरीक्षण के सुझावों की सार्थकता	—	—	5	25	20
निरीक्षकों द्वारा आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण	—	50	—	—	—
शिक्षण कार्य में आदर्श पाठ की उपयोगिता	—	—	15	25	10
निरीक्षकों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण की सीमा	—	—	10	30	10
परीक्षाफल में योगदान	—	—	—	10	40
वर्तमान व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता	—	—	—	15	35
व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता	50	—	—	—	—

पैनल निरीक्षण के सुझावों से अवगत होने के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत अध्यापकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो पाती है तथा शेष 40 प्रतिशत ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसे सुझावों से अवगत कराया जाता है। 50 प्रतिशत अध्यापकों ने पैनल निरीक्षण की सार्थकता को आंशिक

रूप में स्वीकार किया है, केवल 10 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि यह पूर्ण रूप से प्रभावी है जबकि शेष 40 प्रतिशत ने सुझावों की प्रभावकारिता को पूर्ण रूप में अस्वीकार किया है।

निरीक्षकों द्वारा दिये जाने वाले आदर्श पाठ की उपयोगिता के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत अध्यापकों ने ऐसे पाठों को शिक्षण कार्य के लिए आँशिक रूप से उपयोगी बताया है। 30 प्रतिशत अध्यापक इसे पूर्ण रूप से उपयोगी स्वीकार करते हैं तथा 20 प्रतिशत ऐसे अध्यापक भी है जो इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में आश्वस्त नहीं है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि सभी अध्यापक इस बात की पुष्टि करते हैं कि निरीक्षण के समय निरीक्षकों द्वारा आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण नहीं होता है।

निरीक्षण के समय निरीक्षकों का दृष्टिकोण किस सीमा तक आलोचनात्मक होता है, इस सम्बन्ध में 60 प्रतिशत अध्यापकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके दृष्टिकोण के आँशिक रूप से तथा 20 प्रतिशत ने पूर्ण रूप से आलोचनात्मक बताया है किन्तु 20 प्रतिशत ऐसे अध्यापक भी हैं जिन्होने निरीक्षकों के आलोचनात्मक दृष्टि-कोण को स्वीकार नहीं किया है।

केवल 20 प्रतिशत अध्यापकों ने ही यह स्वीकार किया है कि पैनल निरीक्षण से उनका परीक्षाफल प्रभावित होता है शेष 80 प्रतिशत अध्यापकों ने परीक्षाफल के प्रभावित होने की पुष्टि नहीं की है।

पैनल निरीक्षण की वर्तमान व्यवस्था कहाँ तक प्रभावी है, इसके सम्बन्ध में केवल 30 प्रतिशत ने ही इसकी प्रभावकारिता को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

पैनल निरीक्षण की वर्तमान व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में सभी अध्यापकों ने एक मत होकर इसकी आवश्यकता की पुष्टी की है।

(ख) पैनल निरीक्षण में प्रयुक्त प्रपत्रों के मूल्यांकन तथा निर्धारण के सम्बन्ध में प्रतिक्रियायें तथा उनका विश्लेषण—

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन के स्तर को समुन्नत कर उसे और अधिक प्रभावी बनाने में पैनल निरीक्षण की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए पैनल निरीक्षण के प्रयोग हेतु प्रपत्रों का सुविधाचारित ढंग से विकास किया गया था। विगत अनेक वर्षों से पैनल निरीक्षण में इनका प्रयोग किया गया था। विगत अनेक वर्षों से पैनल निरीक्षण में इनका प्रयोग किया जात रहा हैं। प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह बार-बार कहा जाता है कि पैनल निरीक्षण कार्य अपेक्षानुसार प्रभावी तथा उपयोगी नहीं सिद्ध हो रहा है। अतएव पैनल निरीक्षण में प्रयुक्त किये जाने वाले प्रपत्रों का मूल्यांकन कर उनके संशोधन—सुधार या पुनर्निधारण हेतु प्रदेश के चुने हुए जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से उनकी प्रतिक्रियाएँ एवं सम्मतियां आमंत्रित की गई। इन प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विवरण निम्नवत् है।

1—जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्रतिक्रियायें तथा उनका विश्लेषण—

उक्त प्रपत्रों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कर जिला विद्यालय निरीक्षकों ने जो प्रतिक्रियायें प्रस्तुत की

है उनसे यह स्पष्ट होता है कि प्राय: सभी जिला विद्यालय निरीक्षक सम्बन्धित प्रपत्रों को समग्र रूप में पूर्णत: प्रभावी तथा उपयोगी मानते हैं। जहाँ तक प्रपत्रो के पुर्नर्निर्धारण की आवश्यकता नही हैं, फिर भी शेष 25 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षकों ने प्रपत्रों में कोई विशेष परिवर्तन न करने की राय देते हुए भी प्रपत्रों के आकार को संक्षिप्त करने का सुझाव दिया।

प्रधानाचार्यों की प्रतिक्रियायें तथा उनका विश्लेषण —

संदर्भित प्रपत्रों की प्रभावकारिता मूल्यांकन करते हुए सम्बन्धित प्रधानाचार्यों में से 75 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। 8 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने मत व्यक्त किया है कि विद्यालयों में हुये गुणात्मक सुधार उल्लेख करने के लिये प्रपत्रों में यथोचित स्थान होना चाहिए। 8 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने राय व्यक्त की है कि प्रपत्रों के माध्यम से मांगी गई सूचनायें समय-समय पर विभाग को प्रेषित की जाती है। अत: पैनल निरीक्षण प्रपत्र के माध्यम से ऐसी सूचनायें माँगने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने यह मत व्यक्त किया है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम के बदलते हुए स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में पैनल निरीक्षण सम्बन्धी प्रपत्रों के पुर्ननिर्धारण की आवश्यकता है।

समग्र विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष—

परियोजना के अन्तर्गत पैनल निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता तथा पैनल निरीक्षण प्रपत्रों की उपयोगिता से सम्बद्ध पक्षों में प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष क्रमश: निम्नवत् है :—

(क) पैनल निरीक्षण की प्रभावोत्पादक्ता से सम्बन्धित निष्कर्ष—

(1) शिक्षा के बदलते हुए आयामों के परिप्रेक्ष्य में हमारी वर्तमान पैनल निरीक्षण व्यवस्था छात्रों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सका है।

(2) विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों तथा अन्य गतिविधियों पर पैनल निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता का अभाव है।

(3) वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा अभिलेखों आदि के रख-रखाव को सुनिश्चित करने में पैनल निरीक्षण व्यवस्था सहायक है।

(4) विश्लेषण से इस बात की पुष्टि होती है कि पैनल निरीक्षण अपनी संकल्पना के अनुसार मूल्यांकन, निर्देशन, मार्ग दर्शन तथा परामर्श का संतुलित रूप न होकर मात्र औपचारिक एवं प्रशासनिक निरीक्षण होकर रह गया है। जिससे विद्यालय का सर्वांगीण विकास बाधित होता है।

(5) पैनल निरीक्षण से विद्यालय के विभिन्न पक्षों का गहन विश्लेषण उभर कर सामने आना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा है इसके फलस्वरूप शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

(ख) पैनल निरीक्षण प्रपत्रों की उपयोगिता से संबंधित निष्कर्ष—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक तथा प्रधानाचार्यों की प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से जो विचारणीय बिन्दु उभर कर सामने आये हैं उनसे यह मुख्य निष्कर्ष निकलता है कि प्रचलित पैनल निरीक्षण प्रपत्रों से जो शैक्षिक तथा उपयोगी हैं।

(2) कुछ व्यक्तियों की राय में प्रपत्रों का आकार बड़ा है और इसे संक्षिप्त करना उपयुक्त होगा।

(3) प्रपत्रों के उन स्तम्भों को निकाल कर पत्र के आकार को छोटा तथा संक्षिप्त किया जा सकता हैं, जो स्तम्भ ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करने से संबंधित है जिन्हें विद्यालयों द्वारा विभाग की समय समय पर नियमित रूप से भेजा जाता है।

(4) प्रपत्रों में ऐसे स्तम्भों को बनाये रखना तथा नये स्तम्भों का समावेश करना आवश्यक है। जो छात्रों की शिक्षा के गुणात्मक पक्ष की स्थिति को सुधारने में सहायक हैं।

प्रतिक्रियाओं के समग्र विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामान्यत: वर्तमान में प्रयुक्त किये जाने वाले प्रपत्र उपयोगी एवं शिक्षा की प्रभावकारिता बढ़ाने में सहायक है।

सुझाव—

विश्लेषण एवं निष्कर्ष पर आधारित पैनल निरीक्षण के प्रभावोत्पादकता एवं प्रयुक्त प्रपत्रों की उपयोगिता बढ़ाने हेतु सुझाव इस प्रकार हैं :—

(क) पैनल निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता से सम्बद्ध पक्ष --

(1) पैनल निरीक्षण से संबंधित सभी अधिकारियों, प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को पैनल निरीक्षण की संकल्पना के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसी आधुनिक संकल्पना से अवगत होकर वे अपने-अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादन करने में समर्थ होंगे।

(2) निरीक्षकों को चाहिये कि वे निरीक्षण की संकल्पना को साकार बनाने के लिए अपने को केवल निरीक्षक ही न समझें बल्कि शिक्षकों का वास्तविक रूप में मार्ग दर्शन करने हेतु उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें रचनात्मक सुझाव देने के साथ-साथ निरीक्षण के समय आदर्श पाठ देना भी आवश्यक होगा। ऐसा करने से पैनल निरीक्षण के आलोचनात्मक दृष्टिकोण में कमी होगी और शिक्षक यह महसूस करेगें कि उनके निरीक्षक केवल आलोचना के लिये नहीं बल्कि उनके उचित मार्ग दर्शन एवं रचनात्मक सुधार के लिये है। ऐसी स्थिति में निरीक्षण को तनाव-रहित बनाने तथा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगी।

(3) विषय विशेषज्ञों को उपस्थिति की समस्या का समाधान करने के लिये उनको सम्मानजनक मानदेय तथा यात्रा भत्ते का भुगतान निरीक्षण कार्य के अन्तिम दिन ही आवश्यक है। ऐसा करने से वे सहज रूप में इस कार्य

को कर सकेगें। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निरीक्षकों की नियुक्ति में कमी आ सकेगी और तभी विशेषज्ञ समय से आकर अपना पूर्ण सहयोग दे सकेगें। ऐसी व्यवस्था निरीक्षण को मात्र औपचारिक होने से बचा सकेगी।

(4) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा मण्डल के निरीक्षण कर्ता विशेषज्ञों/अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है। इस सूची में सम्मिलित विशेषज्ञों तथा अधिकारियों की पैनल निरीक्षण में उप-सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि उक्त कार्य इन विशेषज्ञों आदि के कार्य एवं दायित्व का आवश्यक अंग माना जाय जिससे वे निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से योगदान करें।

5—ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि हमारेजिला विद्यालय निरीक्षक प्रशासनिक तथा निरीक्षणेत्तर कार्यों में व्यस्तता के कारण निरीक्षण के महत्वपूर्ण कार्य में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पा रहे है जिसके परिणाम स्वरूप निरीक्षण मात्र औपचारिक ही होकर रह गया। अतः विभाग को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक अपने प्रशासकीय तथा अन्य निरीक्षणेत्तर कार्य सह जिला विद्यालय निरीक्षकों को सौंप कर पैनल निरीक्षण के महत्वपूर्ण कार्य की अवधि के पूरे दिवसों में उपस्थित रह कर अपना योगदान कर सकें। ऐसा करने से प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

6—छात्रों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की दृष्टि से विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः इस कार्य में प्रधानाचार्यों को प्रत्यक्षतः सम्बद्ध करते हुए उन्हें स्वयं निरीक्षक की भूमिका का निर्वाह करने तथा समय-समय पर विद्यालय स्तर के कार्यक्रमों का निरीक्षण कर जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए अपने एक दिन के निरीक्षण में इस पक्ष के क्रिया-कलापों का सम्यक मूल्यांकन करना तथा इनमें सुधार हेतु सुझाव देना कठिन होगा।

7—विद्यालय के शैक्षिक (अकादमिक) पक्ष की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करने तथा स्थिति में सुधार लाने हेतु रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करने की दृष्टि से संस्था के भौतिक तथा वित्तीय पक्षों की स्थिति के निरीक्षण को इससे पृथक करना तथा अलग तिथियों में उसे सम्पन्न करना उचित है।

8—निरीक्षण आख्या की समय से प्राप्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उसमें दिये गये सुझावों का अनुपालन करते हुए नियोजित अनुवर्ती कार्यक्रम लाना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में विभाग / शासन द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायें जिससे प्रधानाचार्य अनुवर्ती कार्यक्रमों में रूचि लें और उनका समयबद्ध क्रियान्वयन कराने के सम्बन्ध में सतत जागरूक रहें।

9—पैनल निरीक्षण की समय अध्यापकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने तथा शिक्षण अधिगम क्रियाओं में उनकी भूमिका को अधिकाधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से उत्तम कार्य वाले शिक्षकों के लिए पुरस्कार तथा

असन्तोषजनक कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि एवं उपयुक्त दण्ड की व्यवस्था करना लाभप्रद होगा।

(क) पैनल निरीक्षण में प्रयुक्त प्रपत्रों के मूल्यांकन तथा निर्धारण से सम्बद्ध पक्ष—

1—पैनल निरीक्षण हेतु प्रयुक्त प्रपत्र विद्यालयों में शैक्षिक तथा गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से वस्तु स्थिति का मूल्यांकन एवं निरीक्षण करने में सहायक और उपयोगी है। प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार उन स्तम्भों को निकाल कर प्रपत्र के आकार को संक्षिप्त किया जा सकता है जिससे सम्बन्धित सूचनायें समय-समय पर विभाग को प्रेषित की जाती है।

2—शिक्षा के नवीन आयामों तथा विकासोन्मुख समाज की अपेक्षाओं के अनुसार विकसित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का ध्यान रखते हुए प्रासंगिक शैक्षिक बिन्दुओं का प्रपत्र में समावेश करना समीचीन होगा।

18

विद्यालय-पलायनकारी छात्रों का अध्ययन

पृष्ठभूमि—

भारत जैसे विकासशील देश में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है और प्रयास किया गया है कि शिक्षा जगत में सबके लिए एक समान अवसर और सुविधाएँ प्राप्त हों, परन्तु आज की परिस्थितियों में देश में बढ़ती हुई आबादी और छात्र संख्या की वृद्धि के अनुपात में शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य संसाधनों का अभाव प्रतीत हो रहा हैं। फलतः विभिन्न कक्षाओं के ऊपर ध्यान देना सम्भव नहीं हो पा रहा है, साथ ही व्यक्तिगत पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ छात्र कक्षा में अपनी उपस्थिति देने के बाद ही विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। अथवा कुछ छात्र कतिपय कालांशों तक अध्ययनोपरान्त कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। परिणामतः ऐसे पलायनकारी छात्र शिक्षा से वंचित तो होते ही हैं साथ ही उनका शिक्षा पर होने वाला व्यय और समय निरर्थक ही जाता है। फलतः शैक्षिक ह्रास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः शिक्षा को प्रभावकारी बनाने हेतु छात्रों की इस पलायनकारी प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह प्रकरण शोध के रूप में लिया गया है।

उद्देश्य—

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये :—

(1) छात्रों द्वारा विद्यालय से पलायन करने तथा पूरी अवधि तक विद्यालय में उपस्थित न रहने के कारणों का पता लगाना।

(2) पलायन के कारणों को दूर करने हेतु सुझाव देना जिनसे छात्रों की पलायनकारी प्रवृत्ति को रोका जा सके।

(3) विद्यालय में ऐसे वातावरण बनाने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना जिससे छात्र विद्यालय में जाने हेतु स्वतः प्रेरित हों सकें।

परिकल्पना—

विद्यालय के वातावरण तथा छात्रों के पलायन के बीच कोई सह सम्बन्ध नहीं है।

परिसीमन—

यह अध्ययन प्रदेश के 13 मण्डलों के शहरी एवं ग्रामीण अंचल के 52 बालक । बालिका माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित है ।

अवधि —

छः माह (जुलाई 1991 से दिसम्बर 1991) ।

कार्यविधि —

1—प्रतिदर्श का चयन—

प्रतिदर्श का चयन सिस्टेमेटिक रैंडम सैंप्लिग विधि से किया गया है ।

2—उपकरण—

इस कार्य के लिये निम्नलिखित पृच्छा प्रपत्र का निर्माण किया गया हैं :—

(1) पृच्छा प्रपत्र (कक्षाध्यापक हेतु) परिशिष्ट—1

(2) पृच्छा प्रपत्र (छात्र/छात्राओं हेतु) परिशिष्ट—2

3—प्रदत्त संग्रह—

पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से प्रदत्त संकलन किया गया । जिन विद्यालयों से सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनके नाम तथा पृच्छा प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है :—

विद्यालयों के नाम

1—प्रमोद इण्टर कालेज, सहसवान बदायूं ।

2— श्री विष्णु इण्टर कालेज, बरेली ।

3—महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, मुरादाबाद ।

4—राजकीय इण्टर कालेज, रायबरेली ।

5—राजकीय इण्टर कालेज, कालसी, देहरादून ।

6—राजकीय इण्टर कालेज, आगरा ।

7—राजकीय इण्टर कालेज, उत्तर काशी ।

8—राजकीय इण्टर कालेज, मुरादाबाद ।

9—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भग्गड़वा बहराइच।

10—राजकीय इण्टर कालेज, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।

11— राजकीय इण्टर कालेज, बस्ती।

12—राजकीय जुबिली इण्टर कालेज, लखनऊ।

13—सी० ए० वी० इण्टर कालेज, इलाहाबाद।

14—राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद।

15—राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच।

16—श्री अग्रसेन इण्टर कालेज, दादरी गाजियाबाद।

17— राजकीय इण्टर कालेज, सुलतानपुर।

18—राजकीय इण्टर कालेज, कदौरा, जालौन।

प्रदत्त विश्लेषण—

पृच्छा प्रपत्र 1 पर प्राप्त सूचना के आधार पर—

परिशिष्ट—1

तालिका—1

सभी वादनों में अनियमित छात्र :—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	कुल पंजीकृत छात्र संख्या	सभी वादनों में नियमित रूप से उपस्थित छात्र संख्या	सभी वादनों में अनियमित छात्र संख्या
18	57	3524	2443	581

उपर्युक्त तालिकानुसार 17% छात्र वादनों में अनुपस्थित रहते हैं।

तालिका—2

प्रथम उपस्थिति के बाद पलायनकारी छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	कुल पंजीकृत छात्र संख्या	प्रथम उपस्थिति के बाद पलायनकारी छात्रों की संख्या।
18	57	3524	368

उपर्युक्त तालिकानुसार 63% छात्र प्रथम उपस्थिति के बाद विद्यालय से पलायन कर जाते हैं।

तालिका-- 3

द्वितीय उपस्थिति के बाद पलायनकारी छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	कुल पंजीकृत छात्र संख्या	द्वितीय उपस्थिति के बाद पलायनकारी छात्रों की सं०
18	57	3424	213

उपर्युक्त तालिकानुसार 37% छात्र द्वितीय उपस्थिति के बाद विद्यालय से पलायन कर जाते हैं।

तालिका—4

मध्यावकाश के तुरन्त बाद उपस्थिति –

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	हां	नहीं
18	57	54	03

उपर्युक्त तालिका के अनुसार 95 प्रतिशत कक्षाध्यापकों द्वारा छात्रों की द्वितीय उपस्थिति मध्यावकाश के तुरन्त बाद ली जाती है।

तालिका—5

विषयाध्यापकों से असन्तुष्ट पलायनकारी छात्र :—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	हां	नहीं
18	57	06	51

उपर्युक्त तालिकानुसार 11 प्रतिशत कक्षाध्यापकों के अनुसार पलायनकारी छात्र विषयाध्यापक से असन्तुष्ट रहते हैं।

तालिका—6

विषयाध्यापक से पलायनकारी छात्रों के असन्तुष्ट रहने के कारण—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	असन्तुष्ट बताने वाले कक्षाध्यापकों की संख्या	अध्यापन शैली से असंतुष्ट	अध्यापक का समय से न आना	विषय से हटकर वार्ता करना	प्रश्नों का उत्तर न देना
18	57	06	03	02	01	×

उपर्युक्त तालिकानुसार 50 प्रतिशत कक्षाध्यापकों के अनुसार विषयाध्यापक के अध्यापन शैली से पलायनकारी छात्र असंतुष्ट रहते हैं तथा 33 प्रतिशत के अनुसार अध्यापक के समय से न आने और 17 प्रतिशत कक्षाध्यापकों के अनुसार विषयाध्यापकों द्वारा प्रश्नों का उत्तर न देने के कारण ये छात्र असन्तुष्ट रहते हैं।

तालिका—7

पलायनकारी छात्रों की आर्थिक स्थिति :—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	हाँ	नहीं
18	57	89	48

उपर्युक्त तालिकानुसार 16 प्रतिशत कक्षाध्यापकों के अनुसार पलायनकारी छात्रों की आर्थिक स्थिति दयनीय है।

तालिका—8

पलायनकारी छात्रों का व्यक्तिगत कोचिंग सेन्टर में जाना—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	हाँ	नहीं
18	57	13	44

उपर्युक्त तालिकानुसार 22 प्रतिशत कक्षाध्यापकों के अनुसार पलायनकारी छात्र व्यक्तिगत कोचिंग सेन्टर में पढ़ने जाते हैं।

तालिका—9

पलायनकारी छात्रों के अभिभावकों को इस सम्बन्ध में जानकारी देना—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	हाँ	नहीं
18	57	31	26

उपर्युक्त तालिकानुसार 46 प्रतिशत कक्षाध्यापकों द्वारा पलायनकारी छात्रों के अभिभावकों को उनके पाल्यों के पलायन के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जाती है।

तालिका—10

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस सम्बन्ध में नियमित सूचना देना—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	हाँ	नहीं
18	57	33	24

उपर्युक्त तालिकानुसार 42 प्रतिशत कक्षाध्यापकों द्वारा इन पलायनकारी छात्रों के सम्बन्ध में प्रधानाचार्यों को सूचना नहीं दी जाती है।

तालिका—11

पलायनकारी छात्रों का शरारती होना और पलायन करके झगड़ा करना—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	हाँ	नहीं
18	57	10	47

उपर्युक्त तालिकानुसार 18 प्रतिशत कक्षाध्यापकों के अनुसार पलायनकारी छात्र शरारती हैं और पलायन करके परस्पर या अन्य छात्रों के साथ झगड़ा करते हैं।

तालिका—12

पलायनकारी छात्रों का खेलकूद या सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में अधिक रुचि लेना—

कुल विद्यालय संख्या	कुल कक्षाध्यापक संख्या	हाँ	नहीं
18	57	11	46

उपर्युक्त तालिकानुसार 19 प्रतिशत कक्षाध्यापकों के अनुसार पलायतकारी छात्र खेलकूद या सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में अधिक रुचि लेते हैं।

परिशिष्ट—2

पृच्छा प्रपत्र—2 पर प्राप्त सूचना के आधार पर

तालिका—13

नियमित रूप से और समय से विद्यालय न आने वाले छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	छात्रों की संख्या	हाँ	नहीं
18	82	70	12

उपर्युक्त तालिकानुसार 15 प्रतिशत छात्र बियमित रूप से और समय से विद्यालय नहीं आते हैं।

तालिका—14

विषयों को कठिन जानने वाले छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	कठिनता अनुभव न करने वाले छात्रों की संख्या	विषयों में कठिनता अनुभव करने वाले छात्रों की संख्या
18	82	10	72

हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	सामा० विज्ञान	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान	जीव विज्ञान	अर्थ शास्त्र	भूगोल	वाणिज्य	कृषि विज्ञान	संस्कृत	इतिहास
9	26	26	15	6	6	6	7	6	6	8	7	5	5

उपर्युक्त तालिकानुसार हिन्दी में 13%, अंग्रेजी में 37%, गणित में 37%, विज्ञान में 21%, सामाजिक विज्ञान में 9%, भौतिक विज्ञान में 9%, रसायन विज्ञान में 9%, जीव विज्ञान में 10%, अर्थशास्त्र में 9%, भूगोल में 9%, वाणिज्य में 11%, कृषि विज्ञान में 10%, संस्कृत में 7% तथा इतिहास में 7% छात्र कठिनता का अनुभव करते हैं —

तालिका—15

कठिन विषय में व्यक्तिगत कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	कठिनता अनुभव करने वाले छात्रों की संख्या	हाँ	नहीं
18	82	72	27	55

उपर्युक्त तालिकानुसार 67 प्रतिशत छात्र इन कठिन विषयों में कोचिंग प्राप्त करते हैं।

तालिका—16

विषय के अध्ययन में अरुचि—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	विषयों में रुचि रखने वाले छात्र	अरुचि रखने वाले छात्रों की संख्या
18	82	24	58

उपर्युक्त तालिकानुसार 71 प्रतिशत छात्र विभिन्न विषयों जैसे—हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, वाणिज्य, संस्कृत, इतिहास के अध्ययन में अरुचि रखते हैं।

हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	सामान्य विज्ञान	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान	जीव विज्ञान	अर्थ शास्त्र	भूगोल	वाणिज्य	संस्कृत	इतिहास
14	12	11	8	12	5	5	4	6	7	6	8	6

तालिका—17

अरुचि रखने वाले विषय के वाचन में नियमि उपस्थित न रहने वाले छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	अरुचि रखने वाले छात्रों की कुल संख्या	हाँ	नहीं
18	82	58	41	17

उपर्युक्त तालिकानुसार विभिन्न विषयों में अरुचि रखने वाले छात्रों में से 29 प्रतिशत छात्र इन विषयों के वादन में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं।

तालिका—18

पढ़ने हेतु घर पर अलग कमरे की अव्यवस्था—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	हाँ	नहीं
18	82	35	47

उपर्युक्त तालिकानुसार 57 प्रतिशत छात्रों को घर पर अध्ययन करने हेतु अलग कमरे की व्यवस्था नहीं है।

तालिका—19

कमरे की अलग व्यवस्था न होने के कारण सभी भाई/बहनों का एक साथ एक ही कमरे में अध्ययन करना—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	ऐसे छात्रों की संख्या जिनके पास पढ़ने हेतु अलग कमरे की व्यवस्था नहीं है	हाँ	नहीं
18	82	47	42	5

उपर्युक्त तालिकानुसार जिन छात्रों के पास पढ़ने हेतु घर पर अलग कमरे की व्यवस्था नहीं है उनमें 89% छात्र अपने भाई/बहनों के साथ एक कमरे में एक साथ अध्ययन करते हैं।

तालिका—20

अपने प्रतिदिन के प्रदत्त कार्य को पूरा करके विषयाध्यापक को न दिखाने वाले छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	हाँ	नहीं
18	82	59	23

उपर्युक्त तालिकानुसार 28 प्रतिशत छात्र अपने प्रतिदिन के प्रदत्त कार्य को पूरा करके विषयाध्यापक को नहीं दिखाते हैं।

तालिका—21

साथियों से झगड़ा—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	हाँ	नहीं
18	82	9	73

उपर्युक्त तालिकानुसार 11% छात्र अपने साथियों से झगड़ा करते हैं।

तालिका—22

झगड़ा हो जाने के भय से विद्यालय से पलायन करने वाले छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	झगड़ा करने वाले छात्रों की संख्या	हाँ	नहीं
18	82	9	1	8

उपर्युक्त तालिकानुसार 11 प्रतिशत छात्र झगड़ा हो जाने के भय से कक्षा से पलायन करते हैं।

तालिका—23

घर के सदस्यों द्वारा विद्यालय न जाने हेतु कहने वाले छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	हाँ	नहीं
18	82	2	80

उपर्युक्त तालिकानुसार 3 प्रतिशत छात्रों को उनके परिवार के सदस्य प्रायः विद्यालय न जाने के लिये कहते हैं

तालिका—24

खेलकूद और सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में विशेष रुचि लेने वाले छात्र –

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	हाँ	नहीं
18	82	62	20

उपर्युक्त तालिकानुसार 78% छात्र खेलकूद और सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में विशेष रुचि लेते हैं।

तालिका—25

खेलकूद और सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में विशेष रुचि रखने के कारण वादन छोड़ने वाले छात्र –

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	विशेष रुचि रखने वाले छात्र	हाँ	नहीं
18	82	62	10	52

उपर्युक्त तालिकानुसार खेलकूद और सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में विशेष रुचि लेने वाले छात्रों में से 16% छात्र अपने वादन छोड़ते हैं

तालिका—26

पढ़ने में मन न लगने वाले छात्र—

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	हाँ	नहीं
18	82	68	14

उपर्युक्त तालिकानुसार 17 प्रतिशत छात्रों का मन पढ़ने में नहीं लगता है।

तालिका संख्या—27

ऐसे छात्र जिनके प्रदत्त गृह कार्यों को उनके माता/पिता/अभिभावक अवलोकन नहीं करते।

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	हां	नहीं
18	82	63	29

उपर्युक्त तालिकानुसार 35 प्रतिशत छात्रों के माता/पिता/अभिभावक उनके प्रदत्त गृह कार्यों का अवलोकन नहीं करते हैं।

तालिका—28

पढ़ने हेतु बाध्य किये गये छात्र

कुल विद्यालय संख्या	कुल छात्र संख्या	हां	नहीं
18	82	32	50

उपर्युक्त तालिकानुसार 39 प्रतिशत छात्रों को पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है।

निष्कर्ष—

पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से संकलित सूचनाओं के विश्लेषण एवं अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :—

(1) विभाग द्वारा तालिकानुसार छात्र संख्या का मानक निर्धारित है। इस मानक का अनुपालन न कर

अनियंत्रित संख्या में छात्रों को प्रवेश देने से उनके बैठने के लिए स्थानाभाव की समस्या सामने आती है। ऐसी स्थिति में अनेक छात्र कक्षा से पलायन करने लगते हैं।

(2) कुल 17 प्रतिशत छात्र पलायनकारी हैं। इन पलायनकारी छात्रों में से 63 प्रतिशत छात्र प्रथम उपस्थिति के बाद तथा 37 प्रतिशत छात्र द्वितीय उपस्थिति के बाद विद्यालय से पलायन कर जाते हैं।

(3) शोध अध्यन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ विषयों के शिक्षकों का अध्यापन रोचक एवं बोधगम्य न होने के कारण भी छात्र पलायनकारी बन जाते हैं। शिक्षण प्रभावी न होने के अतिरिक्त कक्षा में विषय शिक्षकों की नियमित उपस्थिति का अभाव, गृह कार्य देने तथा उसके नियमित संशोधन के प्रति उदासीनता, शिक्षण में विषयान्तर जैसे अन्य कारण भी हैं जो छात्रों को पलायनकारी बनाने में सहायक हैं।

(4) छात्रों में पलायनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का एक कारण अध्यापकों और अभिभावकों के बीच नियमित सम्पर्क एवं विचार सम्प्रेषण का अभाव है। अध्यापकों द्वारा पलायनकारी छात्रों के सम्बन्ध में उनके अभिभावकों को जानकारी नहीं दी जाती है जिससे अभिभावक अपने पाल्यों की इस अनियमितता से अवगत नहीं हो पाते हैं। फलतः छात्रों की पलायनकारी प्रवृत्ति को नियोजित करने में अभिभावकों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

(5) यह भी पाया गया है कि कतिपय कक्षाध्यापक पलायनकारी छात्रों की उपस्थिति सम्बन्धी अनियमितता के सम्बन्ध में प्रधानाचार्यों को भी अवगत नहीं कराते हैं। इससे वे छात्र जो प्रधानाचार्य द्वारा दण्डित होने के भय से कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होने हेतु सचेष्ट होते, निर्भय होकर कक्षा से पलायन करते हैं।

(6) इन पलायनकारी छात्रों में ऐसे भी छात्र हैं जो व्यक्तिगत ट्यूशन या कोचिंग कक्षाओं में पढ़कर उत्तीर्ण होने की धारणा से ग्रस्त होने के कारण कक्षा में नियमित रूप से होना आवश्यक नहीं मानते और परिणामतः पलायनकारी छात्र बन जाते हैं।

(7) ऐसी स्थिति भी सामने आई है कि अभद्र एवं उद्दण्ड प्रवृत्ति के बालकों को भी कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाता है और उन्हें विद्यालय वातावरण में नियंत्रित रखना कठिन हो जाता है। अपनी उद्दण्ड और झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण वे विद्यालय के लिए समस्या बन जाते हैं और शिक्षकों में रुचि लेकर प्रायः कक्षा से पलायन करते रहते हैं। ऐसे भी पलायनकारी छात्र हैं जो उद्दण्ड और झगड़ालू प्रवृत्ति के छात्रों के आतंक से भयभीत होकर नियमित रूप से उपस्थित रहने में असमर्थ हो जाते हैं और असुरक्षा की भावना के कारण कक्षा से पलायन कर जाते हैं।

(8) खेलकूद और सांस्कृतिक क्रिया कलापों में आवश्यकता से अधिक रुचि लेने के कारण कक्षा में पठन-पाठन के प्रति उदासीन हो जाते हैं और ऐसे छात्र पलायनकारी बनकर खेलकूद और अन्य क्रिया-कलापों में व्यस्त रहते हैं।

(9) ऐसे भी पलायनकारी छात्र हैं जो विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को अपने लिए अनुपयोगी और अर्थहीन मानते हैं और केवल अभिभावकों द्वारा विवश करने के कारण ही विद्यालय में प्रवेश लेकर अनिच्छापूर्वक अध्ययन करते हैं।

सुझाव—

1—कक्षानुसार छात्र प्रवेश के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही अभ्यर्थियों को कक्षाओं में प्रवेश दिया, जाये जिससे विद्यालय की कक्षाओं में प्रविष्ट छात्रों की संख्या निर्दिष्ट संख्या से अधिक न हो सके।

2— विद्यालय की दोनों पालियों में छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कक्षाओं में अन्तिम वादन में छात्रों की द्वितीय उपस्थिति ली जाय। इससे विद्यालय के पठन-पाठन की पूरी अवधि में छात्रों को उपस्थित रखने में सहायता मिलेगी।

3—विभिन्न विषयों के शिक्षकों के अध्यापक कार्य को अधिक रोचक, अपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए अध्यापकों के निमित्त सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए और इन अभिनवीकरण कार्यक्रमों में उन्हें नवीन तथा उपयुक्त शिक्षण विधाओं से अवगत कराया जाय, जिससे वे शिक्षण कार्य के साथ-साथ निदानात्मक परीक्षण, गृहकार्य निर्धारण एवं कार्य संशोधन, मूल्यांकन आदि कार्यों को सम्पन्न करने में समर्थ हो सके।

4—छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु नियमित अध्यापक-अभिभावक सम्पर्क की योजना का क्रियान्वयन किया जाय, जिससे अभिभावक अपने बालकों के बहुमुखी विकास में सक्रिय रूप से योगदान कर सकें।

5—प्रधानाचार्यों के स्तर पर ऐसे उपाय अपेक्षित हैं जिससे पलायनकारी छात्रों के सम्बन्ध में उन्हें सम्बन्धित अध्यापकों से आवश्यक सूचना नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। इस उद्देश्य से प्रधानाचार्य सम्बन्धित अध्यापकों को आवश्यक निर्देश देकर उनका पालन करायें।

6—शासन द्वारा ट्यूशन तथा कोचिंग कक्षाओं पर अंकुश लगाया जाय और उन्हें इस प्रकार प्रतिबन्धित कर दिया जाय कि छात्रों में कक्षा से पलायन कर वहाँ पढ़ने की प्रवृत्ति न पा सके।

7—उद्दण्ड और झगड़ालू प्रवृत्ति के छात्रों को आदर्श छात्र बनाने में संस्था के वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यह कार्य प्रधानाचार्य और सहयोगी अध्यापकों के सामूहिक प्रयास से सम्भव होगा। प्रधानाचार्य द्वारा प्रार्थना-स्थल पर संस्था में छात्रों के बीच भाई-चारा की भावना उत्पन्न करने के लिए अपने शिक्षकों और

छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय में स्नेह, आत्मीयता, भ्रातृत्व की भावना और छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास ही इस समस्या का समाधान होगा।

8—विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण व्यवस्था करने के साथ-साथ पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों में भाग लेने के लिए छात्रों को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाय और समय-चक्र में एक वादन निश्चित किया जाय, जिससे छात्र विषय-शिक्षण की उपेक्षा कर खेलकूद की ओर अधिक प्रवृत्त न हो सकें।

9—छात्रों एवं उनके अभिभावकों से सम्पर्क कर उन्हें शिक्षा की उपयोगिता एवं सार्थकता से अवगत कराया जाय, जिससे विशेषतः छात्र अपने व्यक्तित्व के सम्यक् विकास और उज्जवल भविष्य के निर्माण में शिक्षा की भूमिका से आश्वस्त हो सकें।

19

माध्यमिक शिक्षा में संस्थाओं के प्रधानों के वर्तमान अधिकार एवं कर्तव्य तथा उन्हें प्रभावशाली बनाने के सुझाव

1—पृष्ठभूमि

सम्पूर्ण शिक्षा क्रम में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश छात्रों के लिये यह शिक्षा का अंतिम स्तर होता है। और इसके पश्चात् वे जीविकोपार्जन की दिशा में सचेष्ट हो जाते हैं। कुछ छात्र उच्च तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की ओर उन्मुख होते हैं। शेष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु डिग्री कालेजों अथवा विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। इस प्रकार शिक्षा का यह सोपान छात्रों को भावी जीवन की विभिन्न दिशाओं की ओर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होता है। यही कारण है कि माध्यमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था पर शासन और समाज का ध्यान सदैव केन्द्रित रहा है और उसे सार्थक प्रासंगिक एवं अनाकांक्षाओं के अनुरुप बनाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं।

1-1 माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने में शिक्षा संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है और इन शिक्षा संस्थाओं को निर्धारित लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु सक्षम बनाने का दायित्व संस्थाओं के प्रधानों का रहा है। इस कारण माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्यों की भूमिका को सर्वोपरि माना गया है।

विद्यालय के व्यापक एवं दिन प्रति दिन विस्तारोन्मुख क्रिया कलापों के सुचारु संचालन हेतु जिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है, उसके नियोजन, संचालन और नियमन का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होता है। व्यवस्था के अन्तर्गत शैक्षिक, सह शैक्षिक, प्रशासनिक, प्रबन्धकीय एवं वित्तीय कार्यों के अतिरिक्त कार्यालयीय दायित्व भी सन्निहित होते हैं। यह ठीक है कि पाठ्य व्यवस्था के लिये शासन/प्रबन्ध तंत्र तथा समाज द्वारा बहुत कुछ किया जाता है, किन्तु विद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था का सम्पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य अपने सहकर्मियों के सहयोग से वहन करता है।

1–2 संस्था का प्रधान एक शिक्षक भी होता है और शैक्षिक प्रशासक भी। उसके प्रशासनिक दायित्वों के अन्तर्गत प्रबन्धकीय दायित्व भी सम्मिलित रहते हैं। इन दायित्वों के अन्तर्गत वे सभी क्रियायें आ जाती हैं, जिनका सम्बन्ध नियोजन करने, कार्यक्रम निर्धारित करने, उपकरण एवं सामग्री आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा

अधीनस्थ कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों को निस्तारित करने एवं परीक्षा तथा मूल्यांकन कार्य निष्पादित करने के साथ विद्यालय के अध्यापक मन्डल को प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा नेतृत्व प्रदान करने, शैक्षिक गतिविधियों एवं क्रिया कलापों का संगठन करने, सूचनाओं का एवं आख्याओं का सम्प्रेषण करने तथा विद्यालय के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने से हो।

इस प्रकार संस्था के प्रधान के दायित्वों की सीमा निर्धारित करना आदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। प्रधानाचार्य का कार्य क्षेत्र, उसका विद्यालय तो है ही, किन्तु विद्यालय समाज का एक अंग भी है। अतः प्रधानाचार्य विद्यालय को समाज से अलग रखकर, उसके विकास की कल्पना नहीं कर सकता। उसे अपने चारों ओर के सामाजिक वातावरण की विशेषताओं, क्रियाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों को ध्यान में रखते हुये विद्यालयीय क्रिया कलापों का इस प्रकार आयोजन एवं संगठन करना होता है, जिससे कि विद्यालय के शैक्षिक उपक्रमों में समाज सहभागी बन सके और विद्यालय समाज को योग्य नेतृत्व प्रदान कर सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का माध्यम बन सके।

संस्था के प्रधान का सार्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह यह सुनिश्चत करे, कि उसके विद्यालय में ऐसे स्वस्थ शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अबाध गति से चलती रहे और शिक्षा मानव संसाधन के विकास को गति प्रदान करने के साथ देश और समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बन सके।

विगत दो दशकों में अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षकों तथा प्रधानों की सेवा शर्तों, वेतन वितरण प्रणाली, चयन एवं नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरणों में अपेक्षित सुधार लाने की दृष्टि से शासन द्वारा अनेक ठोस उपाय किये गये। राजकीय शिक्षा सेवा में कार्यरत अधिकारियों की भांति उन शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य, अध्यापक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सभी अनुमन्य लाभ उपलब्ध कराये गये और यह आशा की गयी थी कि इन विद्यालयों का शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने में समुचित योगदान होगा, किन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि माध्यमिक शिक्षा की दशा चिन्ता का विषय बन गई है। विद्यालयों के शैक्षिक स्तर में गिरावट आई है और वे अनुशासनहीनता और अव्यवस्था से बुरी तरह ग्रस्त हो गये हैं। विद्यालयीय व्यवस्था के शिथिल होने के कारण प्रधानाचार्यों की भूमिका आलोचना का विषय बन गई हैं। यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रधानाचार्य अपने अधिकारों और दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, किन्तु प्रमुख रूप से या तो प्रधानों के अधिकार और कर्तव्य पर्याप्त नहीं है अथवा वे किन्हीं परिस्थितियोंवश अपने अधिकार और कर्तव्यों को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार में लाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। स्थिति चाहे जो हो, यह आवश्यक हो गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये उनके अधिकारों और कर्तव्यों पर पुनः विचार किया जाय और उनका वस्तुपरक आंकलन किया जाय। साथ ही उन्हें प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव भी ज्ञात किये जांय।

प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा की ओर उन्मुख करने की दृष्टि से इस शोध अध्ययन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। तदनुकूल इस अनुसंधान पर कार्य प्रारम्भ किया गया।

2—उद्देश्य—

(अ) माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों के वर्तमान अधिकार एवं कर्तव्य और उनकी वर्तमान परिस्थितियों में कार्यान्वयन की स्थिति ज्ञात करना।

(ब) उन अधिकारों और कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

3—परिसीमन—

इस अध्ययन के अन्तर्गत इलाहाबाद, प्रतापगढ़ तथा फतेहपुर जनपदों के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्याओं को लिया गया साथ ही सम्बन्धित विद्यालयों की प्रबन्ध समिति के प्रधानों तथा सदस्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों शिक्षाविदों के विचारों को भी समाहित किया गया। विवरण निम्नवत् है :—

(अ)	बालकों के विद्यालयों के प्रधानाचार्य	13
(ब)	बालिकाओं की विद्यालयों की प्रधानाचार्या	17
(स)	प्रबन्ध समितियों के प्रधान एवं सदस्य	15
(द)	शिक्षाधिकारी एवं शिक्षाविद	10

4—अध्यापन विधि—

4-1 न्यादर्श का चयन—

न्यादर्श का चयन इस दृष्टि से किया गया है कि वह पर्याप्त रूप से प्रतिनिधिकारी हो और वांछित सूचनाओं एवं आँकड़ों को एकत्र करने में सुविधा होने के साथ प्रदत्तों की विश्वसनीयता भी बनी रहे। इसी धारणा के अनुसार नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बालक एवं बालिका विद्यालयों के कुल 30 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया और इन विद्यालयों के प्रधानों से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सूचनाएँ एकत्र की गयी। प्रबन्ध समितियों के 15 प्रबन्धकों तथा 10 शिक्षाविदों और शिक्षाधिकारियों के विचारों और अनुभवों को एकत्र करने का सफल प्रयास किया गया।

4-2 उपकरण—

(अ) दो पृच्छा प्रपत्र प्रधानाचार्यों के लिए तैयार किये गये। पृच्छा प्रपत्र (अ) प्रधानाचार्यों के अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने तथा पृच्छा प्रपत्र (ब) उनके कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त हेतु तैयार किये गये। पृच्छा प्रपत्र (अ) में 23 बिन्दु रखे गये और पृच्छा प्रपत्र (ब) में 26 बिन्दु।

(ब) 1 पृच्छा प्रपत्र–प्रबन्ध समिति के प्रबन्धकों तथा शिक्षाविदों और शिक्षाधिकारियों के लिए उनके विचार अंकित करने हेतु तैयार किया गया। इस प्रपत्र में 21 बिन्दु रखे गये।

4·3 प्रदत्त संग्रह—

परिसीमन के अन्तर्गत उल्लिखित माध्यमिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्याओं से पृच्छा प्रपत्रों की पूर्ति करायी गयी। इसी के साथ 15 माध्यमिक संस्थाओं के प्रबन्ध तन्त्र के प्रबन्धकों तथा 10 शिक्षाविदों और शिक्षाधिकारियों से पृच्छा प्रपत्रों एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर अनुसंधान विषय से सम्बन्धित तथ्यों, सूचनाओं एवं विचारों को ज्ञात किया गया।

5—प्रदत्त विश्लेषण तथा प्राप्त तथ्यों का प्रतिवेदन तथा निष्कर्ष—

प्राप्त प्रदत्तों का विधिवत वर्गीकरण करके उनका सांख्यिकी विधि से विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के उपरान्त जो तथ्य प्रकाश में आए, उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

5·1 संस्थाओं के प्रधानों के कर्तव्य—

शैक्षिक—

1—नियमित अध्यापन कार्य।

2—अध्यापकों के शैक्षिक दायित्वों के निर्वहन हेतु वातावरण का निर्माण।

3—अध्यापकों की योग्यता, कार्य एवं क्षमता के अनुसार उनका कार्य विभाजन।

4—कक्षा शिक्षण कार्यों का निरीक्षण।

5—अध्यापकों द्वारा डायरी बनाने पर बल देना और उनका नियमित निरीक्षण।

6—अध्यापकों द्वारा छात्रों को कराये गये लिखित कार्य का निरीक्षण।

7—प्रतिभा सम्पन्न एवं औसत स्तर से कम छात्रों के लिए विद्यालय समय-सारिणी के अतिरिक्त अलग-अलग शिक्षण हेतु प्राविधान।

8—छात्रों को खेलकूद के लिए प्रोत्साहन देने हेतु उचित व्यवस्था करना।

9—विद्यालय में छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना और कार्यक्रमों का आयोजन करना।

10—छात्रों में अनुशासन भावना को जागृत करना और विद्यालय में स्वस्थ शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना।

11—प्रत्येक माह छात्रों की मासिक परीक्षा का आयोजन करना और उनके उपलब्धियों से अभिभावकों को अवगत कराना।

12—विभागीय आदेशों के अनुसार वर्ष में दो परीक्षाओं का आयोजन करना, उत्तर पुस्तिकों का समयान्तर्गत

मूल्यांकन करना, प्रश्न-पत्रों की वैधता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना, परीक्षा की पवित्रता बनाये रखना तथा अभिभावकों को छात्रों की प्रगति से अवगत कराते रहना और उनका यथावश्यक सहयोग प्राप्त करना।

13—छात्रों को गृह कार्य देने तथा उसकी अध्यापकों द्वारा जांच किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

14—शिक्षण स्तर के उन्नयन हेतु नवीनतम शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल देना।

15—शिक्षा में अभिनव प्रयोगों तथा क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रमों को अपनाने हेतु अध्यापकों को प्रोत्साहित करना।

16—अध्यापकों में विषय से सम्बन्धित जानकारी को आधुनिकतम बनाने तथा ज्ञान भण्डार को विकसित करने हेतु सेवा कालीन अध्यापक प्रशिक्षण अथवा अभिनवीकरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और उनमें अध्यापकों के प्रतिभाग को सुनिश्चत करना।

17—अन्य विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावी बनाने हेतु किये गये प्रयासों से, अपने विद्यालय के अध्यापकों को परिचित कराना और उन्हें अपने विद्यालय में भी अपनाने पर बल देना।

18 शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन करना और स्वयं भी उनमें प्रतिभाग करना।

19—प्रतिमाह अध्यापक मण्डल की बैठक आयोजित करना तथा शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना और शिक्षोन्नयन हेतु आवश्यक उपाय करना।

20—पत्राचार-शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रमों से सम्बन्धित किया-कलापों को गति प्रदान करना।

21—विद्यालय के छात्रों में पुस्तकालय तथा वाचनालय का सही उपयोग करने की आदत डालना।

5—प्रशासनिक—

(1) विभागीय आदेशों, शासकीय, नियमों अधिनियमों तथा प्रबन्ध समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(2) विभागीय अधिकारियों तथा प्रबन्ध समितियों के सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचनाओं को तत्काल प्रेषित करना।

(3) विभाग / प्रबन्ध समिति, अध्यापक मण्डल तथा स्थानीय समाज के साथ सहयोग पूर्ण, सुखद सम्बन्धों को बनाए रखना और प्रशासन में जनतांत्रिक भावना, पारस्परिक सहकारी और मानवीय सम्बन्धों का समावेश।

(4) अध्यापकों के अवकाश तथा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण करना / कार्यालय कर्मियों, चतुर्थ-श्रेणी के कर्मचारियों, के समस्त सेवा सम्बन्धी एवं अवकाश प्रकरणों का भी त्वारित निस्तारण करना।

(5) कार्यालयीय क्रिया-कलापों का प्रभावी नियंत्रण रखना।

(6) अध्यापकों एवं कार्यालय कर्मियों से सम्बन्धित सभी पत्रावलियों, सेवा सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखना तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की गोपनीय आख्या प्रपत्रों में समय के अन्तर्गत प्रविष्टि करके अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करना।

नियम विपरीत आचरण करने वाले तथा गम्भीर दुराचरण के दोषी विद्यालय कर्मचारियों के विरुद्ध नियमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करना।

(7) अभिभावकों एवं समाज के सदस्यों से मिलना और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रभावी उपाय करना तथा प्रशासन को संवेदनशील बनाना।

(8) विद्यालय की चतुर्मुखी प्रगति हेतु योजना तैयार करना और उसे कार्यान्वित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

(9) संस्थागत नियोजन के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु प्रयास करना।

(10) अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन का गठन करना और उसे निर्धारित उद्देश्यों की ओर प्रभावी ढंग से उन्मुख करना।

(11) व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को स्थानीय समाज के परामर्श से उसे उसकी आवश्यकतानुसार ढालने हेतु विभाग को संस्तुति भेजना और समाज के प्रत्येक वर्ग से सहयोग प्राप्त कर उसे सफल बनाने का प्रयास करना।

(12) विद्यालय और समाज एक दूसरे के पूरक हैं इस विचार को परिपुष्टि करते हुए विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की पूर्ति हेतु सामाजिक सहभागिता प्राप्त करना।

(13) विद्यालय में कार्मिक प्रबन्ध में रुचि लेना तथा शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से विद्यालय में अध्यापकों की विषयवार उचित संख्या बनाये रखने हेतु विभाग / प्रबन्ध समिति के समक्ष आवश्यकता रखना और व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।

(14) एल० टी० तथा प्रवक्ता वेतनक्रम के अध्यापकों के रिक्तस्थानों पर नियुक्ति हेतु प्रबन्ध समिति की अनुमति से अभियाचन करना तथा पदोन्नति प्रकरणों पर प्रबन्ध समिति को परामर्श अथवा संस्तुति भेजना।

(15) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षाओं को सम्पन्न कराना और यदि विद्यालय मूल्यांकन केन्द्र बनाया गया है तो विभागीय निर्देशानुसार मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पन्न करना।

(16) माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं हेतु छात्रों के आवेदन पत्रों को पूर्ण कराकर उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में समय से प्रेषित करना तथा सम्बन्धित छात्रों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र निर्गत करना।

(17) विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी० सी०) प्रदान करना। आवश्यकता-नुसार छात्रों को चरित्र प्रमाण-पत्र देना।

(18) विद्यालय की भंडार पंजिकाओं की प्रविष्टियों की व्यक्तिगत स्तर पर जाँच करना और वर्ष के अन्त में उनमें अंकित सामग्रियों का सत्यापन करना।

जिन विद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था है, वहाँ छात्रावास के प्रशासन की देख-रेख रखना और छात्रों को आवासीय एवं शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना। विद्यालय एवं छात्रावास में पुस्तकालय एवं वाचनालय की प्रभावी व्यवस्था करना।

(20) विद्यालय भवन एवं विद्यालय परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा और उसके सुन्दरीकरण हेतु सतत सक्रिय रहना। इस कार्य में विद्यालय परिवार एवं स्थानीय समाज का सहयोग प्राप्त करते रहना।

मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रधानों द्वारा प्रबन्ध समिति की बैठकों में भाग लेना और विद्यालय कार्य-कलापों तथा आवश्यकताओं को प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

5-3 वित्तीय व्यवस्था --

(1) विद्यालय में प्राप्त होने वाले शिक्षण शुल्क एवं छात्र-कल्याण शुल्क आदि को नियमानुसार राजकीय कोष एवं छात्र निधियों के कोषों में जमा करना।

(2) विभिन्न अनुदानों को उसी उद्देश्य हेतु व्यय करना जिसके लिये वे प्राप्त किये गये हों।

(3) कन्टिनजेन्सी धनराशि का विवेकपूर्ण न्यायोचित एवं उद्देश्य परक व्यय सुनिश्चित करना।

(4) छात्र निधियों को उन्हीं मदों पर व्यय करना, जिन मदों के तहत उन्हें प्राप्त किया जाता है।

(5) नियमानुसार कैशबुक में आय और व्यय का लेखा-जोखा रखना और उसकी विधिवत जाँच करके यथास्थान हस्ताक्षर करना। अन्य अभिलेखों और पंजिकाओं की जाँच करना और यथास्थान हस्ताक्षर करना। कार्यालय कर्मियों, चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, वेतन आहरण, बकाया धनराशि का आहरण कर उसे उनमें वितरित करना, समय के अन्दर नियमानुसार यात्रा भत्ता, बिलों का भुगतान करने, छात्रों की छात्रवृत्तियों का वितरण समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने सम्बन्धी सभी वित्तीय दायित्वों का वहन करना।

(6) विद्यालय के शैक्षिक कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक सामग्री, विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिये उपकरण, कक्षाओं के लिये काष्ठोपकरण तथा कार्यालय के प्रयोगार्थ स्टेशनरी आदि क्रय करने में वित्तीय नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना। विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पुताई-सफाई पर नियमानुसार धन व्यय करना आदि।

(17) विद्यालय हित में अतिरिक्त व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यय हेतु अतिरिक्त अनुदान अथवा कन्टिजेन्सी धनराशि बढ़ोत्तरी हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास आवेदन प्रस्तुत करना।

(8) विभागीय आडिट कार्य हेतु अभिलेख प्रस्तुत करना, आडिट पार्टी के साथ सहयोग करना और समय के अन्दर आडिट आपत्तियों का निराकरण करके विभाग को अवगत कराना।

(9) आय और व्यय का हिसाब-किताब रखते समय अथवा प्राप्त धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय नियमों का पूर्ण रूप से पालना करना और किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न होने देना।

(10) निर्धारित शुल्क से अधिक किसी भी दशा में किसी भी विद्यालय कर्मी द्वारा वसूली न की जाय, इस पर सतर्क दृष्टि रखना।

5-4 संस्था के प्रधानों के अधिकार—

(1) संस्था के प्रधानाचार्य को अधिकार प्राप्त है कि वह विद्यालय में छात्रों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में अपने विवेक से कार्य करें। छात्रों को प्रवेश हेतु वह चाहे तो प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर सकता है अथवा विगत परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रम से अथवा साक्षात्कार के द्वारा प्रवेश योग्य छात्रों का चयन कर सकता है और यदि वह चाहे तो इन तीनों विधियों का समन्वित प्रयोग कर सकता है।

(2) छात्रों के शुल्क मुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु प्रधानाचार्य शुल्क मुक्ति नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने एवं निर्धन छात्र निधि से सहायतार्थ उन्हें धन आवंटित करने में पूर्ण रूप से अधिकृत है। इस कार्य हेतु वह अपने अधीनस्थ अध्यापकों की समिति गठित कर सकता है जो इस कार्य का निस्तारण करें किन्तु अंतिम निर्णय प्रधानाचार्य का ही होगा।

(3) छात्रों को विषय आवंटन करने, उनके सेक्शन बदलने शिक्षण कक्षा निर्धारित करने का अधिकार प्रधानाचार्य को है।

(4) प्रधानाचार्य को अधिकार है कि किसी छात्र द्वारा अवकाश प्रार्थना-पत्र के बिना 10 दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर उसका नाम विद्यालय से काट दें और पुनः प्रवेश हेतु उसकी प्रार्थना को स्वीकार करें अथवा न करें।

(5) किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता के लिये प्रधानाचार्य किसी भी छात्र को विद्यालय से निष्कासित कर सकता है अथवा तोड़ फोड़ के लिये उसे क्षति पूर्ति हेतु आर्थिक दण्ड दे सकता है।

(6) निर्धन छात्रों को निर्धन छात्र कोष से सहायता देने का अधिकार प्रधानाचार्य को प्राप्त है।

(7) परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्र को यदि प्रधानाचार्य चाहे तो विद्यालय से निकाल सकता है, उसे अनुतीर्ण घोषित कर सकता है अथवा उसे उस विषय में पुनः परीक्षा देने हेतु आदेश दे सकता है।

(8) छात्रों की उचित शिकायतों को सुनना और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को आदेश देना प्रधानाचार्य के अधिकार क्षेत्र में है।

(9) जिन विद्यालयों में छात्रावास है, उनमें छात्रावास में रहने के इच्छुक छात्रों को छात्रावास में रहने अथवा उन्हें छात्रावास में प्रवेश न देने का अधिकार प्रधानाचार्य को है।

(10) छात्रों की नियमान्तर्गत उपस्थिति प्रतिशत न होने की दशा में प्रधानाचार्य को अधिकार है कि वह उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बैठने से रोक दें।

(11) विद्यालय की विभिन्न खेल कूद टीमों के कैप्टन की नियुक्ति प्रधानाचार्य के अनुमोदन के उपरान्त ही हो सकती है ।

(12) वह शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना और उनके लिये विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रधानाचार्य के अधिकार क्षेत्र में है ।

(13) उत्तम कार्य एवं आचरण हेतु छात्रों को पुरस्कृत करना प्रधानाचार्य के अधिकार क्षेत्र में है ।

(14) प्रधानाचार्य को सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र में 3 दिन का विशेष अवकाश देने का अधिकार है । इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में वह विद्यालय बन्द कर सकता है ।

(15) विद्यालय कार्य प्रारम्भ होने और समाप्त होने सम्बन्धी समय का निर्धारण करना प्रधानाचार्य का का अधिकार है ।

(16) प्रधानाचार्य को अधिकार प्राप्त है कि वह विद्यालय के अध्यापकों का कार्य का विभाजन उनकी योग्यता, क्षमता तथा रुचि को ध्यान में रखते हुये करें ।

(17) प्रधानाचार्य को अधिकार प्राप्त है कि वह कार्यालय कर्मियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य का विभाजन करें, एक बार कार्य विभाजन करने के बाद, यदि वह उचित समझे तो पुनः जिसे जैसा चाहे कार्य आवंटित कर सकता है ।

(18) विद्यालय के अध्यापकों, कार्यालय कर्मियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश देने अथवा स्वीकृति किये गये अवकाश को निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य को है ।

चिकित्सीय, अर्जित अवकाश अथवा अन्य प्रकार के अवकाश हेतु नियमान्तर्गत कार्यवाही करने का उसे अधिकार है ।

(19) अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही करने अथवा प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रजात प्रबन्ध समिति । विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखने तथा आदेश प्राप्त होने पर उन्हें तुरन्त कार्यान्वित करने हेतु कार्यालय को आदेश देने का उसे अधिकार प्राप्त है ।

(20) प्रधानाचार्य को अधिकार प्राप्त है कि वह गृह परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों का, विषय अध्यापकों से निर्माण कराये । प्रश्न-पत्रों का माडरेशन करने तथा उन्हें स्तरानुकूल बनाने हेतु उनमें आवश्यक परिवर्तन करने में वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है । गृह परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की विधा सुनिश्चित करने में भी वह पूर्ण स्वतन्त्र है ।

(21) प्रधानाचार्य को अधिकार प्राप्त है कि समय से विद्यालय न आने वाले अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के नाम के सामने क्रास का निशान लगा दें और तीन दिन तक विलम्ब से आने वाले कर्मचारियों का एक दिन का आकस्मिक अवकाश काट दें । उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि बिना उसकी अनुमति के विद्यालय समय के अन्दर अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों द्वारा बाहर चले जाने पर उनसे स्पष्टीकरण देने को कहे । स्पष्टीकरण

सन्तोषजनक न होने पर बार-बार इसी प्रकार की कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों की भर्त्सना करने का उसे अधिकार है।

(22) यदि कोई विद्यालय कर्मचारी प्रधानाचार्य की आज्ञा की अवहेलना करे अथवा नियमोल्लंघन का दोषी पाया जाय या कोई गम्भीर दुराचरण करें तो उसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का भी उसे अधिकार है।

(23) राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अधिकार प्राप्त हैं कि किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी के कार्य अथवा आचरण से असन्तुष्ट होने की दशा में वे उस अध्यापक / कर्मचारी से स्पष्टीकरण माँगे, चेतावनी दें, उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दें अथवा उनके स्थानान्तरण हेतु विभाग को संस्तुति प्रेषित कर दें।

(24) अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी नियमान्तर्गत अपने विद्यालय के कर्मचरियों के लिए दण्ड प्रक्रिया अपना सकते हैं और विद्यालय की प्रबन्ध समिति से आवश्यक दण्ड देने की संस्तुति कर सकते हैं।

प्रधानाचार्य को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने सहयोगी अध्यापकों की डायरी की जाँच करे तथा उनकी कक्षाओं का यदा-कदा निरीक्षण करने उन्हें कार्यशील अथवा अध्यापन विधा में सुधार लाने हेतु परामर्श अथवा निर्देश दें

(25) प्रधानाचार्य किसी भी अध्यापक से, उसके द्वारा कराये गये लिखित कार्य की जाँच हेतु अभ्यास-पुस्तिकाओं को प्रस्तुत करने हेतु आदेश दे सकता है।

(26) प्रधानाचार्य किसी भी अध्यापक को शैक्षिक संगोष्ठियों, अभिनवीकरण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने हेतु आदेश दे सकता है।

(27) विद्यालयीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु प्रधानाचार्य किसी भी अध्यापक को कोई भी कार्य आवंटित कर सकता है तथा उसे किसी भी कमेटी का सदस्य मनोनीत कर सकता है। सन्तोषजनक कार्य न किये जाने पर वह अध्यापक की ड्यूटी बदल भी सकता है।

(28) प्रधानाचार्य को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन में किसी भी अध्यापक / कर्मचारी का सहयोग प्राप्त करें अथवा उससे परामर्श करें। उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अध्यापकों / कर्मचारियों द्वारा किये गये परामर्श को माने अथवा न माने।

(29) प्रधानाचार्य को अपने अध्यापक मण्डल की बैठकें करने तथा बैठकों में अध्यक्ष पद ग्रहण करने का भी अधिकार प्राप्त है।

(30) प्रधानाचार्य को अधिकार प्राप्त है कि वह उत्तम कार्य के लिए अपने अध्यापक। कर्मचारियों को पुरस्कृत करने हेतु विभाग। प्रबन्ध समिति को उसके नाम की संस्तुति करें।

(31) प्रधानाचार्य किसी भी अध्यापक को शिक्षा संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दो से अधिक ट्यूशन करने से रोक सकता है।

(32) कार्यालय व्यय हेतु प्राप्त धनराशि का व्यय स्वाविवेक से करने का प्रधानाचार्य को अधिकार है। उसी प्रकार क्रीड़ा एवं छात्र निधियों में जमा धनराशि का उचित तथा उद्देश्य परक व्यय करने का भी उसे अधिकार प्राप्त है। वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि विद्यालय के उपयोग हेतु सामग्री तथा उपकरणों का क्रय किस प्रकार किया जाय। विद्यालय के विभिन्न विभागों को आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु वह उपलब्ध धन का आवंटन कर सकता है।

(33) प्रधानाचार्य को अधिकार प्राप्त है कि विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पुताई हेतु टेन्डर मंगाने की कार्यवाही करें और उचित पाये जाने पर उसको स्वीकृति प्रदान करें। कार्य सम्पन्न हो जाने के बाद पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही वह भुगतान के आदेश दे सकता है। यदि प्रधानाचार्य चाहे तो सन्तोषजनक कार्य न करने के कारण किसी भी ठेके को बीच में ही बिरस्त कर सकता है अथवा निर्धारित धनराशि के भुगतान को रोक सकता है।

(34) प्रधानाचार्य को अधिकार है कि, रु० 1000) तक कन्टिन्जेसी व्यय वह कोटेशन मंगाए बिना ही विद्यालय हित में व्यय कर सकता है।

(6) प्रधानाचार्यों, प्रबन्धकों, शिक्षाविदों, तथा शिक्षाधिकारियों के द्वारा पृच्छा प्रपत्रों में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त उनसे व्यक्तिगत वार्तालाप, साक्षात्कार एवं विचार विनिमय से प्रधानाचार्यों के अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में जो यथार्थपरक स्थिति प्रकाश में आई उसका विवरण निम्नलिखित प्रकार वर्णित है—

6-1 प्रधानाचार्यों की दृष्टि में—

(1) लगभग शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया है कि वह प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षा शिक्षण नहीं कर पाते हैं। 40 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने प्रति सप्ताह चार वादन, 30 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने प्रति सप्ताह तीन वादन और 20 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अवसर मिलने पर एक दो कक्षाओं में प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य करने की बात स्वीकार की। केवल 10 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने इस संबंध में चर्चा नहीं की।

(2) शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अध्यापकों के लिए समय तालिका निर्मित करने का कार्य अपने किसी सहायक की सहायता से करने की बात को स्वीकार किया। अध्यापकों की कमी तथा प्रति कक्षा सेक्शनों की संख्या में अधिकता के कारण इस कार्य में व्यवधान भी आता है, क्योंकि बहुधा महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापकों का कार्यभार बढ़ने से उन्हें शिकायत का मौका मिल जाता है।

(3) 80 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि अध्यापकों द्वारा डायरी भरने की प्रथा का अपेक्षानुकूल पालन नहीं किया जा रहा है और न उनकी नियमित जाँच ही ही पाती है। प्रधानाचार्यों ने अपना इसका मुख्य कारण अध्यापकों द्वारा उनकी अनुपयोगिता और विद्यालय में शिक्षण दिवसों का अनिश्चित होना बताया।

(4) मात्र 10 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने प्रतिभासम्पन्न तथा औसत से कम उपलब्धि वाले छात्रों के लिए

अलग-अलग अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता को स्वीकार किया और इस दिशा में प्रयास करने की बात स्वीकार की। शेष प्रधानाचार्यों ने इस सम्बन्ध में नकारात्मक उत्तर दिया।

(5) 60 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने खेलकूद व्यवस्था में कार्य लेने की बात स्वीकार की किन्तु इस हेतु पर्याप्त धन के अभाव में इसके प्रभावशाली होने में सन्देह व्यक्त किया। 20 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने विद्यालय के पास पर्याप्त क्षेत्रफल युक्त क्रीड़ा स्थल न होने के कारण खेलकूद हेतु किये गये प्रयासों का सार्थक नहीं माना। शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि वे अपनी संस्था में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं किन्तु धनाभाव के कारण आयोजन सीमित स्तर के ही हो पाते हैं।

(6) लगभग 80 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अपनी संस्था में अपेक्षित स्तर के अनुशासन एवं शैक्षिक वातावरण का सृजन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने इसके लिए निम्न घटकों को उत्तरदायी बताया :—

(क) विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कुर्सी, मेंज, डेस्क तथा अन्य काष्ठोपकरण, शिक्षण सामग्री, विज्ञान उपकरण सहित भौतिक ससाधनों का अभाव।

(ख) विद्यालय की आवश्यकतानुसार विषयवार अध्यापकों की संख्या में कमी तथा कार्यरत अध्यापकों में विद्यालयीय दायित्वों के वहन करने में उदासीनता।

(ग) शिक्षा का उद्देश्य मात्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करना हो जाने से छात्रों में गम्भीरतापूर्वक कक्षा-शिक्षण में रुचि न लेना।

(घ) विषय अध्यापकों का शिक्षण स्तर अपेक्षानुकूल न होना और उनके द्वारा शिक्षण स्तर को रुचिपूर्ण, सार्थक एवं प्रासंगिक बनाने की ओर समुचित ध्यान न दिया जाना। शिक्षण का बाल केन्द्रित न होना।

(ङ) पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण आवश्यकतानुकूल एवं प्रासगिक न होना।

(च) प्रति कक्षा छात्रों की संख्या में वृद्धि और उनमें वाह्य प्रभावों से उत्पन्न उच्छृंखलता की भावना का तीव्र होना।

(छ) अध्यापकों द्वारा निर्देशों तथा नियमों की जानबूझ कर उपेक्षा करना और प्रधानाचार्य के पास उन शक्तियों का न होना जो निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा सके।

(ज) विद्यालय में दलगत राजनीति की अधिकता तथा ट्रेड यूनियन प्रवृत्तियों का प्रबल होना।

(झ) छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों में प्रतिबद्धता का अभाव तथा नैतिक गुणों का ह्रास।

(7) मात्र 40 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अपने विद्यालय में मासिक परीक्षाओं के आयोजन करने की चेष्टा की है। शेष ने इसे व्यवहारिक नहीं माना।

(8) गृह परीक्षाओं की, सत्र में दो बार व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में की जाती हैं, किन्तु शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि वर्तमान स्थितियों में छात्रों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नकल के नए-नए तरीकों को बिल्कुल समाप्त करना सम्भव नहीं है। उन्होने परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने तथा अनुचित साधन प्रयोग को समाप्त करने में अपनी अक्षमता स्वीकार की।

(9) 60 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने गृह कार्य को आवश्यक बताते हुए इस ओर अध्यापकों को प्रेरित करने की बात को स्वीकार की, किन्तु ग्रह-कार्य के सुधार की स्थिति सन्तोषजनक नहीं बतायी।

30 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया, कि उनके द्वारा छात्रों के गृह कार्य की जाँच नहीं हो जाती है। 10 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने छात्रों द्वारा होमवर्क की व्यवस्था न किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया।

(10) 80 प्रतिशत प्रधानों ने विद्यालय में लिखित कार्य की अनदेखी स्वीकार की। मात्र 20 प्रतिशत प्रधान इसकी यदा-कदा जाँच करते हैं।

(11) शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि उनके विद्यालय में अध्यापकों द्वारा शैक्षिक परियोजनाओं, विकास कार्यों तथा क्रियात्मक अनुसन्धान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन्हें स्वयं भी इसे प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त समय एवं सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती।

(12) 80 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि, शिक्षण स्तर में पर्याप्त सुधार लाने हेतु नवीनतम शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग उनके विद्यालय के अध्यापकों द्वारा नहीं किया जाता है। इसका मुख्य कारण है, अध्यापकों की नवीनतम शिक्षण-विधियों को जानकारी न होना, पाठ्यक्रम का बोझिल होना, छात्रों द्वारा मात्र परीक्षोपयोगी सामग्री को ही जानने में रुचि लिया जाना, अध्यापकों के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का न होना तथा वरिष्ठ अध्यापकों की रूढ़िवादी एवं पारम्परिक प्रवृत्ति आदि। इन प्रधानाचार्यों ने यह भी स्वीकार किया है कि, इस दिशा में उनके द्वारा भी प्रभावी प्रयास नहीं किये जाते हैं।

(13) शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने शिक्षक के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षणों की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार किया, किन्तु इसके आयोजन की व्यवस्था न करने के लिए शिक्षा विभाग को दोषी ठहराया।

(14) शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अपने अध्यापक मण्डल की बैठकें नियमित अन्तराल पर आयोजित करना स्वीकार किया और इसकी उपयोगिता को भी माना है।

(15) मात्र 30 प्रतिशत प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु उत्साहित करते हैं। 50 प्रतिशत प्रधानाचार्य अनेक प्रबन्धकीय एवं व्यवस्था सम्बन्धी व्यवधानों के कारण शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर पाते हैं। शेष 20 प्रतिशत प्रधानाचार्य इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते।

(16) जिन विद्यालयों में पत्राचार शिक्षा हेतु शिक्षण कार्य सम्पन्न करने की व्यवस्था की गयी है, उन विद्यालयों के प्रधानाचार्य अतिरिक्त समय में योग्य तथा इच्छुक अध्यापकों द्वारा इस शिक्षण का आयोजन कर रहे हैं।

(17) 18 व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में चुने हुए विद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से 40 प्रतिशत का मत है कि इस शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन पर्याप्त रूप से अपेक्षानुकूल परिणाम देने में सफल नहीं है।

20 प्रतिशत प्रधानाचार्य नियमानुकूल व्यवस्था तो करते हैं, किन्तु उसे गतिशील बनाने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं।

(18) 20 प्रतिशत प्रधानाचार्यों के अनुसार उन्हीं व्यवसायों का प्रशिक्षण देना उचित होगा जिनकी उपयोगिता उस क्षेत्र विशेष के लिये हो। पर्याप्त अनुदान के अभाव में व्यावसायिक शिक्षा मात्र सैद्धान्तिक ज्ञान तक ही सीमित रह जाती हैं। उनका मत है कि, उनके प्रयास अपेक्षित स्तर के हैं, किन्तु परिणाम अपेक्षानुसार नहीं है।

(19) 50 प्रतिशत प्रधानाचार्य पुस्तकालय एवं वाचनालय व्यवस्था को प्रभावी बनाने की ओर ध्यान देते हैं। 20 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था नगण्य है। 20 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय कर्मचारियों के अभाव में न तो पुस्तकें छात्रों तक पहुँच पाती हैं और न प्रधानों का इस ओर ध्यान ही है। समग्र रूप से माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय का वह प्रयोग नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए।

6-2 प्रशासनिक दायित्वों के सम्बन्ध में प्रधानाचार्यों का मत —

1—80 प्रतिशत राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया है कि शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उन्हें अपने प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में कोई विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं होता।

2—90 प्रतिशत अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि उनके प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन विद्यालय की प्रबन्ध समिति के निर्णयों, निर्देशों तथा विभागीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण काफी सीमा तक बाधित होता है। अध्यापक संघों की गतिविधियाँ तथा असामाजिक तत्वों की दखलान्दाजी भी उनके प्रशासनिक कर्तव्यों को प्रभावित करती है।

3—अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शत प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि विभागीय आदेशों, नियमों, अधिनियमों तथा प्रबन्ध समिति के निर्देशों का अनुपालन करना और उनका विद्यालय कर्मचारियों द्वारा पालन कराना, उनका दायित्व अवश्य है किन्तु यदि कोई अध्यापक अथवा कर्मचारी नियमोल्लघन करता है अथवा प्रदत्त आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उस अध्यापक या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रधानाचार्य स्वतन्त्र नहीं है। उसकी कार्यवाही का अनुमोदन प्रबन्धक की इच्छा के अधीन है। प्रधानाचार्य को किसी भी दण्डात्मक प्रक्रिया को अपनाने के पूर्व प्रबन्ध समिति से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। वास्तव में प्रधानाचार्य केवल अग्रसारण करने का अधिकारी है। इस प्रकार उसके प्रशासकीय दायित्व प्रबन्ध समिति के नियन्त्रणाधीन ही होते हैं।

4—शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्णय लेने तथा उसे कार्यान्वित करने में भी वह पूर्ण रूप से तब तक स्वतन्त्र नहीं है, जब तक प्रबन्धक की अनुमति न प्राप्त हो।

5—राजकीय शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्यों की भाँति अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के प्रधान किसी अध्यापक या कर्मचारी के कार्य से असंतुष्ट होने की दशा में, उस अध्यापक या कर्मचारी के स्थानान्तरण हेतु विभाग को संस्तुति नहीं भेज सकते क्योंकि इसका कोई भी प्राविधान मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों या कर्मचारियों के लिये नहीं है। गोपनीय आख्याओं में प्रतिकूल प्रविष्टि का भी इन शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये कोई विशेष महत्व नहीं है।

6—विद्यालयों के अध्यापकों या कर्मचारियों की नियुक्ति या प्रोन्नति के सम्बन्ध में भी, प्रधानाचार्यों को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। सामाजिक सहभागिता प्राप्त करना तथा अभिभावक-अध्यापक एसोसियेशन गठित करना, प्रधानाचार्य का दायित्व है, किन्तु इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रबन्ध समिति की सहमति से ही की जा सकती है।

7—मात्र 40 प्रतिशत संस्थाओं के प्रधानाचार्य संस्थागत नियोजन की ओर उन्मुख पाये गये किन्तु इस संबंध में भी कोई विशेष कार्यवाही के संकेत नहीं मिले।

8—अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु अभियान भी प्रबन्ध समिति की सहमति से ही किया जा सकता है। प्रधानों को स्वतन्त्र रूप से कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है।

9—माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ संचालित करना तथा केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था के तहत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना प्रधानाचार्य का दायित्व है किन्तु ये सभी कार्य परिषद के नियमों के अधीन ही सम्पन्न किये जाते हैं। प्रधानाचार्य मात्र निर्देशों के अनुसार कार्य करने को स्वतन्त्र है।

10—गृह परीक्षाओं तथा परिषद की परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने और परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन प्रयोग पर अंकुश लगाने में शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की।

6-3 वित्तीय प्रशासन—

1—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने वित्तीय प्रशासन में नियमान्तर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन में अपने को सक्षम बताया।

2—अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्यों के वित्तीय कर्तव्य, प्रबन्धक की इच्छा, अनुमति और सहमति पर आधारित है।

3—प्रधानाचार्य केवल छात्र निधियों के उपयोग हेतु स्वतन्त्र है। वह कोई भी क्रय प्रबन्धक की मर्जी के विरुद्ध नहीं कर सकते।

4—शत-प्रतिशत प्रधानाचार्य प्राप्त अनुदानों का लेखा जोखा रखने कैशबुक को नियमानुसार भरवाने, वेतन वितरण तैयार कराने, विद्यालय सम्पत्ति की सुरक्षा करने, छात्रवृत्तियों को वितरित करने सम्बन्धी कार्य सम्पादित करते हैं किन्तु भौतिक सामग्री की आपूर्ति, भवन मरम्मत, स्वच्छता नव निर्माण हेतु प्रबन्ध समिति को आवश्यकता से अवगत कराना तथा प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के उपरान्त कार्य सम्पादित करना पड़ता है।

5—आडिट रिपोर्टों का अनुपालन, आडिट आपत्तियों का निराकरण प्रबन्धक की इच्छानुसार वे सम्पादित करते हैं।

6—60 प्रतिशत प्रधानाचार्य भंडार पंजिकाओं की प्रविष्टियों तथा कक्षा रजिस्टरों में शुल्क वसूली के हिसाब किताब की नियमित जांच करते है। शेष प्रधानाचार्य भण्डार पंजिकाओं के सत्यापन के सम्बन्ध में मात्र औपचारिकताओं का निर्वाह करते हैं।

7—80 प्रतिशत प्रधानाचार्य विद्यालय की निष्प्रयोज्य सामग्री तथा अनुपयोगी उपकरणों की नीलामी हेतु प्रभावी प्रयास नहीं कर पाते हैं।

6.4 प्रधानाचार्यों के अधिकारों की स्थिति उन्हीं की दृष्टि में—

1—संस्था के प्रधान विद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु नियम निर्धारित करने में स्वतंत्र है, किन्तु अनेक प्रकार के दबावों के कारण उन्हें कभी-कभी न चाहते हुये भी प्रवेश के सम्बन्ध में नीति परिवर्तित करनी होती है और उनके अधिकारों का हनन होता है।

2—शत-प्रतिशत प्रधान शुल्क मुक्ति प्रकरण, अध्यापकों, प्रबन्ध समिति के सदस्यों तथा विभागीय अधिकारियों की समिति के निर्णयों तथा इस हेतु बनाये गये नियमों के अधीन निस्तारित करते हैं।

3—90 प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया है कि वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत अनुशासन हीनता के लिये छात्रों को विद्यालय से निष्काषित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है जिसके प्रति प्रधानों को सावधान रहना होता है।

4—प्रति कक्षा बालकों की संख्या में वृद्धि तथा लेक्चर उपस्थिति के नियमित रूप से अंकित न किये जाते तथा अनेक विविध कठिनाइयों के कारण आवश्यकता से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परिषद की परीक्षाओं में बैठने से रोकने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्यों द्वारा न तो कोई कार्यवाही की जाती है और न प्रधानाचार्य इस ओर सक्रिय ही रहते हैं।

5—शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों का मत है कि, अध्यापकों के समय विभाजन में परिस्थितियों के तहत निर्धारित नीति का अनुसरण करना होता है इस संबंध में वह अपने अधिकारों का स्वेच्छानुसार प्रयोग नहीं कर पाते।

6—प्रधानाचार्य मात्र आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के अधिकारी हैं। इस अवकाश को उन्हें स्वीकृत करना ही होता है, यद्यपि नियमानुसार वह उसके लिये बाध्य नहीं हैं। अन्य प्रकार के अवकाश प्रबन्धक/विभाग के द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

7—विद्यालय में समय से कार्य प्रारम्भ करने तथा अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा समय पालन

करने हेतु प्रधानाचार्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है किन्तु विलम्ब से आने वाले कर्मचारियों अथवा बिना अनुमति विद्यालय से गायब हो जाने वाले अध्यापकों। कर्मचारियों के विरूद्ध भर्त्सना के अतिरिक्त किसी ठोस कदम को उठाने में वे प्राय: असमर्थ होते हैं।

8—शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अध्यापकों द्वारा दो से अधिक प्राइवेट ट्यूशन करने पर रोक लगाने में असमर्थता व्यक्त की।

9—किसी भी प्रकार के वित्तीय अथवा नैतिक दुराचरण के दोषी अध्यापक अथवा अन्य कार्यालयीय कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करके उसे दण्डित करने हेतु प्रधानाचार्य सक्षम नहीं है। वह अपनी आख्या, कार्यवाही हेतु प्रबन्ध समिति के विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने भर का अधिकार रखता है। अपने आदेशों का उल्लंघन करने वाले अध्यापकों को भी दण्डित करने का उसे अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में समुचित अधिकार हीनता की स्थिति को शत-प्रतिशत अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया।

10—अनियमित आचरण के लिए, जो दण्ड प्रक्रिया राजकीय विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्यों द्वारा अपनायी जा सकती है, उसका प्रयोग अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा सकता। अत: प्रधानाचार्यों ने अपने अधिकारों को अपर्याप्त बताया।

11—शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने स्वीकार किया कि राजनैतिक हस्तक्षेप, छात्रों और अध्यापकों में बढ़ती ट्रेड यूनियन प्रवृत्ति, प्रबन्ध तंत्र की मनमानी और अभिभावकों के दुराग्रह के कारण उनके अधिकारों पर इतने अंकुश लग जाते हैं कि, वे शैक्षिक प्रक्रिया के प्रभावी संचालन में अपने को सक्षम नहीं बना पाते।

12—वित्तीय प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारों के सम्बन्ध में प्रधानाचार्यों ने मत व्यक्त किया कि अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण का हस्तक्षेप उनके अधिकारों को निष्प्रभावी बनाने में अपना सर्वाधिक योगदान करता है।

शत-प्रतिशत प्रधानाचार्यों ने अपने को मात्र अग्रसारण करने वाला अधिकारी बताया, जिसे स्वतन्त्र रूप से किसी महत्वपूर्ण प्रशासकीय अथवा वित्तीय प्रकरण पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं के बराबर है।

6-5 प्रबन्धकों की दृष्टि में—

(1) शत-प्रतिशत प्रबन्धकों ने स्वीकार किया कि उनके विद्यालयों के प्रधानाचार्य पर्याप्त शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और उनमें किसी प्रकार के संशोधन, परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(2) प्रबन्धकों ने प्रधानाचार्य के कर्तव्यों को भी पर्याप्त बताया और उनके निर्वाह करने में प्रधानाचार्यों को अधिक कर्मठ तथा सक्रिय होने की आवश्यकता पर बल दिया।

(3) शत-प्रतिशत प्रबन्धकों ने उन प्रावधानों के प्रति असन्तोष व्यक्त किया, जिनके तहत उनके नियंत्रण को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने प्रबन्ध समिति के अधिकारों को बढ़ाने पर बल दिया।

(4 शत-प्रतिशत प्रबन्धक इस पक्ष में नहीं हैं कि प्रधानाचार्य को प्रबन्धकों के अधिकार हस्तान्तरित कर दिये जाय।

शत-प्रतिशत प्रबन्धक प्रधानाचार्यों के अधिकारों पर अंकुश रखने हेतु प्रबन्धाधिकरण के औचित्य को मानते हैं।

(5) शत-प्रतिशत प्रबन्धक इस पक्ष में है, कि अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को नियुक्त करने, उनके प्रोन्नति, वेतनवृद्धि, प्रकरणों को निस्तारित करने तथा उन्हें समुचित रूप से दण्डित करने सम्बन्धी अधिकार भी प्रबन्ध समिति को प्राप्त होने चाहिये।

(6) वित्तीय प्रशासन के सम्बन्ध में भी प्रबन्धक अधिक अधिकार सम्पन्न होने की माँग करते हैं।

6.6 शिक्षाधिकारियों एवं शिक्षाविदों की दृष्टि में—

(1) माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों को जो दायित्व और अधिकार दिये गये हैं, उनका समुचित प्रयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(2) विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश का दबाव बहुत अधिक होने से प्रधानाचार्य अर्ह एवं योग्य छात्रों का चयन नहीं कर पाता। इसे उन सभी छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जिनके प्रवेश हेतु संस्तुति प्रभावशाली क्षेत्रों से की जाती है।

(3) प्रधानाचार्य के शैक्षिक दायित्वों का भली प्रकार निर्वहन नहीं हो रहा है। इसके लिये जो घटक उत्तरदायी है, उनमें निम्नवत् प्रमुख है :—

(क) प्रधानाचार्य की कर्तव्य निर्वहन के प्रति उदासीनता तथा उपेक्षाभाव। यह परिस्थितियों की देन है।

(ख) अध्यापकों में दण्ड का भय न होना तथा विद्यालयीय कार्य के अतिरिक्त व्यक्तिगत ट्यूशन और कोचिंग केन्द्रों पर पढ़ाने में अधिक रुचि का होना।

(ग) छात्रों में ज्ञान से अधिक परीक्षोपयोगी सामग्री के प्रयोग से उत्तीर्ण होने की लालसा की प्रबलता

(घ) अभिभावकों में अपने पाल्यों की शैक्षिक प्रगति के प्रति उपेक्षा। बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिला देना ही उनके कर्तव्य की अन्तिम सीमा हो गई है।

(4) अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने में जो बाधाएँ प्रमुख रूप से प्रधानाचार्यों के सम्मुख आती है वे निम्नवत् हैं :—

1—अध्यापक संघों द्वारा प्रधानाचार्य के प्रशासनिक दायित्वों के क्षेत्र में हस्तक्षेप / निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण वैधानिक कदम उठाने पर अनेक प्रकार की धमकियाँ प्राप्त होना तथा दुराग्रह पूर्ण व्यवहार का सामना होना।

2—विद्यालयों में अनुचित राजनैतिक हस्तक्षेप।

3—प्रबन्ध तन्त्र द्वारा अनेक प्रकार के व्यवधानों का उत्पन्न किया जाना।

4—छात्र यूनियन का दबाव।

5—विभागीय अधिकारियों विशेषकर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय का दबाव।

6—अन्य सामाजिक एवं वैयक्तिक परिस्थितियाँ।

(5) उक्त के अतिरिक्त नियमान्तर्गत संस्था के प्रधानों के पास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को (जिनमें अध्यापक एवं कार्यालयीय कर्मचारी सम्मिलित हैं) दण्ड देने का अधिकार न होना। इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में वह मात्र संस्तुति कर्ता अथवा प्रतिवेदक अधिकारी होता है।

(6) विद्यालय में प्रचलित परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन व्यवस्था के संचालन और उन पर नियन्त्रण रखने हेतु प्रधानों को जो अधिकार दिये गये हैं वे पर्याप्त हैं किन्तु इनका व्यवहारिक पक्ष सन्तोषदायक नहीं है।

(7) मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य वित्तीय प्रशासन से सम्बन्धित सभी दायित्वों तथा अधिकारों का प्रयोग प्रबन्धक की सहमति एवं अनुमति मे ही होता है। प्रधानाचार्य के इस क्षेत्र में अधिकार नितान्त अपर्याप्त है। जो भी अधिकार है, वे मात्र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से पर्याप्त है किन्तु वस्तु स्थिति अपेक्षा के बिलकुल प्रतिकूल है।

7—प्रधानाचार्य के अधिकारों और कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव —

(1) प्रधानाचार्य को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिये। उसे विभागीय नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों तथा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं राजाज्ञाओं मे भली प्रकार अवगत होना चाहिए।

(2) उसे अपने विद्यालय में किसी भी कक्षा को नियमित रूप से अवश्य पढ़ाना चाहिये। इससे उसे शिक्षण में आने वाली समस्याओं की जानकारी होती रहेगी, छात्रों को आवश्यकताओं और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों की जानकारी होती रहेगी और छात्रों को अपने प्रधानाचार्य से एक लगाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण उनमें भय की मात्रा कम होगी तथा विश्वास आदर एवं प्रेम की भावना जाग्रत होगी।

प्रधानाचार्य का शिक्षण अन्य अध्यापकों के लिए एक आदर्श पाठ सिद्ध होगा और जो अपेक्षाएँ वह अपने अध्यापकों से करता है वह स्वयं एक अध्यापक के रूप में करके दिखाएगा। उससे उसके द्वारा दिये गये निर्देशों को आदर एवं सम्मान मिलेगा और अनेक शैक्षिक समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा।

(3) प्रधानाचार्य एक शैक्षिक प्रशासक होता है। अतः उसे अपने प्रशासनिक दायित्वों से पहले शैक्षिक दायित्वों को प्रधानता देनी चाहिये। उसे शिक्षण के स्तर को उठाने के लिए समर्पण भाव से मैत्री सहयोग तथा भाई-चारे की भावना का प्रसार करना चाहिये। उसे आदेशात्मक भाषा को त्यागकर परामर्श एवं सहकार के आधार पर स्नेहपूर्ण वाणी का प्रयोग करना चाहिए।

प्रधानाचार्य को सदैव याद रखना चाहिए कि वह अपनी संस्था के अध्यापक मण्डल का ही एक सदस्य है। "He is first among equals"

4—उसे विद्यालय की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हर सम्भव उपाय करना चाहिए। यदि शिक्षक श्यामपट्ट, नकशे, चार्ट अथवा विज्ञान उपकरणों के बगैर शिक्षण कार्य करते तो शिक्षण कभी भी प्रभावी नहीं होगा। छात्रों के बैठने के लिए उचित स्थान, कुर्सी मेज, डेस्क, आदि की भी विद्यालय में अप्रमाह व्यवस्था हेतु उसे सक्रिय और सचेष्ट रहना चाहिए।

5—विद्यालय भवन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी संचालन हेतु अत्यावश्यक है। इसकी व्यवस्था शिक्षा विभाग अथवा प्रबन्ध समिति द्वारा की जाती है। अतः उचित माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था निश्चित कराने हेतु उसे आवश्यक प्रयास करना चाहिए।

6—विद्यालय के नए कक्षों के निर्माण हेतु उसे विभाग प्रबन्ध समिति के समक्ष अपनी आवश्यकता सम्पूर्ण आँकड़ों सहित रखना चाहिए। विद्यालय भवन की आवश्यक मरम्मत तथा सफाई पुताई हेतु धनराशि की स्वीकृति प्राप्त करते तथा समय से उस धन का उद्देश्यपरक व्यय भी सुनिश्चित करना चाहिए।

7—विद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा सम्पूर्ण विद्यालय परिवार के सहयोग से करने हेतु उसे मानसिक चेतना जाग्रत करने हेतु उपयुक्त आयोजन करने चाहिए। विद्यालय के प्रति आमत्य भावना जाग्रत करने हेतु उसे स्वयं विद्यालय के प्रति समर्पित होना चाहिए। अध्यापक मण्डल के सहयोग से उसे वर्ष पर्यन्त करने वाले शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्रिया-कलापों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूप रेखा सुनिश्चित करके विद्यालय पंचांग बनजाना चाहिए और इन क्रिया-कलापों के कार्यान्वियन में छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

8—अपनी कार्य प्रणाली का नियमन उसे इस प्रकार करना चाहिए जिसमें किसी के प्रति पक्षपात अथवा अन्याय का आभास मात्र न मिले। उसका नेतृत्व उन पर से थोपा हुआ नहीं वरन अपने सह कर्मियों के बीच से स्वाभाविक रूप से उभरता हुआ प्रतीत हो। प्रधानाचार्य को जनतांत्रिक पद्धति से कार्य सम्पादन की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

9—प्रधानाचार्य को विवेक शील, कर्मठ, कर्तव्य परायण, ईमानदार और विडर होना चाहिये। उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण, व्यवहार में मृदुता तथा प्रकृति में उदारता विकसित करनी चाहिए।

10—उन परिस्थितियों में जहां उसके निर्णय को प्रभावित करने के लिये अनेक प्रकार के प्रलोभन अथवा डर उत्पन्न किये जाते है, उसे धैर्य पूर्वक न्यायोजित मार्ग का अनुसरण करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे उचित निर्णय लेकर उचित समय के अन्दर कार्यान्वित करने हेतु सक्षम होना चाहिए।

11—अपने सहयोगियों में उत्साह और विश्वास का सृजन करने के साथ उसे उन अध्यापकों अथवा अधिकारियों में भी औचित्यपूर्ण आचरण हेतु प्रेरणा का संचार करना चाहिए, जो कार्य एवं दायित्वों के प्रति उदासीन हों। उसे योग्य एवं प्रतिभावान अध्यापकों तथा छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु आवश्यक उपाय करने चाहिये।

12—प्रधानाचार्य को अपने कार्यों को आत्म विवेचन और विश्लेषण करके उसे अपेक्षानुकूल ढालने का

सतत प्रयास करना चाहिए। प्रधानाचार्य का समाज के सभी वर्गों तथा विभागीय अधिकारियों से व्यापक सम्पर्क रहना चाहिए।

13—आज के युग में विद्यालय प्रशासन इतना सरल नहीं रह गया है, जितना स्वतन्त्रता के पूर्व था। प्रधानाचार्य को अपने प्रशासनिक दायित्वों को वहन करने हेतु उन सभी समस्याओं का पूर्वाभ्यास होना चाहिए जो विद्यालय में उत्पन्न हो सकती है। ये समस्याए व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक हो सकती है। ये सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। अतः प्रधानाचार्य को इस समस्याओं को पहिले ही समझकर उनके निराकरण हेतु योजना बना लेनी चाहिए और उसे दृढ़ता पूर्वक कार्यान्वित करना चाहिए।

14—प्रधानाचार्य में व्यावसायिक दक्षता होने के साथ अपने व्यवसाय के प्रति विश्वास और उत्साह भी होना चाहिए। अक्सर उसके विद्यालय में ऐसे अध्यापक होते है, जो अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करना चाहते। वे न तो प्रधान की आज्ञा मानने को तत्पर है और न छात्रों के प्रति कर्तव्यशील। ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य को ऐसे अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं के कारणों को ज्ञात करके, उनके निराकरण के उपाय करने चाहिए।

15—प्रधानाचार्य को उत्तम मानवीय सम्बन्धों के विकास हेतु सक्रिय रहना चाहिए। उसे अन्य लोगों के दृष्टिकोण, परिस्थितियों तथा विचारों से अवगत रहना चाहिए। और तदनुकूल अपने आचरण का शोधन करते रहना चाहिए।

16 प्रधानाचार्य को अपने प्रथम सहायक से मित्रवत् व्यवहार करना चाहिए और उसमें मौलिकता, नेतृत्व, कार्य सम्पादन क्षमता तथा विश्वास उत्पन्न करने हेतु सक्रिय रहना चाहिए।

17—प्रधानाचार्य को अपने अध्यापक मण्डल का विश्वास प्राप्त करने हेतु उनके परामर्श को उचित आदर देना चाहिए। उसे अपने अध्यापकों की कमियों पर ही ध्यान न देकर, उनके गुणों को प्रशंसा करनी चाहिए और उनकी योग्यताओं का विद्यालय के हित में दृष्टतम प्रयोग करना चाहिए।

18—प्रधानाचार्य को छात्रों के गुणों को प्रकाश में लाने के लिये अनेक प्रकार के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन करने के साथ उनके व्यक्तिगत रूप से मिलने और उन्हें उत्साहित करने हेतु लगातार प्रयास करने चाहिए।

19—प्रधानाचार्य को अभिभावकों से मिलने, उनकी समस्याओं और आलोचनाओं को सुनने और उन्हें सन्तुष्ट करने हेतु पर्याप्त समय देना चाहिए। अक्सर अभिभावक क्रोध व्यक्त करने या शिकायते करने जाते है। उनका आक्रोश तब जागृत होता है, जब उनके पाल्य अनुर्तीण हो जाते हैं अथवा उनके विरूद्ध विद्यालय द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है। अक्सर वह अमर्यादित भाषा में बात करते है। प्रधानाचार्य को ऐसी स्थिति में उन अभिभावकों की बातों को सुनकर उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास करना चाहिये कि उनके विचारों को आदर दिया जाएगा और उनके साथ न्याय होगा। साथ ही उन्हें विद्यालय के साथ सहयोग करने के लिये राजी भी करना चाहिए।

20- प्रधानाचार्य को स्थानीय समाज में चल रहे विकास कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने हेतु भी उचित कदम उठाना चाहिए।

21—प्रधानाचार्य को नई शैक्षिक विधाओं से परिचित होना चाहिए। उसे अन्य विद्यालयों के कार्य कलापों की जानकारी भी होनी चाहिए। उसे शिक्षा जगत में हो रहे अभिनव प्रयोगों और विकासात्मक कार्यक्रमों में रुचि लेनी चाहिए।

22—वित्तीय प्रशासन के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों की जानकारी आवश्यक है। प्रधानाचार्य को वित्तीय प्रकरणों में निस्तारण में नियमों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित रहते हुये कार्य निष्पादन करना चाहिए।

कार्यपरक बिन्दु —

1—प्रति सेक्शन छात्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी जाए और छात्रों का प्रवेश केवल परीक्षा के परिणाम पर योग्यता क्रम से करने का प्रावधान सुनिश्चित कर दिया जाय, जिससे संस्था के प्रधानों पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े।

2—शैक्षिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्वों को समुचित रूप से दण्डित करने का अधिकार प्रधान को दिया जाय।

3—प्रधान के आदेशों की आज्ञा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने का अधिकार प्रधान को दिया जाय। उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु विभाग तथा प्रबन्ध समिति को संस्तुति मात्र करने वाला अधिकारी न बनाया जाय।

4—संस्था के प्रधान के प्रशासनिक अधिकारों को अधिक सार्थक बनाया जाय। उसे अध्यापकों के चयन, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, दक्षतारोक पार करने सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में अपनी संस्तुति देने तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों के निस्तारण में उसकी सहमति को आवश्यक प्रधानता दी जाय।

5—चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा उनके द्वारा सन्तोषजनक कार्य न करने की स्थिति में समुचित रूप से दण्डित करने का अधिकार प्रदान किया जाय। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों/प्रबन्धक द्वारा हस्तक्षेप न किया जाय।

6 अध्यापकों तथा लिपिकों को दण्डित करने में प्रधान पूर्ण रूप से स्वतन्त्र बनाए जाय।

7—अनुशासनहीनता के लिए छात्रों को विद्यालय से निलम्बित अथवा निष्कासित करने का अधिकार प्रधानाचार्य को दिया जाय। उसके निर्णय को अन्तिम माना जाय और उसके इस अधिकार में किसी भी एजेंसी द्वारा हस्तक्षेप न किया जाय।

8—अध्यापक संघों के प्रतिनिधियों का हस्तक्षेप विद्यालय के प्रशासनिक क्षेत्र में वर्जित घोषित किया जाय।

9—अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानों को प्रबन्ध समिति का प्रभावी सदस्य घोषित किया जाय और प्रधान की सहमति के बगैर किसी प्रस्ताव को मान्य न घोषित किया जाय ।

संस्था के प्रधान की स्वीकृति के बगैर प्रबन्ध समिति को किसी प्रकार का निर्णय लेने से रोका जाय ।

10—विद्यालय के शैक्षिक विकास हेतु प्रधानाचार्य द्वारा बनाई गई योजना की विभाग / प्रबन्ध समिति द्वारा समुचित मान्यता दी जाय और उसे इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु पर्याप्त अधिकार और सुविधाएँ प्रदान की जाय ।

11—परीक्षाओं में नकल करना और नकल कराना दण्डनीय अपराध घोषित किया जाय । परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पर्याप्त सुविधाएँ तथा शक्तियाँ प्रदान की जाय । इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये जाय ।

12—वित्तीय प्रशासन के संचालन में प्रधानाचार्य के अधिकारों का पुन: रेखांकन किया जाय और उन्हें दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं, भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जाय, जिसका व्यय वे आगे विवेक से करने को स्वतंत्र हों । इस प्रकार के व्यय के लिये आडिट व्यवस्था का प्रावधान अनुपयुक्त होगा ।

13—संस्था के आन्तरिक प्रशासन में राजनैतिक तथा विभागीय हस्तक्षेप को समाप्त किया जाय विद्यालयों को अपने प्रशासन को प्रभावी बनाने हेतु शासन द्वारा पर्याप्त स्वायत्तता दी जाय ।

14—स्थानीय समाज, अभिभावक अध्यापक संघ तथा विभागीय सहमति से आवश्यकतानुसार संस्था प्रधानों को विद्यालय विकास हेतु विकास शुल्क प्राप्त करने तथा उसका उद्देश्य परक व्यय करने का अधिकार प्रदा किया जाय ।

15—अध्यापकों द्वारा दो से अधिक ट्यूशन करने अथवा कोचिंग केन्द्रों को चलाने अथवा उनमें अध्याप करने से रोकने के लिए शासन द्वारा नियम बनाए जांय और प्रधानाचार्य द्वारा नियमोल्लंघन की शिकायत मिलने प दोषी अध्यापकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय ।

16—जो प्रधानाचार्य अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता अथवा उपेक्षा दिखाए और उनके विद्यालय क व्यवस्था सन्तोषजनक न हो, उन्हें विभाग द्वारा प्रताड़ित करने के लिए अतिरिक्त दण्डित किये जाने की विधि प्रक्रिया विभाग/प्रबन्ध समिति द्वारा अपनायी जाय ।

17—प्रधानाचार्यों को शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन हेतु संकाय बनाने हेतु विभ द्वारा प्रति दो वर्ष के अन्तराल पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया जाय ।

18—माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों को समुचित प्रोत्साहन प्रदान कर प्रेरित किया जाय कि,

अपने विद्यालयों में शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु नवीनतम शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल दें तथा क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा छात्रों के कल्याणार्थ नवीन शैक्षिक प्रयोग करें।

19—प्रत्येक विद्यालय के विषय अध्यापकों के लिये वर्ष में एक बार सेवा कालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाँय। इस सम्बन्ध में विभाग प्रभावी कदम उठाएँ।

20—अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों द्वारा राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग लेने अथवा उनसे सक्रिय रूप से सम्बद्ध होने पर राजकीय कर्मचारियों की भाँति रोक लगायी जाय।

इस बात की आवश्यकता है कि इस शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों पर ध्यान देते हुये विभाग द्वारा एक वृहद कार्यशाला का आयोजन किया जाय, जिसमें संस्था के प्रधानों के अधिकारों और कर्तव्यों को नए सिरे से रेखांकित और परिमाणित किया जाय। इस कार्यशाला का आयोजन सर्वप्रथम मण्डल स्तर पर किया जाय, तदुपरान्त प्रदेश स्तर पर मण्डलीय स्तर पर लिये गये निष्कर्षों को अन्तिम रूप दिया जाय।

20

माध्यमिक शिक्षा में जन सहयोग की स्थिति एवं सम्भावनायें–एक अध्ययन

पृष्ठभूमि—

राष्ट्रीय नव निर्माण एवं प्रबुद्ध मानवीय समाज की संरचना हेतु कुशल जनशक्ति का निर्माण शिक्षा का पावन दायित्व है। शिक्षा क्रम में माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अतः माध्यमिक विद्यालयों का उन सभी संसाधनों से युक्त होना अनिवार्य है जो शैक्षिक गुणवत्ता के उन्नयन के साथ राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति करने में सार्थक एवं प्रासंगिक भूमिका निभाने में सहायक हो सके।

माध्यमिक विद्यालय का कार्य छात्रों को सुसंगठित जीवन यापन करने हेतु सुविधाएँ प्रदान करना है, ताकि उनसे राष्ट्रीय जीवन में प्रचलित प्रवृत्तियों एवं धारणाओं का निर्माण हो और वे सुयोग्य नागरिक बने। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है—"स्कूल वृहत् समुदाय के अन्तर्गत छोटा समुदाय है, जिसमें वैसे ही दृष्टिकोणों, मान्यताओं एवं व्यवहार की विधियाँ प्रचलित होनी चाहिये, जैसे राष्ट्रीय जीवन में प्रचलित हैं।

स्कूल सामाजिक जीवन का एक आदर्श रूप होता है। स्कूल में व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है, यह तो निश्चित है, किन्तु शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो समाज में बदलते हुए तथा गतिशील वातावरण के लिए बच्चों को शिक्षा दें। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसैन ने माध्यमिक स्कूलों के विषय में यह कहा था कि "हमारी समस्त शिक्षा संस्थाएँ क्रियाशील सामुदायिक केन्द्र होंगी।

उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में यदि हम विद्यालयों की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट है कि कुछ थोड़े से माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त शेष सभी में सामुदायिक जीवन का पूर्ण अभाव है। उनमें पर्यटन, खेलकूद, शारीरिक व्यायाम और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं रोचक कार्यों का भूलकर भी आयोजन नहीं किया जाता है। परिणामतः न तो छात्रों में पारस्परिक सम्पर्क स्थापित हो पाता है और न उनमें आत्मीयता एवं घनिष्ठता की ही अभिवृद्धि होती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उन वैकल्पिक उपायों एवं संसाधनों की खोज की जाय जो माध्यमिक विद्यालयों को पर्याप्त रूप से सुविधा सम्पन्न बना सके। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्थानीय जन समुदाय का सहयोग प्राप्त करने का आग्रह किया है और राममूर्ति शिक्षा समिति की संस्तुतियाँ भी इसी ओर इंगित करती है।

शासन द्वारा अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करके प्रबन्ध समिति द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु चन्दा वसूल करने सम्बन्धी रोक को हटा लिया गया है और विद्यालय में अभिभावक अध्यापक संघ को गठित करके वित्तीय सहायता प्राप्त करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण आये हैं जिसमें उपर्युक्त उपायों द्वारा विद्यालयों को भौतिक संसाधनों से युक्त करने में पर्याप्त सहायता मिली है और इससे नयी सम्भावनाओं का भी आभास मिला है। अत: यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा में जन सहयोग की वर्तमान स्थिति एवं सम्भावनाओं का अध्ययन किया जाय जिससे वस्तु-स्थिति से अवगत होकर उसमें सुधार लाने के लिए भविष्य की सम्भावनाओं की खोज की जा सके।

उद्देश्य—

1—माध्यमिक शिक्षा में जन सहयोग की वर्तमान स्थिति ज्ञात करना।

2—शिक्षा के विविध क्षेत्रों में जन सहयोग के स्वरूप और सम्भावनाओं को ज्ञात करना।

परिकल्पना—

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में पठन-पाठन को जन सहयोग द्वारा अधिक प्रभावी तथा समुन्नत बनाया जा सकता है।

परिसीमन—

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 30 बालक एवं बालिका विद्यालयों को इस अध्ययन में लिया जायेगा।

कार्यविधि—

(क) न्यादर्श का चयन—मण्डल के 15 बालक एवं 15 बालिका विद्यालयों का चयन न्यादर्श के रूप में किया जायेगा। विद्यालयों को चयनित करते समय यह ध्यान में रक्खा जायेगा कि ये विद्यालय सम्पूर्ण विद्यालय समूह का प्रतितिधित्व करते हों।

(ख) उपकरण—पृच्छा प्रपत्र, पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा। पृच्छा प्रपत्र निम्नावत् होंगे :—

1—प्रधानाचार्य पृच्छा प्रपत्र,

2—प्रबन्धक पृच्छा प्रपत्र,

3—अभिभावक पृच्छा प्रपत्र।

(ग) प्रपत्र संकलन—डाक द्वारा एवं व्यक्तिगत सम्पर्क से प्रदत्तों का संकलन किया गया। प्राप्त प्रपत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—प्रधानाचार्य पृच्छा प्रपत्र—19

2—प्रबन्धक पृच्छा प्रपत्र—13

3—अभिभावक पृच्छा प्रपत्र—30

विश्लेषण—

पृच्छा प्रपत्र (प्रधानाचार्य) पर प्राप्त सूचना के आधार पर।

उक्त पृच्छा प्रपत्र पर 8 बालकों के विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं 11 बालिकाओं के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मत प्राप्त हुये।

तालिका—1

प्रश्न—क्या आप विद्यालय के संचालन में कोई शैक्षिक अथवा आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं? (हाँ / नहीं)

विद्यालय	संख्या	हाँ	नहीं
बालक	8	5	3
बालिका	11	10	1

तालिका 1 के अनुसार 63 प्रतिशत बालकों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से एवं 90% बालिकाओं के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मत पक्ष में प्राप्त हुये। अर्थात् इस प्रकार अधिकांश प्रधानाचार्यों को विद्यालय के संचालन में शैक्षिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 33% बालकों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के एवं 10% बालिकाओं के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मत उपर्युक्त प्रश्न के सम्बन्ध में विपक्ष में प्राप्त हुये। अर्थात् इन विद्यालयों के सम्मुख उपर्युक्त कठिनाई नहीं है।

तालिका—2

प्रश्न—यदि हाँ तो समस्याओं का बिन्दुवार उल्लेख करें।

विद्यालय	संख्या	प्राप्त मत	अप्राप्त मत
बालक	8	5	3
बालिका	11	9	2

समस्याओं का उल्लेख केवल 62% बालकों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने एव 82 प्रतिशत बालिकाओं के विद्यालयों की प्रधानाचार्यों ने किया है। शेष 33% प्रधानाचार्यों एवं 18% प्रधानाचार्याओं ने अपना कोई मत नहीं व्यक्त किया है।

विद्यालय के संचालन में जिन कठिनाइयों का अनुभव प्रधानाचार्यों / प्रधानाचार्याओं ने किया है कि ये प्राय: दोनों प्रकार के विद्यालयों में समान है। समस्याएँ निम्नवत् हैं :—

1—फर्नीचर की कमी।

2—छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी।

3—समय से शिक्षकों की नियुक्ति का न होना।

4—विद्यालय भवन में कमरों की कमी।

5 -धन की कमी।

6 —क्षति पूर्ति का समय से न प्राप्त होना।

उपर्युक्त समस्याओं के निदान हेतु जो उपाय किये गये उनमें बालक एवं बालिका दोनों प्रकार के विद्यालयों में साम्यता प्राप्त हुई। समस्याओं का निदान निम्नवत् किया गया :—

1 –अभिभावक अध्यापक संघ के सहयोग से फर्नीचर बनवाये गये।

2—अभिभावक अध्यापक संघ के सहयोग से कुछ शिक्षकों की नियुक्ति कर शैक्षिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया गया।

3—स्थानाभाव के कारण छोटी कक्षाओं को एक साथ बैठाया गया।

4—छात्राओं के सहयोग से अभिभावकों से धन लेकर भवन में कुछ निर्वाण कार्य कराया गया।

5—विद्यालय में छात्र प्रवेश की समस्या के समाधान हेतु प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया गया।

तालिका—3

प्रश्न—क्या उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु आपको जब सहयोग प्राप्त हुआ ? (हाँ / नहीं)

विद्यालय	संख्या	हाँ	नहीं
बालक	8	3	5
बालिका	11	6	5

उक्त तालिका से यह स्पष्ट विदित होता है कि बालकों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को 38% जन-सहयोग उक्त समस्याओं के समाधान हेतु प्राप्त हुआ। शेष 62% विद्यालयों को जन सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। बालिकाओं के 55% विद्यालयों को उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु जन सहयोग प्राप्त हुआ। शेष 45% विद्यालय इससे वंचित रह गये। इस प्रकार उक्त तालिका के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि जन सहयोग की प्राप्ति की स्थिति बालिकाओं के विद्यालयों में बालकों की अपेक्षा अधिक ठीक है।

प्रश्न यदि हाँ विवरण दें—

विवरण के सम्बन्ध में बालकों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया केवल बालिकाओं के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मतानुसार उन्हें जन सहयोग केवल अभिभावक अध्यापक संघ द्वारा ही प्राप्त हुआ।

तालिका—4

प्रश्न—अभिभावक अध्यापक संघ से प्राप्त सहयोग से क्या आप सन्तुष्ट है ? (हां / नहीं)।

विद्यालय	संख्या	हाँ	नहीं
बालक	8	3	5
बालिका	11	5	6

तालिका 4 के आँकड़ों के अनुसार बालकों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के 38 प्रतिशत मत पक्ष में प्राप्त हुये और शेष 62 प्रतिशत मत विपक्ष में प्राप्त हुये। इसी प्रकार बालिकाओं के विद्यालयों के प्रधानाचार्याओं के 45 प्रतिशत मत पक्ष में और 55 प्रतिशत मत विपक्ष में प्राप्त हुये। प्राप्त मतानुसार यह स्पष्ट है कि विद्यालयों को अभिभावक अध्यापक संघ का जितना सहयोग प्राप्त होना चाहिए उतना उन्हें प्राप्त नहीं होता।

तालिका—5

प्रश्न—यदि नहीं तो अभिभावक अध्यापक संघ के सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आपके क्या सुझाव है ?

विद्यालय	संख्या	प्राप्त सुझाव	अप्राप्त सुझाव
बालक	8	3	5
बालिका	10	3	8

उक्त तालिका के अनुसार केवल 28 प्रतिशत बालकों के विद्यालयों से सुझाव प्राप्त हुये और बालिकाओं के विद्यालयों के प्रधानाचार्याओं के 27 प्रतिशत सुझाव प्राप्त हुये। शेष विद्यालयों से इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं प्राप्त हुये। सुझाव निम्नवत् प्राप्त हुये—

1—अभिभावक अध्यापक संघ को विद्यालयों को सहयोग देने हेतु उत्साहित करना चाहिए।

2—अभिभावक अध्यापक संघ हेतु शुल्क निर्धारित किया जाय और इस शुल्क द्वारा विद्यालयों की स्थिति में सुधार किया जाय।

3—सभी अभिभावकों के लिए इसकी सदस्यता अनिवार्य की जाय।

तालिका—6

प्रश्न—जन सहयोग प्राप्त करने के अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आपके क्या सुझाव है ?

विद्यालय	संख्या	प्राप्त मत	अप्राप्त मत
बालक	8	3	5
बालिका	11	2	9

तालिका 6 के अनुसार उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में केवल 38 प्रतिशत प्रधानाचार्यों के और 18 प्रतिशत प्रधानाचार्याओं के मत प्राप्त हुये शेष 62 प्रतिशत प्रधानाचार्यों एवं 82 प्रतिशत प्रधानाचार्याओं ने अपना कोई मत नहीं दिया। प्राप्त मतों के अनुसार केवल अभिभावक अध्यापक संघ को ही प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्राप्त हुये हैं।

तालिका—7

प्रश्न—क्या आपको अभिभावक अध्यापक संघ के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति / संस्था से सहयोग प्राप्त हुआ है / होता है (हां / नहीं)।

विद्यालय	संख्या	हां	नहीं
बालक	8	2	6
बालिका	11	3	8

उपर्युक्त प्रश्न के सम्बन्ध में बालकों के विद्यालयों के 25 प्रतिशत मत पक्ष में 75 प्रतिशत मत विपक्ष मे प्राप्त हुये। बालिकाओं के विद्यालयों की प्रधानाचार्याओं के 27 प्रतिशत मत पक्ष में और 73 प्रतिशत मत विपक्ष मे

प्राप्त हुये। इस प्रकार प्राप्त मतों से यह स्पष्ट विदित होता है कि कुछ ही विद्यालय अन्य व्यक्ति संस्था से सहयोग से लाभान्वित हो पाते हैं।

सहयोग देने वाली संस्थाओं का विवरण निम्नवत् प्राप्त हुआ।

1—लायन्स क्लब।

2—रोटरी क्लब।

3—संस्थापक से प्राप्त धन।

4—भारत स्काउट एक गाइड संस्था, उत्तर प्रदेश।

5—थियोसाफिकल सोसाइटी।

इस संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के विद्यार्थियों के विकास हेतु प्रोत्साहन के रूप कुछ धन प्रदान किया जाता है।

पृच्छा प्रपत्र—2 (प्रबन्धक) पर प्राप्त सूचना के आधार पर।

इस पृच्छा प्रपत्र पर 8 बालकों के विद्यालयों के प्रबन्धकों के और 5 बालिकाओं के विद्यालयों के प्रबन्धकों के मत प्राप्त हुये हैं।

तालिका– 8

प्रश्न—क्या आप विद्यालय के शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति से संतुष्ट है। हां / नहीं)।

विद्यालय	संख्या	प्रबन्धक संख्या	हाँ	नहीं
बालक	8	8	4	4
बालिका	5	5	3	2

तालिका 8 के अनुसार उपर्युक्त प्रश्न के सम्बन्ध में बालकों के विद्यालयों के 50% मत पक्ष में और 50% मत विपक्ष में प्राप्त हुये। बालिकाओं के विद्यालयों के प्रबन्धकों के 60% मत पक्ष में एवं 40% मत विपक्ष प्राप्त हुये। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट विदित होता है कि प्रबन्धकगण विद्यालयों के शैक्षिक। आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं।

तालिका—9

प्रश्न—यदि नहीं तो स्थिति में सुधार हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तावित करते हैं ?

विद्यालय	संख्या	प्रबन्धक संख्या	प्राप्त सुझाव	अप्राप्य सुझाव
बालक	8	8	3	5
बालिका	5	5	1	4

स्थिति में सुधार हेतु केवल 38% मत बालकों के विद्यालयों के एवं 20% मत बालिकाओं के विद्यालयों के प्रबन्धकों के प्राप्त हुये। शेष 62% बालकों के विद्यालयों के प्रबन्धक एवं 80% बालिकाओं के विद्यालयों के प्रबन्धकों ने अपना कोई सुझाव नहीं दिया। सुझाव निम्नवत् प्राप्त हुये—

1—शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु शिक्षकों की नियुक्ति समय से की जाय।

2—बढ़ती हुई छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुये नवीन विद्यालय खोले जाय जिससे प्रवेश की समस्या का समाधान हो सके।

3—विद्यालयों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु अनुदान की व्यवस्था की जाय।

4—क्षति पूर्ति समय से दी जाय।

तालिका—10

प्रश्न—क्या विद्यालय के संचालन में आपको पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो रहा है ? (हां / नहीं)

विद्यालय	संख्या	प्रबन्धक संख्या	हाँ	नहीं
बालक	8	8	5	3
बालिका	5	5	4	1

उक्त तालिका के आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि विद्यालय के संचालन में प्रबन्धकों को पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो रहा है। बालकों के विद्यालयों के प्रबन्धकों के इस सम्बन्ध में 62 प्रतिशत मत पक्ष में प्राप्त हुये और 38% मत विपक्ष में प्राप्त हुये। बालिकाओं के विद्यालयों के 80% मत पक्ष में और 20% विपक्ष में प्राप्त हुये। बालिकाओं के विद्यालयों की स्थिति इस सम्बन्ध में अधिक सन्तोषप्रद प्रतीत होती है।

उपर्युक्त प्रश्न के सम्बन्ध में विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षक एवं अन्य सभी कर्मचारियों का सहयोग लिया जाता है। वे लोग स्वतः सहयोग देते हैं।

अभिभावकों को सहयोग देने हेतु समझाने की आवश्यकता पड़ती है।

कम सहयोग न प्राप्त होने के कारण निम्नवत प्राप्त हुये :—

1—विद्यालय के उन्नयन में प्रबन्ध समिति की उदासीनता।

2—शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अनुशासनहीनता।

3—राजनैतिक नेताओं का दबाव एवं विद्यालयीय कार्यों में आवश्यक हस्तक्षेप।

4—निर्धनता के कारण शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता।

तालिका—11

प्रश्न—क्या आप विद्यालय के अभिभावक अध्यापक संघ की गतिविधियों से सन्तुष्ट है (हां / नहीं)।

विद्यालय	संख्या	प्रवन्धक संख्या	हां	नहीं	अप्राप्त मत
बालक	8	8	5	3	—
बालिका	5	5	3	1	1

तालिका 11 के अनुसार उपर्युक्त प्रश्न के सम्बन्ध में बालकों के विद्यालयों के 62 प्रतिशत मत पक्ष में प्राप्त हुये एवं 38% विपक्ष में मत प्राप्त हुए। बालिकाओं के विद्यालयों के 60% प्रबन्धकों के मत पक्ष में प्राप्त हुये। 20% मत विपक्ष में प्राप्त हुये और शेष 20% प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में अपना कोई मन्तव्य नहीं दिया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकांश प्रबन्धक गण अभिभावक अध्यापन संघ की गतिविधियों से संतुष्ट प्रतीत होते हैं।

अभिभावक अध्यापक संघ को प्रभावी बनाने हेतु निम्नवत् सुझाव प्राप्त हुये :—

1—शैक्षिक कार्यों में सक्रिय रूप से रूचि लेने वाले व्यक्तियों का सहयोग लिया जाय।

2—शिक्षक गण अध्यापन कार्यों में रूचि लें। वे व्यक्तिगत ट्यूशन न करे जिससे विद्यार्थियों को परिश्रम से पढ़ा सकें और विद्यालय का परीक्षाफल उत्तम हो सके।

3—यदि छात्र/छात्रा कक्षा में नित्य उपस्थित न हो तो शिक्षक/शिक्षिकाओं को उनके अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

4—छात्र/छात्राओं के शिक्षोन्नयन हेतु अभिभावकों को समय-समय पर शिक्षक / शिक्षिकाओं से सम्पर्क स्थापित कर उनके शैक्षिक स्थिति की जानकारी कर लेनी चाहिए, ताकि उसमें सुधार हो सके।

5—प्रधानाचार्यों एवं प्रबन्धकों को समय पर अभिभावक अध्यापक संघ की बैठक आहूत करना चाहिये।

तालिका —12

प्रश्न —क्या अभिभावक अध्यापक संघ के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था / व्यक्ति से जन सहयोग प्राप्त होता है ? (हां / नहीं)।

विद्यालय	संख्या	प्रबन्धक संख्या	हां	नहीं
बालक	8	8	2	6
बालिका	5	5	2	3

उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में बालकों के विद्यालयों के प्रबन्धकों के 25% मत पक्ष में एवं 75 प्रतिशत मत विपक्ष में प्राप्त हुये। इसी प्रकार बालिकाओं के विद्यालयों के 40% प्रबन्धकों के मत पक्ष में एवं 60 प्रतिशत मत विपक्ष में प्राप्त हुये। इस प्रकार उक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि कुछ ही विद्यालयों को अन्य संस्था / व्यक्ति का जन सहयोग प्राप्त होता है।

जिन विद्यालयों को अन्य संस्था / व्यक्ति का जन सहयोग प्राप्त हुआ है उनके मतानुसार जन सहयोग प्राप्त करने वाली संस्थाएँ एवं व्यक्तियों का विवरण निम्नवत् प्राप्त हुआ :—

1—दी इण्डियन गर्ल्स एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा आर्थिक एवं व्यवहारिक सहयोग प्राप्त होता है।

2—स्थानीय प्रशासन द्वारा सहयोग।

3—भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, उत्तर प्रदेश से सहयोग।

4—विद्यालय के संस्थापक द्वारा सहयोग।

5—पुरातन छात्रों द्वारा सहयोग।

पृच्छा प्रपत्र —3 (अभिभावकों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर)

इस पृच्छा प्रपत्र पर 12 बालकों के और 18 बालिकाओं के इस प्रकार कुल 30 अभिभावकों के मत प्राप्त हुये।

तालिका—13

प्रश्न—क्या आपको अपने पाल्य के विद्यालय की शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति का आभास है ? (हाँ / नहीं)

अभिभावक	संख्या	हाँ	नहीं
बालक	12	12	—
बालिका	18	16	2

उपर्युक्त तालिका के अनुसार बालकों के अभिभावकों को शत-प्रतिशत अपने पाल्य की शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति का आभास है। 89 बालिकाओं के अभिभावकों को इसका ज्ञान है। शेष 11% बालिकाओं के अभिभावकों को इसका ज्ञान नहीं है। उक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट विदित होता है कि बालकों के अभिभावक इस ओर अधिक सचेत रहते हैं।

तालिका—14

प्रश्न—यदि हाँ तो स्थिति में सुधार हेतु क्या आपने कोई प्रयास किया ? (हाँ / नहीं)

अभिभावक	संख्या	हाँ	नहीं
बालक	12	8	4
बालिका	18	13	5

उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में बालकों के अभिभावकों के 67% मत पक्ष में 33% मत विपक्ष में प्राप्त हुए। इसी प्रकार बालिकाओं के अभिभावकों के 72% मत पक्ष में और 28% मत विपक्ष में प्राप्त हुये। इससे यह स्पष्ट है कि अभिभावक गण विद्यार्थियों के शैक्षिक एवम् आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास करते रहे हैं।

अभिभावकों ने पाल्य की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु निम्नवत् प्रयास किये :—

(1) अध्यापकों से सम्पर्क कर पाल्य की शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

(2) शैक्षिक उन्नयन हेतु पाल्य को नियमित रूप से गृह कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(3) यदि आवश्यक हो तो पाल्य की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए कोचिंग हेतु भेजना ।

(4) यदि विद्यालय का शैक्षिक स्तर ठीक न लगे तो प्रधानाचार्य से सम्पर्क कर स्थिति की जानकारी कराना एवं सुधार हेतु विचार-विमर्श करना ।

(5) पाल्य के सर्वांगीण विकास हेतु पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्ति उसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(6) अभिभावकों को अभिभावक अध्यापक संघ की प्रत्येक बैठक में भाग लेना चाहिए ।

(7) विद्यालय की आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु समय-समय पर अभिभावकों को अध्यापक अभिभावक संघ को धन से सहयोग देना चाहिये । कुछ अभिभावकों ने विद्यालय में छात्रों को बैठने हेतु बेंच दी है । इसी प्रकार कुछ विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक संघ के चन्दे से कक्षों का निर्माण कार्य हुआ है ।

बहुत से अभिभावक पाल्य की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के प्रति उदासीन रहते हैं । इस उदासीनता के निम्नवत् कारण उन्होंने बताये :—

(1) अपनी नौकरी की व्यस्तता ।

(2) घरेलू कार्यों की अधिकता ।

(3) पाल्य की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के विषय में रुचि न लेना ।

तालिका—15

प्रश्न - क्या आपको प्रधानाचार्य द्वारा अभिभावक अध्यापक संघ की बैठकों में आमंत्रित किया जाता रहा है । (हाँ / नहीं)

अभिभावक	संख्या	हाँ	नहीं
बालक	12	7	5
बलिका	18	17	1

तालिका 15 के अनुसार उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में 58% बालकों के अभिभावकों के एवं 95% बालिकाओं के अभिभावकों के मत पक्ष में प्राप्त हुये । शेष 42% मत बालकों के अभिभावकों के मत विपक्ष में एवं 5% मत बालिकाओं के अभिभावको के मत विपक्ष में प्राप्त हुए । अतएव प्राप्त मतानुसार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभिभावकों को अभिभावक अध्यापक संघ की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है । उक्तवत् बालिकाओं के विद्यालय इस ओर अधिक सजग प्रतीत होते हैं ।

तालिका—16

प्रश्न—क्या आप अभिभावक अध्यापक संघ की भूमिका के प्रति आस्थावान है ? (हाँ / नहीं)

अभिभावक	संख्या	हाँ	नहीं
बालक	12	6	6
बालिका	18	18	–

उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार बालकों के .0% अभिभावक, अभिभावक अध्यापक संघ की भूमिका के प्रति आस्थावान है। शेष 50% अभिभावकों को इस भूमिका में आस्था नहीं है। बालिकाओं के अभिभावकों को शत-प्रतिशत इसकी भूमिका के प्रति आस्था है।

अभिभावक अध्यापक संघ को प्रभावी बनाने हेतु निम्नवत् सुझाव प्राप्त हुये :—

(1) संघ की बैठक निरन्तर कर विचार-विमर्श द्वारा विद्यालयीय समस्याओं का समाधान करना।

(2) परस्पर परामर्श द्वारा संघ को सुदृढ़ बनाने हेतु योजना तैयार करना।

(3) प्रत्येक अभिभावक के लिए संघ की बैठक में भाग लेना अनिवार्य किया जाय।

(4) प्रभावशाली एवं प्रतिभाशाली अभिभावकों का सुझाव आवश्यकतानुसार प्राप्त करना।

(5) विद्यालय की प्रगति हेतु प्रतिमाह अभिभावकों को प्रधानाचार्य से सम्पर्क स्थापित कर विचार विमर्श करना एवं आवश्यक कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

(6) विद्यालय की कार्यकारिणी की प्रति माह की बैठकों में अभिभावकों को आमंत्रित करना तथा उसमें उनसे सहयोग प्राप्त करना।

(7) विद्यालय में शिक्षकों की कमी की पूर्ति हेतु अभिभावक अध्यापक एवं प्रधानाचार्य सब मिलकर इसकी पूर्ति हेतु प्रयास करें।

विद्यालयों को जन सहयोग उपलब्ध कराने हेतु अन्य विधाओं के सम्बन्ध में अभिभावकों द्वारा निम्नवत सुझाव प्राप्त हुये।

(1) समाज में प्रवुद्ध एवं प्रतिभाशाली अभिभावकों से समय-समय पर विचार विमर्श कर शिक्षोन्नयन हेतु कार्य करें। यदि आवश्यकता हो तो इन्हीं अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से शिक्षण कार्य भी कराया जा सकता है।

(2) पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विद्यालयों की समस्याओं को जनता को अवगत कराना तथा उनके निराकरण हेतु सुझाव प्राप्त करना।

निष्कर्ष —

उक्त शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट विदित होता है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों को जितना जन सहयोग प्राप्त होना चाहिए उतना उन्हे नहीं मिल पाता। केवल कुछ थोड़े से ही विद्यालय इसमे लाभान्वित हो पाते है। शेष में इसका पूर्ण आभाव है इसका कारण जन समुदाय की शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षा है।

आज की विद्यालयीय शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। परिणाम यह होता है कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् जब नवयुवक वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है तब उसे बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ता है और उसे जीवन नीरस लगने लगता है। पढ़ लिखकर भी व्यक्ति समाज पर बोझ बना रहता है। अतः इस प्रकार की शिक्षा जो समाज और व्यक्ति को समस्याओं का समाधान न कर सके इसके प्रति समाज में रोष उत्पन्न होता है और उसे सम्मान एवं जन सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता।

बढ़ती हुई जनसंख्या भी विद्यालयों को जन सहयोग न प्राप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों में प्रवेश की समस्या उत्पन्न होती है। शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एवम् सम्पन्न व्यक्ति तो किसी प्रकार अपने पाल्यों का प्रवेश विद्यालयों में करा देते हैं। शेष सामान्य व्यक्ति प्रवेश की समस्या को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार समस्या का निराकरण न होने के कारण उन्हें विद्यालय तथा शिक्षा से अरुचि हो जाती है और वे विद्यालय को किसी भी प्रकार का जन सहयोग देने में रूचि नहीं रखते।

वर्तमान समय में विद्यालयों में विषय के अनुरूप शिक्षकों की कमी तथा छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों के अभाव के कारण शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है और विद्यालय में भली प्रकार शिक्षण कार्य नहीं हो पाता जिसका प्रभाव छात्र के जीवन तथा विद्यालय के परीक्षाफल पर पड़ता है। इस प्रकार उचित शिक्षा व्यवस्था के अभाव में लोगों को विद्यालय से अरूचि उत्पन्न हो जाती है और वे विद्यालय को किसी भी प्रकार का सहयोग देने में असमर्थ रहते हैं।

ग्रामीण अंचल में जागृति के अभाव में विद्यालय को जन सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता है। वहां पर अभिभावक अपने पाल्यों को विद्यालय भेजने के पक्ष में ही नहीं रहते और यदि वे भेज भी देते हैं तो इतने से ही अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण समझ लेते हैं। विद्यालय के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं इससे इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

नगरों में बहुत सी ऐसी स्वयंसेवी संस्थायें है जो शिक्षा जगत में कल्याणकारी कार्य कर सकती हैं किन्तु सरकार की ओर से किसी प्रकार की सुविधा आर्थिक सहयोग एवं प्रोत्साहन के अभाव में वे इस ओर अग्रसर होकर जन सहयोग प्रदान करने में अपने को असमर्थ पाती हैं।

अभिभावक केवल विद्यालयों में अपने पाल्यों को भेज देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। विद्यालयीय विकास कार्यक्रमों में उनकी क्या अहं भूमिका है इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं है। अतः इस कारण विद्यालयों को उनसे जन सहयोग नही प्राप्त हो पाता।

सुझाव—

शिक्षा समाज का दर्पण है। अतएव शिक्षा को समाज के अनुरूप बनाने हेतु यह आवश्यक है कि समाज उसमें सहयोग दें। समाज व्यक्तियों का एक वृहद समूह है। अतएव इस समूह का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा क्षेत्र में विशेष कर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में समय पर बदलते हुये परिवेश एवं परिवर्तन के अनुरूप उसे सुदृढ़ एवं बलवती बनाये। यह कार्य जनसहयोग द्वारा सरलता से हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जन सहयोग निम्नवत् प्रकार से प्राप्त हो सकता है—

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावक अध्यापक संघ द्वारा जन-सहयोग प्राप्त हो सकता है। छात्र/-छात्राओं के शिक्षा में अभिभावक का सर्वोपरि स्थान है। शैक्षिक व्यवस्था में अभिभावक सक्रिय सहयोग दे सकता है। अतएव इसी संदर्भ में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना हुई। इस संघ के गठन एवं कार्यों में एकरूपता लाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन विनियमावली 1986 बनायी गई। इस एसोसियेशन का उद्देश्य संस्था के शैक्षिक स्तर के उन्नयन एवं विद्यालय की समस्याओं का आंकलन कर उसके लिये जन-सहयोग जुटाना है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में अभिभावकों के योगदान से विद्यालयों के प्रति उनमें आत्मयीयता तो बढ़ेगी ही साथ ही विद्यालय की तमाम समस्याओं का तात्कालिक निराकरण भी सम्भव हो सकेगा।

समाज के प्रबुद्ध प्रतिभाशाली एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा भी विद्यालयों को जन-सहयोग प्राप्त हो सकता है। विद्यालय समाज का प्रमुख अंग है। अतएव शिक्षक यदि चाहें तो ऐसे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों की गोष्ठी आयोजित कर उनसे शैक्षिक क्रियाओं आदि के विषय में विचार-विमर्श कर अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु सुझाव प्राप्त कर सकते है।

समाज के सम्पन्न एवं धनाठ्य व्यक्तियों के सहयोग से विद्यालय भवन का निर्माण, कक्षों के लिए स्थान, डेस्क, मेज, कुर्सी, आदि की व्यवस्था विद्यालयों में की जा सकती है। विद्यालय में होने वाले वार्षिक समारोह राष्ट्रीय पर्वों के उत्सव में ऐसे सम्भ्रान्त व्यक्तियों को आमंत्रित कर उनका ध्यान विद्यालय की आवश्यकताओं की ओर आकर्षित कर उन्हें इन कार्यो की पूर्ति हेतु अभिप्रेरित किया जा सकता हैं। इस कार्य में सम्पन्न अभिभावक भी योगदान कर सकते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अपने माता-पिता के माध्यम से इस कार्य को सरलता से करा सकते हैं।

विद्यालयों में पढ़ने वाले बहुत से छात्रों के अभिभावक अथवा सम्बन्धियों का सम्बन्ध राजनीति से होता है। अत: यदि इन राजनैतिक व्यक्तियों का सहयोग लिया जाय तो विद्यालय को सरलता से सरकार द्वारा अनुदान आदि प्राप्त हो सकता है।

वर्तमान समय में शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने पर बल दिया जा रहा हैं किन्तु कुशल अध्यापकों के आभाव में व्यावसायिक शिक्षा का कार्य विद्यालयों में भली प्रकार नहीं हो पा रहा है। अत: समाज को कुशल कारीगरों द्वारा इसमें सहयोग प्राप्त कर इस कार्य को सरलता से कराया जा सकता है।

स्वयंसेवी संस्थायें जैसे रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, दी इन्डियन गर्ल्स एसोसियेशन, भारत स्काउट्स आदि संस्थाओं को यदि सरकार प्रोत्साहित करें और इन्हें सुविधायें तथा आर्थिक सहयोग दे तो ये भी विद्यालयों के उन्नयन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रयासों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जन-सहयोग की स्थिति सुदृढ़ होगी और इससे सम्भावनाओं में वृद्धि होगी जिससे शिक्षा जगत का कल्याण होगा।

पृच्छा प्रपत्र—1

1—विद्यालय का नाम

2—ग्राम / शहरी

3—बालक / बालिका

4—शासकीय / अशासकीय

5—प्रधानाचार्य का नाम

6—विद्यालय की कुल छात्र संख्या

7—क्या आप विद्यालय के संचालन में कोई शैक्षिक अथवा आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं (हां / नहीं)

8—यदि हां तो समस्याओं का बिन्दुवार उल्लेख करें—

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9—उपर्युक्त समस्याओं के निदान हेतु आप द्वारा कौन-कौन से उपाय किये गये (बिन्दुवार विवरण दें)

10—क्या उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु आपको जन सहयोग प्राप्त हुआ (हां / नहीं)

11—यदि हां तो विवरण दें

12—अभिभावक अध्यापक संघ से प्राप्त सहयोग से क्या आप संतुष्ट हैं (हां / नहीं)

13—यदि नहीं तो अभिभावक अध्यापक संघ के सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आपके क्या सुझाव हैं ?

14—जन सहयोग से प्राप्त करने के अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आपके सुझाव क्या हैं ?

15—क्या आपको अभिभावक अध्यापक संघ के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति/संस्था से सहयोग प्राप्त हुआ है। (हां / नहीं)

16—यदि हां तो विस्तृत विवरण दें।

राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद

विषय--माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या की स्थिति एवं सम्भावनाएँ

प्रधानाचार्य,

महोदय/महोदया,

संस्थान में उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शोध कार्य हो रहा है अतएव प्रपत्र से सम्बन्धित वांछित सूचना प्राप्त करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहते हैं। आप द्वारा प्राप्त सूचना का प्रयोग केवल शोध कार्य में ही किया जायेगा। अतएव आप जो भी सुझाव एवं सूचना दें वह नि:संकोच होकर देने का कष्ट करें। कृपया पृच्छा प्रपत्र की शीघ्र पूर्ति कर प्रपत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर प्राचार्य राजकीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद को लौटाने का कष्ट करें।

ज्ञान दत्त पाण्डेय
प्राचार्य
राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान
संस्थान, इलाहाबाद

—: निर्देश :—

पृच्छा प्रपत्र भरते समय निम्नलिखित निर्देशों पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें :—

1—उत्तर लिखने के पूर्व प्रपत्र को भली प्रकार पढ़ लें।

2—प्रश्नोत्तर इस पृच्छा प्रपत्र पर छोड़े गये स्थान पर लिखिए, यदि स्थान पर्याप्त न हो तो संलग्नक पृष्ठ लगाकर प्रश्न संख्या डालकर उत्तर लिखे पृष्ठ को संलग्न कर दीजिए।

3—कोष्ठकों में सही उत्तर के सुझाव पर (✓) सही का चिह्न लगाएँ, रिक्त कोष्टकों में रिक्त स्थानों पर उत्तर लिखिये।

पृच्छा प्रपत्र—2

1—विद्यालय का नाम

2—ग्रामीण / शहरी

3—बालक / बालिका

4—शासकीय / अशासकीय

5—प्रबन्धक का नाम

6—क्या आप विद्यालय की शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं (हां / नहीं)

7—यदि नहीं तो स्थिति में सुधार हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तावित करते हैं।

8—क्या विद्यालय के संचालन में आपको पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो रहा है (हां / नहीं)

9—यदि हां तो क्या उसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास करना पड़ता है।

10—यदि नहीं तो जन सहयोग न प्राप्त होने के क्या कारण हैं :—

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

11—क्या आप विद्यालय के अभिभावक अध्यापक संघ की प्रतिनिधियों से संतुष्ट है। (हां / नहीं)

12—यदि नहीं तो अभिभावक अध्यापक संघ को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

13—क्या अभिभावक अध्यापक संघ के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/व्यक्ति से जन सहयोग प्राप्त होता है। (हां / नहीं)

14—यदि हां तो विवरण दें।

राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद

विषय — माध्यमिक शिक्षा में जन सहयोग की स्थिति एवं सम्भावनाएँ

प्रबन्धक

महोदय,

संस्थान में उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में शोध कार्य हो रहा है अतएव प्रपत्र से सम्बन्धित वांछित सूचना प्राप्त करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहते हैं। आप द्वारा प्राप्त सूचना का प्रयोग केवल शोध कार्य में ही किया जायेगा। अतएव आप जो भी सुझाव एवं सूचना दें वह नि:संकोच होकर देने का कष्ट करें। कृपया पृच्छा प्रपत्र की शीघ्र पूर्ति कर प्रपत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर प्राचार्य राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद को लौटाने का कष्ट करें।

ज्ञान दत्त पाण्डेय
प्राचार्य
राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान
संस्थान, इलाहाबाद।

—: निर्देश :—

पृच्छा प्रपत्र भरते समय निम्नलिखित निर्देशों पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें :—

1—उत्तर लिखने के पूर्व प्रपत्र को भली प्रकार पढ़ लें।

2—प्रश्नोत्तर लिखने के पूर्व प्रपत्र पर छोड़े स्थान पर लिखिए, यदि स्थान पर्याप्त न हो तो संलग्नक पृष्ठ लगाकर प्रश्न संख्या डालकर उत्तर लिखें और पृष्ठ को संलग्न कर दीजिए।

3—कोष्ठकों में सही उत्तर के सुझाव पर (✓) सही का चिन्ह लगाये रिक्त कोष्ठकों में रिक्त स्थानों पर उत्तर लिखिए।

21

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सामग्री एवं विज्ञान शुल्क में सह-सम्बन्ध का अध्ययन

1 — पृष्ठभूमि —

मानव के प्रयासों में से विज्ञान भी एक प्रयास है। विज्ञान का प्रभाव अत्यन्त व्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के नियमों तथा सिद्धान्तों को किसी न किसी रूप में अनुभव करता है। अधिकांश का अनुभव वह उन्हें जाने बिना ही करता है।

आज का प्रत्येक छात्र जो कल का नागरिक है उसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टि से शक्तिशाली बनाने, उसमें वैज्ञानिक-प्रवृत्ति उत्पन्न करने और आधुनिक विश्व में अर्थ पूर्ण जीवन जीने की कला को विकसित करने के उद्देश्य से सबके लिए विज्ञान-योजना के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा को कक्षा 10 तक अनिवार्य कर दिया गया।

आज के युग में विज्ञान पढ़ाने का लक्ष्य है—शिक्षण द्वारा छात्र को पढ़ाने में सहायता करना तथा विज्ञान को क्रिया कलाप आधारित बनाना। अधिकांश क्रियाकलापों के करने में सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति छात्रों द्वारा ली जाने वाले शुल्क से की जाती है। आज के युग में वैज्ञानिक उपकरणों, रसायनों एवं अन्य सहायक सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए शुल्क से प्राप्त धन द्वारा इनकी आपूर्ति कहां तक सम्भव है और इससे विद्यालय में या विद्यालय से बाहर क्रियाकलापों का आयोजन कहां तक सम्भव है ये विचारणीय बिन्दु हैं।

इस सर्वेक्षण/अध्ययन कार्यक्रम का अपना महत्व विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सामग्री तथा छात्रों से ली जाने वाली विज्ञान शुल्क में सह-सम्बन्ध को जानने तथा उपरिलिखित समस्याओं के निराकरण के उपायों की जानकारी प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है।

2 — उद्देश्य —

(i) विज्ञान प्रयोगशालाओं में मानकानुसार आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता का पता लगाना।

(ii) छात्रों से ली जाने वाली विज्ञान शुल्क से होने वाली आय का पता लगाना।

(iii) शुल्क से विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

(iv) प्रयोगशालाओं के मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाना।

(v) विज्ञान शुल्क के उपयोग के क्षेत्र का पता लगाना।

(vi) छात्रों द्वारा सम्पादित प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करना।

3—परिकल्पना—

छात्रों से ली जाने वाली विज्ञान शुल्क से ही प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की आपूर्ति की जाती है। अतः—

(1) विज्ञान शुल्क से होने वाली आय से प्रयोगशालाओं को सुसज्जित रक्खा जाता होगा, परन्तु कुछ विद्यालयों में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने में कठिनाई होती होगी।

(2) प्रधानाचार्य प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक सामग्री का क्रय विषय अध्यापक के माँग-पत्र के अनुसार नहीं करते होंगे।

(3) फर्मों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं कराया जाता होगा।

(4) विज्ञान शुल्क का उपयोग विज्ञान शिक्षा उन्नयन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी किया जाता होगा।

4—परिसीमन—

(1) प्रतिदर्श परिसीमन—इस सर्वेक्षण/अध्ययन में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के चार विद्यालयों (दो ग्रामीण तथा दो शहरी) को सम्मिलित किया गया है।

(2) अवधि—जुलाई 1991 से दिसम्बर 1991 तक।

5—कार्य विधि—

(क) न्यादर्श चयन-समुचित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी मण्डलों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े तथा उन्नत जनपदों दो ग्रामीण और दो शहरी विद्यालयों का अर्थात कुल 52 विद्यालयों का चयन किया गया।

(ख) उपकरण—पृच्छा प्रपत्र का उपयोग उपकरण के रूप में किया गया जिसकी पूर्ति चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा एक विज्ञान अध्यापक के द्वारा की गई।

पृच्छा-प्रपत्र का सारांश—

(1) प्रधानाचार्यों से छात्रों की संख्या, शुल्क की दर, विज्ञान शुल्क से कुल आय, उसके रख-रखाव एवं सामग्री क्रय की विधा, तथा शुल्क के उपयोग के क्षेत्रों की जानकारी के लिए प्रश्न रखे गए हैं।

(2) विज्ञान अध्यापकों हेतु पृच्छा-प्रपत्र में सामग्री क्रय किए जाने में अध्यापक की भूमिका, सामग्री की उपलब्धता, न कराये जाने वाले, प्रयोगों के विवरण आदि की जानकारी हेतु प्रश्न रखे गये हैं।

(ग) प्रदत्त संग्रह—पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से प्रदत्तों का संग्रह किया गया चयनित 52 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से मात्र 40 ने ही पृच्छा-प्रपत्रों की पूर्ति करके इस संस्थान को प्रत्यावर्तित किया।

तालिका -1

विद्यालय में प्रयोगशालाओं का विवरण—

स्तर	कुल विद्यालयों	विषय	विद्यालयों की सं० जिसमें प्रयोगशाला नहीं	है
हाई स्कूल	40	विज्ञान-1	20	20
		विज्ञान-2	32	8
		जीव विज्ञान	28	12
इन्टर	20	रसायन विज्ञान	18	2
		भौतिक विज्ञान	18	2
		जीव-विज्ञान	16	4

हाई-स्कूल स्तर तक 50% विद्यालयों में विज्ञान-1 30% में विज्ञान-2 70% में जीव-विज्ञान तथा इन्टर-मीडिएट स्तर के 90% विद्यालयों में रसायन एवं भौतिक तथा 80% में जीव-विज्ञान की प्रयोगशालाएँ हैं।

तालिका – 2

विद्यालय में विज्ञान विषय की मान्यता की स्थिति—

	उच्चतर माध्यमिक			योग	इन्टर एवं हाईस्कूल		
	विज्ञान-1	विज्ञान-2	जी० वि०	भौ०	रसा०	जी० वि०	योग
विद्यालय सं०	20	20	20	20	20	20	20

चयनित सभी विद्यालय विज्ञान विषय से मान्यता प्राप्त है 20 विद्यालय हाईस्कूल तक तथा 20 विद्यालय हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट दोनों स्तरों पर विज्ञान विषयों से मान्यता प्राप्त हैं।

तालिका—3

30 सितम्बर 1991 की छात्र संख्या के अनुसार विद्यालयों में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या—1

विद्यालय सं०	हाईस्कूल छात्र सं०				इन्टरमीडिएट की छात्र सं०			
	1-50 तक	51-100,	101-200 तक	200 से अधिक	1 से 50,	51 से 100,	101 से 200,	200 से अधिक
40	20	×	12	8	6	8	3	3

50% विद्यालयों में हाईस्कूल में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की सं० 50 से कम है 30% में 50 तक, 40% में 10 और 15% में 200 तक और 15% में 200 से अधिक है। फलतः विज्ञान शुल्क से बहुत कम धनराशि प्राप्त होती होगी।

तालिका—4

विज्ञान शुल्क की दर का स्तरवार विवरण—

स्तर	विज्ञान शुल्क की दर	विद्यालय की संख्या
हाईस्कूल	1-00	18
	1-50	22
इन्टरमीडिएट	2-00	8
	5-00	

45% हाई स्कूलों में विज्ञान शुल्क एक रुपया तथा 55% में 1-50 लिया जाता है इसी प्रकार 40% इन्टर कालेजों में 2-00 तथा 60% में 3-00 की दर से विज्ञान शुल्क लिया जाता है स्पष्ट है कि विद्यालयों में ली जाने वाली शुल्क की दर में भिन्नता है।

तालिका—5

विज्ञान शुल्क जमा करने का स्थान—

जमा करने का स्थान	विद्यालयों की संख्या
1—ट्रेजरी में	×
2—बैंक में	8
3—पोस्ट आफिस में	32
4—अन्यत्र	×

80% विद्यालयों का विज्ञान शुल्क पोस्ट आफिस तथा 20% की बैंक में छात्र निधि खाते में जमा की जाती है।

तालिका—6

जमा विज्ञान शुल्क का आहरण कर्ता अधिकारी/व्यक्ति—

आहरण-अधिकारी	विद्यालयों की संख्या
1—प्रधानाचार्य	40
2—अध्यापक	×
3—प्रबन्धक	×

सभी विद्यालयों में जमा की गई विज्ञान शुल्क का आहरण प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है।

तालिका—7

प्रयोगात्मक में छात्रों की रूचि एवं अभिरूचि का विवरण—

	रूचि लेते हैं	नहीं
विद्यालयों की संख्या	38	1

95% विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्य में छात्र रूचि लेते है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य/विज्ञान अध्यापक ने 5 से स्तम्भ में कोई प्रविष्टि नहीं किया।

तालिका—8

प्रयोगात्मक कार्य में रूचि उत्पन्न करने हेतु अध्यापक द्वारा किए गए प्रयास—

उपाय	विद्यालयों की संख्या
1—प्रयोग का महत्व समझाना	4
2—प्रयोग प्रदर्शन करना	10
3—प्रयोग प्रदर्शन तथा चार्ट/माडल आदि द्वारा	20
4—कुछ नहीं	6

10% विद्यालयों में अध्यापक प्रयोगात्मक कार्य का महत्व बताते हैं और 15% में कोई उपाय नहीं करते हैं। 50% विद्यालयों में अभिरूचि उत्पन्न करने हेतु आवश्यक विधियाँ उपयोग में लायी जाती है।

तालिका—9

प्रयोगशाला हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने में अध्यापक और प्रधानाचार्य की भूमिका—

	अध्यापक के सहयोग से की जाती है	सामग्री क्रय नहीं की जाती है	अन्य का सहयोग लिया जाता है	नहीं
विद्यालय संख्या	32	8	8	×

80% विद्यालयों में प्रयोगशाला हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने में अध्यापक का सहयोग लिया जाता और 20% में कार्यालय के अन्य कर्मच्चारियों के सहयोग से सामग्री क्रय की जाती है।

तालिका—10

वर्ष 1990-91 में विज्ञान्न शुल्क से हुई आय से विज्ञान सामग्री क्रय करने में हुए व्यय का विवरण—

	आय का तिहाई	आधा	पूर्ण	कुछ नहीं	कोई विवरण अंकित नहीं
विद्यालय संख्या	15	5	10	5	5

12.5% विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया मात्र 25% विद्यालयों में आय का पूर्ण उपयोग किया गया। 12.5% विद्यालयों में नवम्बर 91 तक धनराशि का कोई भी भाग उपयोग में नहीं लाया गया। 50% में तिहाई/आधी धनराशि का ही उपयोग सामग्री क्रय करने में किया गया।

तालिका—11

विज्ञान शुल्क से आय कम होने के कारण प्रयोगशाला में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था—

	स्थानीय साधन	समूह में कार्य कराकर	छात्रों अथवा निकटस्थ विद्यालय मे मंगाकर	प्रयोग नहीं करा जाते है
विद्यालय संख्या	4	8	4	8

40% विद्यालयों से इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। 20% विद्यालयों को सामग्री की कमी होने पर प्रयोग नहीं कराये जाते है। 20% विद्यालयों में सामग्री की आपूर्ति स्थानीय साधनों और छात्रों तथा निकटस्थ विद्यालयों से की जाती है। 20% विद्यालयों में प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार विषय अध्यापकों द्वारा समूह में प्रयोगात्मक कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

तालिका—12

प्रयोगशालाओं में अधोलिखित की उपलब्धता की स्थिति—

सुविधाएं	विद्यालयों की सं० जिसमें है	सुविधाएँ	विद्यालयों की सं० जिनमें है
डिमान्स्ट्रेशन टेबुल	शून्य	वाटर/गैस लैम्प	4
अग्निशामक	,,	विद्युत प्वाइन्ट	16
प्रिपेरेशन कक्ष	8	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	12
तुला कक्ष	16	एक्जास्ट फैन	8

भण्डार कक्ष	20	विज्ञान किट	12
डार्क रूम	12	आवश्यक चार्ट	4
म्यूजियम कक्ष	4	माडल	4

डिमानस्ट्रेशन टेबुल तथा अग्निशामक किसी भी विद्यालय में नहीं है। म्यूजिक कक्ष वाटर/गैस आवश्यक चार्ट/माडल केवल 10% विद्यालयों में है। डार्क रूम विज्ञान किट प्राथमिक चिकित्सा बाक्स 30% विद्यालयों में है।

तालिका—13

प्रयोगाशालाओं में मानकानुसार आवश्यक उपकरण/सामग्री की उपलब्धता की स्थिति—

सामग्री की उपलब्धता	विद्यालयों की संख्या
है	12
नहीं है	24

10% विद्यालयों के अध्यापकों ने कोई उत्तर नहीं दिया 60% विद्यालयों में मानकानुसार सामग्री/-उपकरण नहीं है। मात्र 30% में ही आवश्यक सामग्री/उपकरण उपलब्ध है।

तालिका—14

विज्ञान अध्यापक द्वारा सत्रारम्भ या आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की माँग की जाने की स्थिति—

विद्यालयों की संख्या	विद्यालय जिनमें माँग की जाती है	विद्यालय जिनमें माँग नहीं की जाती है
40	40	शून्य

सभी विद्यालयों के अध्यापक सत्रारम्भ में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सामग्री की माँग करते हैं।

तालिका—15

प्रधानाचार्यों द्वारा प्रयोगशाला हेतु आवश्यक सामग्री को अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किये गये माँग-पत्र के अनुसार उपलब्ध कराने की स्थिति—

विद्यालय की संख्या	सामग्री उपलब्ध करायी जाती	
	है	नहीं
40	28	12

30% विद्यालयों के प्रधानाचार्य माँग-पत्र के अनुसार सामग्री उपलब्ध नहीं कराते हैं। धनराशि की कमी को इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने का कारण बताया है।

तालिका—16

अध्यापक द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोगों में से न कराये जाने वाले प्रयोग—

प्रयोग जो नहीं कराये जाते हैं	विद्यालय है	संख्या जिनमें कराये जाते नहीं	विद्यालय संख्या जिनसे कोई उत्तर नहीं मिला
1—विद्युत सम्बन्धी प्रयोग	12	12	16
2—ध्वनि सम्बन्धी प्रयोग	20	4	
3—डार्क रूम सम्बन्धी प्रयोग	12	12	
4—विज्ञान-I के प्रयोग	2	22	

40% विद्यालयों के अध्यापकों ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं अंकित किया। डार्क रूम तथा विद्युत की व्यवस्था विद्यालय में न होने के कारण 50% विद्यालयों में इनसे सम्बन्धित प्रयोग नहीं कराये जाते हैं। विज्ञान-I के छात्रों द्वारा 91.7% विद्यालयों में कोई भी प्रयोग नहीं कराया जाता है। अध्यापकों ने प्रयोगात्मक कार्य सम्पादित नहीं किये जाने का कारण विद्यालय में धनाभाव के कारण सामग्री की कमी का होना बताया हैं।

तालिका—17

प्रत्येक छात्र को प्रयोगात्मक कार्य हेतु सप्ताह में दिए जाने वाले वादनों की संख्या—

कक्षा स्तर	वादनों की संख्या	विद्यालयों की संख्या
हाईस्कूल	1	4
	2	20

	3	4
	4	12
इण्टरमीडिएट	4	40

इण्टरमीडिएट के छात्रों को मानकानुसार समय दिया जाता है। हाईस्कूल के छात्रों को 4-4 विद्यालयों में क्रमशः एक और तीन वादन दिया जाता है तथा 50% विद्यालयों में सप्ताह में दो वादन आवंटित हैं।

तालिका—18

विद्यालय के ऐसे छात्र जिनसे विज्ञान शुल्क नहीं लिया जाता है—

विद्यालयों की संख्या	विज्ञान शुल्क न देने वालों की संख्या
4	140-156
4	विज्ञान-I के छात्र
5	हरिजन छात्र

चार विद्यालयों में 140-156 छात्रों से 4 में विज्ञान एक के छात्रों से और 5 विद्यालयों से हरिजन छात्रों से विज्ञान शुल्क नहीं लिया जाता है।

तालिका—19

विज्ञान शुल्क निधि में शेष धनराशि—

	जमा धनराशि						
	पासबुक में जमा रु०				हाथ में रु०		
	1000	(1001-3000 तक)	3001-7000	7000 से अधिक	10	(11-100)	100 से अधिक
विद्यालय संख्या	8	—	8	24	12	18	10

60% विद्यालयों में पास बुक में 7000/- से अधिक विज्ञान शुल्क की धनराशि शेष दर्शायी गयी है। एक विद्यालय में 32000/- से अधिक पासबुक से जमा दर्शाया गया है। 25% विद्यालयों में हाथ में दर्शायी गयी

धनराशि 100/- से अधिक है। एक बालिका विद्यालय में सभी छात्राओं से विज्ञान शुल्क ली जाती है, परन्तु अगस्त 1991 के पूर्व पासबुक में मात्र 250/- जमा किया गया है और उक्त माह तक उतने की ही बचत भी दर्शायी गयी है।

तालिका—20

विज्ञान शुल्क का विज्ञान शिक्षा उन्नयन के अन्य कार्यों में उपयोग किये जाने की स्थिति—

	किया जाता है	नहीं किया जाता है
विद्यालय संख्या	12	28

70% विद्यालयों में विज्ञान शुल्क का उपयोग विज्ञान शिक्षा उन्नयन के अन्य कार्यों में नहीं किया जाता है। 30% विद्यालयों के चार्ट/माडल बनवाने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में किया जाता है। इन 30% विद्यालयों में एक विद्यालय में विज्ञान शुल्क निधि से अभिभावक शिक्षक संघ को 5000/- ऋण दिया गया।

तालिका—21

आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता को अध्यापक द्वारा जाँच करने की स्थिति—

विद्यालय की संख्या जिनमें अध्यापक द्वारा गुणवत्ता की जाँच	
की जाती है	नहीं की जाती है
5	35

35 विद्यालयों में आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच सम्बन्धित विषय अध्यापक द्वारा नहीं की जाती है।

परिकल्पना का सत्यापन—

(1) चयनित 20 हाईस्कूल में सभी विज्ञान-1 विज्ञान-2 एवं जीव विज्ञान तथा 20 इन्टरमीडिएट कालेजों में से सभी भौतिकी, रसायन, एवं जीव-विज्ञान से मान्यता प्राप्त है परन्तु 50% हाईस्कूलों में विज्ञान-एक की तथा 20% इन्टरमीडिएट कालेजों में जीव-विज्ञान की प्रयोगशालायें नहीं है।

(2) 50% हाइस्कूलों तथा 30% इन्टरमीडिएट कालेजों में अध्ययनरत विज्ञान के छात्रों की संख्या 50 तक ही है।

(3) 45% हाईस्कूलों में विज्ञान शुल्क एक रुपया तथा 10% इन्टरमीडिएट कालेजों में दो रुपये लिया जाता है। 10% विद्यालयों में विज्ञान एक के छात्रों से तथा 12-5% में हरिजन छात्रों से विज्ञान शुल्क नहीं लिया जाता है।

(4) सभी विद्यालयों में विज्ञान शुल्क बैंक/पोस्ट आफिस में छात्र निधि खाते में जमा किया जाता है और इसका आहरण प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है ।

(5) छात्र विज्ञान विषय के अध्ययन तथा प्रयोगात्मक कार्य में रूचि लेते हैं परन्तु 15% विद्यालयों के विज्ञान अध्यापक छात्रों में प्रयोगात्मक कार्य रूचि उत्पन्न करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं।

(6) सभी विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों द्वारा आवश्यक सामग्री की माँग की जाती है परन्तु 30% विद्यालयों के प्रधानाचार्य माँग पत्र के अनुसार सामग्री उपलब्ध नहीं कराते हैं साथ ही 60% विद्यालयों में आवश्यक सामग्री की कमी है।

(7) 20% विद्यालयों के प्रधानाचार्य विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक उपकरण/सामग्री का क्रय करने में सम्बन्धित विषय अध्यापक के स्थान पर अन्य कर्मचारियों का सहयोग लेते हैं।

(8) 25% विद्यालयों में ही विज्ञान शुल्क से होने वाली आय का पूर्ण उपयोग आवश्यक सामग्री क्रय करने में किया जाता है 12.5% मे धनराशि का कोई भी अंश उपयोग में नहीं लाया जाता है। 12.5% विद्यालयों से इस प्रश्न का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। स्पष्ट है कि 12.5% विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्य नहीं कराये जाते है।

(9) विज्ञान शुल्क से आय कम होने पर विद्यालयों के प्रधानाचार्य स्थानीय साधनों या निकटस्थ विद्यालयों से सामग्री मंगवाकर अथवा समूह में कार्य करवाकर मानकानुसार प्रयोगात्मक कार्य पूर्ण करवाते हैं परन्तु 20% विद्यालयों में ऐसी परिस्थिति में कोई प्रयोग नहीं कराये जाते हैं।

(10) किसी भी विद्यालय की प्रयोगशालाओं में अग्निशामक डिमान्ट्रेशन टेबुल नहीं है। 10% विद्यालयों में आवश्यक चार्ट/माडल, म्युजिक कक्ष, पानी/गैस टैप तथा 30% में डार्क रूम, विज्ञान किट और प्राथमिक चिकित्सा बाक्स है।

(11) 30% विद्यालयों में विद्युत तथा डार्क रूम की व्यवस्था न होने के कारण इनसे सम्बन्धित प्रयोग नहीं कराये जाते हैं। 90% विद्यालयों में विज्ञान-1 की प्रयोगशाला नहीं है अतः विज्ञान-1 के प्रयोग नहीं कराये जाते है।

(12) इन्टरमीडिएट कक्षा के छात्रों को सभी विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्य हेतु मानकानुसार वादन दिए जाते है परन्तु हाईस्कूलों के छात्रों को 10% विद्यालयों में एक एवं 3 वादन, 30% में 4 वादन तथा 50% में मानकानुसार दो वादन दिए जाते है।

(1) 60% विद्यालयों में विज्ञान शुल्क की शेष धनराशि रु० 7000-00 से अधिक तथा एक विद्यालय में रु० 3200-00 से अधिक पास बुक में जमा है परन्तु एक विद्यालय में माह अगस्त 1991 तक मात्र रु० 250-00 ही अवशेष हैं जबकि सभी छात्रों से शुल्क लिया जाता है ।

(14) 70% विद्यालयों में विज्ञान शुल्क की समस्त धनराशि का पूर्ण उपयोग प्रयोगशालाओं हेतु ही किया जाता है । 30% में इसका उपयोग प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त छात्रों से चार्ट/माडल आदि बनवाने में भी किया जाता है । एक विद्यालय में इस निधि से अभिभावक शिक्षक संघ को रु० 5000-00 ऋण दिया गया है ।

(15) 87.5% विद्यालयों में प्रयोगशालाओं हेतु क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच सम्बन्धित अध्यापक द्वारा नहीं की जाती है ।

सुझाव—

(1) समस्त प्रधानाचार्यों को निर्धारित विज्ञान शुल्क प्रत्येक विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों से अवश्य लेनी चाहिए ।

(2) विज्ञान अध्यापक की माँग के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने का हर सम्भव प्रयास प्रधानाचार्यों को करना चाहिए तथा सामग्री के क्रय में सम्बन्धित विज्ञान अध्यापक का सहयोग लेना चाहिए ।

(3) प्रधानाचार्यों को विज्ञान शुल्क से होने वाली आय का सदुपयोग करना चाहिए । धनराशि को पोस्ट आफिस/बैंक में जमा रखना उचित नहीं है । साथ ही धनराशि की कमी होने पर प्रधानाचार्य/अध्यापक को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ।

(4) जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है उन्हें विज्ञान उपकरण/साज-सज्जा सामग्री क्रय करने हेतु एक मुश्त धनराशि अनुदानित की जानी चाहिए । क्रीत सामग्री की गुणवत्ता की जाँच सम्बन्धित अध्यापक द्वारा करना अत्यावश्यक है ।

(5) जिन विद्यालयों में प्रयोगशालाएँ नहीं हैं, उन्हे प्रयोगशाला निर्माण हेतु अनुदानित करना आवश्यक है । क्योंकि प्रयोगशालाओं के अभाव में प्रयोगात्मक कार्य कराने में व्यवधान अवश्य पड़ती होगा । मानकानुसार प्रयोग सम्पादन हेतु प्रयोगशालाओं में म्यूजियम कक्ष डार्क रूम, तुला कक्ष, एवं भण्डार कक्ष अवश्य होने चाहिए ।

(6) प्रत्येक विद्यालय की प्रयोगशालाओं में प्राथमिक चिकित्सा बाक्स, अग्नि शामक आदि का होना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए ।

(7) प्रधानाचार्यों की किसी भी परिस्थिति में छात्र निधि से अभिभावक संघ या इस प्रकार के किसी अन्य संघ, समूह या व्यक्ति को ऋण देने से रोका जाना चाहिए ।

(8) हाईस्कूल के छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य हेतु प्रति सप्ताह दो वादन तथा इन्टरमीडिएट के छात्रों को चार वादन दिए जाने चाहिए ।

22

1991-92

आदिवासी क्षेत्रों में अध्ययनरत आदिवासी छात्रों तथा सामान्य छात्रों की विज्ञान एवं गणित विषयों में उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन

1—पृष्ठभूमि—

भारत एक विशाल राष्ट्र । इस राष्ट्र के निवासी विभिन्न धर्म, जाति और सम्प्रदाय के हैं, उनकी भाषाएँ अलग हैं, वे जिन क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्नता है, उनकी अपनी संस्कृति भी अलग-अलग हैं, परन्तु इस राष्ट्र की विशालता और अखण्डता का एक प्रमुख कारण हमारी अनेकता में एकता है । हमारी एकता अक्षुण्ण रहे, हमारा राष्ट्र अखण्ड बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र को प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति या सम्प्रदाय का हो, कोई भी भाषण बोलता हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो अथवा किसी भी अंचल का निवास हो, समान सुविधाएं और अवसर प्राप्त होने चाहिए । इसी परिप्रेक्ष्य में आदिवासी क्षेत्रों में अध्ययनरत आदि वासी अथवा सामान्य छात्रों को शिक्षा के माध्यम से एक स्तर पर लाने की आवश्यकता है । भारतीय संविधान में भी इस पर बल दिया गया है । आदिवासी तथा सामान्य छात्रों की विज्ञान और गणित विषयों में उपलब्धियों का तुलनान्त्मक अध्ययनोपरान्त प्राप्त असमानताओं को दूर करने हेतु सुझाव दिया जाना आवश्यक ही नहीं, समीचीन भी हैं, जिससे छात्र एक जुट होकर भविष्य में अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए वरदान सिद्ध हो सकें।

2 - उद्देश्य —

(1) आदिवासी क्षेत्रों में विज्ञान-दो और गणित-दो विषयों के शिक्षण सम्बन्धी मानवीय और भौतिक संसाधनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना ।

(2) आदिवासी छात्र/छात्राओं के इन विषयों के परीक्षाफल की सामान्य छात्रों के इन्हीं विषयों के परीक्षाफल की तुलना करना ।

(3) सन्दर्भित विषयों के परीक्षाफल के उन्नयन/अवमनम के कारणों का पता लगाना और परीक्षाफल के उन्नयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3—परिकल्पना—

शासन एवं शिक्षा विभाग का प्रयास है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों, विशेषकर आदिवासी छात्रों का शिक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास हो। परन्तु मुख्य रूप से विज्ञान और गणित विषयों में अपेक्षित स्तर नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अपेक्षित स्तर प्राप्त करने में बाधक कारकों की जानकारी प्राप्त करके उनके निवारणार्थ उपाय प्रस्तुत करने हेतु यथेष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण सर्वथा उचित एवं उपयुक्त है।

4—परिसीमन—

इस शोध अध्ययन/सर्वेक्षण को सोनभद्र, गोण्डा, बहराइच और लखीमपुर खीरी जनपदों के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों तक सीमित रखा गया है।

अवधि जुलाई 1991 से दिसम्बर 1991 तक।

5—कार्यविधि—

(1) न्यादर्श चयन—न्यादर्श के रूप में चयनित जनपदों के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हाईस्कूल कक्षाओं में विज्ञान-दो/गणित-दो विषयों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी सम्बन्धित जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से की गई। सोनभद्र, गोण्डा, बहराइच तथा लखीमपुर खीरी जनपदों में स्थित क्रमशः 06, 04, 04 तथा 02 कुल 16 विद्यालयों का चयन किया गया।

(2) उपकरण-शोध/अध्ययन/सर्वेक्षण हेतु निम्नलिखित दो प्रकार के पृच्छा प्रपत्र तैयार किया गया।

(क) प्रधानाचार्यों/विज्ञान-दो/गणित/दो का शिक्षण करने वाले अध्यापकों द्वारा भरा जाने वाला पृच्छा प्रपत्र।

(ख) आदिवासी/सामान्य छात्रों द्वारा भरा जाने वाला पृच्छा-प्रपत्र।

पृच्छा-प्रपत्रों में की गई जिज्ञासाएँ प्रधानाचार्यों/अध्यापकों हेतु पृच्छा-प्रपत्र—

इसमें आदिवासी/सामान्य छात्रों की विज्ञान-दो/गणित-दो विषयों के परीक्षाफल, छात्रों के पारिवारिक आर्थिक स्थिति, उल्लिखित विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक की संख्या आदि के सम्बन्ध में प्रमुख जिज्ञासाएँ की गई हैं।

छात्रों हेतु पृच्छा-प्रपत्र—इस पृच्छा प्रपत्र में विज्ञान-दो/गणित-दो विषयों में उनकी अभिरुचि, आदिवासी छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं, सहपाठियों और शिक्षकों का उनके प्रति व्यवहार, छात्रों के अभिभावकों की

आय का स्रोत, उनकी वार्षिक आय, परिवार में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की शैक्षिक योग्यता आदि के बारे में की गई हैं।

(3) प्रदत्त संग्रह— कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य सम्बन्धित विज्ञान/गणित अध्यापक तथा 5 आदिवासी और 5 सामान्य छात्रों हेतु पृच्छा प्रपत्र भरवाने तथा भौतिक सर्वेक्षण हेतु संस्थान के प्रोफेसरों को चयनित विद्यालयों में भेजा गया। 13 विद्यालयों ने इस कार्य में रुचि लेकर पृच्छा प्रपत्र भरवाया। इनमें से केवल 10 विद्यालयों में ही आदिवासी छात्र अध्ययनरत पाए गये। जिन विद्यालयों में आदिवासी छात्रों की संख्या 5 से कम थी, उनमें आदिवासी छात्रों की संख्या के बराबर संख्या में ही सामान्य छात्रों से पृच्छा प्रपत्रों का संकलन किया गया। इस प्रकार उक्त 10 विद्यालयों से पृच्छा प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है—

विद्यालयों की संख्या	(1)	(1)	(1)	(1)	(6)	योग 10
प्रधानाचार्यों के पृच्छा प्रपत्रों की सं०	(1)	(1)	(1)	(1)	1 × 6 = 6	योग 10
विज्ञान-दो/गणित के अध्यापक के पृच्छा प्रपत्रों की संख्या	(1)	(1)	(1)	(1)	1 × 6 = 6	योग 09
आदिवासी छात्रों के पृच्छा प्रपत्रों की सं०	(1)	(2)	(3)	(4)	5 × 6 = 30	योग 40
सामान्य छात्रों के पृच्छा प्रपत्रों की सं०	(1)	(2)	(3)	(4)	5 × 6 = 30	योग 40

6—प्रदत्तों का विश्लेषण तथा विवेचन—

प्राप्त पृच्छा प्रपत्रों की प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर द्वारा जो तथ्य प्रकाश में आए, उनका विश्लेषण तथा विवेचन निम्नवत् है। प्रधानाचार्यों तथा विज्ञान/गणित अध्यापकों के उत्तर बिल्कुल एक समान पाए गये।

(क) प्रधानाचार्यों/विज्ञान-दो/गणित-दो अध्यापकों के पृच्छा प्रपत्रों का विश्लेषण—

तालिका—1

1—वर्ष 1990-91 में कक्षा 10 विज्ञान वर्ग में अध्ययरत छात्रों की संख्या—

विद्यालयों की संख्या	आदिवासी छात्र	सामान्य छात्र	छात्रों की कुल संख्या
10	93	988	1081

10 विद्यालयों में अध्ययनरत आदिवासी छात्रों का प्रतिशत 8·6 प्रतिशत है, जबकि सामान्य छात्र 91·4 प्रतिशत हैं।

तालिका—2

(2) कक्षा 10 विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत छात्रों का वर्ष 1990-91 के कक्षा 9 के विज्ञान-दो तथा गणित-दो विषयों का परीक्षाफल—

विद्यालयों की संख्या	विज्ञान-दो का परीक्षाफल						गणित-दो का परीक्षाफल					
	आदिवासी छात्र			सामान्य छात्र			आदिवासी छात्र			सामान्य छात्र		
	सम्मि० सं०	उत्तीर्ण सं०	उत्तीर्ण प्रति०	सम्मि० सं०	उत्तीर्ण सं०	उत्तीर्ण प्रति०	सम्मि० सं०	उत्तीर्ण सं०	उत्तीर्ण प्रति०	सम्मि० सं०	उत्तीर्ण सं०	उत्तीर्ण प्रति०
10	92	76	85.9	1094	903	82.5	92	79	85.9	1093	883	80 8

विज्ञान-दो में आदिवासी तथा सामान्य छात्रों का परीक्षाफल क्रमशः 85.9% तथा 82.5% है और गणित दो में परीक्षाफल क्रमशः 85.9% तथा 80.8% है।

तालिका—3

3—छात्रों के परिवार की आर्थिक स्थिति का विवरण—

वार्षिक आय रु० में	विद्यालयों की संख्या						
	आदिवासी छात्रों का अनुमानित प्रतिशत		सामान्य छात्रों का अनुमानित प्रतिशत				
	01%-10%	91%-100%	00%-20%	21%-40%	41%-60%	61%-80%	81%-100%
6000 तक	×	10	05	03	02	×	×
6000-12000	02	×	01	04	04	×	01
12000-20000	×	×	07	02	01	×	×
20000 से अधिक	×	×	10	×	×	×	×

10 विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकांश आदिवासी छात्रों के परिवार की वार्षिक आय रु० 6000-00 तक है, जबकि सामान्य छात्रों के परिवारों की वार्षिक आय 6000 से 12000,120000 से 20000 तथा 20000 से अधिक सभी आय वर्गों में है।

तालिका—4

4—विज्ञान दो/गणित-दो विषयों में छात्रों की अभिरूचि—

विद्यालयों की संख्या	आदिवासी छात्रों की अभिरूचि			सामान्य छात्रों की अभिरूचि		
	पर्याप्त	सामान्य	न्यून	पर्याप्त	सामान्य	न्यून
10	01	03	06	05	05	×

आदिवासी छात्रों की विज्ञान-दो/गणित-दो विषयों में अभिरूचि 10% विद्यालयों में पर्याप्त 30% विद्यालयों में सामान्य तथा 60% विद्यालयों में न्यून है। सामान्य छात्रों की इन्हीं विषयों में अभिरूचि पर्याप्त, सामान्य तथा न्यून क्रमश 50% 50% विद्यालयों में है।

तालिका—5

5—छात्रों की अभिरूचि विज्ञान-दो/गणित विषयों में न होने पर भी उनके अभिभावकों द्वारा उन्हें उन विषयों को पढ़ने के लिए बाध्य किये जाने की स्थिति—

विद्यालयों की संख्या – 10

	विद्यालयों की सं० जहाँ बाध्य किया जाता है।	विद्यालयों की सं० जहाँ बाध्य नहीं किया जाता
आदिवासी छात्रों को	07	03
सामान्य छात्रों को	08	02

07 विद्यालयों के आदिवासी छात्रों तथा 08 विद्यालयों के सामान्य छात्रों को उक्त विषयों में अभिरुचि न होने पर भी उनके अभिभावक उक्त विषय पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं।

तालिका –6

6—वर्ष 1990-91 में हाईस्कूल की परिषदीय परीक्षा में छात्रों का विज्ञान-दो/गणित-दो विषयों में उपलब्धियों का विवरण—

विद्यालयों की संख्या –10

	विज्ञान-दो					गणित-दो				
	पंजीकृत	सम्मि०	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	वि०शे०यो०	पंजीकृत	सम्मि०	उ०	उ०	वि०शे०यो०
आदिवासी छात्रों की संख्या	77	73	61	83.6	00	77	73	54	73.8	00
सामान्य छात्रों की संख्या	945	935	774	82.8	46	945	935	7[illegible]7	79.1	37

आदिवासी छात्रों का विज्ञान-दो तथा गणित-दो विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 83.6% तथा 73% है, जब कि सामान्य छात्रों का इन्हीं विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 82.8% तथा 79% है।

पुनः तालिका से स्पष्ट है कि आदिवासी छात्र उक्त किसी भी विषय मे विशेष योग्यता नहीं रखते, जबकि सामान्य छात्र दोनों विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त किये हैं।

तालिका—7

7—छात्रों को अभिभावकों द्वारा उनसे पठन पाठन से अधिक अपने पेशे में संलग्न किए रहना—

विद्यालयों की संख्या—11

	विद्यालयों की संख्या		कितने समय तक संलग्न रखते हैं
	संलग्न किये रहते है	संलग्न नहीं रखते	
आदिवासी छात्र	05	05	4 से 6 घण्टे तक
सामान्य छात्र	04	06	2 से 7 घण्टे तक

05 विद्यालयों में अध्ययनरत आदिवासी छात्रों के अभिभावक उन्हें अपने पेशे में 4 से 6 घण्टे तक संलग्न रखते हैं। 04 (40%) विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य छात्रों को अभिभावक के पेशे में 2 से 7 घण्टे तक व्यस्त रहना पड़ता है।

तालिका—8

8—आदिवासी छात्रों को भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रशासन द्वारा प्रदत्त सुविधायें—

	शुल्क	छात्रवृत्ति	पुस्तकीय	अन्य
विद्यालय	10	09	01	00

सभी 10 विद्यालयों के आदिवासी छात्रों को शुल्क, 09 विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा 01 विद्यालयों में आदिवासी छात्रों को पुस्तकीय सुविधाएं उपलब्ध है। अन्य कोई सुविधा नहीं दी जाती।

तालिका—9

(9) आदिवासी छात्रों को प्राप्त सुविधाओं तथा उनके पठन-पाठन में होने वाले व्यय की स्थिति—

पर्याप्त है—	03	विद्यालयों के छात्रों को
पर्याप्त नहीं है	07	विद्यालयों के छात्रों को

70% विद्यालयों के आदिवासी छात्रों को जो सुविधायें उपलब्ध है, उनके पठन-पाठन में होने वाले व्यय के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल 30% विद्यालयों के छात्रों के लिए पर्याप्त है।

तालिका—10

10—उपलब्ध सुविधाओं से आदिवासी छात्रों को प्रोत्साहन—

पूर्ण रूपेण प्रोत्साहन होते है—	07 विद्यालयों के आदिवासी छात्र
आंशिक रूप से	01 " " "
आंशिक रूप से नहीं " "	01 " " "
कोई आख्या नहीं— " "	01 विद्यालय से

70% विद्यालयों के आदिवासी छात्र प्रोत्साहित होकर पठन-पाठन में अधिक रूचि लेते हैं।

तालिका—11

11—अनुर्तीण हो जाने पर प्राप्त सुविधाओं से आदिवासी छात्रों को वंचित कर दिया जाता है या नहीं—

वंचित हो जाते हैं—	सभी 10 विद्यालयों के छात्र

अनुर्तीण हो जाने पर आदिवासी छात्र प्राप्त सभी सुविधाओं से वंचित कर दिए जाते हैं।

तालिका—12

12—कक्षा 10 विज्ञान-दो/गणित-दो विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या तथा छात्र संख्या की तुलनात्मक विवरण—

छात्र संख्या	50—100				101—150		151—200	
विद्यालयों की संख्या	01	03	01	01	01	01	01	01
विज्ञान-दो/गणित-दो अध्यापकों की संख्या	01	02	03	04	05	02	03	04

तालिका से स्पष्ट है कि छात्र संख्या समान होने पर भी विद्यालयों में विज्ञान-दो/गणित-दो अध्यापकों की की संख्याएँ भिन्नता है।

तालिका —13

13—विज्ञान/गणित शिक्षण हेतु विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ —

सुविधाएँ	विद्यालयों की संख्या जिनमें सुविधाएँ		कमी है
	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं है ।	
व्याख्यान कक्षा	08	02	×
विज्ञान प्रयोगशाला	10	×	×
जीव-विज्ञान प्रयोगशाला	09	01	×
प्रयोगशाला में उपलब्ध उप०	08	01	01
पुस्तकालय में विज्ञान/गणित जीव-विज्ञान की पुस्तकें	07	03	×

80% विद्यालयों में व्याख्यान का 100% में विज्ञान और जीव-विज्ञान की प्रयोगशालाएं और 80% में प्रयोगशालाओं में उपकरण आदि सामग्री हैं। 70% विद्यालयों के पुस्तकालयों में विज्ञान/गणित की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं।

तालिका—14

14—वर्ष 1989-90 तथा 1990-1991 में जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी तथा विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभागिता—

	विद्यालयों की संख्या जहाँ के छात्रों ने प्रतिभाग	
	किया	नहीं किया
आदिवासी	शून्य	10
सामान्य	03	07

विज्ञान प्रदर्शनी/विज्ञान संगोष्ठी में किसी भी विद्यालय का कोई आदिवासी छात्र भाग नहीं लेता। तीन विद्यालयों के सामान्य छात्रों ने प्रतिभाग किया।

(ख, छात्रों (आदिवासी तथा सामान्य) के पृच्छा प्रपत्रों का विश्लेषण —

10 विद्यालयों के 40 आदिवासी तथा 40 सामान्य छात्रों द्वारा पूरित पृच्छा प्रपत्रों के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनका विश्लेषण निम्नवत् है—

तालिका—1

(1) घर से विद्यालय की दूरी—

	पैदल			सायकिल से			बस/अन्य साधनों से		
दूरी किमी० में	0–3	3–6	6–10	1–10	11–20	21–30	5–20	21–30	31–50
आदिवासी छात्रों की संख्या	14	02	02	08	06	01	02	01	04
सामान्य छात्रों की संख्या—	21	03	00	05	02	00	08	00	01

6 से 10 किमी० पैदल आने वाले 5% आदिवासी छात्र तथा 0% सामान्य छात्र हैं 21 से 30 किमी० सायकिल से आने वाले 2·5% आदिवासी तथा 0% सामान्य छात्र है। 31 से 50 किमी बस/अन्य साधनों से आने वाले आदिवासी तथा सामान्य छात्र है। 31 से 50 किमी बस/अन्य साधनों से आने वाले आदिवासी तथा सामान्य छात्र क्रमशः 10% तथा 2-5% हैं।

तालिका—2

(2) परिवार के सदस्यों की संख्या तथा उनमें साक्षर/शिक्षित सदस्यों का विवरण—

	40 परिवारों के कुल सदस्य	साक्षर	कक्षा 8 तक शिक्षित	कक्षा 10 शि०	इन्टर तथा उ० शि० प्राप्त	साक्षर/शिक्षित योग
आदिवासी	436	118	42	46	17	223
सामान्य	292	69	47	47	40	203

आदिवासी छात्रों के परिवारों में शिक्षितों का प्रतिशत सामान्य छात्रों के परिवारों से कम है। साक्षर तथा शिक्षितों का कुल प्रतिशत आदिवासी सदस्यों का 46.6% तथा सामान्य का 69.5% है।

तालिका—3

3—परिवार में शिक्षा ग्रहण करने वालों का विवरण—

	भाई	बहन	अन्य	योग
आदिवासी छात्र	74	22	03	99
सामान्य छात्र	73	34	04	111

तालिका से स्पष्ट है कि 40 आदिवासी छात्रों के परिवारों में 22 लड़कियाँ (बहनें) पढ़ती है जबकि उतने ही सामान्य छात्रों के परिवार में 34 लड़कियाँ पढ़ती हैं। शिक्षण ग्रहण करने वाले भाई तथा अन्य सदस्यों की संख्या दोनों वर्गों के छात्रों के परिवारों में लगभग समान है।

तालिका—4

4—अभिभावकों के आय का स्रोत—

	अभिभावकों की पेशेवार संख्या			
पेशा	मजदूरी	कृषि	नौकरी	अन्य व्यवसाय
आदिवासी	13	20	06	01
सामान्य	05	14	18	03

आदिवासी छात्रों के अभिभावक मुख्यत: मजदूरी और कृषि पर निर्भर है केवल 15% अभिभावक नौकरी करते हैं तथा 2.5% के अभिभावक अन्य व्यवसायों से जुड़े हैं। सामान्य छात्रों के अभिभावक सबसे अधिक नौकरी, उसके बाद कृषि द्वारा धनोपार्जन करते हैं। मजदूरी करने वाले कम है। अन्य व्यवसायों में इनका प्रतिशत आदिवासी छात्रों से अधिक है।

तालिका—5

5—अभिभावकों की वार्षिक आय—

	छात्रों की संख्या जिनके अभिभावकों की आय			
आय रु० में	6000 से कम	6000 से 12000 तक	12000 से 20000 तक	20000 से अधिक
आदिनासी-छात्र	32	08	00	00
सामान्य छात्र	18	06	06	10

80% आदिवासी छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय रु० 6000 से कम है जबकि इस आय वर्ग में 45% सामान्य छात्रों के अभिभावक आते हैं। रु० 6000 से 20000 तथा 20000 से अधिक आय वर्ग में आदिवासी छात्रों के अभिभावक नहीं है जबकि सामान्य छात्रों के अभिभावक इस वर्ग में है 16000 से 12000 आय वर्ग में 20% आदिवासी तथा 15% सामान्य छात्रों के अभिभावक हैं।

तालिका—6

6—छात्रों को प्राप्त सुविधाएँ—

प्राप्त सुविधाएँ	शुल्क	छात्रवृत्ति	पुस्तकीय	अन्य
आदिवासी छात्र	40	38	00	00
सामान्य छात्र	28	06	00	00

शुल्क तथा छात्रवृत्ति की सुविधाएँ दोनों वर्ग के छात्रों को उपलब्ध हैं। उक्त दोनों सुविधाएँ क्रमशः 100%, 95% आदिवासी तथा 70%, 15% सामान्य छात्रों को उपलब्ध है। पुस्तकीय सहायता किसी को प्राप्त नहीं है।

तालिका 7

7 – पठन-पाठन के अतिरिक्त छात्रों को उनके अभिभावकों द्वारा धनोपार्जन के लिए अन्य कार्यों में संलग्न किये रखने की स्थिति—

	संलग्न किये रहते हैं	नहीं संलग्न करते हैं
आदिवासी छात्रों की सं०	13	27
सामान्य छात्रों की सं०	12	28

दोनों वर्ग के छात्र बराबर संख्या में अपने अभिभावकों को धनोपार्जन के कार्यों में सहयोग देते हैं।

तालिका - 8

8—पठन-पाठन के लिए पुस्तक कापी तथा अन्य स्टेशनरी हेतु घर से पर्याप्त धन उपलब्ध होने की स्थिति—

	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध होने की स्थित में पुस्तिका साधन
आदिवासी छात्रों की संख्या	21	19	8 छात्र मजदूरी, 02 सहपाठियों से, 2 कृषि, 03 बचत 04 अन्य विधि
सामान्य छात्रों की सं०	34	06	02 छात्र मजदूरी, 01 सहपाठियों से, 03 बचत द्वारा

47.5% आदिवासी छात्रों को कापियाँ, स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए घर से पर्याप्त धन नहीं मिल पाता। उनमें से 40% मजदूरी करके अपना कार्य चलाते हैं। 15% सामान्य छात्रों को पर्याप्त धन नहीं मिलता।

तालिका—9

9 – विज्ञान-दो/गणित-दो विषयों में अभिरुचि—

	अभिरुचि है	अभिरुचि नहीं है
आदिवासी छात्रों की सं०	38	02
सामान्य छात्रों की सं०	40	00

सम्बन्धित विषयों में 95% आदिवासी छात्रों की अभिरुचि है जबकि 5% छात्र रुचि नहीं रखते और सभी सामान्य छात्रों की उक्त विषयों में अभिरुचि है।

तालिका—10

10—विज्ञान-दो/गणित दो विषयों के समझ में आने की स्थिति तथा न समझ में आने पर शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त समय देने की स्थिति का विवरण—

	समझ में आता		न समझ में आने पर शिक्षक समय देते	
	है	नहीं	है	नहीं
आदिवासी छात्र सं०	23	17	01	16
सामान्य छात्र सं०	37	03	03	00

17 आदिवासी छात्रों को सन्दर्भित विषय समझ में नहीं आते इनमें से केवल 6.3% छात्रों को शिक्षक अतिरिक्त समय देते हैं।

03 सामान्य छात्रों को उक्त विषय समझ में नहीं आते। इनमें से सभी को (100%) छात्रों को शिक्षक अतिरिक्त समय देते है।

तालिका—11

11—अध्ययन के पश्चात छात्रों का इच्छित व्यवसाय—

	अधिकारी/प्रशासक पुलिस अधिकारी	डाक्टर/ इन्जीनियर	अध्यापक	अन्य नौकरी	कृषि/वकील अन्य व्यवसाय
आदिवासी छात्र सं०	03	14	00	20	03
सामान्य छात्र सं०	02	21	02	14	01

तालिका से स्पष्ट है कि दोनों वर्ग के 35% एवं 52.5% छात्र डाक्टर/इन्जीनियर बनने के इच्छुक है अथवा अन्य नौकरियों में जाना चाहते हैं। छात्रों में अध्यापक बनने की इच्छा बहुत कम की है। वह भी केवल 5% सामान्य छात्रों की।

तालिका—12

12—छात्रों के प्रति सहपाठियों और शिक्षकों का व्यवहार—

	सहपाठियों का व्यवहार				शिक्षकों का व्यवहार			
	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	घृणास्पद	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	घृणास्पद
आदिवासी छात्र सं०	14	11	15	00	13	10	17	00
सामान्य छात्र सं०	15	19	06	01	16	17	07	00

सहपाठियों तथा शिक्षकों दोनों का व्यवहार 33% आदिवासी छात्रों तथा 37.5% सामान्य छात्रों के साथ बहुत अच्छा हैं। और 44% आदिवासी एवं 17.5% सामान्य छात्रों के साथ शिक्षकों का व्यवहार सामान्य है।

प्रदत्त संग्रह से प्राप्त निष्कर्ष/परिकल्पना का सत्यापन—

(क) प्रधानाचार्यों/विज्ञान-दो/गणित-दो अध्यापकों के पृच्छा प्रपत्रों से निम्नांकित बिन्दु उभर कर सामने आते हैं :—

1—वर्ष 1991 में विज्ञान वर्ग के कक्षा 10 में अध्ययनरत 10 विद्यालयों में आदिवासी छात्रों का प्रतिशता मात्र 8.6% था जबकि सामान्य छात्रों की संख्या 91.4% रही। स्पष्ट है कि आदिवासी अभिभावक अपने पाल्यों को विद्यालय में अध्ययन हेतु भेजने में बहुत कम रुचि लेते हैं।

2—आदिवासी छात्रों के 91%--100% अभिभावकों की वार्षिक आय रु० 6000 से कम है। 1%--10% अभिभावकों की आय रु० 6000--12000 तक है। सामान्य छात्रों के अभिभावकों की आय रु० 6000 से कम, 6000 से 12000, 12000--20000 तथा 20000 से अधिक सभी आयु वर्गों में हैं। स्पष्ट है कि आदिवासी छात्रों के परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य छात्रों की अपेक्षा दयनीय है।

3—विज्ञान-दो/गणित-दो विषयो में आदिवासी छात्रों की अभिरुचि सामान्य छात्रों की अपेक्षा कम है।

4—दोनों ही वर्गों के 70%—80% छात्रों को उनके अभिभावक विज्ञान-दो/गणित-दो विषयों में अभिरुचि न होने पर भी उन्हें उक्त विषय पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं।

5—विज्ञान-दो/गणित-दो विषयों में दोनो वर्गों के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत समान है परन्तु सामान्य छात्रो का गुणात्मक स्तर अपेक्षाकृत अधिक ऊँचा हैं।

6—सभी आदिवासी छात्रों को शुल्क और छात्रवृत्ति की सुविधाएँ प्राप्त है और को सामान्य छात्रों की उक्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अनुत्तीर्ण हो जाने पर छात्र उक्त सुविधाओं से वंचित कर दिए जाते है।

7—70% विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के पठन-पाठन में उन्हें प्राप्त सुविधाएँ पर्याप्त नहीं है।

8—उपलब्ध सुविधाओं से आदिवासी छात्र पठन-पाठन के प्रति अधिक प्रोत्साहित होते हैं।

(9) 70—100% विद्यालय में विज्ञान तथा जीव-विज्ञान की प्रयोगशालाएं, उनमें उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध हैं। पुस्तकालयों में विज्ञान, गणित तथा जीव-विज्ञान की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं।

(10) विभिन्न विद्यालयों में विज्ञान-दो/गणित-दो में समान छात्र संख्या पर उक्त विषयों के अध्यापकों की संख्या में भिन्नता है।

(11) 7.5% विद्यालयों के छात्र ही विज्ञान संगोष्ठी/विज्ञान प्रदर्शनी में केवल सामान्य छात्र प्रतिभाग करते हैं।

सुझाव—

(1) आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के अध्ययन हेतु प्रत्येक आदिवासी ब्लाक में एक विज्ञान वर्ग में मान्यता प्राप्त हाई स्कूल होना आवश्यक है।

(2) छात्रों का अभिरूचि परीक्षण करवाकर उन्हें विज्ञान और गणित के विषय दिए जाने चाहिए।

(3) आदिवासी छात्रों को विज्ञान और गणित विषयों में गुणात्मक सुधार हेतु अलग से विशेष कोचिंग की व्यवस्था आवश्यक हैं।

(4) आदिवासी जातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु उन क्षेत्रों में शिक्षा शिविर लगाया जाना चाहिए।

(5) आदिवासी छात्रों हेतु आदिवासी छात्रावास होने चाहिए जिसमें उन्हें निःशुल्क रहने तथा भोजन की व्यवस्था हो।

(6) आदिवासी छात्रों को पुस्तकीय सहायता दी जानी चाहिए ।

(7) विज्ञान संगोष्ठी/विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने के लिए दोनों वर्गों के छात्रों को सम्बन्धित प्रधानाचार्य/विज्ञान अध्यापकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(8) सामान्य छात्रों की भाँति आदिवासी छात्रों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए ।

(9) जिन विद्यालयों में मानक से अधिक अध्यापक है, उनके अध्यापकों को कम अध्यापक वाले विद्यालयों में समायोजित किया जाना चाहिए ।

(ख) *आदिवासी तथा सामान्य छात्रों से प्राप्त पृच्छा प्रपत्रों के* निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं—

(1) 5% आदिवासी छात्र 6 से 10 किमी पैदल चलकर तथा 2.5% 21 से 30 किमी सायकिल द्वारा विद्यालय पहुँचते हैं । 10% आदिवासी छात्र 31 से 50 किमी बस/अन्य साधनों से चलकर विद्यालय आते हैं जबकि सामान्य छात्रों का प्रतिशत उक्त दूरी और साधन क्रमश; 0%,0% तथा 2.5% है ।

(2) आदिवासी छात्रों के परिवारों में 27% साक्षर तथा 24.18 शिक्षित सदस्य हैं जब कि सामान्य छात्रों के परिवारों में साक्षर तथा शिक्षित सदस्यों के प्रतिशत क्रमशः 23.6% तथा 45.9% है इण्टर और उच्च शिक्षा प्राप्त सदस्यों का प्रतिशत मात्र 3.9% है। सामान्य छात्रों के परिवार के 13.7% सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त हैं ।

(3) 80% आदिवासी अभिभावकों की वार्षिक आय रु० 6000 से कम है अर्थात वे गरीबी का सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है ।

(4) आदिवासी परिवारों में लड़कियों की शिक्षा पर सामान्य की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है ।

(5) आदिवासी अभिभावकों के आय के प्रमुख स्रोत कृषि तथा मजदूरी है, जबकि सामान्य अभिभावकों के आय का स्रोत प्रमुखतः नौकरी तथा कृषि है ।

(6) 100% आदिवासी छात्रों को शुल्क की सुविधा तथा 95% को छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त है, जबकि सामान्य छात्रों हेतु यह सुविधायें क्रमशः 28% और 15% है अन्य सुविधाएँ किसी को भी नहीं उपलब्ध हैं ।

(7) 47.5% आदिवासी छात्रों तथा 15% सामान्य छात्रों को कापियाँ, स्टेशनरी आदि के लिए घर से पर्याप्त धन नहीं मिल पाता । वे मजदूरी, सहपाठियों आदि से इसकी पूर्ति का प्रयास करते हैं ।

(8) 100% आदिवासी तथा सामान्य दोनों वर्ग के छात्र विज्ञान-दो/गणित-दो विषय में अभिरूचि रखते हैं।

(9) 42.5% आदिवासी तथा 7.5% सामान्य छात्रों को विज्ञान-दो/गणित-दो विषय समझ में नहीं आते व समझने वाले छात्रों में से 100% सामान्य छात्रों को शिक्षक अतिरिक्त समय देते है, जबकि 6.3% को आदिवासी छात्रों को ही अतिरिक्त समय देते हैं।

(10) 35% आदिवासी तथा 52% सामान्य छात्र अध्ययन के पश्चात डाक्टर/इन्जीनियर बनने की इच्छा रखते हैं। केवल 5% सामान्य छात्र अध्यापक बनना चाहते है। कोई भी आदिवासी छात्र अध्यापक नहीं बनना चाहता।

(11) सहपाठियों तथा शिक्षकों का व्यवहार सामान्य छात्रों के प्रति अच्छा होता है जबकि आदिवासी छात्रों के साथ उतना अच्छा नहीं होता हैं।

23

शैक्षिक दूरदर्शन के विज्ञान विषयों के कार्यक्रमों के विषय–वस्तु का प्रस्तुति की दृष्टि से मूल्यांकन

1 पृष्ठभूमि—

विज्ञान विषय को अधिक रूचिकर बनाने हेतु कक्षा में पढ़ाये गये पाठों के संबोधों का संचार दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है। कक्षा में बच्चों को उनके पाठों से सम्बन्धित संबोधों के कैसेट को दिखाया जाता है जिससे कठिन सम्बोध छात्रों को सरलता पूर्वक समझ में आ जाता है तथा विज्ञान विषय के अध्ययन में उनकी रूचि बढ़ती है। इन संबोधों के विषय-वस्तु की गुणवत्ता तथा प्रभावकारिता की दृष्टि से मूल्यांकन करने की आवश्यकता समझी गयी।

2—उद्देश्य—

(1) प्रसारित किये जाने वाले पाठों की गुणवत्ता का पता लगाना।

(2) कमियों का पता लगा कर उपयुक्त सुझाव देना तथा अधिक प्रभावकारी बनाने के उपायों से अवगत कराना।

3—परिकल्पना—

तकनीकी संस्थान, लखनऊ द्वारा तैयार किए गये विज्ञान पाठों का प्रसारण किया जाता है। विज्ञान के पाठों को तैयार करने तथा उसका प्रसारण करने में कुछ कठिनाइयाँ भी होती होंगी।

4—परिसीमन—

(क) तकनीकी संस्थान, लखनऊ द्वारा तैयार किए गये कैसेट जिज्ञासा भाग—1,2 तथा 3 (एल० एन० 233) जिसका समय 60 मिनट का है, तथा कैसेट संख्या एल० एन० 152 समय 60 मिनट का प्रस्तुति की दृष्टि से मूल्यांकन।

अवधि-जुलाई 1991 से दिसम्बर 91 तक।

5—कार्य विधि—

(क) प्रतिदर्श का चयन—विज्ञान विषय के, विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किये गया कैसेटों का विवरण निम्नवत् है—

कैसेट संख्या एल० एन० नं० 233-समय 60 मिनट

(अ) जिज्ञासा भाग–1 प्रयोगों की संख्या–3

(ब) जिज्ञासा भाग-2 प्रयोगों की संख्या-3

(स) जिज्ञासा भाग-3 प्रयोगों की संख्या-2

कैसेट संख्या नं० 152 समय 60 मिनट

प्रयोग 3, 4, 5, 6 कुल 4 प्रयोग

उक्त 12 प्रयोगों का मूल्यांकन किया गया।

(ख) विज्ञान संस्थान द्वारा निर्मित मूल्यांकन पृच्छा-प्रपत्र को उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया। पृच्छा-प्रपत्र की एक प्रति संलग्न की गयी है जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित है—

(1) पाठ के सम्बोध को बोधगम्य बनाने में प्रयोग कहाँ तक सहायक है।

(2) भाषा तथा प्रयोग प्रदर्शन की विधा कितनी प्रभावकारी है।

(3) बच्चों के लिए प्रयोग कितना रूचिकर तथा उपयोगी है।

(4) प्रयोग में कमियाँ।

6—प्रदत्त संग्रह—

पृच्छा प्रपत्र के माध्यम से विज्ञान विषय के पाठों पर आधारित प्रयोगों के प्रसारण तथा प्रभावकारिता के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई।

7—प्रदत्त विश्लेषण—

सारणी—1

प्रयोग में भाषा तथा उचित शब्दों का प्रयोग—

उचित शब्दों का	प्रयोग की सं०	उपयुक्त	आंशिक रूप से	बिल्कुल नहीं
12	12	10	2	—
भाषा का प्रयोग	12	12	—	—

83%3% प्रयोगों में उचित शब्दों का प्रयोग किया गया तथा 100% भाषा उपयुक्त थी।

सारणी—2

प्रयोग का प्रदर्शन

कैसेट का विवरण	प्रयोग की सं०	अति उत्तम	उत्तम	साधारण	अति साधारण
जिज्ञासा भाग-1	3	—	3	—	—
जिज्ञासा भाग-2	3	1	2	—	—
जिज्ञासा भाग-3	2	—	2	—	—
एल० एन० नं० 152	4	—	1	2	1
कुल संख्या	12	1	8	2	1

66.7% प्रयोगों का प्रदर्शन उत्तम, तथा 8.3% अति उत्तम है 25% प्रयोगों का प्रदर्शन साधारण है।

सारणी--3

बच्चों की सहभागिता

प्रयोग की कुल सं०	पूर्ण सहभागिता	आंशिक रूप	बिल्कुल नहीं
12	4	1	7

58.3% प्रयोगों में सहभागिता बिल्कुल नहीं थी।

सारणी—4

प्रयोगों का विवरण

प्रयोगों की कुल सं०	स्पष्ट दिया	आंशिक रूप से स्पष्ट रहा	बिल्कुल स्पष्ट नहीं था
12	9	3	—

75% प्रयोगों में विवरण स्पष्ट दिया गया।

सारणी—5

प्रयोगों का निष्कर्ष

प्रयोगों की कुल सं०	स्पष्ट निष्कर्ष	निष्कर्ष आंशिक रूप से स्पष्ट	निष्कर्ष स्पष्ट नहीं हुआ
12	9	3	—

75% प्रयोगों का निष्कर्ष स्पष्ट है।

सारणी—6

पाठ के संबोध को बोधगम्य बनाने में सहायक

प्रयोगों की कुल सं०	पूर्ण रूप से	आंशिक रूप से	बिल्कुल सहायक नहीं
12	10	2	—

83.3% प्रयोग संबोध को पूर्ण रूप से बोधगम्य बनाने में सहायक सिद्ध हुए।

सारणी—7

प्रयोग बच्चों के लिए किसी सीमा तक उपयोगी है

प्रयोग की कुल सं०	पूर्ण रूप से	आंशिक रूप से	बिल्कुल उपयोगी नहीं
12	10	2	—

83.3% प्रयोग बच्चों के लिए पूर्ण उपयोगी है।

8—**निष्कर्ष**—

विश्लेषण के निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आते है—

1 रसायन विज्ञान सम्बन्धी पाठों में कमियाँ अधिक समझ में आई, निष्कर्ष स्पष्ट नहीं हो पाया जैसे

जिज्ञासा भाग-1 में मोमबत्ती में मोमबत्ती बुझने का कारण आक्सीजन का जम जाना बताया गया जब कि आक्सीजन वस्तुओं को जलाने में होती है। मोमबत्ती क्यों बुझ जाती है, पानी जार में ऊपर क्यों चढ़ जाता है यह स्पष्ट विवरण द्वारा समझाया नहीं गया। प्रयोग को प्रदर्शित करने में भी कमियाँ पाई गई, मोमबत्ती छोटी ली गई जिससे वह पानी चढ़ते ही डूब गई। जार में पानी आसानी से नहीं चढ़ा, जार को उठाया गया।

(2) पोटेशियम परमैनगनेट के विलियन का रंग प्रयोग में बैंगनी दिखाई दे रहा था जबकि रंग लाल बताया गया। विवरण उपयुक्त नहीं था। प्रयोग 3 में धारामापी के विषय में बताते समय विवरण स्पष्ट नहीं दिया गया जैसे धारा कहाँ से उत्पन्न हुई, कार्बन-डाई आक्साइड गैस के विषय में यहाँ कहना उचित नहीं था।

(4) हवा दाब डालती है इस प्रयोग में भी स्पष्ट विवरण की कमी रही।

(5) "यूरेका" शब्द का अर्थ बताते समय केवल एक बार हीं पा-लिया कहना पर्याप्त था।

(6) पोटेशियम परमैनगनेट तथा फेरससल्फेट की अभिक्रिया के फलस्वरूप मैगनीज सल्फेट बनता है। विवरण देते समय मैगनीशियम सल्फेट कहा गया, जो कदापि उचित नहीं था।

9—सुझाव—

प्रस्तुति की दृष्टि से कुछ सामान्य सुझाव इस प्रकार है—

(1) कार्य आरम्भ करने से पूर्व बच्चों का परिचय आवश्यक प्रतीत होता है।

(2) बच्चों का टोली का नाम भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखना अधिक प्रभावकारी होता।

(3) प्रयोग किस पाठ से संबन्धित है यह प्रत्येक को दिखाने के बाद बताना चाहिए था।

(4) संबन्धित पाठ पर थोड़ा कथन देने पर अधिक प्रभावपूर्ण हो सकता था।

(5) कहीं-कहीं भाषा स्पष्ट नहीं थी, प्रसारण में आवाज भी स्पष्ट नहीं थी, सुधार की आवश्यकता है।

(6) बच्चों की सहभागिता अधिक होनी चाहिए थी।

प्रयोग से संबन्धित सुझाव—

उपर्युक्त कमियों को देखते हुए रसायन के पाठों में सुधार की आवश्यकता है। भौतिक विज्ञान के प्रयोगों में भी उक्त के अनुसार सुधार लाना समीचीन प्रतीत होता है।

स्पष्ट भाषण, उपयुक्त आवाज तथा ध्वनि में सुधार ला कर कैसेट को और अच्छा बनाया जा सकता है।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद

पृच्छा प्रपत्र—शोध अध्ययन

विषय—विज्ञान सम्बन्धी पाठों के कैसेट का मूल्यांकन

कैसेट— जिज्ञासा भाग—13, 14, 15, 16

बहु उद्देशीय पम्प—हवा दाब डालती है

(1)	प्रयोग संख्या	————————————
(2)	प्रयोग किस कक्षा से सम्बन्धित है	————————————
(3)	प्रयोग किस पाठ से सम्बन्धित है ?	————————————
(4)	प्रयोग का प्रदर्शन—	अति उत्तम————————
		उत्तम————————
		साधारण————————
		अति साधारण————————
		असंतोषजनक————————
(5)	प्रयोग में भाषा का प्रयोग	उपयुक्त————————
		आंशिक रूप से उपयुक्त————————
		उपयुक्त नहीं है————————
(6)	प्रयोग में उचित शब्दों का प्रयोग—	पूर्ण रूप से किया————————
		आंशिक रूप से किया————————
		बिल्कुल नहीं किया————————
(7)	प्रयोग करते समय बच्चों की सहभागिता	पूर्ण रूप से लिया————————
		आंशिक रूप से लिया————————
		बिल्कुल नहीं लिया————————

(8) प्रयोग का विवरण

स्पष्ट दिया गया————————————

आंशिक रूप से स्पष्ट————————————

बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ————————————

(9) प्रयोग का निष्कर्ष

स्पष्ट हो गया————————————

आंशिक रूप से स्पष्ट————————————

बिल्कुल स्पष्ट नहीं————————————

(10) प्रयोग पाठ के संबोध को बोधगम्य बनाने में कहाँ तक सहायक है ?

पूर्ण रूप से सहायक————————————

आंशिक रूप से सहायक————————————

बिल्कुल सहायक नहीं————————————

(11) प्रयोग बच्चों के लिए किस सीमा तक उपयोगी है ?

पूर्ण रूप से उपयोगी————————————

आंशिक रूप से उपयोगी————————————

बिल्कुल उपयोग नहीं————————————

(12) प्रयोग में क्या कमियाँ हैं ?

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

(13) सुधार के सुझाव

————————————

————————————

————————————

————————————

टिप्पणी—कैसेट के सभी प्रयोगों के देखने के पश्चात सामान्य रूप से जो कमियाँ आपको दिखाई दी वह क्रमांकवार लिखें ।

(14) सामान्य कमियाँ—

[1] ———————————————————

[2] ———————————————————

[3] ———————————————————

[4] ———————————————————

[5] ———————————————————

[6] ———————————————————

[7] ———————————————————

[8] ———————————————————

[9] ———————————————————

[10] ———————————————————

(15) सुधार के सुझाव—

[1] ———————————————————

[2] ———————————————————

[3] ———————————————————

[4] ———————————————————

[5] ———————————————————

[6] ———————————————————

[7] ———————————————————

[8] ———————————————————

[9] ———————————————————

[10] ———————————————————

संयोजक का नाम

(श्रीमती) चित्रा श्रीवास्तव

पद—प्रोफेसर

प्रतिभागी का नाम———————————

पद———————————

संस्था/विद्यालय———————————

दिनांक———————————

24

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टर परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित के प्रश्न-पत्रों के इंजीनियरिंग कालेजों की प्रवेश परीक्षा हेतु इन विषयों के प्रश्न-पत्रों से Difficulty value की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन

पृष्ठभूमि—

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में उत्तर प्रदेश के इन्टर विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण छात्र कम संख्या में प्रवेश पाने में सफल हो पाते हैं। अतः विज्ञान पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर टेस्ट आइटम के (कठिनता स्तर) का पता लगाना आवश्यक है। जिससे छात्रों का ध्यान उनकी ओर दिलाया जा सकें और सफलता की ओर उन्हें उन्मुख किया जा सके।

उद्देश्य—

इन्जीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों के प्रश्न पत्रों के स्तरों का अध्ययन तथा उनका इन्टर स्तर के पाठ्यक्रम से तुलना करना। इन प्रश्नों के टेस्ट आइटम के कठिनता के स्तर को ज्ञान करना।

रिकल्पना—

इन्जीनियरिंग कालेजों के विभिन्न प्रवेश प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा उत्तर प्रदेश के यू०पी० बोर्ड के पूछे जाने वाले प्रश्नों को रूप तथा कठिनता स्तर में भिन्नता है। इसकी जानकारी होने पर उत्तर प्रदेश के छात्र लाभान्वित हो सकेंगें।

परिसीमन—

यह शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के इन्टर के भौतिकी रसायन तथा गणित

विषयों के प्रश्न पत्रों तथा रुड़की मोती ला आई० आई० टी० कानपुर में प्रवेश परीक्षा के विगत तीन वर्षों के प्रश्न पत्रों के कठिनता स्तर के विश्लेषण तक सीमित है ।

अवधि—जुलाई से दिसम्बर 91 तक ।

कार्य विधि—

प्रतिदर्श का चयन—माध्यमिक शिक्षा परिषद के भौतिकी, रसायन तथा गणित विषय का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र तथा रुड़की, मोतीलाल, आई० आई० टी० के प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्रों को प्राप्त कर अध्ययन करना ।

उपकरण—

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का भौतिकी, रसायन, गणित विषयों का पाठ्यक्रम एवं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ।

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा रुड़की, मोती लाल, आई० आई० टी० के इन्हीं विषयों के पाठ्यक्रम तथा प्रश्न-पत्र ।

प्रदत्त संग्रह—

(1) सर्व प्रथम प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद, रुड़की, मोती लाल, आई० आई० टी० संस्थाओं के विगत 3 वर्षों के भौतिकी, रसायन तथा गणित विषयों पाठ्यक्रमों प्रश्न पत्रों को प्राप्त कर अध्ययन करना ।

(2) भौतिकी, रसायन तथा गणित विषयों के प्रश्न पत्रों, पाठ्यक्रमों की फोटो प्रतियाँ कराकर संस्थान के विषय विशेषज्ञों को वितरित कर उनका पाठ्यक्रम के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन (सरल, सामान्य, कठिन) को विभक्त करना ।

(3) रुड़की, मोतीलाल आई० आई० टी० के प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों का माध्यमिक शिक्षा परिषद में इन्हीं विषयों के प्रश्न पत्रों के कठिनता स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन ।

(4) विषय से सम्बन्धित स्थानीय कालेजों के प्रवक्ताओं से भी विचार विमर्श तथा व्याख्या का निर्माण करना ।

समय सारिणी—

जुलाई अगस्त 91 माध्यमिक शिक्षा परिषद उ० प्र० तथा रुड़की मोतीलाल आई० आई० टी० संस्थानों में प्रवेश हेतु भौतिकी, रसायन तथा गणित विषयों के पाठ्यक्रमों, प्रश्न पत्रों को प्राप्त करना ।

सितम्बर 19—भौतिकी, रसायन तथा गणित विषयों के पाठ्यक्रमों प्रश्न पत्रों की फोटो प्रतियां कराकर संस्थान के विषय विशेषज्ञों को उपलब्ध करना।

अक्टूबर—91 विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को यूनिट बार सरल, सामान्य कठिन का अध्ययन तथा विभक्त करना तथा प्रारम्भिक आख्या का निर्माण करना।

नवम्बर—91 विषय विशेषज्ञों (स्थानीय प्रवक्ताओं) से विचार विमर्श कर आख्या का तैयार करना।

दिसम्बर—91 आख्या का अंतिम रूप प्रदान कर टंकित कराकर निदेशक रा० शै० प० तथा उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

प्रदत्त विश्लेषण--

प्रश्न का किसिष्टता का स्तर निर्धारित करने हेतु निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा गया है।

(1) जिस प्रश्न को हल करने में एक सम्बोध का ज्ञान या सूत्र लागू हो उसे सरल प्रश्न माना गया है।

(2) जिस प्रश्न को हल करने में एक से अधिक सम्बोध अधिकतम 2 सम्बोध तक लागू हो ऐसे सामान्य प्रश्न माना गया है।

(3) जिस प्रश्न को हल करने में दो से अधिक सम्बोध का ज्ञान आवश्यक हो उसे कठिन प्रश्न माना गया है।

(4) अंकित प्रश्न यदि सीधे सूत्र पर आधारित है उसे सरल, अन्यथा कठिन प्रश्न माना गया है।

विषय वार विश्लेषण—

विषय—भौतिक विज्ञान

	1989			1990			1991		
	सरल	सामान्य	कठिन	सरल	सामान्य	कठिन	सरल	सामान्य	कठिन
मा०शि०प०	42	52	6	55	40	5	40	60	—
रुड़की	—	54	46	—	43	57	—	31	69
मोतीलाल	—	60	40	—	30	70	—	62	38
आई.आई.टी.	—	20	72	—	66	34	—	7	93

वर्ष 1989 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रश्न पत्र में 42,52,6 प्रतिशत सरल, सामान्य कठिन स्तर के प्रश्न पूछे गये।

वर्ष 1989 में सामान्य तथा कठिन स्तर के पूछे गये प्रश्नों का प्रतिशत रुड़की में 54,46 मोती लाल में 60,40 तथा आई० आई० टी० में 28,72 रहा। सरल स्तर का कोई प्रश्न किसी भी प्रवेश परीक्षा में नहीं पूछा गया।

वर्ष 1990 में माध्यमिक शिक्षा परिषद में 55,40,5 प्रतिशत सरल, सामान्य कठिन स्तर के प्रश्न पूछे गये।

वर्ष 1990 में सामान्य तथा कठिन स्तर के पूछे गये प्रश्नों का प्रतिशत रुड़की 54,46 मोतीलाल 60,40 तथा आई० आई० टी० में 28,72 रहा। सरल स्तर का कोई प्रश्न किसी भी प्रवेश परीक्षा में नहीं पूछा गया।

वर्ष 1991 में मा० शि० प० में 40,60 प्रतिशत सरल सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे गये।

वर्ष 1991 में सामान्य तथा कठिन स्तर के पूछे गये प्रश्नों का प्रतिशत रुड़की 31,69 मोती लाल 62,38 तथा आई० आई० टी० 7,93 रहा। सरल स्तर का कोई प्रश्न किसी भी प्रवेश परीक्षा में नहीं पूछा गया।

विषय गणित

	1989			1990			1991		
	सरल	सामान्य	कठिन	सरल	सामान्य	कठिन	सरल	सामान्य	कठिन
मा०शि०प०	40	60	—	48	52	—	40	60	—
रुड़की	—	4	96	—	28	72	2	28	60
मोतीलाल	—	—	100	15	45	40	18	44	38
आई.आई.टी.	—	—	100	—	12	88	20	36	44

वर्ष 1989 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रश्न पत्र में 40,60 प्रतिशत सरल, सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे गये।

वर्ष 1989 में सामान्य तथा कठिन स्तर के पूछे गये प्रश्नों का प्रतिशत रुड़की 4,96 मोतीलाल 0,100 तथा आई० आई० टी० में 0,100 रहा। सरल, सामान्य स्तर का कोई प्रश्न प्रवेश परीक्षा नहीं पूछा गया।

वर्ष 1990 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रश्न पत्र में 48,52 प्रतिशत सरल सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे गये।

वर्ष 1990 में सामान्य तथा कठिन स्तर के पूछे गये प्रश्नों का प्रतिशत रुड़की 28,72 मोतीलाल 45,40 सरल 15 तथा आई० आई० टी० 12,88 रहा। मोतीलाल के अलावा अन्य प्रवेश परीक्षा में सरल स्तर का प्रश्न नहीं पूछा गया।

वर्ष 1991 में माध्यमिक शिक्षा परिषद में सरल सामान्य स्तर के 40,60 प्रतिशत सरल, सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे गये।

वर्ष 1991 में सरल सामान्य तथा कठिन स्तर के पूछे गये प्रश्नों का प्रतिशत रुड़की 12,28,60 मोती लाल 18,44,38 तथा आई० आई० टी० 20,36,44 प्रतिशत रहा।

विषय—रसायन

	1989			1990			1991		
	सरल	सामान्य	कठिन	सरल	सामान्य	कठिन	सरल	सामान्य	कठिन
मा०शि०प०	42	58	—	40	60	—	48	52	—
रुड़की	—	53	47	—	48	52	—	45	55
मोतीलाल	—	—	45	—	58	42	—	62	38
आई.आई.टी.	—	35	65	—	32	68	—	36	64

वर्ष 1989 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रश्न पत्र में सरल, सामान्य स्तर का प्रश्न 42,58 प्रतिशत पूछे गये।

वर्ष 1989 में सामान्य तथा कठिन स्तर के पूछे गये प्रश्नों का प्रतिशत रुड़की में 53,47 मोतीलाल 55, 45 तथा आई० आई० टी० 35,65 रहा।

वर्ष 1990 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सरल सामान्य स्तर का प्रश्न 48,60 प्रतिशत पूछा गया।

वर्ष 1990 में सामान्य तथा कठिन स्तर के पूछे गये प्रश्नों का प्रतिशत रुड़की में 53,47 मोतीलाल 55,45 तथा आई० आई० टी० 3565 रहा।

वर्ष 1991 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सरल सामान्य 48,52 प्रतिशत प्रश्न पूछा गया।

वर्ष 1991 में सामान्य तथा कठिन स्तर के पूछे गये प्रश्नों का प्रतिशत रूड़की 45,55 मोतीलाल 62,38 तथा आई० आई० टी० 36,64 रहा।

निष्कर्ष—

भौतिक विज्ञान—माध्यमिक शिक्षा परिषद में प्रश्न पत्र 35,35 अंक के होते है प्रश्न-पत्र में सरल प्रश्नों की अधिकता होती है, जिससे छात्र सामान्य ज्ञान से अधिक अंक प्राप्त कर लेते है।

इंजीनियरिंग कालेजों के प्रवेश हेतु प्रश्न-पत्र एक होता है, जिसका पूर्णांक 100 अंक तथा समयविधि रुड़की में 2 घंटा, मोतीलाल में ढाई घंटा तथा आई० आई० टी० में 3 घंटा है। प्रवेश परीक्षा में प्रश्न सामान्य तथा कठिन स्तर में पूछे जाते है। प्रश्न हल करने में अन्य यूनिटों के सम्बोधों का ज्ञान तथा विस्तृत जानकारी होना आवश्यक होता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में छात्र को विषय के मूल-भूत सिद्धान्त का ज्ञान विस्तृत रूप से नहीं हो पाता है। जितना प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए आवश्यक होती है। आंकिक प्रश्न को हल करने में कई सम्बोधों, प्रकरणों का ज्ञान, तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्रता से कर सकने की आवश्यकता होती है। समयाभाव के कारण प्रश्न-पत्र को हल करने में कठिनाई होती है।

प्रवेश परीक्षा में प्रश्न मुख्यत: सामान्य तथा कठिन स्तर के होते है। जब कि मा० शि० प० में प्रश्न सरल तथा सामान्य स्तर के होते हैं। इन परिस्थितियों के कारण मा० शि० प० से उत्तीर्ण छात्र प्रवेश परीक्षा में अर्हंन्यूनतम अंक भी नहीं प्राप्त कर पाता है।

गणित—

माध्यमिक शिक्षा परिषद की इन्टर परीक्षा में सरल, सामान्य स्तर के 43,57 प्रश्न पूछे गये। जबकि प्रवेश परीक्षा में सरल, सामान्य कठिन स्तर के 17,28,66 प्रतिशत प्रश्न पूछे गये।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की इन्टर परीक्षा में सरल तथा सामान्य प्रश्न मुख्यत: सूत्रों पर आधारित आते है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के प्रश्न सूत्र पर न होकर सिद्धान्त पर आधारित होते है। अत: छात्र के विषय के मूलभूत सिद्धान्तों का सही ज्ञान न होने के कारण प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए छात्र को सूत्रों का प्रयोग विषय वस्तु के सिद्धान्त का ज्ञान होना आवश्यक है।

विषय रसायन—

माध्यमिक शिक्षा परिषद में औसतन 43,57 प्रतिशत सरल तथा सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं।

तथा प्रवेश परीक्षा में औसतन 47,53 प्रतिशत सामान्य तथा कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं।

मा० शि० प० के प्रश्न-पत्र में सरल प्रश्नों की अधिकता होती है। प्रवेश परीक्षा में प्रश्न सामान्य तथा कठिन स्तर के होते है। साथ ही बोधात्मक अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों की अधिकता होती है। जो कि मा० शि० प० के प्रश्नों से कठिन होते है। अत: मा० शि० प० से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश पाने में कठिनाई होती है।

निष्कर्ष—

उपरोक्त विषयवार विश्लेषण से स्पष्ट है मा० शि० प० के भौतिकी गणित तथा रसायन विषयों के प्रश्न सरल तथा सामान्य स्तर के पूछे जाते हैं। जबकि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के प्रश्न सामान्य तथा कठिन स्तर के प्रश्न आते है जिसमें कई सम्बोधों का ज्ञान प्रश्न हल करने के लिए आवश्यक होता है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों की संख्या अधिक तथा समय कम होता है।

सुझाव—

(1) उत्तर प्रदेश के छात्रों को विषय के मूलभूत सिद्धान्तों का विस्तृत ज्ञान देना चाहिए।

(2) कठिन प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास किया जाए।

(3) कम समय में प्रश्न हल करने की तकनीक, बुद्धि का विकास किया जाए।

(4) प्रश्न पढ़ते ही हल करने की क्षमता का विकास किया जाए।

(5) विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को कई बार हल करने का अभ्यास कराया जाए। जिससे उनकी क्षमता का विकास हो सके।

(6) पाठ्यक्रम में निर्धारित विभिन्न सम्बोधों के मूलभूत सिद्धान्तों के शिक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

———

25

चयनित मण्डल में जूनियर हाईस्कूलों में वर्तमान शिक्षण सुविधाओं तथा वहाँ पर कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अध्ययन

1—पृष्ठभूमि—

विगत वर्षों में जू० हाई-स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा के उन्ननयन एवं गुणात्मक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम तथा शिक्षण तकनीक में आमूल का परिवर्तन हुआ है और नवीन आयामों का समावेश भी हुआ है। पर्यावरण से सम्बद्ध क्रिया आधारित तथा छात्र केन्द्रित विज्ञान अधिगम उपागम पर विशेष बल दिया गया है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अधिकांश विद्यालयों को विज्ञान किटें प्रदान की गई हैं। अध्यापकों को शिक्षण तकनीक की नवीन विधाओं में प्रशिक्षित भी किया गया है और उन्हें शिक्षण सामग्री तथा साहित्य भी उपलब्ध कराया गया है वर्तमान में इन विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण सुविधाओं तथा विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता की वास्तविक स्थिति क्या है ? इसका अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तुत शोध/अध्ययन इन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है।

2—उद्देश्य —

जूनियर हाई-स्कूल स्तर पर—

(क) विज्ञान शिक्षण सुविधाओं तथा विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं का पता लगाना।

(ख) विज्ञान शिक्षण में अपेक्षित सुधार लाने के उपायों से अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को अवगत कराना।

(ग) विज्ञान शिक्षण में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ उपाय प्रस्तुत करना।

3—परिकल्पना—

जूनियर हाई-स्कूल स्तर पर पर्याप्त विज्ञान शिक्षण सुविधाओं और योग्य प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की गई। इनकी वास्तविक स्थिति में अन्तर होगा और विज्ञान शिक्षण में कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती होंगी।

4—परिसीमन—

(क) जनपद इलाहाबाद के 20 परिषदीय/विशिष्ट संस्थानों अथवा दीक्षा विद्यालयों से संलग्न जूनियर हाई-स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय।

(ख) अवधि—अगस्त 91 से दिसम्बर 1991 तक।

5 कार्यविधि—

(क) प्रतिदर्श का चयन—

इलाहाबाद जनपद के निम्नलिखित 20 विद्यालयों का चयन किया गया—

(1) परिषदीय जू० हाई-स्कूल	17	
(2) विशिष्ट संस्थानों से संलग्न रा० जू० हाई-स्कूल	2	योग—20 विद्यालय
(3) दीक्षा विद्यालय से संलग्न जू० हाई-स्कूल	1	सूची संलग्न है परिशिष्ट (क)

(ख) उपकरण—

विज्ञान संस्थान द्वारा निर्मित सर्वेक्षण पृच्छा प्रपत्र को उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया। पृच्छा प्रपत्र का सम्बन्ध निम्नलिखित दो प्रकार के विवरण से है।

(I) विद्यालयों में उपलब्ध विज्ञान शिक्षण सुविधाएँ।

(II) विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की योग्यता तथा उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण।

(सर्वेक्षण पृच्छा प्रपत्र संलग्न है परिशिष्ट (ख)

उपर्युक्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 20 पृच्छा प्रपत्रों की पूर्ति 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विज्ञान अध्यापकों द्वारा की गई।

6—प्रदत्त संग्रह—

सर्वेक्षण पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन किया गया और विद्यालयों में उपलब्ध विज्ञान शिक्षण सुविधाओं तथा वहाँ पर कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता की वास्तविक स्थिति के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई।

सारणी - 1

इलाहाबाद जनपद के 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का ब्लाकवार विवरण जहाँ से पृच्छा प्रश्नों पर आवश्यक सूचानाएं प्राप्त हुई।

ब्लाक	उ० प्रा० विद्यालय की सं०	परिषदीय/राजकीय
(1) करछना	1	परिषदीय
(2) चाका	2	"
(3) चायल	3	"
(4) जसरा	4	"
(5) कौड़ीहार	2	"
(6) सोरांव	2	"
(7) कौशाम्बी	1	"
(8) नेवादा	2	विशिष्ट संस्थान/दीक्षा विद्यालयों
(9) इलाहाबाद	3	से संलग्न राजकीय प्रा० उ० विद्यालय।
योग	20	

7—प्रदत्तों का विश्लेषण—

20 विद्यालयों (जू० हाई-स्कूल) से उनमें विद्यमान विज्ञान शिक्षण सुविधाएं जैसे—

विज्ञान किट, विज्ञान कक्ष, छात्र संख्या, आदि और कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की योग्यता, प्राप्त प्रशिक्षण प्रभावी विज्ञान शिक्षण हेतु सुझाव आदि के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हुई। इनका विश्लेषण किया गया जो निम्नवत् है—

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु उपलब्ध सुविधा—

सुविधाएँ	विद्यालयों की संख्या जहाँ सुविधाएँ उपलब्ध	
	है	नहीं
विज्ञाम कक्ष	3	17

विज्ञान किट	15	5
विज्ञान किट गाइड	4	16
बैठक व्यवस्था		
(1) टाट पट्टी	16	4
(2) दूरी	2	18
(3) पुस्तकालय-केवल 4 में विज्ञान पुस्तकें है	2	18
(4) बेंच/डेस्क	8	12

स्पष्ट है कि 15% विद्यालयों में विज्ञान कक्ष और 75% में विज्ञान किटें उपलब्ध है। बैठक व्यवस्था हेतु 80% विद्यालयों में टाट पट्टी और 10% दरी तथा 10% विद्यालयों में बेंच/डेस्क की व्यवस्था है परन्तु 20% विद्यालयों में विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध हैं।

सारणी 2

कक्षावार छात्रों की संख्या और सम्बन्धित विद्यालयों की संख्या --

छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या		
	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8
05-20	4	4	5
21-40	5	7	6
41-60	2	6	4
61-80	5	1	2
81-100	2	0	2
101-120	1	2	0
योग	20	20	20
छात्रों की न्यूनतम सख्या	3	11	5
छात्रों की अधिकतम संख्या	118	116	100

सारणी के स्पष्ट है कि 30% विद्यालयों में छात्रों की सख्या 21-40 के मध्य है।

सारणी—4

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की योग्यताओं और उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के विषय—

योग्यता	अध्यापकों की सं०	विशेष विवरण
विज्ञान से इन्टरमीडिएट	16	
विज्ञान से हाईस्कूल	3	एक विद्यालय में विज्ञान
विज्ञान में प्रशिक्षणों	8	अध्यापक नहीं है।
बी० टी० सी०	19	

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि—

(क) 80%:30 प्रा० विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की विज्ञान में योग्यता इन्टरमीडिएट और 15% विद्यालयों में हाईस्कूल है। 5% विद्यालयों में कोई विज्ञान अध्यापक नहीं है।

(ख) केवल 40% अध्यापकों को विज्ञान में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्राप्त है।

(ग) सभी कार्यरत अध्यापकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी योग्यता बी० टी० सी० है।

सारणी—5

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह आवंटित वादनों की संख्या—

कक्षा	प्रति सप्ताह प्रति छात्र वादन सं०	विद्यालयों का सं०	विशेष विव्वरण
6	6	7	
7	2	1	कक्षा 8 में केवल
8	5	1	6 वादन
	12	1	

(क) 85% विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह प्रति छात्र 6 वादन।

(ख) 5% विद्यालयों में 5 वादन।

(ग) 5% विद्यालयों में 2 वादन ।

(घ) 5% विद्यालयों में 12 वादन ।

सारणी—6

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराये जा रहे विज्ञान के प्रयोगों की संख्या का विवरण—

कराये जा रहे प्रयोगों की संख्या	विद्यालय संख्या			विशेष विवरण
	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	
6—10	10	9	6	
11—15	1	3	6	एक पृच्छा प्रपत्र में प्रयोग
16—20	शून्य	शून्य	शून्य	सं० के स्थान पर
21—25	1	शून्य	शून्य	आवश्यक सं० अंकित है ।
आवश्यक शब्द अंकित है ।	1	1	1	
योग	13	13	13	

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 65% विद्यालयों में विज्ञान प्रयोग कराये जाते हैं और 35% विद्यालयों में विज्ञान प्रयोग नहीं कराये जाते हैं ।

8 —निष्कर्ष—

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण सुविधाओं तथा कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए हैं—

(1) 85% विद्यालयों में विज्ञान कक्ष तथा 25% में विज्ञान किटें नहीं है ।

(2) 65% विद्यालयों में ही प्रयोग कराये जाते हैं और 35% विद्यालयों में विज्ञान प्रयोग नहीं कराये जाते हैं ।

(3) विज्ञान किट से प्रयोग करने के लिए केवल 20% विद्यालयों में किट गाइड है।

(4) विद्यालयों में विज्ञान किट में आंशिक टूट-फूट की आपूर्ति के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

(5) मात्र 40% विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था है परन्तु इनमें से 50% पुस्तकालयों में ही विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध हैं।

(6) विद्यालयों में छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था का अभाव है। 80% विद्यालयों में टाट-पट्टी पर, 10% में दरी पर और 10% में बेंच पर बैठने की व्यवस्था है।

(7) सभी विद्यालयों में उपलब्ध स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग विज्ञान क्रिया-कलापों में किया जा रहा है।

(8) विद्यालयों में कक्षावार छात्रों की संख्या संतोषजनक है।

(9) विज्ञान शिक्षण हेतु आवंटित वादनों की संख्या में भिन्नता है।

(10) सभी अध्यापक बी० टी० सी० प्रशिक्षित हैं। 80% अध्यापकों की विज्ञान विषय में इन्टरमीडिएट योग्यता है। 15% अध्यापकों की हाईस्कूल तक है। 5% विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक नियुक्त नहीं है।

(11) 48% अध्यापकों ने विज्ञान में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(12) 75% विद्यालयों का जू० हाईस्कूल 1991 का परीक्षाफल 100% है। शेष का परीक्षाफल 75% से 95% तक है।

9—सुझाव—

(1) जिन विद्यालयों में विज्ञान किट, किट गाइड नहीं है उन्हें उपलब्ध कराया जाय।

(2) विज्ञान किटों में आंशिक टूट-फूट की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(3) विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाय जिसमें विज्ञान की पर्याप्त पुस्तकें हों और अध्यापकों तथा छात्रों को इनका उपयोग करने की पूर्ण सुविधा प्रदान की जाय।

(4) प्रत्येक विद्यालय मे छात्रों की संख्या के अनुरूप बैठने की उचित व्यवस्था की जाय।

(5) छात्रों के "स्वयं करके सीखने" की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाय।

(6) विद्यालय जिनमें विज्ञान अध्यापक नहीं हैं, वहाँ विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति की जाय।

(7) विज्ञान अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी० एस-सी० की जाय ।

(8) जनपद के दीक्षा विद्यालय/डायट केन्द्र पर विज्ञान अध्यापकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जाय ।

(9) प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को निरीक्षण के समय विज्ञान में कराये गये प्रयोग/क्रिया-कलाप की जाँच करने हेतु निर्देशित किया जाय ।

(10) विज्ञान अध्यापक छात्रों द्वारा किए गए विज्ञान प्रयोगों का अभिलेख तैयार करायें और निरीक्षण के समय प्रस्तुत कराये जायें ।

(11) बिज्ञान शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु समय-समय पर विज्ञान गोष्ठियों का आयोजन किया जाय ।

परिशिष्ट (क)

(1991-92) : शोध/अध्ययन

विद्यालयों की सूची

विद्यालय का नाम	जनपद	ब्लाक
(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय, डीहा	इलाहाबाद	करछना
(2) जू० हाईस्कूल, आई० टी० आई०, चाका, नैनी	"	चाका
(3) उ० प्राथमिक वि०, दांदुपुर	इलाहाबाद	चाका
(4) उ० प्राथमिक विद्यालय, कसेदा	"	चायल
(5) उ० प्राथमिक विद्या मन्दिर, चायल	"	चायल
(6) उ० प्राथमिक विद्यालय, बम्हरौली	"	चायल
(7) उ० प्राथमिक विद्यालय, घुरोत्तरहाट	"	जसरा
(8) उ० प्राथमिक विद्यालय, कांटी	"	जसरा
(9) उ० प्राथमिक विद्यालय, घूरपुर	"	जसरा
(10) उ० प्राथमिक विद्यालय, परवेजाबाद	"	जसरा
(11) उ० प्राथमिक विद्यालय, नवाबगंज	"	कौड़िहार
(12) उ० प्राथमिक विद्यालय, मंसूराबाद,	"	कौड़िहार
(13) जू० हाईस्कूल, मलाक चौधरी	"	सोरांव
(14) उ० प्राथमिक विद्यालय, शिवगढ़	इलाहाबाद	सोरांव
(15) जू० हाईस्कूल, संलग्न राज० कन्या डी० वि०	"	इलाहाबाद
(16) राज०बे०डिग्री० स्कूल, संलग्न रा०सी०पी०आई०	"	इलाहाबाद
(17) राज० शो० आदर्श वि० संलग्न रा० शि० संस्थान	"	इलाहाबाद
(18) उ० प्राथमिक विद्यालय, क्योहर	"	कौशाम्बी
(19) उ० प्राथ० विद्यालय, पुरखास	इलाहाबाद	नेवादा
(20) उ० प्राथमिक विद्यालय, सेवड़ा	इलाहाबाद	नेवादा

शोध/अध्ययन/सर्वेक्षण

(1991-92)

सर्वेक्षण पृच्छा प्रपत्र

शीर्षक—

चयनित मण्डल में जूनियर हाईस्कूलों में विद्यमान विज्ञान प्रशिक्षण सुविधाओं तथा वहाँ पर कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अध्ययन।

कृपया प्रत्येक पृच्छा से सम्बन्धित विवरण निर्देशानुसार अंकित कीजिए।

(1) विद्यालय का नाम—

(2) ब्लाक, जनपद—

(3) परिषदीय/राजकीय विद्यालय—

(4) क्या कक्षा 6,7,8 में विज्ञान की राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाई जा रही है ?

हाँ/नहीं

यदि नहीं तो पढ़ाई जा रही विज्ञान पाठ्य-पुस्तक का नाम, लेखक का नाम आदि का विवरण दीजिए—

(5) विद्यालय में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या—

(क) कक्षा 6 — अनुभागों की सं०

(ख) कक्षा 7 — अनुभागों की सं०

(ग) कक्षा 8 — अनुभागों की सं०

(6) विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या—

(क) कक्षा 6 (ख) कक्षा 7 (ग) कक्षा 8

(7) विद्यालय भवन की स्थिति : शासकीय/परिषदीय/किराए का—

(8) विद्यालय में शिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कक्षों की संख्या—

कृपया कक्षों की माप (लम्बाई x चौड़ाई) का भी विवरण दीजिए—

(9 क्या विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण कक्ष छात्रों की संख्या के अनुरूप है ? हाँ/नहीं

(10) क्या विज्ञान शिक्षण हेतु कोई स्वतन्त्र कक्ष उपलब्ध है ? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो कक्ष की माप (लम्बाई × चौड़ाई) दीजिए।

(11) कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था का विवरण (कृपया √ का निशान लगाइए) कुर्सी/बेंच/मेज/डेस्क/दरी/टाट पट्टी/अन्य।

(12) क्या बैठक व्यवस्था छात्रों की संख्या के अनुरूप है ? हाँ/नहीं

(13) विद्यालय में उपलब्ध विज्ञान किटों का विवरण—

(क) कक्षा 6 भौतिक विज्ञान किट है/नहीं — किट गाइड है/नहीं

(ख) कक्षा 7 भौतिक किट है/नहीं — किट गाइड है/नहीं

(ग) कक्षा 8 भौतिक विज्ञान किट है/नहीं — किट गाइड है/नहीं

(घ) रसायन विज्ञान किट है/नहीं — किट गाइड है/नहीं

(ङ) जीव-विज्ञान किट है/नहीं — किट गाइड है/नहीं

(14) विज्ञान किटों से पूरे शिक्षण सत्र में कितने प्रयोग दिखाए जाते हैं ?

(क) कक्षा 6 (ख) कक्षा 7 (ग) कक्षा 8

(कृपया प्रत्येक कक्षा में कराए गए प्रयोगों का विवरण संलग्न कीजिए)

(15) क्या छात्रों द्वारा भी कई समूहों में विज्ञान प्रयोग कराए जाते हैं ? हाँ/नहीं
यदि हो तो एक समूह में कितने छात्र एक साथ प्रयोग करते हैं ?

(16) (क) यदि विद्यालय में विज्ञान किटों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो इसका क्या कारण है ?

(ख) क्या विज्ञान किट में सभी वस्तुएँ सुरक्षित हैं ?

यदि नहीं तो टूटे/खर्च हुए सामानों की आपूर्ति कैसे होती है—

(17) विज्ञान किटों के उपयोग में अनुभव की गई कठिनाइयों का विवरण दीजिए।

(18) क्या प्रयोग प्रदर्शन में स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग होता है ? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का विवरण दीजिए।

(19) क्या छात्रों को घर पर विज्ञान प्रयोग/क्रियाकलाप स्वयं करने को अभिप्रेरित किया जाता है ? हाँ/नहीं

(20) क्या छात्रों द्वारा घर पर किये गये प्रयोगों का अभिलेख अध्यापक रखते हैं ? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो प्रयोगों का विवरण कक्षावार दीजिए।

(21) क्या अध्यापक विज्ञान शिक्षण हेतु पाठ्य-पुस्तक के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक/शिक्षण सामग्री की सहायता लेते हैं ?

यदि हाँ तो पुस्तक/शिक्षण सामग्री का विवरण दीजिये।

(22) कितने प्रतिशत छात्रों के पास विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकें हैं ?

(क) 25% (ख) 50% (ग) 75% (घ) 75% से अधिक (ङ) 25% से कम

(23) क्या विद्यालय में पुस्तकालय है ? हाँ/नहीं।

(24) क्या पुस्तकालय में विज्ञान की पुस्तकें हैं ? हाँ/नहीं।

(25) क्या पुस्तकालय की विज्ञान की पुस्तकें अध्यापकों को उपलब्ध होती है ? हाँ/नहीं।

(26) क्या पुस्तकालय की विज्ञान की पुस्तकें छात्रों में वितरित की जाती हैं ? हाँ/नहीं।

(27) क्या विद्यालय के आस-पास पर्यटन स्थल जैसे तालाब, उद्यान आदि है ? हाँ/नहीं।

यदि हाँ तो क्या छात्र वहाँ जाते हैं ?

(28) विद्यालय में विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की विज्ञान विषय से उच्चतम शैक्षिक योग्यता क्या है ? कृपया विवरण दीजिए—

(I) (क) हाईस्कूल (ख) इन्टरमीडिएट (ग) बी० एस-सी०

(घ) एम० एस० सी०, (कृपया सही का निशान लगाइए)

(II) प्रशिक्षण—(क) बी० टी० सी० (ख) बी० एड० (ग) अन्य

(29) विज्ञान अध्यापकों का विज्ञान शिक्षण अनुभव वर्षों में अंकित कीजिए—

अध्यापक का नाम — शिक्षण अनुभव

1—

2—

(30) क्या विज्ञान अध्यापकों ने विज्ञान में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया है ? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो —

(क) प्रशिक्षण का वर्ष—

(ख) स्थान—

(ग) अध्यापक का नाम—

प्रशिक्षणोपरान्त प्राप्त साहित्य/शिक्षण सामग्री का उल्लेख कीजिये।

(31) विद्यालय में प्रति सप्ताह विज्ञान शिक्षण हेतु आवंटित वादनों की संख्या क्या है ?

(क) कक्षा 6 (ख) कक्षा 7 (ग) कक्षा 8

(32) वर्ष 1991 की जूनियर हाईस्कूल परीक्षा में विज्ञान विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है ?

(33) जूनियर हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव दीजिये।

विज्ञान अध्यापक का हस्ताक्षर

(नाम)

प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर

(नाम)

विद्यालय की मुहर

26

A study of the achievement of English of students of class seventh studying in J.H.S., H.S. and Intermediate Colleges, in rural areas

Need :

It is a known fact that the standerd of teaching and learning of English has gradually gone down in our state. Even after teaching of five or seven years of English most of our students are not even able to write a single correct sentence what to say of speaking a correct sentence For this sorrowfull and pitiable condition teachers of Intermediate Colleges blame the teachers of H. S and H. S. teachers blame the teachers of J. H. S. stage.

Most of the students of our state especially those living in the rural areas are not able to qualify in competitive examinations of state and all India level. As they have poor knowledge of English they have to face disappointments in different competitive examinations. If they want to work in some reputed concerns or they want to go to some foreign land for further studies or for business purposes, due to lack of proper knowledge of English they can not achieve their aims. Even for technical studies and higher education they require sufficient amount of command over this language. But due to their weakness. especially in English they don't get success. Thus they are depressed. It shakes their self confidence. They do not know what to do because at higher stage it seems too late to impove. So it became imperative for us to find out the main reasons for the weaknesses of the language among our students. To remedy the cause of weakness one has to go to the root of it. Hence the need of this investigation.

Aims :

The aims of this project are following :—

(i) To know the achievements of the students in English of class VII studying in J. H. S., High School and Intermediate colleges of rural areas.

(ii) To pinpoint the areas where the students find difficulty in learning the language.

(iii) To suggest some means to remove their difficulties and improve their standard of teaching so that the achievements of the students studying in different institutes in rural areas can be equal to the students studying in urban areas.

4. Hypothesis :

The study aims at pin pointing the reasons of deterariation in the standard of English at the initial stage It will reveal the drawbacks. On the basis of the findings the strategy to arrest the decline in the standard of teaching and learning English will be formulated

5. Procedure :

For proper understanding of the problem the area of study was selected and tools were prepared. The investigator contacted the institutions and used the tools to fathom the achievement of the students selected for the study. The data collected were processed and conclusions were drawn.

(a) Selection of institutes :

The following institutions of Allahabad rural area were selected for administering the test—

(i) Govt. Girls High Schools, Phafamau.

(ii) Girls J. H. School, Phafamau.

(iii) Boys High School, Hanumanganj.

(iv) Girls Junior High School, Hanumanganj.

(v) Maharshi Inter College, Handia.

(vi) Govt. Girls High School, Handia.

(vii) Girls Junior High School, Handia.

(viii) Girls Junior High School, Baraut.

(ix) Girls Junior High School, Jhoosi.

(x) Boys Inter College, Jhoosi.

(b) Tool :

A test paper of one hour duration was prepared on the basis of the course of class VI. For administering it in the seventh class the aforesaid institutions were taken.

(c) Data Collection :

At first the test was administered in the Govt. Girls High School, Phafamau. Girls High School, Phafamau. Boys High School, Hanumanganj and Girls Junior High School, Hanumanganj. The time taken by the students was also noted. Then the test was administered in Maharashi Inter College, Handia, Govt. Girls High School, Handia, Girls Junior High School, Handia, Girls Junior High School, Baraut, Girls Junior High School, Jhoosi and Boys Inter College, Jhoosi. The condition of different institutions, the back ground of the students and teachers were recorded.

The answer sheets were checked.

The following areas of language were taken for testing—

(1) Vocabulary

(2) Syntax

3) Grammar

1. Vocabulary :

In the area of vocabulary comprehension of meaning uses and spelling were taken into consideration.

(a) Meaning :

On the basis of the checking of answer sheets it was found that only 34% of the students studying in rural area were able to understand the meaning.

(b) Uses :

On the basis of the answer sheets it was found that only 20% students were ablle to use the words correctly.

(c) Spelling :

Where the spelling was checked it was found that only 33% studends could writte correct spelling.

2. Syntax :

For examining the students in the area of syntax the students were asked to change the statement into negative and frame some sentences.

a) Negative :

For testing the knowledge in this area inversion of present indifinite sentencies were given. Only 9% students could give the correct answer on the basis of the result it is assumed that the students are very weak in this area.

(b) Framing sentenses :

Only 20% students could frame simple sentences with the given words.

3. Grammer :

We know that knowledge of grammar is very important for learning of tthe language. If the students are not taught the proper use of different grammatical poimts that can not learn a foreign language. They can not write correct sentence. To ascertain their knowledge in this area the following points were tested :—

(a) Articles :

Only 10% students could use the articles properly. It shows that they must be given intensive practice in the use of articles.

(b Capital letters :

27% students were able to use capital letters properly.

(c) Preposition –

We know that prepositions of English language created a lot of trouble to the students only 21% students could use prepositions correctly.

(d) Verb Form—

Only 20% students used the correct verb form.

(e) Punctuation marks –

56% students used the punctuation marks correctly.

(f) Agreement of subject and verb -

Only 20% students had its knowledge.

Conclusion –

On the basis of the test and its result it was found that the studying in rural area had very poor achievement in English.

See the table No. 1 and 2 annexed at the end. 6. A brief note on the schools and colleges visited for administering the test in class VII.

It was found that the teachers in the rural areas were not generally very well trained, and most of them used translation method in teaching English. They gave very little practice or in most of the schools no practice at all in the language work. They were unaware of the usefulness of the exercises given at the end of the lessons and at the back of the book.

Only in the Boys Inter and High Schools there was provision for the furnitures and more ever they had seperate room for each class. But in all the Junior High Schools and even in Govt. Girls High School, there was no provision for furniture. There was scarecity of place also. The students sat in such a small room that it was difficult for them to sit properly. In most Junior High Schools students of two classes sat in one room. It is really a wonder that they could learn even that little English language which they knew. Even the most intelligent person can not learn anything in such a situation.

How can we blame the poor children for their lack of knowledge If we can not provide an average condition for learning.

Suggestions

On the basis of the answer sheets and discussions with the teachers following suggestions are made.

(i) Care should be taken to make the teachers of all the Junior High Schools and Intermediate Colleges, familiar with the syllabus of English at this stage.

(ii) Periodic refresher training courses for such teachers should be organized for the teachers of English, especially of Junior High Schools. They must be provided opportunities for exposure to English language

(iii) Guide books for the teachers of English at the basic stage must be prepared and must be made available to them.

(iv) Workshops should be organized at intervals to orient the teachers of English at the basic level for producing materials for the requiremets of the students in the area.

(v) Interesting reading materials must be produced for the student to make them curious to learn.

(vi) The inspecting officers must also have adequate knowledge of English in order to make inspection academically effective.

Table No. - 2

Percentage calculated on basis of the achievement

Area of Test	Percentage
1. Vocabulary	
(a) Meaning	34%
(b) Uses	20%
(c) Spelling	33%
2 Syntax	
(a) Sentence framing	21%
(b) Negative	9%
3. Grammar	
(a) Articles	10%
b) Verb form	20%
(c) Concord	20%
(d) Preposition	21%
(e) Punctuation	56%
(f) Capital letters	27%

Table No.—1

Name of the Institutions and achievements of the students

Sl. No.	Name of the Institutions	No. of students	Vocabulary			Syntax			Grammar					
			Meaning	Uses	Spelling	opp.	Sentence	Negative	Articles	Verb form	Concord	Preposition	punctuation	capital letters
1.	Govt. Girls Higher Secondary School, Phafamau.	17	6	6	7	6	–	1	3	4	–	11	10	6
2.	Girls J. H. S. School, Phafamau.	12	0	0	3	4	2	0	2	2	2	4	1	3
3.	Boys High School, Hanumanganj·	35	8	10	11	8	3	3	8	2	3	12	4	5
4.	Girls Junior High School, Hanumangnj.	14	3	2	4	5	2	2	4	1	2	8	2	3
5.	Maharshi Inter College, Handia.	71	16	14	18	16	20	5	10	12	20	22	23	25

6.	Govt. Girls High School, Handia.	32	8	7	6	4	7	3	1	3	7	10	9	5
7.	Girls Junior High School, Handia.	15	5	0	1	0	3	0	1	3	3	2	6	2
8.	Girls Junior High School, Baraut	8	4	5	3	5	4	2	3	4	4	2	3	3
9.	Junior High School Jhoosi.	10	5	0	4	7	2	0	2	3	2	1	6	1
10.	Boys Inter College, Jhoosi	30	15	0	14	22	8	4	7	10	8	5	18	4

27

A Study of the 'Diploma Participants' Spoken English with Reference to their Use of Accent at the Entry and Terminal Points of the Training Programme.

Need of the study—

The social purpose of language and the importance of speech as a medium of communication are emphasized in all linguistic theories today. Even if we give priority to Reading and Writing skills in teaching / learning English as a second language the importance of speech for its own sake and as a means to developing other skills remains inevitable.

Loss of intelligibility in spoken English is due more to faulty accent than faulty sounds. Apart from sound segments every language has other sound features which relate to units higher than the phoneme. These are called suprasegmental or prosadic features and include accent, rhythm and intonation. To most India learners the suprasegment features of English pose a very great problem. Among them the most important is accent. Therefore in this study we have concentrated on accentual pattern only.

It is a characteristic of English that the accented syllables are very prominent and largely over shadow the unaccented ones. The major part of the meaning of words and sentences is carried by the accented syllalbes and if accent is wrong the transmission of the meaning can, therefore easily be interrupted. Placing accent on wrong syllable has disastrous consequences. If the wrong words are accented in the connected speech or if all the words are stressed equally the characteristic rhythem of English is lost and the kind of English

sounds un-English. The vital importance of correct accent thus, is obvious. The problem of correct accentuation can only really be solved by appreciating and bringing home its importance and insisting that the correct stress is thoroughly learnt when the word is learnt.

With a view to bring about a qualitative imporvement in the oral communication and promunciation of our teachers teaching English at the Secondary level in the State of Uttar Pradesh, Phonetics is incorporated in the four months in service training programme at English Language Teaching Institute, Allahabad. Accent is given due importance and it is expected that it will be useful in improving teacher's speech which has a direct impact on students. The peculiarity of English accentuation is one of the major causes of sub-standard pronunciation of our teachers and consequently our students. It is an acknowledged fact that the pupils initate what they listen. It is, therefore, very necessary that the teacher's pronunciation must be acceptable. **It must** be realized by the teachers that the acceutuation of no two languages are indentical.

Objectives—

(I) The purpose of the study is to examine the use of accent in the spoken English of the teachers of Secondary schools without having any formal training in this particular area.

(II) To examine how much improvement takes place in the use of accent after the four months' training in this particular area.

Hypothesis –

It is felt that after four months' training in which the informents were given sufficient theoratical knowledge and ample practice in correct use of accent there will be a marked improvement in this area in their speech.

Delimitation—

To examine the use of acentual pattern of, our teachers in their spoken English before and after training, ten in-service teachers who were the diploma participants for the 57th course (Aug.. 91-Dec. 91) were selected on the basis of random sampling.

Procedure of Data Collection—

The casual speech and careful reading of the informants was recorded at the entry and the terminal points of their training course.

Systematic speech —

A word-list, carefully prepared containing bisyllabic to more than five syllabic words in ascendidg order with accent on changing syllables and a short passage from High School English Reader were given to the informants to read and their reading was recorded. The same list and the passage were given at the terminal point so that a comparitive study of rheir performance may be possible.

Casual Speech —

At the entry point the informants were asked to say something about themselves and their schools/colleges. At the terminal point they were asked to express their impressions of the diploma course, their batch mates and their experiences at Allahabad.

The total duration of the speech recorded is 120 minutes.

The total was carefully transcribed, editted and then analysed.

A careful study of the data reveals that there are many deviations in the use of accent in the speech of our informants from that of Standard English (RP). These deviations norms of R.P. So let us first see what is accent and its use in Standard English speech.

English accent can be diviped into two parts (a) Word Accent, (b) Accent in coonected speech.

Word Accent —

It is an essential part of the word shape. Every word has a certain characterstic accentual pattern shared by the speaker and listner alike. Any arbitary change in this pattern may deform a word beyond recognition. It is as much a part of the words' identity as its sound sequence. In an English word of more than one syllable one of the syllable (s) is pro-

nounced with greater prominence than the other (s). The syllable that is pronounced more prominently than the other (s) in the same word is said to be accented.

The greater prominence of a syllable may be due to stress (greater breath force or muscular energy) but often the length of the vowel, the inherent quality of the sound and change of pitch work together to render a syllable more prominence than its neighbouring syllables English accent is "free" in the sense that there is no fixed rule regarding which sylllable in a polysyallabic word should take the accent. In some languages the incedence of word accent is fixed eg. Czech and Jinnish words are accented on initial syllable; or in Polish words are accented on the penultimate (last but one) syllable; in French it is the last syllable of a word that receives accent. In English it is fixed only in a very limited sense that every word has its fixed accentual pattern. It is free as some words are accented on the first syllable, some on the second, some on the third and so on. It can be any where from the the first to the last syllable. In addition to this, to make the matter more complex accent shifts in derivatives; and of course there are words like 'present', 'project', 'conduct' and several others which take the accent on different syllables depending upon their function in the sentence. The basic accentual pattern of a word which is as much a part of its identity may however be somewhat modified by the general accentual pattern of the longer utterance in which it occurs. So let us consider :

Accent in Connected Speech –

Just as it is necessary to accent the right syllable in a word so it is necessary to accent the right words in a sentece. As a general rule we can say that the words which are important for meaning are accented in connected speech they are generally content words as nouns, adjectives, main verbs and adverbs. As regards structural or grammatical words such as some pronouns, conjunctions, prepositions, articles. helping verbs are generally not accented and invariably have a different pronunciation when unaccented in connected speech. Weakened forms are overwhelingly the most frequent.

Analysis of the Data –

A close study of the data reveals that there are two kinds of deviations in the use of accent in the speech of the Diploma participants.

(a) Accentuation on the wrong syllable in isolated words.

(b) Wrong words accented in connected speech.

Again these deviations are studied comparitively by examining closely the two recordings made at the entry and the terminal points.

We observed that the pattern of accentuatios was not well organized in our informants speech.

If we look at Table I we find that the impormants were asked to read fifty pollysyllabic words with changing accent

If we consider over all deviation from the standard norms it ranges from 17-26 words with an average of 22 wrong accents out of 50.

There are less mistakes in disyllabic and trisyllabic words except a few. But the words 'absolute' and 'students' were wrongly accented unanimously.

All the trisyllabic words having accent on the third syllable were accented wrongly by all the informants.

All the four syllabled words accented on the initial syllable were accented wrongly except 'malancholoy' which was correct in most of the cases.

In longer words having more than three syllables 'electricity' and 'evaluation' were accented on the wrong syllable.

In derivatives from 'photograp' all the words were stressed on the same syllade '– –gra– –' irrespective of the shift in accent.

Some words were uniformly misaccented eg. 'advertisement', 'idea', 'already .

In connected speech in first recording nearly all the structural words were used in their citation forms and many of them were accented unnecessarily.

In the second recording which was done at the terminal point of the training whem the informants had sufficient knowledge and practice in this area, if we look at table 2 for tlhe over all deviation it ranges from 10 to 13 wrongly accented words with an average of 12.

We find most of the words ending with—'ion' or 'ical' eg 'botanical', 'evaluation' are accentuated correctly in Table—2.

There is a marked improvement of 20 percent which is no less achievement.

In connected speech, careful as well as casual, weak forms of structural words are used to certain extent.

The percent of correct accentuation was nearly 40% than the first recording in careful reading of the text. Weak forms of structural words were used quite reasonably. From an impressionistic point of view we can also say that deviations in this area were less in carreful reading of the passage than in casual speech.

A marked improvement was observed in using accent in those words in which some rules could be applied

Observations and Findings—

Our analysis of the existence of the data indicates the following findings.

— Our informants were not aware of the existence of this salient feature of English speech.

— Wherever they used correct accentuation it was because of some exposure or was a matter of mere accident.

— In connected speech too they did not accent all the words that are normally accented in Standard English.

— Sometimes they place the accent on words that are normally unaccented.

— They used only the citation form of the strucural words and did not use weak forms and so rhythem could not be maintained.

Conclusion—

All these features of English speech were quite new to our informants. Our pupils don't come across anythis like this complexity in their first language.

But we find a marked improvement in this area after intensive knowledge and extensive practice of accent in isolated words and sentences. Earlier habits no doubt interfere and are hard to give up but new knowledge helps a lot.

Continuous consciousness sincere efforts will bring about required improvement.

They have also learnt the use of dictionary in this area It will be a great help whenever they are confused.

In any case, whether or not, a second language learner uses such forms himself, he most know of their existence for otherwise he will find it difficult to understand much of ordinary colloquial English. This knowledge is particularly important because a second language is often learned on the basis of isolate word forms, in the speech, however, the outline of these words will frequently be modified or obscured.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D - 7710
DOC, No ....
Date 01-09-93

NIEPA DC
D07710